राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3 सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का तिरपनवां दिवस संख्या : 24

सोमवार,
24 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम। श्री जीवराम चौधरी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

सांचौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा

493. श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांचौर के सांचौर व चितलवाना में रबी 2023 में फसल बुआई से लेकर कटाई तक वर्षा व ओलावृष्टि से फसल खराबा हुआ है? यदि हां तो क्या सरकार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कम्पनी से मुआवजा दिलवाने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सांचौर में वर्ष 2023 में रबी फसल में हुए नुकसान का मुआवजा 20 प्रतिशत ही मिलने के कारण किसानों द्वारा शिकायतें दर्ज करवायी गयी थीं? यदि हां तो क्या सरकार किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट क्लेम देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत् सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक) में सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि व चक्रवात के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर देय होता है। औसत उपज के अनुमान हेतु मुख्य फसलों हेतु पटवार स्तर पर 4 फसल कटाई प्रयोग तथा गौण फसलों के लिए तहसील स्तर पर 16 फसल कटाई प्रयोग प्रति अधिसूचित फसल हेतु आयोजित कराये जाते हैं। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज की तुलना पूर्व मे तय की गयी गारंटी उपज से की जाकर बीमा क्लेम की गणना की जाती है।

फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसान- फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिवस की अवधि तक खेत में सूखने के लिये काटकर फैलाकर छोड़ी गयी अधिसूचित फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से क्षति होने की स्थिति में फसल की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। प्रभावित बीमित फसल के कृषक को घटना घटने के 72 घण्टे में भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हैल्पलाइन 14447, क्रॉप इंश्योरेंस एप अथवा लिखित में सम्बन्धित वित्तीय संस्थान या कृषि विभाग को सूचना देना जरूरी है। सूचना प्राप्ति के 48 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेयर की नियुक्ति की जाकर सर्वेयर द्वारा क्षति का आकलन सम्बन्धित कृषक व स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीमित फसल के किसान को व्यक्तिगत स्तर पर फसल में हुई हानि का आकलन कर बीमा क्लेम दिये जाने का प्रावधान है।

(2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2023-24 में विधान सभा क्षेत्र सांचौर में पोस्ट हॉर्वेस्ट के कुल 8705 व्यक्तिगत इंटिमेशन प्राप्त हुए, फसल बीमा योजना प्रावधानों के अनुसार 4305 पात्र कृषकों (कुल प्राप्त इंटिमेशन का 49 प्रतिशत) को राशि 19.08 करोड रुपये का फसल बीमा क्लेम वितरित किया गया है। शेष रहे 4400 कृषकों के इंटिमेशंस के डुप्लीकेट इंटिमेशंस, कृषक का फसल बीमा न होने, इंटिमेट क्रॉप मिसमैच, देर से सूचना देने, इंटिमेशंस अधिसूचित फसल का न होने आदि के कारणों से बीमा कम्पनी द्वारा अपात्र माना गया है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है, अभी भी वर्तमान में सांचौर में किसान हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग यही है, जो 2022-23, 2023-24 का फसल बीमा, पिछली कांग्रेस की सरकार ने जिन कम्पनियों के एग्रीमेंट किया था, यह एक तरह का व्यापार है और व्यापार में कोई नुकसान करने की गुंजाइश लगभग-लगभग नहीं रहती है। जो 2 प्राइवेट कम्पनियां रिलायंस और बजाज, जिनके साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ, वो मात्र दिखावे के लिए 5 परसेंट, 10 परसेंट किसानों का क्लेम कर-कराकर अपनी खानापूर्ति कर देते हैं और बाकी के सारे काश्तकार उस नुकसान की भरपाई से वंचित रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले पर माननीय मुख्य मंत्री जी से भी पिछली बार चर्चा हुई थी...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): और उनसे यह निवेदन किया था कि इन कम्पनियों के अधिकारियों को बुलाकर पाबन्द करें। अच्छा, पोर्टल पर शिकायत करो, पोर्टल बन्द हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिन किसानों का मुआवजा नहीं दिया, सरकार उन कम्पनियों से कब तक दिलाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजो। माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांचौर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत उपज आधारित बीमा क्लेम विवरण-सांचौर में खरीफ 2023 में 3217 कृषकों को राशि 3.49 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किये गये। विधान सभा क्षेत्र सांचौर में रबी में 2023-24 में 19 हजार 519 कृषकों को राशि 71.71 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किये गये।

जालौर में कुल 35 हजार 914 कृषकों को 33.64 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किये गये। रबी के 37 हजार 507 कृषकों को राशि 105.75 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम दिये गये। पूरे जालौर जिले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, कुल 45 करोड़ 70 लाख 33 हजार 982 क्लेम बनता था, जिसमें से 43 करोड़ 67 लाख 21 हजार 938, 2 करोड़ 3 लाख 12 हजार 44 रुपये का क्लेम शेष है, कुछ कारणों से प्रक्रियाधीन है, कभी अकाउंट की मिसमैचिंग की वजह से, फिर से वहां जाकर उन अकाउंट्स को ढूंढना। यह सब करके और सदैव बीमा कम्पनी उसको, लगभग 1 महीने के अन्दर-अन्दर यह कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ पूछना है?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): हुकम, मेरा निवेदन है, काश्तकार हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी डिमांड है, डेली ज्ञापन आते हैं और आपने जो पूरे जिले का आंकड़ा दिया है, इससे 10 गुना तो अकेले विधान सभा क्षेत्र सांचौर में काश्तकारों का मुआवजा बनता है। जो आपने दिया है, कम्पनियों ने रैंडम मुआवजा दिया है। अगर 100 काश्तकारों को नुकसान हुआ, उन्होंने 5 को छांटकर खानापूर्ति करने के लिए मुआवजा दे दिया। 95 परसेंट काश्तकारों को उससे वंचित रखा है। वे ऐसी शर्तें, कोई न कोई घोंचा डालते हैं अन्दर, यह नहीं हुआ, पूंछड़ा नहीं हुआ, ढींकड़ा नहीं हुआ, काश्तकार इतनी सब शर्तें कहां से पूरा करेंगे? ऑनलाइन पोर्टल उनका बन्द रखते हैं और विज्ञापन देते हैं बड़े-बड़े।

श्री अध्यक्ष: यह तो हो गया, प्रश्न पूछो न।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): तो अभी वह जो मुआवजा नहीं दिया है, वह कब देंगे? मेरा यही निवेदन है, ताकि हमारे सांचौर के काश्तकार जो हड़ताल पर बैठे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, उनको आप सन्तुष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, हमारा क्षेत्र अलग नहीं है। आपकी और हमारी पीड़ा एक जैसी ही है। भजन लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों का सदैव ध्यान रखने वाली सरकार है। आप उसकी चिन्ता न करें। मैंने आपको पूर्व में मेरे

जवाब के अन्दर सारा तरीका, किस तरीके से बीमा कम्पनी इंश्योरेंस करती है, क्या-क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैंने विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी है। फिर भी यदि आपको लगता है तो यह 2 करोड़ का पूरे जालौर जिले का शेष है, उसका मैं बता ही चुका हूं, वह प्रक्रियाधीन है और जल्द से जल्द होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सीएम साहब से भी मिल लिये, उसके बाद भी नहीं हुआ इनका, जो इन्होंने बताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह है, खण्ड 2 में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 4400 कृषकों का बीमा आप लोगों ने कैंसिल किया है, यानी कि 51 परसेंट आपने कैंसिल कर दिया, मात्र 49 परसेंट को ही आपने भुगतान किया है। संख्या तो बहुत ज्यादा है। आधे से ज्यादा आप रिजेक्ट कर रहे हो। क्या इन किसानों को सरकार विशेष अभियान चलाकर, क्योंकि इसमें कमियां तो आपने 20 गिना दीं, उससे काम चलने वाला नहीं है, जिनका नुकसान हुआ है, सरकार अपने स्तर पर इन 51 परसेंट किसानों को मुआवजा दिलाना चाहती है या नहीं?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा, इन्होंने खण्ड 2 वाले सवाल का जिक्र किया है, इसमें खुला-खुला लिखा हुआ है, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार समयावधि के अन्दर उसको बीमा कम्पनी को बताना पड़ता है, जिस फसल के लिए उसने बीमा दिया हुआ है, रॉन्ग इंटिमेशन, सब-कुछ उसमें स्पष्ट किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई सवाल शेष रह नहीं जाता है, जो प्रतिपक्ष के नेता को...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यही कह रहा हूं कि इसकी वजह से 51 परसेंट लोगों का जो मुआवजा रिजेक्ट हो रहा है, क्या सरकार इसके लिए कोई विशेष अभियान चलाकर ऐसा प्रयास करेगी कि किसानों का मुआवजा रिजेक्ट नहीं हो?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो इंश्योरेंस कम्पनी की हैं, उनके अनुरूप ही सारा काम किया गया है। फिर भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता की यदि इच्छा है कि कुछ किया जाये तो एक बार हमारे अधिकारियों को और इंश्योरेंस कम्पनी के साथियों, सबको साथ बैठाकर...।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष: दो हो गये आपके। इसका अन्त नहीं है। दो इनके हो गये, दो इनके हो गये।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): हमारे सांचौर के सदस्य, प्रतिपक्ष के साथियों के लिए और भी कुछ इसका परीक्षण करवाने का हम एक बार और प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

mkd/rtm/24.03.2025/11:10/1b

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): वह तो कम्पनियों के फेवर में होगी।

श्री अध्यक्ष: भई, विराजिये। प्रश्न आ गया है।

अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

झालावाड़ में आर.एस.एल.डी.सी. योजना में प्रशिक्षण

494. श्री कालूराम (डग): क्या कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा युवाओं को कौशल विकास के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तहत प्रशिक्षित किया जाता है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में जिला झालावाड़ में किन-किन प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को, कौन-कौन से प्रशिक्षण के लिए, कितनी-कितनी राशि का भुगतान, कब-कब किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला झालावाड़ में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तहत प्रशिक्षण के लिए माह जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2024 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उक्त आवेदनों में से कितने आवेदन, किन कारणों से निरस्त किये गए? क्या निरस्त किये गए आवेदनों की अमानत राशि लौटा दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य श्री कालूराम जी को इसका उत्तर बताता हूं, (1) हां, निगम द्वारा 1 अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक कुल 69,346 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(2) 1 अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा जिला झालावाड़ में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को प्रशिक्षण के लिये रुपये 1,05,79,079 का भुगतान किया गया । जिसका विवरण अनुलग्नक-अ पर उपलब्ध है।

(3) जिला झालावाड़ में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तहत प्रशिक्षण के लिए जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2024 तक कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त 110 आवेदनों में से 15 आवेदनों को EoI में वर्णित अर्हता पूरी न करने के कारण निरस्त किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले उत्तर पूरा हो जाए, फिर आप पूछो।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री): योजनावार निरस्त आवेदनों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	निरस्त आवेदनों की संख्या	निरस्त आवेदनों के कारणों का विवरण
1	राजक्विक	4	निगम द्वारा आवेदनों को निरस्त करने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैः-

			• EoI में उल्लेखित नियमो और शर्तों के अनुसार आवेदनों (प्रपोजल) का पूर्ण ना होना। • लेखा (अकाउंट) संबंधित दस्तावेज में त्रुटि का होना। • EoI के अनुरूप अमानत राशि जमा नहीं होने के कारण। • क्षेत्र विशेष की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं होने के कारण। • टर्न ओवर मानदंड को पूरा न करना और 3 वर्ष की बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं करना। • सक्रिय केंद्रों और प्रशिक्षित एवं नियोजित अभ्यर्थियों के मानदडों को पूरा नहीं करना। • बैलेंस शीट और आईटीआर जमा नहीं करना।
2	समर्थ	3	
3	सक्षम	0	
4	मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल्य सामर्थ्य योजना	8	
कुल योग		15	

कुल 15 निरस्त आवेदनों में से कुल 11 आवेदनों की अमानत राशि वापस लौटाई जा चुकी है एवं शेष 04 आवेदनों में से 03 आवेदनों की अमानत राशि लौटाए जाने की प्रक्रिया जारी है एवं 01 एजेंसी द्वारा बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण अमानत राशि वापस नहीं लौटाई गई है। जिसका विवरण अनुलग्नक-ब पर उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विभाग द्वारा 69,346 प्रशिक्षण रोजगार दिया गया। उक्त युवाओं में से कितने युवाओं को रोजगार से जोड़कर रोजगार चला रहे हैं और सरकार द्वारा इनको क्या वित्तीय सहायता दी जा रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की कुछ कौशल विकास की योजनाएं हैं! हम कुछ योजनाएं विभागों के साथ मिलकर चलाते हैं, कुछ योजनाएं हम भारत सरकार के साथ मिलकर चलाते हैं। इन सारी योजनाओं के अन्दर अलग-अलग हिसाब से राज्य की तरफ से भी और केन्द्र सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता सीधे कम्पनी के माध्यम से दी जाती है, जहां ये सारी ट्रेनिंग्स सब्सिडाइज्ड होती हैं।

झालावाड के अन्दर, जहां से माननीय सदस्य आते हैं, वहां पर पिछले एक वर्ष के अन्दर टोटल तकरीबन साढ़े आठ सौ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो आप 69000 बता रहे हैं। दूसरा मेरा यह है कि 1 अप्रैल, 2024 से जनवरी, 2025 तक आपने 1 करोड़ 5 लाख 79 हजार रुपये का खर्च बताया है और इसमें चार योजनाएं काम कर रही हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मैंने पूछा है कि आपकी कौन-सी एजेंसी यहां पर काम कर रही हैं? और आप योजनाओं का नाम बताएं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने जो एजेंसीज हैं, हमने उनके नाम प्राइवेसी डाटा के तहत नहीं दिये हैं, लेकिन हमने चिन्हित किया है कि कितनी कम्पनियों के आवेदन निरस्त हुए हैं, कितनी कम्पनियों के आवदेन स्वीकार हुए हैं। जैसा मैंने आपके सामने भी बतलाया कि 110 आवेदन आये थे, जिसमें से 15 निरस्त हुए। यानी, 95 आवेदन आपके ही जिले से, उनको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन हमने कम्पनी का नाम, डिटेल्स प्राइवेसी डाटा के तहत नहीं दिये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामावतार बैरवा।

चाकसू के गांवों में नाली निर्माण

495. श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र चाकसू के गावों में कीचड़ की समस्या के समाधान हेतु विगत तीन वर्षो में कितने गांवों में नाली निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें?

पंचायती राज मंत्री (मदन दिलावर): विधान सभा क्षेत्र चाकसू के गावों में कीचड़ की समस्या के समाधान हेतु विगत तीन वर्षों में वर्ष 2021-2022 में 87 गांवों में, वर्ष 2022-23 में 68 गांवों में व वर्ष 2023-24 में 18 गांवों में नाली/सड़क मय नाली निर्माण करवाया गया है।

कीचड़ निकास की समस्या का समाधान नाली निर्माण से ज्यादा नालियों की सफाई पर निर्भर करता है अतः विभाग द्वारा गांवों में साफ सफाई हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज संस्थाओं को आधारभूत सेवाओं के रखरखाव प्रदायगी एवं

विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस अनुदान राशि से करवाये जाने वाले कार्यों का चयन भी स्थानीय स्तर पर ही सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाकर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाई जाती है एवं इसी योजना से कार्यों का चयन किया जाकर राशि की उपलब्धता एवं कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृतियां भी स्थानीय स्तर पर ही जारी की जाती हैं। गांवों को कीचड़ मुक्त रखने हेतु जहां पर भी नाली निर्माण/सड़क निर्माण के कार्य अपेक्षित हैं, संबंधित पंचायती राज संस्था इन कार्यो को स्वीकृत करने में सक्षम हैं।

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछो।

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार एवं वर्तमान सरकार में गांवों में नाली निर्माण एवं साफ-सफाई हेतु अलग से बजट दिया जाता था। यदि हां तो कितना? एवं नहीं तो पंचायतों में सफाई की क्या व्यवस्था थी? एवं वर्तमान में क्या व्यवस्था है? सुरक्षा उपकरण एवं मानदेय दिये जाते हैं? या नहीं, यदि हां तो क्या-क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सैंट्रल फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आता है, उसमें से कुछ प्रतिशत एक 30 परसेंट स्टेट में और उसमें 40 परसेंट है। ये सफाई पर खर्च होना होता है और एवरेज लगभग 10 लाख रुपये प्रति पंचायत सफाई के लिए पैसा दिया जाता है। उससे गांव की सारी सफाई कराई जाती है। प्रावधान यह है कि रोज गांवों में हर घर के सामने झाड़ू निकलेगा। गांव में कोई गन्दगी नहीं रहेगी। रोज नाली साफ दिखाई देनी चाहिए। रोज कचरे की गाड़ी घर-घर कचरा लेने जाएगी, ये प्रावधान हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि एक पंचायत को दस लाख से लगाकर 20 लाख रुपये साल के पड़ते हैं, जो पर्याप्त राशि होती है। इसके अतिरिक्त भी यदि जनसंख्या ज्यादा होती है और यह पैसा कम पड़ता है तो 30 प्रतिशत राशि स्वच्छ भारत मिशन से खर्च की जा सकती है।

माननीय विधायक महोदय ने पूछा है कि सुरक्षा उपकरण क्या दिये जाते हैं तो सुरक्षा उपकरणों में ग्लवज, गमबूट, एप्रिन, चश्मा और टोपी देने का प्रावधान किया हुआ है और मिनिमम मानदेय 297 रुपये पर डे देना होता है, जो सामान्तया पहले कभी नहीं दिया गया। पहले सफाई कभी भी रेगुलर नहीं कराई गई। यह पहली बार हो रहा है कि लगभग सभी गांवों में सफाई कराई जा रही है। हालांकि, अभी भी कोई संतोषजनक नहीं है, फिर भी हम पीछे पड़े हुए हैं और आने वाले एक साल के अन्दर, राजस्थान सरकार की इच्छा है, माननीय भजन लाल शर्मा जी की और हमारी इच्छा है कि हिन्दुस्तान में सबसे स्वच्छ ग्रामीण राजस्थान दिखाई दे। ऐसा हम सब लोग मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अप्रैल माह में हमने यह तय किया है कि सहायक विकास अधिकारी से लेकर पंचायत राज का बड़े से बड़ा अधिकारी भी गांवों में जाकर पंचायतों का निरीक्षण करेगा कि सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है, कोई भी ग्राम पंचायत नहीं छूटेगी, जहां पर निरीक्षण करने हमारा अधिकारी नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्षः कुछ और पूछना है, वैसे बहुत कुछ आ गया है, संक्षेप में।

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): हां। अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में अभी भी नाली निर्माण नहीं हुआ, क्या सरकार उनमें भी तय मानकों के अनुसार नाली निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 और 40 परसेंट का बताया था कि फाइनेंस कमीशन का पैसा इसमें खर्च होता है। शेष पैसा अन्य कामों पर खर्च होता है, जिसमें नाली निर्माण का कार्य भी कराया जा सकता है तथा अन्य निर्माण भी कराये जा सकते हैं, पेयजल के लिए भी कराये जा सकते हैं।

माननीय विधायक महोदय ने इनके विधान सभा क्षेत्र की बात की है तो मैं सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत करूंगा और शीघ्रता शीघ्र उपलब्ध हमारे धन के अनुसार नाली का निर्माण कराया जाएगा।

परन्तु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पहली बार हो रहा है, राजस्थान के गांवों में सफाई। शहरों में तो देखी है, पर गांवों में नहीं देखी थी। यह पैसा पहले भी आता था, पर पहले पैसा कहां जाता था, यह जांच का विषय है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जांच पड़ताल करें कि इस पैसे को कौन रफा-दफा करता था।

श्री अध्यक्षः आप कोशिश करेंगे, केवल इनके विधान सभा क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान की पंचायतों में हो।

श्री चेतन पटेल कोलाना।

कोटा के छात्रवृत्ति से वंचित छात्र

496. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कई छात्रों की छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन करने के बाद भी सम्बन्धित कॉलेज द्वारा विभाग को स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं भेजने के कारण छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो जिला कोटा के ऐसे आवेदकों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार छात्रवृत्ति से वंचित उक्त छात्रों को छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थान के स्तर पर कोटा जिले के लम्बित आवेदन, जो कि निरस्त किये गये हैं, ऐसे आवेदकों की वर्गवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत संचालित की जाती है। उक्त दिशा-निर्देशों में विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त 90 दिवस में छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थी द्वारा आवेदन की सभी प्रविष्टियां की पूर्ति करने एवं सभी दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर योजनान्तर्गत बजट उपलब्धता के आधार पर छात्रवृति से लाभान्वित किया जाता है।

ऐसे आवेदन पत्र, जो अपूर्ण अथवा आक्षेपित हैं, वे आवेदन छात्रवृत्ति हेतु अपात्र होते हैं। विद्यार्थी/शिक्षण संस्थाओं के पास (शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2022-23 तक) ऐसे लम्बित आवेदन पत्र जिन्हें अनेक प्रयास यथा मैसेज, 181 हैल्प लाइन द्वारा वाइस मैसेज, शिक्षण संस्थाओं के साथ वीडियो कांफ्रेस एवं दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति द्वारा सूचित करने के उपरान्त भी शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति कर विभाग को अग्रेषित नहीं किये गये, ऐसे आवेदन पत्रों को दिशा-निर्देशों की पालना में निरस्त किया गया है। अतः इन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती है।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): सर, उत्तर आ चुका है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ चुका है, तो पूरक प्रश्न बोलिये।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति के आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है, उसको बहुत ज्यादा जटिल कर दिया गया है,जिसके कारण विद्यार्थियों की छोटी-छोटी मिस्टेक जन आधार डिटेल्स, डॉक्यूमेंट में यदि कॉमा, स्पेस, डॉट आदि भी अगर रह जाता है तो विद्यार्थियों का आवेदन अच्छे से नहीं हो पाता है।

इसलिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आवेदन फार्म में जो आक्षेप की पूर्ति का सरकार एक ही अवसर प्रदान करती है, उनको कम से कम पांच अवसर देने चाहिए, ताकि सुधार कर सके।

मेरा प्रश्न यह है कि इसको बढ़ाकर, एक से बढ़ाकर पांच बार अवसर देने का आप विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। यदि हां, तो कब?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में जो सवाल पूछा है, निश्चित

ही आपको।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप पधार गये हैं, आपका स्वागत है। माननीय श्रीचन्द्र जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत कर रहा हूं, दोनों आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है।

Bhs/Rtm/24.03.25/11.20/1c

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने छात्रवृत्ति के आक्षेप पूर्ति के सम्बन्ध में जो सवाल पूछा है, विभाग के द्वारा छात्र जो अध्यनरत हैं, उनको छात्रवृत्ति देने के लिए इसलिए निरस्त कर दिए जाते हैं कि छात्रों के स्तर पर आक्षेप पूर्ति नहीं करना, पात्रता का नहीं होना, शैक्षिक संस्थान द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र को विभाग को अग्रेषित नहीं किए जाते हैं। लगातार सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा उन संस्थानों को उन छात्रों को लगातार मौका दिया जाता है कि आप आक्षेप की पूर्ति करके विभाग को भिजवाएंगे तो एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा, अभी हमने जैसे 2024-25 के लिए करंट यीअर की 31 मार्च की डेडलाइन रखी है। पूर्व में भी कुछ ऐसे, आपके जैसे पीपल्दा क्षेत्र की बात करें तो कुछेक ऐसे विद्यार्थी हैं जो आक्षेप पूर्ति नहीं करने के कारण से उनका अभी होल्ड पर रखा गया है और जो 2016-17 के बाद से 2022-23 तक जिन्होंने अभी तक आक्षेप पूर्ति नहीं की उनका हमने निरस्त किया वरना जितने भी छात्र हैं आक्षेप पूर्ति का उनको बराबर मौका दिया था, लेकिन फिर भी आपने जो कहा है कि जो एक मौका उनको देते हैं, उसके बाद में पांच मौके दिए जाने चाहिए, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह लगातार प्रक्रिया है और इस पर भी परीक्षण करके अधिकतम मौका छात्रों को दिया जाएगा जिससे वे छात्रवृत्ति से वंचित न रहें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): धन्यवाद माननीय मंत्री जी, इसको एक से बढ़ाकर पांच तक आप करने का कष्ट करें।

दूसरा मेरा यह है साहब कि इसमें क्योंकि टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कोमा, स्पेस, डॉट छोटी- मोटी दिक्कत भी रह जाती हैं तो फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। मैं समझता हूं कि यही कारण है कि 31 मार्च 2025 तक की जो आपने छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि तय की थी उसमें बहुत ही कम आवेदन अभी तक विभाग को प्राप्त हुए हैं तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसको 31 मार्च से बढ़ाकर आप 15 अप्रैल तक बढ़ाने का विचार रखते हैं क्या? यदि हां, तो आप बताइये और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी की सरकार यहां चुने हुए समस्त 200 विधायकों की जो बात है उसका सम्मान करती है और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि 31 मार्च की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाएंगे क्या, तो निश्चित ही मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर छात्रों के आवेदन

जितने भी हैं, सही समय पर 31 मार्च तक अपलोड नहीं हुए विभाग को नहीं भेजेंगे तो उसकी तारीख को आगे बढ़ा कर एक भी छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रखेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार तो भजन लाल शर्मा जी की है, बार-बार कहने की कहां जरूरत है। किसी को कोई एतराज थोड़ी ही है आपकी ही है भई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में आपने कॉलेज विभाग की स्वीकृति का जो जिक्र किया है, मैं पूछना चाहूंगा कि कॉलेजों के अंदर कितने ऐसे आवेदन हैं जो बॉयोमेट्रिक की वजह से लंबित हैं? प्रश्न - एक और दूसरा यह है कि 2023-24 और 2024-25 में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चों की छात्रवृत्ति अभी तक पेंडिंग है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में यह पूरे डेटा हैं यीअरवाइज जिसमें अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति भी है, अनुसूचति जाति की भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी है और उत्तर मैट्रिक भी है और अम्बेडकर आदि ये जितने भी जो छह-आठ कैटेगरी में हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस सदन को भी यह उपलब्ध करा दूंगा आंकड़ा और आपको भी दे दूंगा कि जितने, हमारे पास पूरा है मेरे पास यीअरवाइज पूरा डेटा है। मैं सब आपको उपलब्ध करवा दूंगा और यह लगातार प्रक्रिया है छात्रवृत्ति देने की। केंद्र का जितना अंश हमारे पास आता है उसकी यू.सी. हम लोग देते हैं और यू.सी. देने के बाद में यह आपको भी पता है एक प्रक्रिया है, यू.सी. देने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा देती हैं उसके बाद राज्य सरकार का भी अंश होता है वह दोनों मिला करके जब पूरा हम पैसा दे देते हैं, उसके बाद में हमारी यू.सी. जाती है उसी के बाद में जो बकाया पैसा है वह हमारा केंद्र से आता है और यह यह लगातार प्रक्रिया है। हमने पिछले समय में सुधार किया है। अभी बहुत कम छात्रों की जो स्कॉलरशिप है, हम प्रयास कर रहे हैं कि यह आने वाले समय में जल्दी ही इसको पेंडेंसी को ज़ीरो कर देंगे, ताकि कोई भी छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा में स्वीकृत विकास कार्य

497. श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विगत एक वर्ष में आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों के अतिरिक्त कौन-कौनसे विकास के कार्य स्वीकृत किये गये? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त के अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों को स्वीकृत करने की सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा में

पिछले एक वर्ष (2023-24) के दौरान आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों के अतिरिक्त अन्य 52 कार्य राशि रुपये 625.87 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। तथा वर्ष 2024-25 में 22 कार्यों हेतु 146.76 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विकास कार्यो को, कार्य की आवश्यकता, उपादेयता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा में कितने विकास कार्य स्वीकृत किए गए एवं इन कार्यों को कब आप प्रारंभ करेंगे? इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण चांपा की नाल, राई, झालोरा का कार्य कब पूरा करेंगे इन गांवों में कुछ ढाणियां और कुछ बस्तियां वंचित रह गई हैं, उनको क्या आप विद्युतीकरण से जोड़ने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्ष 2024-25 में 22 विकास कार्यों हेतु 1.46 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जनजाति भागीदारी योजना के अंतर्गत 25 कार्य राशि रुपये 1.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय जी, विद्युतीकरण का जो अपने विषय उठाया है यह निश्चित रूप से चांपा की नाल पंचायत है, यह वर्ष 2023 में स्वीकृत हुआ था 275 में। सरकार कांग्रेस की थी, इन्होंने जिस गति से काम होना चाहिये उसका काम वह पूरा नहीं किया। 2024 में हमारे आने के बाद में विभाग ने उसके कार्यादेश जारी किये और वहां पर 6 गांव हैं, काम जारी है और शेष जो गांव पहले रह गए हैं, आप प्रस्ताव भिजवायेंगे तो निश्चित रूप से हम 275 में केंद्र को भेजेंगे और उसको पूरा करेंगे।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अंशुमानसिंह भाटी।

बज्जू (बीकानेर) में आरक्षित भूमि का आवंटन

498. श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी, बज्जू जिला बीकानेर द्वारा दिनांक 1.11.2020 से 10.10.2023 तक 68 से अधिक प्रकरणों में विशेष आवंटन (13ए) व मोहरबंद श्रेणी की गजट में प्रकाशित आरक्षित भूमि का सामान्य आवंटन श्रेणी में आवंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो आवंटियों का नाम, चक, मुरब्बा नंबर व क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आवंटनों की जांच करवाकर खारिज करने तथा दोषी अधिकारियों/

कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उपनिवेशन मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) जी हां। उपखण्ड क्षेत्र बज्जू में 01.11.2020 से 10.10.2023 की अवधि में 69 प्रकरणों में विशेष आवंटन व मोहरबन्द श्रेणी गजट में प्रकाशित आरक्षित भूमि का सामान्य आवंटन श्रेणी में आवंटन कर दिया गया। सूची ''परिशिष्ट-अ'' पर संलग्न है।

(2) तहसील कोलायत व बज्जू में सन् 2021 से 2023 के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आंवटन/नियमन के प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(25)राज-3/2025 दिनांक 14.02.2025 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) बीकानेर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अनियमित आवंटन को खारिज करने की कार्यवाही की जावेगी।

विशेष आवंटन/मोहरबंद आवंटन हेतु आरक्षित भूमि को सामान्य आवंटन श्रेणी में आवंटन किये जाने के कारण तत्कालीन आवंटन अधिकारी बज्जू के विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर कार्यालय बीकानेर से प्राप्त कर कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये हैं।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हो चुका है मैं आप के माध्यम से पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा...।

श्री अध्यक्ष: पूछिये, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): ...कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच में बीकानेर जिले में कई एमएफआर आवंटन, टीसी आवंटन, नियमन आवंटन और भूमिहीन आवंटन किये गये जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध थे और अनियमित थे। मैंने 22.06.2024 को विधानसभा के दूसरे सत्र में प्रश्न लगाया था। प्रश्न में यह उत्तर आया कि विभाग ने खुद ने माना कि 392 अलॉटमेंट में से 69 अलॉटमेंट गलत थे, उन अलॉटमेंट में तकरीबन 1400 बीघा जमीन नियम विरुद्ध तरीके से अलॉटमेंट की गई। इसमें विशेष श्रेणी की जमीन/मोहरबन्द श्रेणी की जमीन यहां तक कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षित जमीन थी वह भी आवंटित कर दी गई और मैं आपको यह भी विश्वास से कह सकता हूं ये आंकड़ा 69 से भी अधिक था तो जब धारा जो कॉलोनाइजेशन एक्ट का नियम 22/3 है इसके आधार पर जो भी जिला प्रशासन है वह उस अलॉटमेंट को खारिज कर सकते हैं तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रश्न है कि जब जिला प्रशासन के पास यह पॉवर थे तो आज इस प्रश्न के नौ महीने के बाद भी जो कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए थी, विभाग को करनी चाहिए, जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी, तो क्या मंत्री महोदय निर्देश देकर 22/3 के आधार पर इन तमाम अनियमित आवंटनों को निरस्त कराने का प्रावधान करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उप खंड अधिकारी, बज्जू द्वारा दिनांक 1.11.2020 से 10.10.2023 तक राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के तहत आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर विभिन्न श्रेणी के 392 आवंटन किए गए। इन आवंटनों में सामान्य आवंटन की श्रेणी में किये गए 69 आवंटन प्रकरणों में ऐसी भूमि आवंटन की गई जो विशेष आवंटन व मोहरबन्द आवंटन श्रेणी हेतु आरक्षित थी। राजस्थान उपनिवेशन नियम 2075 के नियम 22/3 के नियम विरुद्ध हुए आवंटन को आयुक्त, उपनिवेशन/जिला कलेक्टर को किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर या सुओमोटो प्रक्रिया द्वारा निरस्त करने की शक्तियां दी गई हैं, जिसमें सुनवाई कर अवसर देकर न्यायिक प्रक्रिया के आदेश प्रसारित करने का प्रावधान है। इन 69 प्रकरणों में तहसीलदार, भूमिधारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किए जाने पर नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत सुनवाई की जाएगी। तहसील कोलायत व बज्जू में सन् 2021 से 2023 के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आंवटन/नियमन के प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(25)राज-3/2025 दिनांक 14.03.2025 के द्वारा...

Kas/rtm/24.03.2025/11.30/1d

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नगर बीकानेर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: उनके प्रश्न का उत्तर दे दो।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य ने जो कहा है कि गलत आवंटन हुए हैं, उसकी कमेटी बना दी गई है, जो भी गलत आवंटन हुए हैं, उनको निरस्त करने का काम किया जायेगा। साथ ही और भी कोई ऐसी जांच है या जिसमें गलत आवंटन हुए हैं, तो पूरी तरह से इसकी जांच करके गलत आवंटनों को निरस्त करने का काम नियमानुसार किया जायेगा।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट और कोलोनाइजेशन एक्ट, 1975 में यह प्रावधान है कि 70 और 80 के दशक में जितने भी टीसी आवंटन किये गये हैं, उनका ना ही किसी प्रकार से तबादला हो सकता है, ना ही खसरा परिवर्तन हो सकता है। 1992 से जितनी भी बारानी भूमि राजस्थान में है, उस पर नये टीसी आवंटन नहीं किये जा सकते, परंतु 10.07.2023 को बज्जू में ऐसे 43 आवंटन किये गये, जिसमें 1374 बीघा जमीन आवंटन कर दी गई और मात्र 17 दिन बाद अचानक से 27/7 को एक कमेटी और बैठती है, जिसमें भीखमपुर की खसरा 533 में 619 सहित 1667 बीघा जमीन को विनिमय का प्रकरण दिखाते हुए, खसरा परिवर्तन करते हुए पात्रता से अधिक नये टीसी आवंटन को पुख्ता भी कर दिया जाता है और दो महीने में खातेदारी रजिस्ट्री करके सोलर कंपनियों को जमीन लीज पर दी जाती है और उनको आगे बेच दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिन

चुनिंदा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों ने जो भी अनियमित आवंटन करवाये, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया, उन तमाम अधिकारियों एवं उन भू-माफियाओं के खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने कहा है कि गलत आवंटन हुए हैं, राज्य सरकार के नियमानुसार कार्यवाही करके जो भी गलत पाया जायेगा, उसकी जांच करके, उसको निरस्त करने का काम नियमानुसार किया जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में यह पीछे मुड़कर बात करने का क्या तरीका है? पास में चले जाओ या हां लॉबी में चले जाओ।

अगला प्रश्न। श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा किसानों का बीमा क्लेम

499. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 व 2024-25 में कितने किसानों का दुर्घटना बीमा करवाया गया है? उक्त अवधि में कितनी राशि प्रीमियम की प्राप्त हुई है एवं कितना प्रीमियम बीमा धारक द्वारा दिया गया है? उक्त क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा दिये प्रीमियम की राशि का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बीमा कम्पनी स्वास्थ्य परीक्षण के बिना ही बीमा कर रही है? यदि हां, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण कितने प्रकरणों को निरस्त किया गया है? उक्त अवधि में बीमा कम्पनी ने कितने क्लेम स्वीकृत किये और कितने क्लेम किन कारणों से निरस्त किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों की दुर्घटना हुई एवं कितने किसानों द्वारा क्लेम हेतु आवेदन किया गया? उक्त में से कितने स्वीकृत तथा कितने निरस्त किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) वर्ष 2023-24 में बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो सकने के कारण राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित नहीं की गई।

वर्ष 2024-25 में विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में 12851 ऋणी किसान सदस्यों का दुर्घटना बीमा किया गया है। वर्ष 2024-25 में 12851 सदस्यों की प्रीमियम राशि रूपये 37.53 लाख किसानों के ऋण खातों से प्राप्त कर इन्श्योरेन्स कम्पनी को भिजवाई गई है।

(2) जी हां। राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण एक भी प्रकरण निरस्त नहीं किया गया है।

वर्ष 2023-24 में बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो सकने के कारण राज सहकार

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित नहीं की गई।

वर्ष 2024-25 में बीमा कम्पनी द्वारा राज्य के सहकारी बैंकों के 24 दावे राशि रुपये 240.00 लाख के भुगतान किए गए तथा 16 दावे राशि रुपये 160.00 लाख के बीमा कम्पनी के निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं करने के कारण निरस्त किये गये।

(3) वर्ष 2023-24 में बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो सकने के कारण राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित नहीं की गई।

वर्ष 2024-25 में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीमा क्लेम हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है, मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्षः पूछिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब में यह बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में बीमा कम्पनी का चयन नहीं होने के कारण राजस्थान सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित नहीं कर पाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने वर्ष 2023-24 में बीमा नहीं करवाया, उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ और उसके लिये जिम्मेदार कौन हैं?

साथ ही, मंत्री जी यह बताएं कि बीमा कम्पनी के द्वारा जो बीमा क्लेम निरस्त किये जा रहे हैं, तो यह बीमा कम्पनी अपनी मर्जी से निरस्त करती है या सरकार में विभागीय स्तर पर भी इनकी समीक्षा करके इनको क्लेम देने की कोई प्रक्रिया है? इन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र लिये जा रहे हैं, तो क्या यह सही है या नहीं और स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के अभाव में कितने क्लेम खारिज हुए हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लाडपुरा से आने वाली माननीय सदस्य महोदया को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2023-24 में राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत कम्पनी का चयन नहीं हो पाया था। बीमा कम्पनी का चयन नहीं होने से कोई क्लेम किसानों को नहीं मिला। राजस्थान के सारे किसान इस योजना से वंचित रह गये, किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया था। सरकार के स्तर पर बीमा कम्पनी का कोई निर्धारण नहीं हो पाया था, जिससे राजस्थान के किसानों को दुर्घटना बीमा के लाभ से वंचित रहना पडा।

माननीय सदस्या ने निरस्त बीमा क्लेम के बारे में पूछा है, मैं माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहूंगा कि बीमा कंपनियों द्वारा जो भी बीमा कराया जाता है, क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिये कोई भी आवेदन हमें प्राप्त होता है, बीमा कम्पनी के निर्धारित मानकों के अनुरूप उनका परीक्षण किया जाता है। यदि उन आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार से निर्धारित

मानक का अभाव रहता है, तभी वो क्लेम खारिज किया जाता है। विभागीय स्तर पर हमने एक सैक्शन बना रखा है, कम्पनी अगर कोई क्लेम रिजेक्ट करती है, तो हम उसकी समीक्षा करके उस पर काम करते हैं।

माननीय सदस्या ने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के बारे में भी पूछा है, तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में किसी भी प्रकार के कोई स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होती है और इस वजह से किसी का भी कोई क्लेम अस्वीकृत नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि पिछली सरकार द्वारा किसानों के ऋण पर जो जीवन बीमा किया गया था, उसमें किसानों की कितनी प्रीमियम राशि काटी गई थी और इस सरकार के आने के बाद किसानों की कितनी प्रीमियम राशि काटी गई? क्या प्रीमियम राशि में कोई फर्क है? यदि हां, तो कितना फर्क है और इस फर्क का क्या कारण है और फर्क के लिये सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लाडपुरा से आने वाली माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहूंगा कि जो भी प्राथमिक ऋण दाता समितियां होती हैं, उसके ऋणी सदस्यों के लिये, राज्य की अल्पकालीन कृषि संरचना के फसली ऋण लेने वाले कृषक सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है। उक्त योजना का प्रीमियम ऋणी द्वारा ही वहन किया जाता है, किसानों द्वारा ही वहन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे कुशल प्रबंधन की वजह से इन बीमा योजनाओं में किसानों द्वारा जो प्रीमियम वहन किया गया है, उसमें कमी आई है। जिसका सीधा लाभ राजस्थान के 31 लाख किसानों को हुआ है। गत सरकार में 2023-24 में सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में 360 करोड़ रुपये का प्रीमियम राजस्थान के 31 लाख किसानों को वहन करना पडा था, जिसको हमने इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में कम करते हुए केवल 186 करोड़ रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे राजस्थान के 31 लाख किसानों को 172 करोड़ 86 लाख रुपये का भार कम वहन करना पडा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि यह जो प्रीमियम का फर्क आया है, इसके लिये हमने एक कमेटी भी बनाई है और जो भी बीमा कम्पनी और अधिकारी इसमें दोषी पाये जायेंगे, उन पर कार्यवाही करने का काम हमारी सरकार करेगी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमें कहते हैं किसान

विरोधी सरकार है, तो हमारी सरकार के आते ही हमने किसानों को इतना लाभ दिया है, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: यह केवल लाडपुरा का है। प्रश्न प्रांत का हो तो पूछो, यह एक विधान सभा क्षेत्र का है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कई बार किसानों का बीमा समय पर नहीं होता। सरकार चाहे हमारी रही हो या आपकी रही हो, पहले भी इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार ऐसा नियम बनायेगी कि भविष्य में कोई भी किसान एक भी दिन बिना बीमित नहीं रहे?

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि कम राशि में आप लोगों ने बीमा कर दिया, तो वो रिजेक्ट भी ज्यादा हो रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि जो बीमा कम्पनियां किसानों के क्लेम खारिज करती हैं, क्योंकि यह कमाने के लिये ही हैं, तो सुओमोटो आधार पर सरकार कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनायेगी कि जो किसानों के बीमा रिजेक्ट होते हैं, उस पर सरकार कार्यवाही करे?

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बिलकुल वाजिब प्रश्न उठाया है कि किसान एक भी दिन बिना बीमित न रहे, तो इस साल हमने बीमा कंपनियों के जितने भी टेंडर थे, वे सारे कर दिये हैं और हम प्रयास करेंगे कि 31 मार्च से पहले-पहले सारे एग्रीमेंट भी हो जाये और किसान को एक दिन का भी वेट न करना पड़े।

दूसरा प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्लेम खारिज हो जाते हैं। इसके लिये हमने इस बार पूरा पोर्टल पर ले लिया है। इस साल से हमने इसकी समीक्षा भी की कि क्या कारण हैं। कभी-कभी बीमा कम्पनी यह कहती है कि हमें दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। कभी कोई कारण बता देती है, तो हमने इस साल सारा पोर्टल पर ले लिया है और लगातार हम समीक्षा भी करते हैं। हमने इस पर अपनी ओर से एक एडवोकेट भी नियुक्त कर रखा है।

Msk/rtm/24.03.25/1140/1e

उसको साथ बिठाकर, उसके बावजूद भी कहीं किसान को यह लगता है कि हमारा बीमा खारिज हुआ है तो उसके लिए वह केवल बीमा कम्पनी ही नहीं, वह बीमा विनियामक बोर्ड के पास भी जा सकता है और उपभोक्ता मंच के पास भी जा सकता है तथा बीमा लोकपाल में भी जा सकता है। वह वहां जाकर भी अपना न्याय प्राप्त कर सकता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर में 400 के.वी. ग्रिड स्टेशन की स्थापना

500. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला उदयपुर जिले में विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में अधिभार से मुक्ति पाने हेतु कौन-कौनसे कार्य स्वीकृत एवं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) जी हां। 400 केवी जीएसएस उदयपुर व संबंधित लाइनों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी करने की स्वीकृति दिनांक 11.03.2025 को दी जा चुकी है। उक्त जीएसएस के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 19.03.2025 को जारी कर दिया गया है। उक्त जीएसएस का निर्माण कार्य, कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 24 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(2) उदयपुर जिले में विद्युत अधिभार (ओवरलोड) की समस्या के निराकरण हेतु 33 केवी के सब स्टेशनों के वर्तमान में स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

प्रसारण तंत्र के सुधारने हेतु उक्त जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में 220 केवी के सात जीएसएस मेनार (उदयपुर), दरीबा (उदयपुर), सलूम्बर, डूंगरपुर, सागवाड़ा (डूंगरपुर), दलोत (प्रतापगढ) एवं नाथद्वारा (राजसमन्द) तथा 132 केवी के तीन जीएसएस सराड़ा, कोटड़ा एवं सायरा का निर्माण कार्य प्रगतिरत है एवं 400 केवी जीएसएस उदयपुर के निर्माण हेतु कार्य आदेश दिनांक 19.03.2025 को जारी किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उदयपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, पर्यटक भी बहुत आते हैं और इस 400 केवी ग्रिड के बहुत वर्षों से डिमांड थी। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी सरकार आने के बाद आपने इसका कार्यादेश दे दिया, मगर पूर्व में इतनी देरी क्यों हुई, साथ ही, दो साल का आपने कार्य पूर्ण होने का जो बताया है, 50 मेगावाट की गर्मी के दिनों में जो कटौती हमेशा होती आ रही है, उसके लिए आपने कोई इंतजाम किया है? यदि हां तो बताइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करना चाहूंगा कि 400 केवी जीएसएस उदयपुर की वित्तीय स्वीकृति 13.06.2022 को जारी की गयी थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वित्तीय स्वीकृति 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान माननीय विनियामक आयोग द्वारा योजना की जल्दी क्रियान्विति हेतु आरटीएम (रैगुलेटरी ट्रैफिक मैकेनिज्म) के माध्यम से निष्पादन की मंजूरी नहीं दी गयी। वर्तमान सरकार के अथक प्रयासों से दिनांक 29.11.2024 को माननीय विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसकी स्वीकृति के उपरान्त निविदा करके दिनांक 19.03.2025 को कार्यादेश दिया जा चुका है। कार्यादेश में उदयपुर के 400 केवी

जीएसएस को 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। माननीय सदस्य यह सही है कि 400 केवी जीएसएस पूरा होने में दो साल लगेंगे, लेकिन अस्थाई व्यवस्था के लिए मावली और दरीबा के 132 जीएसएस को शीघ्र पूर्ण कराकर राहत प्रदान की जायेगी। इनके पूर्ण होने से उदयपुर पर लोड कम होगा। पारोला जीएसएस 2010 में स्वीकृत हुआ था। बीच में अधूरा रह गया, इसकी भी हम जांच कराकर, फिजिबल हुआ तो पुनः स्वीकृत कराकर इसका कार्य करवाने का प्रयास करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यह गोगुन्दा का है। बिजली का नहीं है। गोगुन्दा में ग्रिड नहीं लगा, वह है। स्टेट का होता पूछना।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्री जी, झामरकोटड़ा, पारोला में जो 33 ग्रिड का 2010 में स्वीकृत किया था, काम भी चालू किया था, मगर उसको बन्द कर दिया और उसकी कोई सुध नहीं ली। आपने उसको जल्दी चालू कराने का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत डोडावली बचार में झाड़ोल से लाइन आ रही है और उसमें आये दिन समस्या हो रही है तो बोहराखेड़ा के अन्दर 33 केवी ग्रिड सरकार बनाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अवगत करना चाहूंगा कि 33 केवी जीएसएस की एक निरन्तर प्रक्रिया है और फिजिबल होने पर हम निरन्तर, 33 केवी की डिमांड होने पर उनका काम पूरा करके, स्वीकृति करके निरन्तर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। माननीय सदस्य ने जिस जीएसएस के लिए कहा है, वह भी फिजिबल होगा तो निश्चित रूप से पूरा करके पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री भैरा राम चौधरी। ...(व्यवधान)... इसमें कुछ नहीं हो गया। गोगुन्दा हो गया, उन्हीं का प्रश्न है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बिजली डाउन लोड का मामला है।

श्री अध्यक्षः यह डाउन लोड का नहीं है, माननीय सदस्य केवल विधान सभा का है। यह दूसरी विधान सभा का है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सही तो है, इनकी व्यवस्था तो देखूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ऐसे हर प्रश्न पर नहीं। यह केवल जिला उदयपुर में 400 केवी का है। जिले के ही पूछेंगे। नो। आपको सुबह से तीन दे दिये, जो कि आपके विधान सभा के नहीं है। स्टेट का है तो पूछेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, बात सुनिये।

श्री अध्यक्षः मैंने सुन ली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये तीन-क्वेचश्न, चार क्वेश्चन नहीं। आप बात को

समझिये। यह विपक्ष का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: अधिकार विधान सभा में है। उस विधान सभा क्षेत्र से आपका लेना-देना नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं क्वेश्चन आवर में अधिकार है। यह क्या मतलब हो गया? कब तक बचेंगे, ...(व्यवधान)... आप बिजली पर चर्चा नहीं कराना चा रहे हैं। सरकार भाग रही है।

ओसियां में फसलों के नुकसान का मुआवजा

501. श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ओसियां में विगत तीन वर्षों में अतिवृष्टि व प्राकृतिक प्रकोप से किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है? यदि हां, तो सर्वे के अनुसार कहां-कहां व कितना-कितना नुकसान हुआ? वर्षवार व ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाना शेष है? यदि हां, तो कितने किसानों को, कितना? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता(श्री ओटा राम देवासी): (1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में विगत तीन वर्षों में वर्ष 2021 (संवत 2078 रबी), वर्ष 2022 (संवत् 2079 खरीफ एवं रबी), वर्ष 2023 (संवत् 2080 खरीफ एवं रबी) एवं वर्ष 2024 (संवत 2081 खरीफ) में अतिवृष्टि (बाढ़) व अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से सर्वे/गिरदावरी के अनुसार किसानों की बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक हुए फसल नुकसान का वर्षवार/ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर बार खड़े जाते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सप्लीमेंट्री में भी दिक्कत है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आसन को इशारे करने से क्या होगा? ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बिजली पर चर्चा नहीं कराने चाहते।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह आपका अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपको तीन बार उत्तर दे दिये, और कितनी बार पूछेंगे?

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे।)

आप अपनी सीटों पर जाइये। ...(व्यवधान).. आज आखिरी दिन है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्या आप आसन को डराते हैं? आपके पास ओर क्या है? कुछ है ही नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): (2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र ओसियां में उक्त अवधि में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे से प्रभावित 73341 (तिहत्तर हजार तीन सौ इकतालीस) काश्तकारों से कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु डीएमआईएस पोर्टल पर आवेदन प्राप्त हुए थे।

डीएमआईएस पोर्टल पर प्राप्त 73341 (तिहत्तर हजार तीन सौ इकतालीस) काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार राशि रू. 117.10 करोड (एक सौ सत्रह करोड दस लाख) स्वीकृत किया गया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मेरे से फिर मदद की उम्मीद मत करना। विपक्ष मेरे से मदद की उम्मीद नहीं करे, यदि इस तरह से करना हो तो। नो। आप आसन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप अपनी सीटों पर जाइये। आसन को डिक्टेट करने कोशिश मत करो। नो। अब गोगुन्दा का जवाब आ गया। नो।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): जिनमें से 17801 (सत्रह हजार आठ सौ एक) काश्तकारों को राशि रु. 34.83 करोड़ (चौतीस करोड़ तिरासी लाख) का कृषि आदान अनुदान भुगतान किया जा चुका है।

उक्त अवधि के 55540 (पचपन हजार पांच सौ चालीस) काश्तकारों को राशि रु. 82.27 करोड़ (बयासी करोड सताईस लाख) कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान किया जाना शेष है। जिसका वर्षवार/ग्रामपंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट- 'अ' के अनुसार है। जिनको शीघ्र भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र ओसियां में उक्त अवधि का भुगतान से शेष रहे 55540 (पचपन हजार पांच सौ चालीस) काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान राशि का शीघ्र भुगतान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नो। सचेतक महोदय, फिर मेरे से अपेक्षा मत करना। आप जवाब सुन लें। मैं जितना को-ऑपरेट कर रहा हूं, आप उतना ही सिर पर चढ़ रहे हो। नो। अध्यक्ष क्या होता है, मैं रूलिंग में बताऊंगा। ...(व्यवधान)... ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): कांग्रेस की सरकार में जो लापरवाही और उदासीनता से 2021, 2022, 2023 तीन वर्षों में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों का जो नुकसान होता है, जो मुआवजे का भुगतान नहीं कर पाये। क्या पूर्ववर्ती सरकार के पास पैसा नहीं था? अधिकारियों में घोर अनुशासनहीनता थी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप अपनी सीटों पर जायें।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां):आपके टोटल 73 हजार 701 किसान थे, उसमें से पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ 17 हजार किसानों को मुआवजा दिया। ओसियां के 55 हजार 540 किसानों के लगभग 82 हजार करोड़ रुपये बाकी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की घोर लापरवाही रही। अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुआवजे को कब तक देना चाहती है।? ...(व्यवधान)...

mdp/rtm/24.03.25/11:50/1f

प्रश्न संख्या 502

श्री अध्यक्षः श्री हाकम अली खां।

(माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में होने के कारण प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह सांखला। ऐसा थोड़े ही है आप अकेले पूछेंगे, ये यही रहेंगे।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आयेगा। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्षः दोनों काम नहीं होंगे। पहले सदस्यों को वापस भेजो। ...(व्यवधान)... आप भी यही थे। श्री जब्बर सिंह सांखला।

बदनोर (आसीन्द) में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय की स्थापना

503. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र आसीन्द के उपखण्ड बदनोर में नवीन स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, सीटों पर जाइए।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): जी नहीं। भारत सरकार द्वारा राज्य के 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में स्वामी विवेकानंद ...(व्यवधान)... राजकीय मॉडल विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित था जिनमें से राज्य के 27 जिलों के 134 शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित है।

भारत सरकार के आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 द्वारा उक्त योजना को सत्र 2015-16 से Delinked कर दिया गया हैं एवं उक्त योजना अब राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई हैं एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

श्री अध्यक्षः बार-बार नहीं दूंगा। ...(व्यवधान)... तीन बार दे दिया। आपका प्रश्न नहीं है। सीटों पर जाओ। मुझे फिर कठोर आदेश देना पड़ेगा। अपनी सीटों पर जाओ। मुझे कठोर

आदेश देने पर मजबूर मत कीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप आसन से नहीं कर सकते ...(व्यवधान)..., आसन से नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि केन्द्र सरकार द्वारा शैक्षणिक दृष्टि से ...(व्यवधान)... पिछड़े 186 ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने थे और 134 ब्लॉक्स में ही खुले। यह योजना राज्य सरकार के पास है, तो क्या सरकार इन शेष बचे 52 ब्लॉक्स में से बदनोर उपखण्ड जो कि शिक्षा की दृष्टि से बहुत-ही पिछड़ा हुआ है, वहां मॉडल स्कूल खोलने की मंशा रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? इसका कारण बताइए।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 134 आवासीय विद्यालय खोले थे, महिलाओं की शिक्षा के स्तर के आधार पर खोले थे ...(व्यवधान)... और महिलाओं के शिक्षा स्तर में कितना गेप है, इसके आधार पर..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप मेरे को मजबूर मत कीजिए। ...(व्यवधान)... अपनी सीटों पर जाओ।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 186 ब्लॉक्स का चयन किया गया था, उसमें 134 में खोल दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: मुझको कठोर कार्यवाही करने पर मजबूर मत करो। ...(व्यवधान)... कठोर कार्यवाही पर मत करो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): इस कांगेस की सरकार ने ...(व्यवधान)... बिल्डिंग बनने के बाद भी पांच साल तक प्राइमरी क्लासेज प्रारम्भ नहीं की। ये लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते थे बच्चों को। इन्होंने राजस्थान के बच्चों के साथ ज्यादती की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने उन 134 विद्यालयों में प्राइमरी क्लासेज प्रारम्भ कर दी है। हमने स्कूल प्रारम्भ किये थे, तब पद सृजित किये थे और पद भरे हैं। हमने कक्षा 1 से 5 तक 402 ...(व्यवधान)... पद सृजित किये थे और कक्षा 6 से 12 तक हमने 3618 पद सृजित किये थे, इस प्रकार से कुल 4020 पद सृजित किये हैं। कांग्रेस ने जो अंग्रेजी विद्यालय महात्मा गांधी जी के नाम पर खोले, न तो उनमें पद सृजित किये, न उन पदों को भरा। इसके कारण से राजस्थान के बच्चों को अंधकार में रखा और उनके कुछ वर्ष बर्बाद कर दिए। यह कांग्रेस राजस्थान के विद्यार्थियों की दुश्मन है, जिसने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: दो हो गये हैं। अगला प्रश्न श्री विक्रम बंशीवाल।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): एक ही हुआ है, सर। अध्यक्ष महोदय, एक ही हुआ है।

प्रश्न संख्या 504

श्री अध्यक्ष: श्री विक्रम बंशीवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 505

श्री अमीन कागजी।

(माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में होने के कारण प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

श्री रेवन्तराम डांगा।

खींवसर के भवन विहीन पटवार मंडल

506. श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कुल कितने पटवार मंडल हैं? उक्त में से कितने पटवार मंडलों के भवन बने हुए हैं तथा कितने भवन विहीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन पटवार मंडलों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री(श्री हेमन्त मीणा): (1) विधान सभा खींवसर मे कुल 59 पटवार मण्डल हैं, जिनमें 40 पटवार मण्डलों के भवन निर्मित हैं, जबकि 19 पटवार मण्डल भवन विहीन है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) भवन विहीन पटवार मण्डलों में भवन निर्माण राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वितीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा नहीं है...(व्यवधान)... चर्चा नहीं है।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): मेरा पूरक प्रश्न है कि जवाब में बताया है कि ...(व्यवधान)... 59 पटवार मण्डल में से 40 के भवन बने हुए हैं और 19 के बाकी हैं। मंत्री जी से मेरा पूरक प्रश्न है कि इन 40 में से कितने भवन अनुपयोगी हालत में हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। रेवेन्यू मिनिस्टर।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा खींवसर में कुल 59 पटवार मण्डल हैं, जिसमें 40 पटवार मण्डलों के भवन निर्मित हैं, जबकि 19 पटवार मण्डल भवन विहिन हैं। सूची परिशिष्ट ‘अ’ पर संलग्न है। ...(व्यवधान)... खण्ड 2 में बताया है कि भवन विहीन पटवार मण्डलों में भवन निर्माण राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वितीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अपनी सीटों पर जाइए। पहले अपनी सीटों पर जाइए।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय विधायक महोदय ने जो कहा है कि अनुपयोगी

भवन कौनसे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: ये बरदाश्त नहीं होगा। आप मजबूर मत करो। आज लास्ट डे है। पहले भी लास्ट के दिन गड़बड़ हुई थी। आज मजबूर मत करो कि मुझे कुछ करना पड़े।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): पूरी एक लिस्ट के माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि..

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आम जन और किसान को रोज काम पड़ता है। पटवार भवन नहीं होने से पटवारी जी के मिलने का निश्चित स्थान नहीं होता है। ऐसे में पटवारी जी को ढूंढने में ही लोगों का पूरा दिन निकल जाता है। लोगों को भारी परेशानी होती है। क्या सरकार ...(व्यवधान)... भवन विहिन और अनुपयोगी हो चुके भवनों के पटवार भवनों के भवन नहीं बन जाते..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: बहुत हो गया। अब बहुत हो गया। ...(व्यवधान)... मैंने बहुत बरदाश्त कर लिया। उसके परिणाम ...(व्यवधान)... होंगे। मैंने बहुत कोआपरेट किया।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): तब तक आम जन को होने वाली परेशानी को देखते हुए पटवारियों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था रखने का विचार रखती है या नहीं? ...(व्यवधान)... यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: अब कुछ नहीं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो पटवार भवन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पहले उत्तर आ जाए।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले तीन बार निवेदन किया है ...(व्यवधान)... कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने आसन की व्यवस्था को चेलेंज किया है, अनुचित है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप कैसे सदन चला रहे हैं ...(व्यवधान)... जवाब तो नहीं आ रहे....

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप आसन की व्यवस्था को नहीं मानते, ये विधान को नहीं मानते, नियमों को नहीं मानते, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहिन है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): जोगाराम जी, अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो पूरा सेशन, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा की मेरी बात सुनते हुए जाए।

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

अध्यक्ष महोदय, आपने इस पूरे सेशन के अन्दर जो व्यवस्था थी प्रश्नकाल के अन्दर कि जो प्रश्न पूछ रहा था, उसको दो पूरक प्रश्न पूछने का आपने समय दिया। इस सदन के अन्दर किसी भी अन्य सदस्य ने अपने प्रश्न के अलावा सेकेण्डरी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपने खासतौर से नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए, उन्हें हर बार, तकरीबन हर प्रश्न के ऊपर सेकेण्डरी क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी। एक तरह से विपक्ष के अन्दर हर प्रश्न के ऊपर चार-चार सेकेण्डरी प्रश्न आ रहे थे। मेरा आग्रह है कि नेता प्रतिपक्ष, एक व्यक्ति एक पद का सम्मान करें। वह यहां पर नेता प्रतिपक्ष भी बनना चाहते हैं और उसके साथ-साथ आपके साथ डिप्टी स्पीकर भी बनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 507

महन्त बालकनाथ।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह।

बानसूर में विद्युत कार्यों की जांच

508. श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में माह अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक 33 केवी व 11 केवी संयुक्त किट तथा कृषि कनेक्शन के कितने कार्यादेश जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितनों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा निगम द्वारा किये गये उक्त कार्यों के भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2024 तक 33 केवी एवं 11 केवी के कितने भूमिगत केबल डालने के कार्यादेश किन-किन फर्मों को, कितनी-कितनी राशि के जारी किये गये, उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितना भुगतान आदिनांक तक उक्त के पेटे किया जा चुका है तथा कितना कार्य पूर्ण हो चुका हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2024 तक निगम द्वारा करवाये गये समस्त कार्यों का उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) विधानसभा क्षेत्र बानसूर में अप्रैल 2023 से दिसंबर, 2024 तक 33 केवी व 11 केवी संयुक्त किट और कृषि कनेक्शन के लिए जारी किये गये 22 कार्यादेशों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कार्योदेशों में से 10 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रगतिरत हैं तथा किसी भी कार्योदेशों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

(3) उक्त विधानसभा क्षेत्र में अप्रेल 2013 से दिसंबर 2024 तक 33 केवी एवं 11 केवी की भूमिगत केबल डालने के फर्मवार जारी कार्यादेश मय राशि, कार्य पूर्ण की स्थिति एवं आज दिनांक तक जारी भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। विद्युत निगम द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समय-समय पर किये गये निगम कार्यो की जॉच करवायी जाती है, जिसके अन्तर्गत तकनीकी अंकेक्षण विंग द्वारा वर्ष 2019-20 में उपखण्ड कार्यालय रामनगर, बानसूर में तकनीकी अंकेक्षण वर्ष 2024 में उपखण्ड कार्यालय नारायणपुर में कृषि कनेक्शनों की नमूना जांच का कार्य किया गया।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में जिन कृषकों के हमारे डिमांड नोटिस जमा हो चुके हैं और जो कृषि कनेक्शन अभी तक बाकी हैं, उन्हें अभी खेत खाली होने के कारण तुरंत एक माह के अन्दर करवा दिया जाए। यह मेरा पहला प्रश्न है, मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के जो कृषि कनेक्शन बकाया हैं और जिनका आरओडब्ल्यू उपलब्ध नहीं होने के कारण, फसल खड़ी होने के कारण और विवाद के कारण जो लंबित हैं, ऐसे 410 कृषि कनेक्शन जून तक करना हमारा लक्ष्य है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि फसल कटने के बाद जैसे ही आरओडब्ल्यू उपलब्ध होगा और विवादित जो 102 कनेक्शन हैं, उनका भी विवाद समाप्त होने पर इन 402 कनेक्शन्स को पूरा करने के लिए हम अगली आने वाली फसल के पहले-पहले उपलब्ध कराने का हरसम्भव प्रयास करेंगे।

Ans/rtm 12.00 1g 24.03.2025

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, बानसूर विधान सभा क्षेत्र के शेष कार्य जो कि आरडीएसएस स्कीम के तहत करवाये जा रहे हैं, कब तक पूरे होंगे? 33 केवी के फीडर छोटे करना, 11 केवी के फीडर छोटे करना, नये ट्रांसफार्मर एवं केबल बढ़ाने का कार्य कब तक पूरा होगा। ? ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आरडीएसएस के ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नो। प्रश्न काल समाप्त। नो ...(व्यवधान)... नो मिस्टर घोगरा, बाहर। कोई भी हो इधर के या उधर के ...(व्यवधान)... माननीय कालीचरण जी। माननीय कालीचरण जी, नो। आसन पांव पर। वहीं पर, नो। ...(व्यवधान)...

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना

प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के नवीन पदों का सृजन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाईकर्मियों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में अघोषित विद्युत कटौती एवं समय पर कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्रीमती अनीता जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के चिकित्सालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में संचालित टोल नाकों पर स्थानीय निवासियों को निशुल्क पास जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से जोधपुर में नाबालिग के साथ अमानवीय अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों में संवेदकों द्वारा समय पर आपूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(9) श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

(10) श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में खानों का चौड़ान बढ़ाने तथा स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की सीमा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

(11) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कस्टोडियन भूमि के कब्जा धारक किसानों को खातेदारी पट्टे जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से प्रदेश के मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स द्वारा बिना वैधानिक सत्यापन कार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रोहित बौहरा, श्री जाकिर हुसैन गैसावत, श्री ललित यादव एवं श्री अशोक कुमार कोठारी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

आज सत्र का अंतिम दिन है, इसलिये 295 प्रस्तावों के मैं नामों को तो पढ़ रहा हूं लेकिन उसके आगे उनके विषय नहीं पढ़ रहा हूं। कुल लगभग 37 याचिकाएं पेंडिग हैं। आज 37 की 37 सदन में रखने की अनुमति दे रहा हूं। उनको पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। आज तक के इतिहास में 295 शायद 37 कभी भी नहीं आये। बैकलॉग पूरा ...(व्यवधान)... विराजिये। तीन विधेयक है। नहीं तो 15 ही आएंगे, 37 नहीं आएंगे। बैठो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आधा घंटा लगेगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पढ़ने की अनुमति या पढ़ा हुआ, आपके पास उत्तर सबके आएंगे, रिकार्ड में सब आ गये।

(1) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत डाली गई पाईप लाईनों की मरम्मत करवाने के संबंध में।

(2) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर जिले में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसरों की सेवाएं समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री लक्ष्मण राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के किसानों की फसल बीमा की बकाया राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में।

(4) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में।

(5) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में सरपंचों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में।

(6) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की ग्राम पंचायतों एवं पटवार मंडलों का पुनर्सीमांकन किये जाने के संबंध में।

(7) श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से प्रदेश में मिरासी समुदाय के उत्थान हेतु विशेष पैकेज दिये जाने के संबंध में।

(8) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में चकबन्दी व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

(9) श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से चिकित्सा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

(10) श्री देवी सिंह शेखावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान किये जाने के संबंध में।

(11) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट संचालित किये जाने के संबंध में।

(12) श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से नगर पालिका पीलीबंगा में वेयरहाउस एवं गोदाम हेतु आरक्षित भूमि के भू-उपयोग का नियमानुसार परिवर्तन नहीं किये जाने के संबंध में।

(13) श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले में सिंचाई हेतु सामूहिक डिग्गियों के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण एकल डिग्गियों के निर्माण के संबंध में।

(14) श्री मोतीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की गौशालाओं हेतु अतिरिक्त अनुदान दिये जाने के संबंध में।

(15) श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से सुजानगढ़ शहर में निर्मित बस स्टेण्ड का संचालन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

(16) श्री भगवाना राम सैनी, सदस्य की ओर से प्रदेश में महात्मा फुले बोर्ड में अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में।

(17) श्री भागचन्द टांकड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर के गांव रोजदा के ठाकुर श्री गोपाल मन्दिर का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में।

(18) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से गैर राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियम विरुद्ध पदोन्नति के संबंध में।

(19) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के बुहाना में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(20) श्री ताराचन्द, सदस्य की ओर से नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ में सीवरेज एवं ड्रेनेज का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(21) श्री हंसराज मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के नयागांव में नियम विरुद्ध जारी पट्टों का आवंटन निरस्त करने के संबंध में।

(22) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में।

(23) श्री हरलाल सहारण, सदस्य की ओर से चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट केनाल योजना हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

(24) श्री श्रीचंद कृपलानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में नि:शुल्क बिजली योजना
से वंचित उपभोक्ताओं का पंजीकरण किये जाने के संबंध में।

(25) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ विधान सभा क्षेत्र
में लेवल-1 एवं लेवल-2 के अध्यापकों का स्थानान्तरण टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(26) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से एनएचएम में कार्यरत संविदाकर्मियों को स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् भी नियमित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(27) श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा के गांव पीपलखेड़ा में देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(28) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के माँ बाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(29) श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अंता में बन्द की गई परिवहन सेवा की बसों का संचालन पुनः प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

(30) श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से परवन वृहद् सिंचाई परियोजना की समस्याओं का समाधान किये जाने के संबंध में।

(31) श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने के संबंध में।

(32) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा जिले में नजूल सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करवाये जाने के संबंध में।

(33) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना के संबंध में।

(34) श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से बारां-झालावाड़ मेगा हाईवे पर नियमानुसार टोल वसूली के संबंध में।

(35) श्री ललित मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में हैण्डपम्पों के स्थान पर बोरिंग स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

(36) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से रतनगढ़ कस्बे के मध्य से गुजरने वाली रेलवे लाईन से आवागमन में हो रही परेशानी के संबंध में।

(37) श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी कैडरों में कार्मिक विभाग के नियमानुसार रोस्टर रजिस्टर का संधारण किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों के द्वारा दी गयी सूचना पढ़ी हुई मानी जायेगी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा ही लगेगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: तो 15 ही आएंगे, फिर मत कहना। ...(व्यवधान)... पढ़ने की अनुमति 15 की होती है। या तो 15 या फिर मैं 37 की अनुमति दे रहा हूं पढ़ा हुआ माने ...(व्यवधान)...

पर्ची

आज दिनांक 24.03.2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 47 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं :- ...(व्यवधान)...

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, 47 की 47 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जितनी मेरी पास है, आज की तारीख में जितनी वहां पर पहुंची है, सबको रिकार्ड में लेकर, पढ़ने के लिये रिकार्ड में ले ली, पढ़ी हुई मानी जायेगी। आज तक शायद मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता ...(व्यवधान)...

क्र. सं.	मा. विधायक का नाम	संपादित विषय
1.	श्री मनीष यादव	शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र, जयपुर में हो रही चोरी एवं लूटपाट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के

		संबंध में।
2.	श्री हाकम अली खां	फतेहपुर नगर परिषद् एवं ऊर्जा विभाग के मध्य बिजली बिल को लेकर उत्पन्न विवाद के संबंध में।
3.	श्री राम सहाय वर्मा (रेगर)	राजकीय विद्यालयों में स्टाफिंग पैटर्न प्रकिया के संबंध में।
4.	श्री गोपाल शर्मा	25 वर्षों से बंद पड़ी जयपुर मेटल्स लिमिटेड के कार्मिकों के वेतन और भत्तों का अंतिम भुगतान करने के संबंध में।

...(व्यवधान).. वह बाद में। यह चरण तो पूरा हो जाए।

श्री रोहित बौहरा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजाखेड़ा में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फ़सलों का मुआवजा

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजाखेड़ा विधान सभा में पिछले हफ़्ते ओलों की भरमार हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय फूल सिंह जी और छोटूसिंह जी, बैठकर बात करे। एकदम से आकर, चारो ओर हमारे मंत्री जी का घेराव नहीं करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के सभी गांव में तेज आंधी और ओलों के साथ पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गांव सकतपुर, एदलपुर और विरोंधा में पूरी की पूरी सरसों व गेहूं की फसल नष्ट हो गई। पूरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी गेहूं की फसल थी, वह तेज आंधी व ओलों से पूरी नष्ट हो गई। गेहूं बिलकुल नीचे लेट गए, उसमें पैदावार अब बिल्कुल नहीं होगी।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर हमारे मंत्री महोदय को कहें कि गिरदावरी करायें, वहां अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। तीन-चार गांवों में तो हंड्रेड परसेंट फसल का नुकसान हो गया है। मैं पिछले हफ़्ते में वहां था, अधिकारियों से बात हुई, हम लोग यह कहकर आये कि वहां गिरदावरी हो, अभी तक भी गिरदावरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मैं सदन से बाहर भेज दूंगा। दस बार कहा है, खड़े होकर बात करना ...(व्यवधान)... आपके लिये हां लॉबी बना रखी है। सभी के लिये हैं। इधर भी ना लॉबी है। बोलिये आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा इतना सा निवेदन है, पूरे राजाखेड़ा में पूरी गेंहू की फसल बरबाद हो गई और अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। वह उसको 30 परसेंट नहीं मान रहे, जबकि पूरी फसल लेट चुकी है। आपसे वापस विनती है कि पूरी राजाखेड़ा तहसील में, मनिया तहसील के अंदर आप इसकी गिरदावरी कराये, जिससे हम किसानों को एसडीआरएफ

के थ्रू पैसा दिलवा सके। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

मकराना में खानों का चौड़ान तथा स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की सीमा अवधि में वृद्धि

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 में स्थगन पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना का मार्बल बहुत ही ऐतिहासिक मार्बल है। वहां पर 300-400 साल पुराना मार्बल निकला। ताजमहल, विक्टोरिया में तथा देश-विदेश में जो मन्दिर बनते हैं उनमें भी सबसे पहली प्रायोरिटी मकराना के मार्बल की होती है। चाहे भगवान की मूर्ति हो या कोई भी हो।

VPS-RTM-24.03.2025-12.10-1h

तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने एम.एम.सी.आर., 2017 में संशोधन कर 16.08.2022 को नियम 8 के अनुसार स्ट्रिप ऑफ लैण्ड लागू किया था और अभी जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने 03 जनवरी, 2025 को यह समाप्त कर दिया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो चौड़ान बढ़ाने का आदेश निकाला था क्योंकि मकराना की खानों में 90 डिग्री माइनिंग नहीं होती है, उनमें 60 डिग्री ही माइनिंग होती है तो 60 डिग्री माइनिंग होने की वजह से खान मालिक के सामने उसकी खुद की जमीन है या फिर सरकारी भूमि है, इसके लिए पूर्व सरकार ने 15 गुणा राशि जमा करवाकर उनका चौड़ान बढ़ाने का आदेश दिया था लेकिन अभी इस सरकार ने जो यह वापस इसको कैंसिल किया है, यह 03 जनवरी, 2025 को, तो इस आदेश को कैंसिल कराएं क्योंकि हमारी यह खानें दूसरी खानों से भौगोलिक स्थिति से विपरीत है और यह अगर करेंगे तो हमारे मकराना को जीवनदान मिलेगा क्योंकि वहां पर पहले से ही खनन हो रखा है, 60 डिग्री का खनन हो रहा है और यह जो आगे की जमीन है, वह खान मालिकों की है, वह सरकारी भूमि है। 15 गुणा आप इसकी एक्स्ट्रा फीस लेकर करवा सकते हैं। और मकराना की खानों के लिए अलग से खनन नीति बनायी जाये क्योंकि मकराना की खानें और दूसरी खानों में फर्क है। दूसरी खानें 100 मीटर बाई 100 मीटर की होती हैं और यह हमारे मकराना की खानें हमारे जोधपुर दरबार ने हमें मकराना वालों को दे रखी है जो कि पचास-पचास, सौ-सौ फीट के पट्टे हैं, तो जो प्रदेश की खनन नीति होती है, उसके अनुसार हमारा नियम-कानून फॉलो नहीं होता है इसलिए मकराना की खनिज नीति भी अलग से बनायी जाये और इस कानून को वापस लेकर जो पूर्ववर्ती सरकार ने 16.08.2022 को एम.एम.सी.आर, 2017 के तहत स्ट्रिप ऑप लैण्ड का आदेश निकाला था, उसको लागू किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित यादव।

मुण्डावर में कस्टोडियन भूमि के कब्जाधारक किसानों को

खातेदारी पट्‌टों की अप्रदायगी

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि मुझे आपने नियम 50 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व रिकार्ड को ऑनलाइन करने के काम में पूरे प्रदेश में और अलवर जिले में, मुण्डावर में भी बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। सरकारी मशीनरी के द्वारा गलती की गयी और काश्तकार किसान उस बात को भुगत रहा है। किसी के नाम में अशुद्धिकरण कर दिया गया, किसी की जाति में अशुद्धिकरण का दिया गया और किसान आज दर-दर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। वह किसान जो पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का पेट भरने का काम करता है, उस किसान के साथ हमने इस प्रकार की ज्यादती करी कि वह एस.डी.एम. के पास जाता है, वकील को करता है और आर्थिक नुकसान उसको झेलना पड़ता है, उसके बाद भी उसका वह रिकार्ड सही नहीं हो पा रहा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के जो मामले हैं उनको ठीक करने का काम किया जाये।

आजादी के बाद से आज तक कस्टोडियन भूमि के ऊपर जो किसान काबिज है, उसको आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। मेरे मुण्डावर में और अलवर में बहुत सारी जगह ऐसी जमीनें पड़ी हैं जिन पर किसान काबिज है लेकिन किसान को आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। संवत 2003 के काबिज काश्तकार शिकमी, गैर खातेदारी के नाम से रिकार्ड में दर्ज है लेकिन मेरा अनुरोध है कि उनको सरकार के द्वारा कोई कैम्प लगाकर लाभ देने का काम करें। आजादी का 75वां महोत्सव हम लोग मनाने की बात कर रहे हैं लेकिन किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर कोई कैम्प लगाकर किसान को राहत दे। नियमानुसार बात करूं तो भूमि की राशि वसूल कर पट्‌टे खातेधारक को एस.डी.एम. द्वारा दिया जाता रहा है लेकिन यह कार्य अभी इन दिनों बंद पडा है, जिससे किसान चक्कर काट रहा है, एस.डी.एम. दफ्तर में जा रहा है लेकिन किसान को राहत नहीं मिल पा रही है। तो मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग यह चाहते हैं, किसान की आय को दुगनी करने की हम लोग बात करते हैं, किसान को फायदा देने की बात हम लोग करते हैं, किसान के बेटे-बेटियों को आगे बढ़ाने की बात हम लोग करते हैं लेकिन जब किसान की बात आती है तो केवल उस पर हम लोग बात करके छोड़ देते हैं। किसान को फायदा देने का हम लोग काम नहीं करते।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और किसान को फायदा देने का काम करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न
अध्यक्ष पीठ की व्यवस्था के पश्चात् भी शून्य काल में सम्बन्धित मंत्रीगण की जारी अनुपस्थिति

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी राजस्व मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं। माननीय सदस्य अपनी बात उठा रहे हैं। जब बारबार आपने सरकार को कह दिया कि सम्बन्धित मंत्री यहां रहेंगे तो फिर मंत्री क्यों नहीं बैठते हैं?

श्री अध्यक्ष: इसको नोट कर लें।

श्री अशोक कुमार कोठारी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स द्वारा बिना सत्यापन कार्य किया जाना

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव, नियम 50 के तहत समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नियमितीकरण तब ही किया जा सकता है जब वह रीट और टेट परीक्षा पास है। राजस्थान सरकार भी इस तरह का नोटिफिकेशन, राजस्थान सरकार द्वारा भी निकला हुआ है। उसके साथ ही 05.10.2023 को भी पूर्व सरकार ने इनको नियमित करने का निर्णय लिया, उसके पांच दिन बाद आचार संहिता लग गयी थी, तो आपसे यह निवेदन है कि मदरसों में कार्यरत संविदा कम्प्यूटर पैराटीचर्स को 2800 की ग्रेड-पे पर आधारित भुगतान किया जा रहा है जबकि स्कूल शिक्षा में कार्यरत कम्प्यूटर योग्यता वाले संविदाकर्मियों को 2400 ग्रेड-पे पर भुगतान किया जा रहा है जो कि अनुचित है। इनकी ग्रेड एक ही होनी चाहिए। साथ ही, यह मदरसा में जो कार्यरत लोग हैं, एन.सी.टी.ई. के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह जगह तीन की ही है, ये चले जाये उसके बाद आप आ जाना। एक मिनट नहीं, आप बैठ जाओ पास में। नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): रीट और टेट जो उत्तीर्ण नहीं है, वह टीचर बनने की अपूर्ण योग्यता है। पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। कई ऐसे मदरसे भी हैं जो अपंजीकृत हैं, फर्जी तरीके से मानदेय या अन्य भुगतान के लिए गठित किये गये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मतलब, मुझे कितनी बार कहना पड़े सीनियर लोगों को भी? माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप अपने मैम्बर्स को जरा कहें। मैं इतनी बार कह रहा हूं। किसी को असर नहीं हो रहा, तो फिर मुझे कठोर कदम उठाना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): मदरसा बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों का वैधानिक सत्यापन भी नहीं किया गया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजो,विराजो।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): संविदा नियम, 2022 के तहत पिछली सरकार ने

भी संशोधन किये हैं। छह महीने के भीतर कई संशोधन किये हैं, तो मेरा आपसे, सरकार से निवेदन है कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप उनका विषय तो सुनो। ...(व्यवधान)...

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): इन मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने से पूर्व पुन:विचार किया जाये। धन्यवाद। जय हिंद।

श्री अध्यक्षः 295 पढ़ा हुआ मान लिया।

पर्ची। श्री मनीष यादव।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

शाहपुरा में घटित चोरी एवं लूटपाट की घटनाएं

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था रसातल पर है। प्रदेश में आये दिन चोरी, लूटपाट की घटनाएं, मर्डर, महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में भी आये दिन चोरी की घटनाएं, विशेष रूप से मवेशी चोरी होने की घटनाएं जो गरीब परिवार के लोग हैं, वे अपना भरण-पोषण मवेशी पाल कर करते हैं, उनके मवेशी चोरी होने की घटनाएं लगातार थाना क्षेत्रों में हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, सरेआम घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश में भी सरेआम हर जगह पर घटना हो रही है। कल बांसवाड़ा जिले के लुहारिया थाना क्षेत्र के पालोदा कस्बे में 12 साल की बच्ची जाह्नवी पाटीदार की दिनदहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गयी। 30 जनवरी, 2024 को गृह विभाग के आदेश पर आई.पी.एस. हेमन्त कलाल, जो जोधपुर सेंट्रल जेल में औचक निरीक्षण करने गये थे लेकिन जेल प्रशासन ने 20 मिनट तक गेट नहीं खोला। प्रदेश में कानून-व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। आज हर जगह पर हत्या, चोरी, लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बांसवाड़ा में बच्ची की गला रेत कर हत्या करना, यह अपराधियों का पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हौसला बुलंद हो रखा है और पुलिस, प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी खोले, अपराधियों पर अंकुश लगाये और प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल करे क्योंकि जब से यह सरकार आयी है, जो सरकार यह कहती थी कि अब नहीं सहेगा राजस्थान तो इनका राज आने के बाद में प्रदेश में कानून व्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है जो कि एक चिंता का विषय है इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप गृह विभाग को निर्देश दें और यह कहें कि जो घटनाएं बढ़ रही हैं प्रदेश में उन घटनाओं पर रोक लगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर नगर परिषद् एवं ऊर्जा विभाग के मध्य बिजली बिल को लेकर विवाद

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गम्भीर मुद्दा है, बिजली मंत्रीजी यहां से जा चुके हैं तो मैं आपसे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलो। आप बोलो, आप तो अपना काम करो, यह काम मेरा है। आप तो बोलो। मेरे को ध्यान है, आप बोलो। ...(व्यवधान)...

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम वे सुने तो सही। हम किसको सुनाये? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई सुनने वाला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलो, नहीं तो मैं अगला नाम पुकारूं? ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने संसदीय कार्य मंत्रीजी को अभी ही कहा था, उसके बावजूद भी मंत्री नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बोलो, नहीं तो मुझे अगला नाम पुकाराना पड़ेगा। आप बोलिये। आज टाइम वैसे ही कम है। ...(व्यवधान)...

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे नगर परिषद् फतेहपुर में नगर परिषद, फतेहपुर की स्ट्रीट लाइटों का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैंने दो बार कहा है। माननीय मंत्रियों को यहां पर रहना चाहिए। बुला लो हीरालालजी नागर को। ...(व्यवधान)...

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद, फतेहपुर का बिजली का बिल, बिजली का स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया है और उसका कारण यह बताया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट का बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा है। नगर परिषद बारबार बिजली बोर्ड को नोटिस दे चुकी है कि नगर परिषद का बिजली बोर्ड के ऊपर इतना पैसा बकाया है। जो अरबन टैक्स बिजली बोर्ड वसूल करता है, वह बिजली बोर्ड अरबन टैक्स का पैसा न तो समायोजन कर रहा है और न ही उसका हिसाब दे रहा है उलटा नगर परिषद को नोटिस देकर तीन दिन का स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया है। अब नगर परिषद पैसा नहीं दे रहा है तो बिजली बोर्ड और नगर परिषद की लड़ाई है, उसमें जनता क्यों भुगत रही है? फतेहपुर की जनता का क्या दोष है?

पूरे राजस्थान की यही हालत है जबकि स्वायत्त शासन विभाग यह कह रहा है कि हमारा पैसा बिजली बोर्ड के पास बहुत सारा बकाया पडा है। एक लाख करोड़ रुपये के समथिंग बाकी पडा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी, ये दोनों बैठे हैं, ये बैठकर फैसला करें कि कौन पैसा किसको देगा? स्वायत्त शासन विभाग देगा या बिजली बोर्ड देगा, ऊर्जा मंत्री देंगे? लेकिन दोनों की लड़ाई में राजस्थान की जनता का क्या दोष है कि वह भुगते?

Ssy/Rtm/24.03.25/12.20/1j

उन्होंने अर्बन टैक्स दे दिया, अर्बन टैक्स का पैसा सरकार के पास आ चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्बन टैक्स का पैसा ऊर्जा विभाग के पास जमा है तो ऊर्जा विभाग क्यों स्वायत्त शासन विभाग को पैसा नहीं दे रहा है? स्वायत्त शासन विभाग को पैसा देकर के इस समस्या का समाधान करें। राजस्थान में बिजली की त्राहि-त्राहि हो रही है, जनता बिजली के लिए मारी-मारी फिर रही है, बिजली आप दे नहीं रहे हो और बगैर मतलब आपसी लड़ाई के अन्दर जनता पिस रही है।

श्री अध्यक्षः आ गये, आ गये मंत्री जी।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मंत्री जी से जवाब दिलायें कि यह क्या मामला है? दोनों डिपार्टमेंट की आपसी लड़ाई में जनता क्यों पिस रही है? धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रामसहाय वर्मा। नो, पर्ची पर नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस पर पाइंट भी है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः पर्ची पर नहीं, पर्ची पर कोई नहीं बोलेगा ...(व्यवधान)... रामसहाय वर्मा। पर्ची पर नहीं। पर्ची पर नहीं, माननीय, आप मेरे से समझदार हैं ...(व्यवधान)... नो, अनुमति नहीं, अंकित नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्षः वह जवाब आ जायेगा उनके पास। पर्ची पर जवाब आ जायेगा।

राजकीय विद्यालयों में स्टाफिंग पैटर्न प्रक्रिया

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने के लिए कहा, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्षः पर्ची पर जवाब आ जायेगा। उनके पास पहुंचेगा जवाब।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): शिक्षा की ज्वलंत समस्या उठाने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय, जब आप शिक्षा मंत्री थे तब राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई नवाचार किये, जिन्होंने राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर ला दिया था, जिसमें से एक था स्टाफिंग पैटर्न, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 30 सितंबर, 15 की आधार तिथि मान कर शिक्षकों के पद सृजित किए गए थे। स्टाफिंग पैटर्न के नियमानुसार 2 वर्षों में एक बार स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करना निर्धारित किया गया था, जिससे छात्र शिक्षक अनुपात ठीक प्रकार से हो तथा छात्रों को शिक्षकों की कमी ना हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि विगत सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग में बढ़ी हुई छात्र संख्या के अनुपात में तृतीय श्रेणी एल-1, एल-2, द्वितीय श्रेणी व्याख्याताओं के पद सृजित कर स्टाफिंग पैटर्न तक करना उचित नहीं समझा, जहाँ प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आठ वर्षों में तीन बार पदों का पुनर्निर्धारण कर दिया, वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में यह काम एक बार भी नहीं हुआ। विगत सरकार की इस लापरवाही का नकारात्मक परिणाम विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा के स्तर पर पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि यथा शीघ्र माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न करवाया जाए, जिससे आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता हो सके और हमारे छात्रों को विषय अध्यापकों की कमी से जूझना नहीं पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल शर्मा।

बंद पड़ी जयपुर मेटल्स लिमिटेड के कार्मिकों के
वेतन और भत्तों का अंतिम भुगतान

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय स्पीकर सर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 25 वर्षो से बंद पड़ी जयपुर मेटल्स लिमिटेड के 1 हजार कर्मचारी आज भी अपने वेतन और मुआवज़े की गुहार लगा रहे हैं। इनके अतिरिक्त करीब 500 कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग करते हुए, सच्चाई के लिए आवाज उठाते हुए इस दुनिया से जा चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर मेटल्स को सरकारी संपत्ति माना है, इसके संचालन, प्रबंधन और परिसंपत्तियों में सरकार की भूमिका होने के कारण कंपनी के संघर्षरत कर्मचारी सरकार से न्याय मिलने की आशा लगाए हुए हैं। महोदय, आपका मैं विशेष ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि यदि सरकार इस उद्योग को पुनः शुरू करने का इरादा रखती है तो कार्रवाई करे और नहीं रखती है तो श्रमिकों के वेतन और भत्तों का अंतिम भुगतान करके उन्हें न्याय प्रदान करे।

इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी अगर बना दी जाये तो बहुत कृपा होगी। माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उद्योग मंत्री नहीं हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): कोई बात नहीं, सरकार हमेशा रहती है, उद्योग मंत्री जी नहीं हैं तो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, मैं आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूं कि 1 हजार लोग जीवन और मौत से गुजर रहे हैं, कृपया उनको न्याय दिलाने की कृपा करिये।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। बाद में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इनका बुला लो।

श्री अध्यक्ष: इनको बुलाऊंगा। ध्यानाकर्षण तीनों हो जायें, विधायी काम हो जाये, उसके बाद।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 131 के तहत आज बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षित करो।

ध्यानाकर्षण
राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, माखपुरा, अजमेर
में नियम विरुद्ध पदोन्नति

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): मैं माननीय उप मुख्य मंत्री का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, मेरे द्वारा लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा विभाग अजमेर में माखमपुरा में राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में एक उप कुल सचिव और तीन सहायक कुल सचिवों की नियम विरुद्ध प्री ऐक्टिविटी के लाभ देने सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। उनका तो केवल ध्यानाकर्षण का था।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बिंदु वार पूरी जानकारी इस प्रकरण की दे देता हूँ, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह, उप कुल सचिव, श्री जय गोयल, सहायक कुल सचिव, श्री शिवपाल यादव, सहायक कुल सचिव के पे रिक्टिफिकेशन के लिए आदेश दिनांक 4.03.2024 के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी कि पे रिक्टिफिकेशन की आड़ में लाभार्थियों को नियुक्ति के नोटिफिकेशन में प्रस्तावित पे स्केल के विपरीत एक विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति तिथि के 12 वर्ष बाद नियुक्ति तिथि से ही उच्च पे स्केल का लाभ दिया गया, जो तकनीकी विश्व विद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तथा राज्य सरकार के वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना ही पे रिक्टिफिकेशन आदेश जारी किया गया।

बिंदु 2, उक्त शिकायत के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आदेश दिनांक 18.10.2024 के द्वारा उक्त पे रिक्टिफिकेशन आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गयी एवं शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, निदेशक, तकनीकी शिक्षा जोधपुर विभागाध्यक्ष आरएसी, खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर शामिल हैं।

बिंदु 3, जांच समिति ने अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.12.2024 को प्रस्तुत किया, जिसमें सात बिंदुओं पर निष्कर्ष दिए तथा शिकायतें सही पाया जाना, पे रेक्टिफिकेशन नियम विरुद्ध होना, नियुक्ति तिथि से गलत तरीके से पे रिक्टिफिकेशन किया जाना, कार्मिक का सेवा में चयन संदिग्ध होना, मूल पत्रावलियां गायब हो जाना, दस्तावेज में हेराफेरी किया जाना, नियुक्ति तिथि से वर्तमान तक भारी अनियमितताएं होना आदि।

बिन्दु 4, उक्त जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश दिनांक 27.01.2025 द्वारा दस्तावेज गायब होने के क्रम में नियमानुसार प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवाने तथा अधिकारी, कर्मचारी के दायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु प्राचार्य, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को निर्देशित किए गए।

अन्य आदेश दिनांक 27.01.2025 द्वारा शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा एवं अध्यक्ष जांच समिति आदेश दिनांक 18.10.2024 के द्वारा गठित को कार्मिक की नियुक्ति को लेकर वर्तमान तक कुल राज्य सेवा में भारी अनियमितताओं के संदर्भ में आरोपित कर्मी की योग्यता एवं अनुभव, दस्तावेज़ की अनुपलब्धता आदि की पृथक से गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या 5, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में श्री पुष्पेंद्र

कुमार सिंह, उप कुल सचिव एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका में पे रेक्टिफिकेशन पर रोक के आदेश के विरुद्ध अंतरिम आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं को दिए गए लाभों की वसूली पर रोक लगा दी गई। अत: अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय श्री विज्ञान शाह की राय के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तदनुरूप पे रिक्टिफिकेशन आदेश प्रत्याहरित किए जाने बाबत निर्णय लिया जा सकता है।

बिंदु संख्या 6, तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 25.02.2025 द्वारा जांच समिति की अनुशंसा अनुसार कार्रवाई हेतु जारी आदेश की क्रियान्वति तथा गठित समिति की समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखे जाने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश को दिनांक 20.03.2025 द्वारा प्रत्याहरित कर लिया गया एवं प्रकरण में जांच समिति की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

बिंदु 7, विभाग के स्तर पर जांच समिति की रिपोर्ट में वर्णित 7 अनुशंसाओं पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने, की गई कार्यवाही का विवरण, एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा को निर्देशित किया गया। समिति द्वारा उक्त कार्मिक को नियुक्ति में अनियमितताओं के संदर्भ में जांच की जा रही है और जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुरूप उचित कार्रवाई की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे को जवाब दिया है मंत्री महोदय ने, वास्तव में उस जवाब से मैं सैटिस्फाइड नहीं हूं क्योंकि 2024 का मैटर है और वह अभी तक चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि शिवपाल यादव की जो नियुक्ति हुई है, उसकी पत्रावलि कहां है? वह आज दिन तक पता नहीं लगा कि वह पत्रावली कहां है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सरकार है और पत्रावलि, कैसे वह भर्ती हुआ, उसकी एक भी पत्रावली, आपके वहां 2008 में भर्ती हुआ, आज तक उसकी पत्रावलि नहीं है, उसकी पत्रावलि कहां है, वह आप सदन की मेज पर रखें।

spp/Rtm/24.03.25/12.30/1k

शिवपाल यादव का वर्तमान पदस्थापन कहां है, उसकी उपस्थिति कहां होती है तथा वेतन भुगतान किस के कार्यालय से किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी 90% आज तक जो नौकरी रही है, उसका 90% डेपुटेशन पर रहा है। क्या ऐसा नियम है, वह ऑल ओवर टाइम डेपुटेशन रहा है। 90% डेपुटेशन पर है, वह खुद मंत्री महोदय, आप उसको देख लें। उक्त कार्मिक को मूल विभाग में कितने वर्ष की तक की सेवाएँ दी हैं, वह एक बार आप चैक करवा लें। पत्रावली की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में नियमानुसार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लिखा है कि हमने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा है, सरकार चाहती है, अगर मंत्री महोदय चाहते हैं तो आज की आज

एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। पर आज दिन तक उसकी एफआईआर सरकार दर्ज नहीं कर पाई। मंत्रीजी ने उसको दर्ज नहीं करवाई। जो कार्मिक हमेशा प्रतिनियुक्ति पर रहा है, उसे किस आधार पर पे-रेक्टिफिकेशन का लाभ दिए जाने का पात्र माना गया है? उक्त कार्मिक की किस आड़ में पदोन्नति आधार पर दी जाती है? एक जनवरी में उसकी तनख्वाह बढ़ाई, फरवरी में बढ़ाई और मार्च में बढ़ाई। तीन महीने में कंटीन्यू उसका आपने भुगतान किया है और वह भुगतान आपने वापस लेने के लिए क्या किया है? जो भुगतान आज दिन तक आप कर रहे हो, उसको वापस जमा करने के लिए आपने क्या किया, उसके बारे में भी बतायें। उक्त कार्मिक को पदोन्नति किस आधार पर दी गई है? वरिष्ठों की किस आधार पर अनदेखी कर उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है? पर्टिकूलर तीन या चार आदमी को आपने पदोन्नत किया है और दूसरे को अपने क्रमोन्नत नहीं किया है, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है? फिर पे-रेक्टिफिकेशन का आदेश निरस्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण में गठित की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या निर्णय हुआ है? उस निर्णय की जानकारी सदन में रखें। उसका जो निर्णय हुआ है जांच कमेटी का, उसका निर्णय आज दिन तक आपके वहां बहुत-से पत्रकारों का भास्कर, प्रातः काल, नवज्योति, मेरे पास, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम 100 अखबारों की कटिंग मेरे पास है। सभी अखबार छाप छाप के थक गए, पर अभी तक उसकी आपने रिपोर्ट किसी को नहीं दी और सूचना के अधिकार के तहत भी काफी लोगों ने मांगी है पर आज दिन तक वह सूचना अपनी सरकार से नहीं मिली। नई जांच कमेटी का गठन किया जाना क्यों आवश्यक पड़ा? पुरानी जांच कमेटी हो गयी और फिर नई जांच कमेटी के गठन का निश्चय किया जाए। पुरानी जो जांच कमेटी आरुषि मलिक के नेतृत्व में जो हुई है, आप उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को आप सदन की मेज पर रखें। नई जांच कमेटी की जरूरत ही नहीं है। विभाग उक्त कार्मिकों को बढ़े हुए वेतन-भत्ते वापस लेने के लिये क्या प्रयास कर रहा है, जो गैरकानूनी है। मैं इनके खिलाफ़ केस दर्ज करवाकर FIR SOG को दी जाए, क्योंकि अभी SOG ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। वह भी आप SOG को दें। एक, मंत्री महोदय, वहां की एक एम डी हैं, महर्षि दयानन्द के, वह एक ऑर्डर निकालते हैं, एक आदेश निकालते हैं, चाहे जिसको रिटायरमेंट दे सकते हैं, चाहे जिसका इस प्रकार से निर्णय कर सकते हैं, वह भी इसके अंदर है।

श्री अध्यक्ष: वहां पर महर्षि दयानन्द है ही नहीं।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और है। ये सभी सरकार की सूचना देने वाला जो आदमी है, हरीशचंद्र मेवाड़ा, संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा का जवाब दे रहा ह। वह शिवपाल यादव और ये, दोनों 24 घंटे साथ रहते हैं। वही सरकार का जवाब दे रहा है। वह सरकार कैसे जवाब देगी, क्या देगी और जवाब देने वाला खुद शिवपाल यादव है। माननीय मंत्री महोदय, इसका जवाब दें फिर उसके बाद में एक दो प्रश्न

और मैं आपसे करना चाहता हूं। इसका पूरा जवाब दें आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कुछ कहेंगे?

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्रीजी, इसको दिखवाइये। मैं भी फेल हो गया था।..(व्यवधान)..

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रकरण में बिंदु अनुसार इनको एफआईआर के बारे में भी मैं बता चुका है, सब चीजों के बारे में बता चुका और जो जो आपने बताया, उसके लिए मैंने विभाग के स्तर पर जांच समिति रिपोर्ट में वर्णित सात अनुशंसाओं पर तत्कालीन नियमानुसार कार्यवाही करने तथा कार्यवाही का विवरण, एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा को नियुक्त किया गया है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी द्वारा जांच हो चुकी है। दोबारा जांच करने की जरूरत ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप मंत्री महोदय को सुनो। ..(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): मैंने माननीय सदस्य को एक-एक बिन्दु के अनुसार जब भी कार्यवाही हुई है, तो मैं एक एक डेट के अनुसार इनको बता रहा हूँ कि मैं कार्यवाही करता जा रहा हूं और जब भी इसकी पूरी कार्रवाई सामने आएगी। मैं इनके सारे निर्णय आपको बता दूंगा।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट तो आ चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दो चीज़ और है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य हो गया।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो ये था, फिर एक दिन बाद उप कुल सचिवों के वेतन को लेखाविज्ञ के कार्मिकों से न बनवाकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। एक बार आप सुन लें। बनवाकर इन के द्वारा सरकार के स्तर पर जारी किया गया। इनके साथ पे-रेक्टिविटी से सम्बन्धित आदेशों की छाया प्रति लेखा विभाग और अन्य विभागों को नहीं दी गई। और गठित जांच कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सौंप दी गई है। फिर पुनर्गठन नियम बताया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाओ। बिराजों। माननीय मंत्री जी, क्योंकि मैं अजमेर का भी हूं और तकनीकी शिक्षा मेरे पास भी रही है। इसलिए आपसे आग्रह है कि ये कार्रवाई टाइम बाउंड हो, एफआईआर टाइम बाउंड हो और संबंधित व्यक्ति, जिसने आज तक नौकरी वहां पर नहीं की है, उसको तो शायद पद पर रहने का कितना अधिकार है, आप जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो तकनीकी शिक्षा कहाँ चल रही है, आपकी सरकार है, आप भी माननीय मंत्री जी हैं, इस पर गंभीरता से ध्यान देकर के जो सदस्य ने प्रश्न उठाये हैं, उन मुद्दों पर एक्शन जल्दी से जल्दी उठायें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी करवाएंगे। अगला, हो गया।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सस्पैण्ड कब करेंगे? आप एक बार बतायें सस्पैण्ड कब करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात को जोड़ दिया। अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ..(व्यवधान)..

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): पैसा कब जमा करायेंगे यह बता दें। और सस्पैण्ड कब करेंगे? मंत्री महोदय, आप सदन में बतायें कि इसको सस्पैण्ड कब करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका हो गया। अगला श्री अशोक कुमार कोठारी। ..(व्यवधान)...आप कैसे खड़े हो गये? आपका विषय नहीं है।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप भी मंत्री रहे हैं। ..(व्यवधान).. आप भी तो मंत्री थे। तब भी नहीं हुआ। ...(व्यवधान).. माननीय मंत्रीजी, बिराजो। आप भी मंत्री थे, तब भी यह व्यक्ति डेपुटेशन पर था।

श्री अशोक कुमार कोठारी।

भीलवाड़ा के कतिपय ब्रिजों का शीघ्र निर्माण

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप तो ध्यान आकर्षित करो।

अभी ध्यान आकर्षित कर जवाब के बाद आप बोल लेना, आपको अनुमति होगी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। आपको फिर मुद्दा उठाने की अनुमति है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने भीलवाड़ा के चार पुलों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं उसकी वस्तुस्थिति के बारे में माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उन्होंने पहला ब्रिज, हाईलेवल ब्रिज जोधराज के बारे में ध्यानाकर्षण किया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि कोठारी नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण कार्य हेतु मैसर्स रवि इन्फ्राबिल्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को राशि 3,396.16 लाख का कार्यादेश दिनांक 22.01.2020 को दिया गया था। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारंभ दिनांक 10.02.2020 एवं समाप्ति दिनांक 09.12.2021 थी। अजमेर रोड की ओर से एप्रोच रोड तथा कोठारी नदी के ऊपर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण संवेदक द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। ब्रिज के दूसरी ओर गोविंदपुरा गांव को जोड़ने वाली एप्रोच सड़क का निर्माण आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होने

के कारण अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है। शेष एप्रोच सड़क निर्माण कार्य हेतु न्यास व अन्य निजी खातेदारों के खसरों को सम्मिलित कर एक योजना की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें सभी खातेदारों से सहमति प्राप्त कर आवश्यक अनुमति न्यास बैठक उपरांत राज्य सरकार से ली जानी प्रस्तावित है। भूमि उपलब्ध होते ही एप्रोच रोड का कार्य पूर्ण कराया जाकर आवागमन हेतु उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

द्वितीय ब्रिज आरओबी जोधावास चौराहे पर आरओबी का निर्माण के कार्य का कार्यादेश राशि 52.34 करोड़ का दिनांक 20.12.2019 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 15.01.2020 एवं समाप्ति तिथि 24.11.2021 थी।

jyg/Rtm/24.03.25/12.40/1l

अब तक लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है. परन्तु संवेदक की धीमी गति के कारण समय-समय पर नोटिस एवं शेष कार्य पर 10 प्रतिशत जो अधिकतम होती है, शास्ति आरोपित की जा चुकी है। चूंकि रिस्क एण्ड कोस्ट पर कार्य करवाये जाने में लगने वाले समय एवं अन्य विवाद को देखते हुए इसी संवेदक से कार्य पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे है. जिसके लिए प्रोविजनल समयावधि 30 जून 2025 तक बढ़ायी गयी है। कार्य की प्रगति की प्रति सप्ताह मॉनिटरिंग की जा रही है एवं अंतिम नोटिस दिनांक 20.03.2025 के द्वारा संवेदक को सूचित कर दिया गया है। यदि कार्य की प्रगति आगामी 15 दिवस में संतोषजनक नहीं पायी गयी, तो अंतिम विकल्प यथा शेष कार्य को रिस्क एण्ड कोस्ट पर पूर्ण करवाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

तृतीय ब्रिज, केशव पोरवाल हॉस्पिटल, हाई लेवल ब्रिज, केशव पोरवाल हॉस्पिटल के पास कोठारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण राशि 10.09 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी किया गया था। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 05.10.2018 थी एवं समाप्ति तिथि 04.10.2019 थी। निर्माण के दौरान कुल 6 स्पान में से 1 स्पान के क्षतिग्रस्त होने के कारण, MNIT, Jaipur की तकनीकी टीम के द्वारा निरीक्षण करवाया गया एवं क्षतिग्रस्त स्लेब की मरम्मत की गयी। मरम्मत के पश्चात् हाई लेवल ब्रिज के समस्त स्पान का लोड टेस्ट कराया गया। लोड टेस्ट के दौरान स्लेब के उक्त भाग का निर्धारित मानक अनुसार नहीं पाये जाने के कारण इसका पुनः परीक्षण MBM यूनिवर्सिटी, जोधपुर की तकनीकी टीम के माध्यम से कराया गया। MBM यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट दिनाक 20.03.2025 के अनुसार क्षतिग्रस्त भाग की पुनः मरम्मत की जानी है, जिसके लिये सम्बन्धित संवेदक मैसर्स एच.एस. मेहता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर करवाये जाने का शपथ पत्र संवेदक द्वारा न्यास को प्रस्तुत कर दिया गया है। मरम्मत कार्य आगामी दो माह में पूर्ण कर पुनः लोड टेस्ट करवाते हुए अगर सही रिपोर्ट आयी तो आम जन के लिये उक्त पुल को उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

चतुर्थ ब्रिज, सांगानेर हाई लेवल ब्रिज जो कि सांगानेर कस्बे को भीलवाड़ा शहर से जोडता

है, का निर्माण कार्य का कार्यादेश राशि 3,165.31 लाख रुपये दिनांक 01.04.2022 को जारी किया गया था। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ दिनांक 15.04.2022 एवं समाप्ति दिनांक 14.02.2024 निर्धारित थी। इस कार्य के अन्तर्गत कस्बे की मुख्य जल आपूर्ति की लाइन, 11 के. वी./33 के. वी. विद्युत लाइन का अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक था जो कि संबंधित विभाग यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम से आवश्यक तकनीकी राय उपरान्त संपादित किया गया। इस कारण मुख्य कार्य के संपादन में विलम्ब हुआ है। चूंकि उक्त ब्रिज का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पानी की लाइन/विद्युत की लाइन शिफ्टिंग का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। संवेदक को उक्त कार्य दिनांक 30.06.2025 तक पूर्ण करने हेतु पाबन्द किया जा रहा है. किन्तु कार्य की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य माह सितम्बर, 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्षः पांच-छह मिनट में पूरा करें।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): अब पिछली सरकार द्वारा 4 ब्रिज निर्माण का आदेश किया जाता है और उसकी निर्माण की अवधि रहती है 2019 और 2021 और उस पर 130 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट होता है, 90 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिये जाते हैं और आज तक चारों ब्रिज पूरे नहीं हुए। 2019 में पूरा होना था पहला ब्रिज फिर 2021 में होना था और उसमें एक ब्रिज की तो यह पोजिशन है कि जोधड़ास हाई लेवल ब्रिज, जिस पर 34 करोड़ रुपये पूरे खर्च किये जा चुके हैं, उस पुल पर चढ़ सकते हैं लेकिन उतर नहीं सकते हैं। तो फिर ब्रिज का निर्माण क्यों किया गया? इसमें सरकार का भी इतना ज्यादा पैसा लगा और जनता को भी उसका समाधान नहीं मिला। 2021 में वो ब्रिज पूरा हो चुका था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा कि अब भूमि को अवाप्त कर लिया जायेगा, तो 4 साल पहले जब ब्रिज शुरू होने के पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा आर.ओ.बी. जो 52 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है और 26 करोड़ रुपये दे चुके हैं और वो 2021 में पूरा होना था और आज 2025 हो गये, 4 साल बाद वहां जनता को इतनी परेशानी है, वहां पर जाना-आना पब्लिक को इतना मुश्किल रहता है, उस पर भी अपने को कुछ कार्यवाही करनी चाहिए थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा था, केशव पोरवाल होस्पिटल पर था, उसका तो पूरा पैसा था, 13 करोड़ रुपये और उसमें से 11 करोड़ रुपये दे चुके हैं, वो लोड टेस्टिंग में फेल हो चुका है। 2019 में पूरा होना था, 6 साल हो गये, तो इस पर आपको एक्शन तो फास्ट लेना पड़ेगा और जिन लोगों ने जिस तरह की कार्यवाही की है, ऐसा क्यों किया गया, इस पर भी

आप बतायें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक जी को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह सही है कि 2020 में जो हाई लेवल ब्रिज जोधड़ास का काम शुरू हुआ, उस समय उस पुल की उपयोगिता कैसे बनेगी, जब सामने की तरफ अप्रोच रोड बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, तो उस समय की सरकार को या उस समय जो भी विभाग था उसको यह सोचना चाहिए था लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं सोचा और ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया, ब्रिज का काम एक साइड की अप्रोच रोड बनकर ब्रिज का काम पूरा हो गया लेकिन जहां उतरकर जिस गांव को उसका फायदा मिलना था वहां तक जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया इसलिए इस पुल की उपयोगिता आज की तारीख तक किसी भी प्रकार से नहीं रही। यह सही है, माननीय विधायक महोदय, उस समय क्या परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियो पर तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बात बहुत लम्बी चली जायेगी लेकिन जो भी उस समय अधिकारी थे, अगर किसी की लापरवाही रही है तो मैं उसकी जांच जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से करवाकर जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश प्रदान करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो आपका ब्रिज था, यह सही है कि समयबद्ध तरीके से इसका काम पूर्ण नहीं हुआ, हमने अभी उसको अंतिम नोटिस दे दिया है और 10 परसेंट पेनल्टी भी उस पर लगा दी है। 15 दिन का नोटिस दिया है, 15 दिन में उसके कार्य की प्रगति यदि संतोषजनक नहीं पायी गयी तो उसका अंतिम नोटिस देकर उसको जो कार्यादेश दिया गया था उसको निरस्त किया जाकर रिस्क एण्ड कोस्ट पर नई निविदा जारी कर कार्य को पूर्ण करवाया जायेगा।

श्री अध्यक्षः हो गया, पर्याप्त है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरे बिज के बारे में जो बात चली है, यह सही है कि उसका एक स्पान क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी भी मैंने फोटो मंगवा रखी है, वास्तव में वो इस दशा में नहीं था, दोबारा मरम्मत हुई लेकिन मरम्मत में भी उसकी क्षमता भार वहन करने की नहीं थी कि उसको आम जनता को खोला जा सके। इसलिए अब संवेदक से दोबारा शपथपत्र लिया गया है।

MLS/RTM/24.03.2025/12:50/1m

उसने अपने खर्चे पर उस पूरे स्पान को बदलने का शपथ पत्र दिया है। जब पूरा स्पान बदलेगा, उसकी मरम्मत होगी, उसके बाद एमबीएम से जांच करवाकर, अगर वे यह मानेंगे कि इसकी भार वहन क्षमता सही है तो उसे आमजन के उपयोग के लिए खोला जायेगा और अगर फिर भी भार क्षमता सही नहीं आयी तो संवेदक के खिलाफ़ विधि अनुसार जो भी

कार्यवाही हो सकती है, वह राज्य सरकार करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। तीसरा, आपका जो चौथा ब्रिज था, उसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि 7 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। वैसे हमारा प्रयास यह है कि वह 30 जून, 2025 तक पूर्ण हो जाये। इसके लिए हमने संवेदक को कठोर निर्देश भी दे दिये हैं, लेकिन हमारा यह मानना है कि प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हो सकता है कि यह काम सितम्बर, 2025 तक पूर्ण हो। मैं निश्चित रूप से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सितम्बर, 2025 तक इस ब्रिज का काम पूर्ण कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्षः हो गया। आपका विषय आ गया, जवाब आ गया। 10 मिनट हो गये। आप फिर पूछ लेना। आपका विषय पूरा आ गया।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह उचित है, पर हम आपसे कहेंगे कि एक डेट तय करें। एक डेट हो कि इसमें आपके तीनों पुलों का काम करवा लिया जाये। आपकी कार्य शैली से हम परिचित हैं, पर आपके संज्ञान में रहे, जल्दी से जल्दी, पैसा भी पूरा लग गया, पब्लिक भी परेशान है, उसको भी राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय सदस्य, आश्वस्त रहें। विधायक महोदय, निश्चित रूप से जो बातें मैंने सदन के समक्ष कहीं हैं, उन्हीं के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री घनश्याम, ध्यान आकर्षित करें।

टोडाभीम में नशे की लत व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में नशे की लत व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के सम्बन्ध में गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगनी चाहिये। सरकार के द्वारा जो प्रयास किये गये हैं, निश्चित रूप से पिछले तीन सालों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वहां शनैः शनैः मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार बढ़ा है। इसके बढ़ने के पीछे हमारे युवाओं में नशे की लत चिन्ता का विषय है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने सरकार के गठन के बाद ही नशे की तस्करी की रोकथाम के लिए 08.10.2024 को एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया।

हमारी सरकार ने चिन्ता की कि जो नशे की प्रवृति युवाओं में बढ़ रही है, उसकी रोकथाम कैसे हो। हमारी सरकार ने 9 चौकियों की स्थापना की। एक थाने की स्थापना हमने जयपुर में की है। 255 पद हमने स्वीकृत किये हैं, जिन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है। निश्चित रूप से टोडाभीम के क्षेत्र में वहां के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर अभियान चलाये गये हैं। जन सहभागिता के तहत और जन प्रतिनिधियों के सहयोग से इसमें गांजा प्रभावित ग्राम पंचायतों में ''ऑपरेशन स्मैक आउट'' का अभियान भी चलाया गया, जिसमें हमारे सम्बन्धित थानाधिकारी, हमारी स्पेशल टास्क फोर्स वहां जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करती है। स्मैक से प्रभावित गांव राजौर करसाई जो थाना मामचारी में आते हैं, वहां स्वंय पुलिस अधीक्षक ने जाकर समाज में मीटिंग ली है। हमारी पुलिस प्रभावी रूप से मादक पदार्थों की तस्करी और इसके उपयोग पर कार्यवाही करने के लिए काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मंत्री जी ने अभी स्वीकारा है कि टोडाभीम में मादक पदार्थों की तस्करी बड़े लेवल पर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह पैदा हो गयी है कि गांवों में जिस तरह से स्मैक का व्यापार चल रहा है, स्मैक पीने वालों को जो लत लग रही है, वह आज नयी पीढ़ी में भारी नुकसान पहुंचा रही है। जो बच्चा स्मैक पीता है, उसकी उम्र 10 या 15 साल रह जाती है। उसके बाद उसे मरना ही पड़ता है। चोरी इस तरह से हो रही है, जैसे उनको स्मैक नहीं मिल रही है तो वो गांव में जो सामान घरों से बाहर रह जाता है, उसको उठाकर ले जाते हैं। मर्डर वो कर देते हैं। इस तरह के हालात हो रहे हैं, तो उसमें मेरा निवेदन मंत्री जी से रहेगा कि आपकी पुलिस कामयाब नहीं है इसमें। आपकी पुलिस नाकाम हो रही है और उसके साथ-साथ पुलिस उसमें मिली हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर थाने के एक-दो सिपाही, एक-दो सिपाही उनसे मिले हुए हैं और वो जाकर इस तरह की तस्करी करवा रहे हैं। इस तरह के मेरे पास सबूत भी हैं। मेरे पास आये दिन गांवों से फ़ोन आते रहते हैं, जिस तरह के हालात पैदा हो गये हैं, यह बहुत चिन्ता का विषय है। यह टोडाभीम का ही नहीं, पूरे राजस्थान का चिन्ता का विषय है। आज पंजाब से, बाहर से जिस तरह से स्मैक आ रही है तो इसमें बिना पुलिस की शह के आ ही नहीं सकती। पुलिस और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। पूरे राजस्थान का हमारा जो युवा है, वह इसमें लगातार फंसता जा रहा है, जैसे स्मैक है, गांजा है, दारू है, बहुत सारी इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, जो प्रदेश में बहुत ज्यादा आज नशे की लत फैलती जा रही है।

गांवों में कोई आदमी काम को जाता है, खेती करने के लिए जाता है, बाहर सामान रह जाता है, हुक्का रह गया किसी का, हुक्के को उठाकर ले जाते हैं, कोई बर्तन रह गये, बर्तन को उठा ले जाते हैं, डोरिया को उठा ले जाते हैं और उसे बेचकर स्मैक पीते रहते हैं। अगर उनको स्मैक नहीं मिली तो मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं। कई मर्डर इस तरह के हुए हैं। अभी खूड़ा गांव में एक मर्डर हुआ पिछले साल, महिला के पैर काट दिये, कोई सोती

महिलाओं को मार जाता है, तो सरकार इस तरह के मामलों में बहुत नाकाम है। यह आ कहां से रही है? सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि स्मैक कहां से आ रही है।

पिछली बार एक घटना हुई थी। अपने अडाणी पोर्ट पर डेढ़ लाख करोड़ की स्मैक पकड़ी गयी। आज तक उसका पता नहीं लगा। वह स्मैक आ तो यहीं रही है। जैसे पंजाब में नशे की लत फैलती थी, आज राजस्थान के हालात उससे भी ज्यादा बदतर हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस मामले पर हमको बहुत गम्भीर होना चाहिये। बहुत गम्भीर विषय है। यह इतना गम्भीर विषय है कि आने वाली पीढ़ी को अगर हम इस नशे की लत से नहीं रोकेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आज जो स्थिति है, आज हमारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उनकी आप जांच करें।

श्री अध्यक्षः उत्तर ले लीजिये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा कि टोडाभीम में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मंत्री जी ने स्वीकार किया, मैंने स्वीकार नहीं किया है। मैंने यह कहा है कि आपकी जो चिन्ता है, वह वाजिब है। युवा पीढ़ी में जिस तरह से लत पड़ती जा रही है, युवा पीढ़ी के लोग नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सरकार के सकारात्मक प्रयास तो हैं ही, लेकिन हमको सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता अभियान और जन प्रतिनिधियों को विशेष रूप से इस पर अपने प्रभावी सन्देश देने की आवश्यकता है।

मुझे आपका जो प्रश्न है, उस पर थोड़ा-सा तरस भी आ रहा है। 2022 में जब आपकी सरकार थी, तब आप अपराधियों पर कार्यवाही नहीं करते थे। प्रकरण दर्ज करने में आपको शर्म आती थी। आपके लोग तस्करों को छुड़ाने का काम करते थे। अब देखिये, 2022 में 3740 प्रकरण दर्ज हुए, वहीं हमने 2024 में 5246 प्रकरण दर्ज करके उन पर प्रभावी कार्यवाही करने का काम किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एंटीनार्कोटिक्स टास्क फोर्स का हमने गठन किया है, जिसको प्रभावी बनाने का हम काम कर रहे हैं।

निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, हमने पूरे प्रदेश में जिस तरह के प्रभावी कदम उठाये हैं, आप देखेंगे मुख्यालय स्तर पर नशे की गोलियों, मादक पदार्थों के बढ़ते प्रचलन और नशे की रोकथाम हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रकार के हमने आदेश-निर्देश जारी किये हैं, जिससे हमारी नीचे की व्यवस्थाएं जो हैं, वे दुरुस्त हों। उसके अलावा हर वर्ष 26 जून को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य के समस्त जिलों द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाकर स्कूलों/कॉलेजों/गांवों की चौपालों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाकर नशे के प्रति जागरूक करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

mkd/rtm/24.03.2025/13:00/1n

3 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2025 तक नशे के बढ़ते प्रचलन की रोकथाम हेतु राज्य में विशेष अभियान सलाहकार एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 1210 प्रकरण दर्ज किए जाकर 1393 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही हमारे द्वारा की गई है।

श्री अध्यक्ष: वाइंड-अप करें।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): +++

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक भोजन अवकाश के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.01 बजे 14.00 तक के लिए स्थगित हुई।)

Bhs/Rtm/24.03.25/14.00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मुझे ध्यान है पहले मुझे सदन के राजकीय कार्य शुरू कराने दो। बहस के पहले करेंगे। सुश्री दिया कुमारी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त (कर) विभाग

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त (कर) विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.12(91)वित्त/कर/2019-123, दिनांक 16.03.2025 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (आर.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सी.एन.जी. और पी.एन.जी. की कर दर में कमी की गई है, सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री कालीचरण सराफ।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 3 से 5)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार के राजकीय उपक्रम समिति 2024-25 के निम्नांकित तीन प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2018-19 (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 4) में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेदों पर समिति का तृतीय प्रतिवेदन;

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2019-20 (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 7) में समाविष्ट राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेदों पर समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन; एवं

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2016-17 (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 4) में समाविष्ट राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेदों पर समिति का पंचम प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री विनोद कुमार।

याचिका

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं:-

पीलीबंगा के खोडा क्षेत्र, तहसील रावतसर में पानी की समस्या का समाधान

1. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के खोडा क्षेत्र, तहसील रावतसर में पानी की समस्या के समाधान के संबंध में; एवं

रावतसर (पीलीबंगा) तहसील के उप स्वास्थ्य केन्द्र, किकरालिया का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्न्यन

2. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील रावतसर के उप स्वास्थ्य केन्द्र किकरालिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रियंका चौधरी (अनुपस्थित)। श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)।

राजगढ़ (सादुलपुर) नगरपालिका में सीवर लाइन (RUIDP) की स्वीकृति

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सादुलपुर की नगरपालिका, राजगढ़ में सीवर लाइन (RUIDP) योजना स्वीकृत करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं:-

कपासन में पेयजल टंकियों का पुनर्निर्माण

1. विधान सभा क्षेत्र कपासन में पेयजल की टंकियों के पुन: निर्माण के संबंध में; एवं

कपासन में एनिकटों की मरम्मत हेतु राशि का आवंटन

2. विधान सभा क्षेत्र कपासन में कतिपय एनिकटों की मरम्मत हेतु राशि आवंटन के संबंध में।

श्री अध्यक्ष: श्री रफीक खान।

जयपुर स्थित चूलगिरी जैन मन्दिर पर दरवाजे का निर्माण

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जयपुर स्थित चूलगिरी जैन मन्दिर पर पूर्व स्वीकृत राशि से दरवाजे के निर्माण के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र।

महवा के गांव टुण्डा बैंसला का पुरा (चुरखेड़ा) को राजस्व का दर्जा

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र महवा के गांव टुण्डा बैंसला का पुरा (चुरखेड़ा) को राजस्व गांव बनवाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव।

हीरापुरा बस टर्मिनल से शाहपुरा (जयपुर) नवसृजित उपमार्ग पर बसों का संचालन

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नवसृजित उपमार्ग R.S.B.T.D.A. बस टर्मिनल हीरापुरा से शाहपुरा (जयपुर) पर बसों का संचालन किये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

टोडाभीम उप खण्ड मुख्यालय पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उप खण्ड मुख्यालय टोडाभीम पर विद्युत विभाग का अधीशाषी अभियन्ता कार्यालय खोलने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। श्री अर्जुन लाल।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका। आपने पेश कर दी न। याचिका में इतना ही होता है। याचिका में इतना ही होता है। वह आ गया ध्यान में।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं याचिका नहीं दूसरा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप आ गये थे, बात हो गयी अपनी। श्री अर्जुन लाल। दो मिनट में।

सूचना

बांसवाड़ा के पालोदा कस्बे में बालिका हत्या प्रकरण

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बांसवाड़ा जिले

पालोदा कस्बे में दिनदहाड़े पाटीदार समाज की बारह वर्षीय बालिका की गला रेत कर हत्या की गयी। पूरे दिन उदयपुर, बांसवाड़ा रोड जाम रहा और उसके परिवार वाले खेत से वापस आये उसके बाद में उन्होंने 100 नम्बर पर कॉल किया तो एक घंटे तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। माननीय अध्यक्ष महोदय, पालोदा और थाने की दूरी मात्र चार किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में ...।

श्री अध्यक्ष: इन्फॉर्मेशन देनी है केवल, भाषण नहीं।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि 24 घंटे के बाद में भी इस मर्डर का वर्क आउट नहीं हुआ है, सरकार इसका संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इस मर्डर का खुलासा करे। मेरा निवेदन है कि इतनी हत्या होने के बावजूद भी 24 घंटे तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष: इन्फॉर्मेशन हो गयी। हत्या हुई है।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अभी भी कुम्भकरण की नींद सोयी हुई है। सरकार में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: डॉ. शिखा मील बराला।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो विषय उठाया है वह बिलकुल सही है। एक 13 साल की बच्ची थी जाह्नवी...

श्री अध्यक्ष: वैसे यह पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है इसका मैं... ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इन्फॉर्मेशन की सूचना सदन को, गृह मंत्री को देनी है। उत्तर नहीं है इस पर।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सरकार ने कुछ नहीं किया इसके लिए मैं बात कहना चाह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, इस पर बहस नहीं करेंगे। श्री श्रीचन्द कृपलानी। हो गया आपका।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): एस.पी. वहीं था और वहां पर एक हथियार जो घर में से जब्त किया है और आठ-दस लोगों को भी लाकर उनसे पूछताछ चल रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, केवल इन्फॉर्मेशन है। ...(व्यवधान)... गृह मंत्री से बुलवा देंगे ...(व्यवधान)...

राणा सांगा के प्रति समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा असम्मानजनक अभिव्यक्ति का प्रयोग

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को राज्य सभा में इंडी गठबन्धन के सांसद जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने वीर योद्धा कुशल शासक राणा सांगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। नो। आपको अनुमति नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सांसद के नाम पर चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: यह चर्चा नहीं है पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। चर्चा नहीं करा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इंडी सांसद जिन्होंने राणा सांगा के खिलाफ बोला, उनको गद्दार कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं होगी? वो वीर पुरुष थे जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान के लिए ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ...(व्यवधान)... टांग टूट गयी, उनका एक हाथ कट गया ...(व्यवधान)... उन्होंने गुजरात और....

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान)... न होने के बावजूद भी इस देश को आजाद रखा। वो एक वीर पुरुष थे। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप उनसे मिले हुए हो क्या? आप उनके समर्थन में हो क्या? उनका बचाव कर रहे हो...(व्यवधान)...शर्म आनी चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): आप खड़े होकर समर्थन कर रहे हो उसका। समर्थन कर रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके खड़े होने से यह बात क्लियर हो गयी कि ...(व्यवधान)... गद्दार का ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इन्फॉर्मेशन हो गयी।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): आप समर्थन कर रहे हो इसका मतलब।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कांग्रेस ने अपनी पोल खोल दी खुद ही। जो राणा सांगा के खिलाफ वो बोले हैं हम उनकी खिलाफत कर रहे हैं लेकिन ये ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): कांग्रेस विधायक दल रामजीलाल सुमन के साथ खड़ा है और महाराणा सांगा के अपमान के साथ खड़ा है। शर्म आनी चाहिये कांग्रेस को। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप हिन्दू समाज के खिलाफ मुगलों का साथ दे रहो हो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपकी भावनाएं आ गईं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान)... आमजन की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजो। विधायी कार्य। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। राजस्थान

विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 श्री झाबर सिंह खर्रा। हो गया। विषय आ गया। सदन में विषय आ गया। विराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराणा सांगा वीर पुरुष थे। ...(व्यवधान)... आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव कर रहे हैं। माननीय सदस्य, अंकित नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजो। जिनको परमीशन दी उन्होंने कह दिया। आपका विषय नहीं है आपको अनुमति नहीं है। विराजिये। आपको अनुमति नहीं है विराजो। अंकित नहीं। माननीय मंत्री जी।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आज तीन विधेयक हैं और बोलने वाले लगभग टोटल मिला कर पचास लोग हैं तो इसलिये श्रीमती अनिता भदेल।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला तो राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह व्यवस्था दे दी थी तीसरे नम्बर पर लास्ट में आयेगा। कौन सा विधेयक पहले लाया जायेगा, यह अध्यक्ष तय करता है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हमें सूचना क्यों नहीं देते हो आप?

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। आपके अनुसार थोड़े तय करेंगे। आप बैठिये शाम तक, आपका नाम है बोलने देंगे। बोल कर चले जाओ, ऐसा थोड़े होता है। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में विभिन्न राजस्थान अधिनियमों के अधीन स्थापित विकास प्राधिकरण और न्यास कोई सामान्य पृथक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और सरकार यह समुचित मानती है कि विकास प्राधिकरणों और न्यासों के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता वाले अधिकारियों और कार्मिकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है और इसलिये बाहरी सलाहकारों को नियुक्त करने या मानव शक्ति को प्रतिनियुक्ति पर भाड़े पर लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 4677/1985 में अवमानना याचिका के आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रथमदृष्ट्या

हमारा विचार है कि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवाओं में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को डी.डी.ए. के विधिक सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया जाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पूरी तरह से उल्लंघन करता है।

Kas/rtm/24.03.2025/14.10/2d

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस बिल का स्वागत करती हूं, पर माननीय मंत्री महोदय के यह ध्यान में लाना चाहूंगी कि सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश तो 1985 का आदेश है। 1985 के आदेश की पालना की हमें इतने वर्षो बाद अब हमको सूझ आई है कि हमें 1985 के आदेश की पालना करनी है। यह बहुत पहले हो जाना चाहिये था। इसके साथ-साथ मेरा एक सुझाव यह भी है कि जब हम कारणों का उल्लेख करें, तो इस प्रकार किसी का भी उल्लेख करने के लिये हम उल्लेख में यह लिख दें कि 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, इसलिए हम इसको लागू करने जा रहे हैं, तो यह बात ठीक नहीं है। हम कोई रेलेवेंट कारण तो दें, तो ठीक रहेगा। बाकी इतने पुराने-पुराने कारणों का उल्लेख करना ठीक नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि चूंकि लॉ सैक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे पद राज्य सरकार में होते हैं। आपके लॉ डिपार्टमेंट में भी लॉ से ही डेपुटेशन पर लोग आते हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जितने भी लॉ सैक्शन में या राज्य सरकार में विधि से सम्मत जितने भी पद हैं, चाहे वो कानून विभाग में हो, चाहे यूडीएच डिपार्टमेंट में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो या अन्य किसी डिपार्टमेंट में हो, वहां ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें राज्य स्तर का एक अलग से कैडर बनाना चाहिये और उन सबको राज्य स्तर के अलग-अलग विभागों में अलग-अलग पद पर पदस्थापित करना चाहिये, ताकि बार-बार डेपुटेशन पर लेने की व्यवस्था खतम हो। मैंने इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का जो प्रस्ताव दिया है, उसको तो मैं वापस लेती हूं और निवेदन करती हूं कि आइंदा जब हम बिल को पढ़ें या रखें, तो इन बातों का उल्लेख ऐसे बिलों में ना करें।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री ललित मीणा। (अनुपस्थित) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (अनुपस्थित) श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सर, मैंने कोटा डवलपमेंट अथोरिटी वालें में संशोधन दिया है, उसी पर बोल लूंगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है। श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): मैं इसको 6 महीने जनमत जानने के लिये परिचालित करने का निवेदन करता हूं। अचानक से पहले यह विधेयक को ले लिया, हम इसको पूरा पढ़ भी नहीं पाये, लेना था कोचिंग वाला, ले लिया आपने यह, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इसे 6 महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री अध्यक्षः श्री केसाराम चौधरी। (अनुपस्थित) श्री गोपाल शर्मा। (अनुपस्थित) श्री फूल सिंह मीणा। माननीय सदस्य, अपने स्थान से।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव दिया था, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जो मैंने जनमत जानने के लिये दिया था, उसे मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि वैसे तो संसदीय मंत्री जी सुबह कह रहे थे कि कोई छोटा सा ही है, इसलिए ज्यादा ना बोलें, कोचिंग वाले पर ही सब लोगों का फोकस रहना चाहिये, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आप यह संशोधन लेकर आये हैं, इससे जेडीए की शक्तियां बढ़ेंगी या कमजोर होंगी, मंत्री जी इसका जरूर मुझे बताएं और दूसरा, जिस प्रकार से आप इनका एरिया भी अभी बढ़ा रहे हैं ....(व्यवधान).... सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दूसरा केस भी लेकर आये हो ....(व्यवधान).... ठीक है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः हो गया?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बोलने ही नहीं दे रहे हो तो।

श्री अध्यक्षः श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 जो नगर सुधार न्यास एवं प्राधिकरण के कार्यों में स्पष्टता लाने और प्रशासनिक ढ़ांचे को मजबूत करने की दिशा में यह विधेयक लाया गया है, यह एक सराहनीय प्रयास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से अपनी बात बड़े शॉर्ट में रखते हुए यही कहूंगी कि जैसा कि हमारी पूर्व मंत्री और अजमेर से आने वाली हमारी विधायक ने कहा कि अभी कोई भी एम्प्लाइज यहां लग सकते हैं, लेकिन एक प्रोपर एम्प्लाइज कैडर बने, वह एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसके साथ-साथ इस विधेयक में मेरा एक छोटा सा सजेशन यह है कि अभी डवलपमेंट अथोरिटीज अलग-अलग नियमों में चलती हैं। भले ही जे डी ए हो, के डी ए हो या उदयपुर डवलपमेंट अथोरिटी हो या अजमेर डवलपमेंट अथोरिटी हो, इन सारी अथोरिटीज के नियम लोकल लेवल पर अलग-अलग हैं। अगर हम इन सबको एक ही प्रशासनिक ढ़ांचे में डालकर करें, तो यह सबके लिये सुविधा होगी और इसमें पारदर्शिता और बढ़ेगी। मैं जनमत जानने का अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं और इस विधेयक की सराहना करती हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती कल्पना देवी (अनुपस्थित), श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और 6 महीने के लिये इसे जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह बिल इसी सदन में आया और इतनी जल्दी हम लोगों को एक संशोधन लेकर आना पडा। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाये, जिससे इस बिल का पूरा अध्ययन हो जाये और फिर भी इसमें कोई कमी रहे तो उसमें सुधार किया जा सकता है। यह बिल लाकर प्रदेश लेवल में हम विकास प्राधिकरण की बात करते हैं और लेकर भी आते हैं, तो फिर प्रदेश लेवल पर ही इनका कैडर भी बने, इनका प्रशासनिक ढांचा भी तय हो और हर क्षेत्र के अलावा पूरे राजस्थान प्रदेश लेवल पर ऐसी स्थिति बने, जिससे कि इसमें सुधार हो सके और बार-बार हमें इस बिल पर विचार और चर्चा नहीं करनी पड़े, इसलिए मैं इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक आया है, सबसे पहले तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। साथ-साथ ही अभी जो चर्चा चल रही थी, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों राणा सांघा पर जो एक टिप्पणी हुई है, मैं एक ही बात कहूंगा ....

श्री अध्यक्ष: राणा सांघा पर नहीं। नो, अन्य कोई विषय नहीं, अंकित नहीं।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

श्री अध्यक्ष: केवल इस विधेयक पर बोलना है। प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 20। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है खण्ड 2 से 20 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 20 स्वीकार किये गये।

खण्ड 21। श्री ललित मीणा संशोधन प्रस्ताव करेंगे (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। ....(व्यवधान).... संशोधन तो हो गया ना रिजेक्ट। संशोधन रखने वाले हैं ही नहीं। प्रभारी मंत्री उत्तर दें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्षः इसके बाद, यह तीसरी स्टेज में आयेगा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि अभी हमारी माननीय वरिष्ठ विधायक महोदया ने ...

श्री अध्यक्षः वैसे माननीय मंत्री जी, कोई संशोधन तो आया नहीं है, इसलिए शायद इसमें तो उत्तर की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देना चाहें, तो आपको आजादी है, आप दे सकते हैं। ऐसे दो-तीन और आयेंगे।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैं स्पष्टीकरण दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण 4677/1985 पुराना है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी अवमानना याचिका में दिनांक 24.6.2024 को जो अंतरिम निर्णय दिया है...

Msk/rtm/24.03.25/1420/2e

उस अन्तरिम निर्णय के बाद यह बिल लाया गया है और इस बिल को लाने से जेडीए या किसी भी प्राधिकरण की शक्तियां कम नहीं होंगी। हां, वर्तमान में संचालित विभिन्न नगर सुधार न्यासों एवं सभी विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रावधान पृथक-पृथक होने से, इन कार्मिकों पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं होने से और वर्तमान में सम्बन्धित न्यासों व प्राधिकरणों द्वारा ही कर्मचारियों की सेवा/शर्ते, संवर्ग संख्या आदि का निर्धारण किया जाता है। संशोधन उपरान्त राज्य सरकार द्वारा सभी न्यासों व प्राधिकरणों के लिए एक समान सेवा शर्त व संवर्ग संख्या आदि का निर्धारण किया जा सकेगा। वर्तमान में लंबित सम्बन्धित न्यासों व विकास प्राधिकरणों द्वारा ही कार्मिकों की सेवा/शर्ते स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं। इस संशोधन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा ही सभी कार्मिकों के लिए एक समान सेवा/शर्तें, स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित नियम बनाये जा सकेंगे।

श्री अध्यक्षः हो गया। तीन बार उत्तर देने हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): और दूं?

श्री अध्यक्षः आप देना चाहें तो दे दें। तीन संशोधन आयेंगे, जिनमें आपको उत्तर देने हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 में जो संशोधन ललित मीणा, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 21 स्वीकार किया गया।

श्री हरिमोहन शर्मा, अध्याय-7 में संशोधन। बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): विधेयक में अध्याय 7 में प्रयुक्त शब्द 'कोटा विकास प्राधिकरण, 2023' में 'कोटा' एवं 'विकास' के मध्य 'बून्दी' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाये। मान्यवर, जब कोटा विकास प्राधिकरण का निर्माण हुआ तो उस समय बून्दी विधान सभा क्षेत्र के और पाटन के 64 गांव और एक नगरपालिका को मिलाया गया। लाखों बीघा आबादी जमीन, लाखों बीघा चरागाह, लाखों बीघा दूसरी जमीन कोटा में मिला दी गयी। उस प्राधिकरण में, जब कोटा के पास अपनी जमीन समाप्त हो गयी थी, बून्दी जिले की सारी जमीन लेकर कोटा प्राधिकरण के नाम से कोटा प्राधिकरण का निर्माण करके बून्दी की सारी सम्पत्ति को कोटा विकास में लगा रहे हैं। यही नहीं, बून्दी में जो एयरपोर्ट बनने वाला है, उसकी तीन हजार बीघा जमीन केडीए को ट्रांसफर की, वह तीन हजार बीघा भूमि भी बून्दी विधान सभा क्षेत्र की है। सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बून्दी का है और बून्दी की उपेक्षा की जा रही है। ग्राम पंचायतों के अधिकार समाप्त हो गये हैं, नगर पालिकाओं के अधिकार समाप्त हो गये हैं। कुछ विकास नहीं हो रहा है तो कम से कम, पहली मांग तो यह है कि बून्दी के लिये गये 64 गांवों को वापस बून्दी में रखा जाये। अगर यह संभव नहीं हो तो कोटा विकास प्राधिकरण ही नहीं, उसका नाम कोटा-बून्दी विकास प्राधिकरण रखा जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कुछ कहेंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ये किसने किया है? आपने किया है। आपके कर्म हैं, आप ही भुगतें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, इस पर जवाब देंगे? ...(व्यवधान)... हो गया, आप तो बैठ गये थे, आपका विषय आ गया।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धारीवाल साहब ने पिछली सरकार में किया था। आपको याद है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपसी बहस नहीं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक मिनट ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आपका संशोधन आ गया। अब मंत्री जी बोलेंगे। आपके संशोधन का मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। उत्तर आ रहा है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय ने जो प्रश्न उठाया है। अगर वे यह प्रश्न, जिस दिन कोटा विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था, अगर उस दिन उठाते ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये, उत्तर सुनिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं, उत्तर नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपने संशोधन दे दिया। माननीय सदस्य, अंकित नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने उठा लिया, उत्तर तो आने दें।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आप अगर सदन में नहीं थे तो भी इस प्रदेश के और देश के सदभावी नागरिक होने के नाते सरकार तक अपनी बात रखने का अधिकार आपको था। उस अधिकार का आपने उपयोग नहीं किया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये, माननीय सदस्य, मैं आगे बढ़ूंगा। माननीय सदस्य ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उत्तर तो आपका ही है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): उस समय की सरकार ने आपकी बात को नहीं सुना तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं और न वर्तमान सरकार दोषी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सुनें तो सहीं। आप वरिष्ठ हैं। सुनिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय वरिष्ठ विधायक हैं। आपको मेरे से ज्यादा अनुभव है। आप ज्ञानी भी हैं, उस सब के बावजूद जब आपको यह अच्छी तरह से पता है कि यह वर्तमान विधेयक से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। यह सम्बन्धित विधेयक से सम्बन्धित प्रश्न था। जब कभी उस विधेयक पर चर्चा होगी या आप कोई प्रस्ताव करेंगे तो सरकार उस पर सकारात्मक विचार निश्चित रूप से करेगी।

दूसरा, केडीए का गठन आपकी पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। इसलिए अगर आप हमारी वर्तमान सरकार पर इसका दोषारोपण करेंगे तो मैं समझता हूं, आप जैसे वरिष्ठ विधायक के लिए उचित नहीं होगा। और बून्दी जिले के जितने भी गांव कोटा विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये गये, वे भी आपकी पार्टी की सरकार के समय ही किये गये थे, उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। तीसरा, कोटा विकास प्राधिकरण में जो विकास कार्य होंगे, उसमें आपको मैं यह निवेदन कर दूं कि भविष्य में बून्दी विधान सभा क्षेत्र के गांवों में भी ध्यान रखा जायेगा, विकास के काम करवाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिये।

प्रश्न यह है कि अध्याय 7 के सम्बन्ध में जो संशोधन श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

खण्ड 22 से 24। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 से 24 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 22 से 24 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री झाबर सिंह खर्रा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि इसको पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय शान्ती धारीवाल जी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, जेडीए और दूसरे प्राधिकरणों में आप जो अमेंडमेंट लाये हैं कि विधिक सेवा का ही कोई आगे जाकर डायरेक्टर लॉ बने। मैं इसके विरोध में हूं। उसका कारण यह है कि हमेशा से राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जज वहां पर अपांइट होता था। अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपोइंट होता था तो उसकी एक अलग अथोरिटी होती थी, क्योंकि जुडिशियल सर्विस का आदमी हुआ करता था। उसकी लिखी हुई नोटिंग को बदलना या हेरफेर करना बड़ा मुश्किल होता था। अगर आप विधि सेवा के लोगों को ही आप प्रमोट करके डायरेक्टर लॉ बना देंगे, तो उनकी बात अलग होगी, वे दबाव में आयेंगे।

mdp/rtm/24.03.25/14:30/2f

वे जे डी ए के कमिश्नर के दबाव में आएंगे, जे डी ए चैयरमेन के दबाव में आएंगे, दूसरों के दबाव में आएंगे, लेकिन राजस्थान हाइकोर्ट के द्वारा भेजे गये लोग जो होते थे, उनमें से कई आदमी आज राजस्थान हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं। कई लोग, एक ही नहीं कई बने हुए हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये बिलकुल गलत है, इसलिए इस बिल को पास नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां दूसरी चर्चा हो गयी कि कोटा का प्राधिकरण बना दिया गया, जिसमें बूंदी मिला दी गयी, जिसमें ये हो गया, वो हो गया, हमने अगर प्राधिकरण बना कर गलती की जो हुजूर आपने फिर बीकानेर और भरतपुर, ये प्राधिकरण क्यों बना दिए? प्राधिकरण जब भी बनता है तो यू आई टी की सीमा के अन्दर-अन्दर नहीं बनता है। चारों तरफ के गांव उसमें शामिल होते हैं। जैसे आज भी आपका प्रपोजल है कि जे डी ए में इतने गांव और शामिल कर दिये जाएं। इस बात को समझिए। निश्चित तौर पर मैं इस बात के लिए जिम्मेदारी लेता हूं कि जो के डी ए का प्राधिकरण बनाया गया, उसी से आगे जाकर वहां का कुछ डवलपमेंट हो पायेगा, क्योंकि यू आई टी के अन्दर की जितनी भी सीमा थी, यू आई टी के अन्दर तो हमने सारा डवपलमेंट कर दिया। बचा क्या इनके करने के लिए? इनको तो लाखों बीघा जमीन, जैसा अभी हरिमोहन जी ने

बताया कि एक लाख बीघा जमीन तो चरागाह की है, एक लाख उसकी है, ऐसे कई बतायीं, वह जमीन आपको मिल गयी, अब उसकी प्लानिंग करो और प्लानिंग करके पैसा कमाओ और डवलपमेंट करो।

मतलब आप लोगों को तो हमने सुविधा दी है कि आप करो, वरना अगर वो की वो यू आई टी रहती तो कुछ नहीं कर पाते। वहां तो हमने कर दिया सारा काम। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस तरीके की फालतू की चर्चा मत करवाओ। ये जो फालतू की चर्चा हुई है कि साहब, प्राधिकरण क्यों बना दिया गया?

श्री अध्यक्षः चलिए, आ गया आपका।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): प्राधिकरण पर आप अलग से बहस रखना चाहते हैं तो रख लीजिए एक रोज कि क्यों बनाया जाता है प्राधिकरण। क्यों बनाया फिर आपने बीकानेर का? क्यों बनाया फिर आपने भरतपुर का प्राधिकरण?

श्री अध्यक्षः विराजिए, आपका विषय आ गया। और कोई सदस्य कौन बोलेंगे, कोई बोलना चाह रहा है? एक लास्ट। इधर से कोई बोलना चाहेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025, अध्यक्ष महोदय ये प्राधिकरण क्यों बनती हैं? क्यों बनाते हो प्राधिकरण? आप किसी को बसाने का काम नहीं कर रहे हो, डेढ़ साल में कोई गरीब आदमी की सुध नहीं ली आपने, कोई अरबनाइजेशन की बात नहीं है। इस पर तो मैं आता हूं, लेकिन पहले इस बिल के बारे में आपको दो बात कहना चाहता हूं। जैसा अभी हमारे धारीवाल साहब ने कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण, विकास आयुक्त, निदेशकों, सचिव आदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही लॉ-डिपार्टमेंट के आदमी को जुडिशियरी की पोस्ट पर बैठा देंगे तो वह डिसीजन बायस हो जाएंगे। वह जैसे जे डी ए चाहेगा, वैसे ही डिसीजन करेंगे और वैसे ही टिप्पणियां लिखेंगे, वैसे ही नोटिंग होगी। ये न आप लोगों के हक में है, न हमारे हक में है। आम जनता के हितों में नहीं है ये। कोई भी आदमी जो जुडिशियरी का आदमी होगा वह मेरिट पर डिसीजन करेगा और आज तक की परंपरा रही है। ये ऐसी नई परंपरा, नये एग्जाम्पल सेट मत करो आप कि डिपार्टमेन्ट का आदमी कर देगा, तो डिपार्टमेन्ट का आदमी तो वही करेगा जो आप करोगे, जो आपकी मंशा होगी। वह कैसे सही रास्ता दिखाएगा आपको? क्या आम आदमी के बारे में बात करेगा? हम विकास प्राधिकरण बनाते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य यह होता है कि कैसे अरबनाइजेशन हो, कैसे गरीब आदमी को, सक्षम आदमी को तो आवास सारी दुनिया ही दे रही है। कैसे गरीब आदमी को आवास मिले? कितने मकान बना दिये आपने? कितने मकान बना दिये गरीब आदमी के लिए आपकी सरकार ने? सवा साल हो गया आपको यहाँ सत्ता में आए हुए, कौनसी प्लानिंग कर दी आपने, कितने रेजिडेंशियल एरिया ले आये आप? कहीं कोई बात नहीं है। ये फालतू के बिल बना कर आप जनता को गुमराह कर रहे हो। उसमें बात कर रहे हो कि हम इस तरह से कर रहे हैं।

हम गरीबों पर गुजरती रात को देखा करो,

कभी कच्ची बस्ती, कभी फुटपाथ को भी देखा करो।

श्री अध्यक्षः हो गया आपका।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): गरीब आदमियों का भला करने की सोचो, बस एक मिनट खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आगे तीन बिल और हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्राधिकरण का एक लक्ष्य होना चाहिए। जो भी प्राधिकरण, जैसे अब आपने जयपुर में जमीनें ले लीं और जयपुर में आज जे डी ए का है अखबार में आया है कि इतने गांव और एड कर रहे हैं। अरे, जो पहले हैं उनका तो डवलपमेंट कर लो, उनकी तो तैयारी कर लो। वह तो खेत के खेत पड़े हुए हैं। आगरा रोड के ऊपर सारा का सारा एरिया आपने जे डी ए में ले रखा है और उधर इकोलॉजिकल का केस चल रहा है। इकोलॉजिकल से बाहर ला नहीं रहे हो और उससे आगे दायरा बढ़ाते जा रहे हो। पहले उनका डिसीजन करो। सुप्रीम कोर्ट में आपने केस चला रखा है, उस पर बात करो लोगों से। डबल इंजन की बात करते हों, यहां भी आपकी सरकार है, वहां भी आपकी सरकार है। गाइड लाइन लीजिए और इकोलॉजिकल से उस एरिया को बाहर निकालो। आप फिर 50 किलोमीटर आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। मेरी आपसे गुजारिश है एरिया मत बढ़ाओ, जो एरिया जहां हो, उसको डेवलप करो पहले और जिन लोगों ने हजारों-हजारों मकान बन चुके हैं, बहुत सारे विधायक हैं, ये आपके उप मुख्य मंत्री भी यहां मौजूद हैं, बहुत सारा एरिया इकोलॉजिकल में पड़ा हुआ है, इकोलॉजिकल से बाहर आया हुआ नहीं और वहां हजारों लाखों मकान बन चुके हैं। अब उनके सिर पर तलवार लटकी हुई है कि एक रुपये का लोन नहीं मिल रहा है उनको। उनके साथ तो न्याय करो। मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और जनमत जानने के लिए बोलता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक मिनट।

श्री अध्यक्षः आप नहीं, आप बोल लिए। श्री सुभाष गर्ग। आप बोल लिए। दोबारा कोई अंकित नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्षः नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्षः आपको बोलने की अनुमति दे दी, दो बार। अब नहीं। श्री सुभाष। आप बोल लिए जो आपको बोलना था।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो संशोधन आप लाए हैं, उसके सम्बन्ध में पहले जब भरतपुर विकास प्राधिकरण की चर्चा हुई थी और बीकानेर की हुई थी, तब भी मैंने अपनी बात रखी थी कि जो संशोधन आप ला रहे हैं कि डायरेक्टर लॉ स्टेट ऑफिसर होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि दो चीजों पर विचार कीजिए कि हम क्यों लॉ सेक्रेटरी जुडिशियरी

सर्विसेज का लेते हैं, हाई कोर्ट देता है। क्यों विधान सभा में सेक्रेटरी जुडिशियरी सर्विसेज का आता है? मेरा यह कहना है माननीय मंत्री महोदय आप इसके पीछे अधिकारियों की मंशा को देखिए। वह अधिकारी आपसे क्या करवाना चाहते हैं, आप जैसे ईमानदार व्यक्ति से। वह अधिकार पूरे के पूरे अपने अधीन लेना चाहते हैं। जुडिशियरी का ऑफिसर ज्यादातर आप लोगों ने भी देखा होगा वह एक इंडिपेंडेन्ट राय देता है। मैंने उदाहरण भी दिया था उस वक्त कि तत्कालीन डायरेक्टर लॉ ने फाइल पर टिप्पणी की थी, माननीय मंत्री महोदय कि इस केस को सी बी आई को दिया जाए या एजेंसीज को दिया जाये, वह पत्रावली गायब हो गई, तो इसके पीछे मंशा, मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी, इसके पीछे मंशा दूसरी है। जे डी ए में क्योंकि बहुत ज्यादा अथोरिटी है, ऑटोनोमस सिस्टम होता है, बहुत कम केसेज पर आप फाइल को मंगा सकते हो, वह तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो भी तत्कालीन सरकार का, कि जेडीए का चेयरमेन आपको बना रखा है। बाकी तो अधिकांश में चेयरमेन, प्राधिकरणों में प्रोविजन ही नहीं किया, व्यक्ति जब भी होगा नहीं तो कलेक्टर और वे ही काम करते रहते हैं। मेरा कहना है कि लॉ सेक्रेटरी का भी प्रोविजन ले आइए, तो वह भी कोई लीगल सर्विसेज का आदमी होगा तो बहुत बढ़िया हो जायेगा। विधान सभा का भी सेक्रेटरी जो है, वह लीगल सर्विसेज का ही आ जाये तो बहुत बढ़िया रहेगा।

मैं तो केवल इतना ही कहूंगा माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। जुडिशियरी का आदमी होना चाहिए इसके पीछे। उस वक्त काफी उससे अपेक्षा की थी। मैरिट के आधार पर निर्णय करता है। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्षः कुछ कहेंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, एक मिनिट।

श्री अध्यक्षः नहीं, आपने दो कहा था, तीन कर दिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक मिनट।

श्री अध्यक्षः दायित्व नहीं, अनुमति है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो शब्द।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मेरा राइट है।

श्री अध्यक्षः नहीं, राइट नहीं, पहले नाम लिखवाना होता है। आपने कहा ही नहीं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कांग्रेस के समय आया। ...(व्यवधान)... लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। अब चूंकि कोटा बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, इसलिए आवश्यकता है कि इस कोटा डवलपमेंट अथोरिटी को किस तरीके से लिया जाए।

श्री अध्यक्षः मेरे पास आपका नाम नहीं है। ...(व्यवधान)... नाम ही शांति जी का था। मुझे नाम ही दो दिए हैं। नाम ही नहीं दिए। बैठिए। अंकित नहीं। माननीय मंत्री जी। नहीं तो मैं आगे करवा दूंगा। आप भी बैठिए। आपका भी अंकित नहीं। माननीय मंत्री जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्षः राइट तो अनुमति से है। 200 ही थोड़े बोलेंगे। आपके दल से पूछ लिया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं या आगे बढ़ूं? वह तो बोलते रहेंगे। पहले नाम देना चाहिए। दो नाम दिए, दोनों बोल लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तीन माननीय सदस्यों ने कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं। सबसे पहले मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक महोदय और बूंदी से आने वाले विधायक महोदय, दोनों वरिष्ठ हैं, विद्वान भी हैं।

श्री अध्यक्षः तीसरे जो नहीं बोले, वह भी विद्वान ही हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): उन्होंने एक बात कही कि आप क्यों बना रहे हैं? आपने बनाया उस पर हमें आपत्ति नहीं है। आपके साथी को आपत्ति है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठिए। आप बैठिए। आज आपको क्या हो गया है। अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्षः इनको जवाब मत दीजिए। माननीय मंत्री जी, उनको उत्तर मत दीजिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): साथ ही मैं निवेदन करूं कि ..(व्यवधान)... हवाई अड्डा बन रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। सुन लीजिए।

Ans/rtm 14.40 2g 24.03.2025

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): हवाई अड्डा बनने से जो विकास होगा उसका लाभ बूंदी को भी मिलेगा और कोटा को भी मिलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप तो इन्हीं पर उत्तर दीजिये। इन दोनों के संशोधन पर।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास):आदर्श नगर से आने वाले विधायक महोदय ने बात कही। माननीय, मैं आपको अवगत करा दूं, आप भी विद्वान है। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ...(व्यवधान)... सारी बता रहा हूं, मैं सारी बता रहा हूं। आप सुनिये, मैं सारी बता रहा हूं। ग़रीबों को पक्की छत देने का काम शुरू किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार गरीब के सिर पर पक्की छत हो, यह सोच 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आई थी। उस समय 17 हजार 500 रूपये की एक योजना शुरू की गई थी, जिसका स्वरूप बदलते-बदलते अब प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में परिवर्तित हो

चुकी है। राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जयपुर विकास प्राधिकरण ...(व्यवधान)... सुनवाई नहीं होती है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): उसके बाद मुख्य मंत्री आवास योजना भी लाई गई थी, वह भी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही लाई गई थी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): इंदिरा आवास योजना सन् 1972 में कौन लाया था? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आप जिस इंदिरा आवास योजना की बात कर रहे हैं,वह 1977 में जनता पार्टी के समय की जो आवास योजना थी उसका परिवर्तित रूप था। अगर आपकी जानकारी में नहीं हो तो विभाग से पूछ लीजिये। 1977 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने पहली बार 17 हजार 500 रूपये की व्यक्तिगत आवास योजना का शुभारंभ किया था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बोल लिये। अब सुनिये। मैंने आपको बोलने का अवसर दे दिया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमें तो एक सैकण्ड भी नहीं बोलने दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: परम्परा की बात है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): भरतपुर से आने वाले माने विधायक महोदय ने भी एक बिंदु रखा है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, यह नियम कायदे हमने नहीं बनाये, आपके कालखंड में बने हुए हैं। उनमें यह प्रावधान है, वर्तमान में भी प्रावधान है, इस संशोधन से पहले भी, कि डाइरेक्टर लॉ के पद पर भी डी जे या जे एल आर के समकक्ष या उच्च पद के व्यक्ति का पदस्थापन हो सकता है। यह नियम हमने नहीं बनाए। अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप डी जे का प्रावधान हटाया जा रहा है। विधि सेवा के जे एल आर या उच्च पद के व्यक्ति का डायरेक्टर लॉ के पद पर पदस्थापन का प्रावधान भी पूर्व से ही है, यह हमने नहीं किया है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): वह बाईलॉज है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): वह कुछ भी है, मैंने नहीं बनाया है ना हमारी सरकार ने बनाया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): साथ ही मैं आप से निवेदन कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, सरकार में विधि सचिव के पद पर न्यायिक सेवा के अधिकारी को तो उचित माना है, परन्तु प्राधिकरण में न्यायिक सेवा के अधिकारी का पद स्थापन अनुचित माना है, यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एक अंश आपको पढ़कर सुना रहा हूं - "Prima facie we are of view that

appointing serving judicial officers of Delhi Higher Judicial Services as legal advisors of the DDA completely violates the principles of independence of judiciary and the doctrine of separation of powers. The position of the judicial officer working as a law secretary is completely different.", तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय कर देता है, उसके बाद कोई भी सरकार हो सामान्यतया उसकी पालना करने का कर्तव्य सरकार का बन जाता है। हां, यह अलग मुद्दा हो सकता है कि दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत हो तो संसद में अब तक एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकारा गया था, वैसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी की जा सकती है। ...(व्यवधान)... इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए हम यह विधेयक ला रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा अनुचित प्रावधान हमने नहीं रखा है, जिससे किसी का अहित होता हो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जायेı?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया गया।

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025, श्री जोगाराम पटेल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधियां निरसन विधेयक लाया गया है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा की इसमें लगभग 45 अधिनियम है और 45 में से तीन अधिनियम 2018, 2019 और 2021 के हैं, जो पिछली सरकार के दौरान बने हैं और उसको निरसन किया जा रहा है।

मेरा निवेदन है की जो यह सदन चल रहा है इसका एक-एक मिनट बहुत कीमती है। कई सारे अधिनियम बने और इस तरीके से जो नए अधिनियम आए हैं उनको निरसन करना, कहीं ना कहीं यह सदन का समय जाया करने जैसा है। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर एक बार विचार करना चाहिए।

साथ ही, हमारे माननीय सदस्य जो लूणी से आते हैं, आप भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी एक वकील हूं। वकीलों की भी अपनी एक समस्या है, उनको लेकर भी मेरा निवेदन है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और उनके बैठने की व्यवस्था और तमाम चीजों के बारे में भी आप मजबूती से अपना पक्ष रखे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम गेदर। (अनुपस्थित) श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक,

2025 मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इतना जरूरी कामकाज रोककर, इसको निरसन करने जैसा विधेयक लाने की जरूरत क्या है। हम आपको +++ पर चर्चा के लिए इतने टाइम से कह रहे हैं, आपने +++ की चर्चा नहीं कराई।

श्री अध्यक्षः यह +++ की बात ही नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह जो फालतू काम पड़े हुए हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः +++ वाला अंकित नहीं। जो कनेक्टेड नहीं है वह नहीं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं इसी पर बोल रहा हूं। जो काम पड़े हुये है, इन्हीं की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः इसमें कहीं +++ है ही नहीं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, इन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उसकी चर्चा छोड़कर अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः तो मत करो। बोलो मत ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ऐसे कार्यों के लिये समय मिल गया और +++ जैसा इम्पोर्टेन्ट मुद्दा था उस पर समय नहीं मिला।

श्री अध्यक्षः इस पर बोलो तो बोलो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इसी पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः इस पर नहीं, आप तो +++ और पता नहीं कहां-कहां बोल रहे हो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): +++ पर नहीं बोल रहा। मैं तो कह रहा हूं कि +++ का काम रोककर इसको ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नहीं। इस पर बोलना हो तो बोलो। श्री मनीष यादव।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इतनी जल्दी नहीं है, इसको अभी रोका जाये और पहले +++ पर चर्चा कराई जाये।

श्री अध्यक्षः श्री मनीष यादव।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, 45 अधिनियम निरसन के लिए हम लेकर आए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे अप्रचलित और अनावश्यक विधेयक हैं, जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी और भी अन्य ऐसे कई बिल है जो आज के समय में अप्रासंगिक है, उनकी वजह से लालफ़ीताशाही और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

VPS-RTM-24.03.2025-14.50-2h

तो उन पर भी चर्चा करवा कर प्रवर समिति को हम इसको भेजें ताकि एक साथ जो इस

प्रकार के बिल हैं, जो 45 के अलावा अन्य बिल हैं, जिनकी अप्रासंगिकता है अभी के समय में, जिनकी वजह से मैं यह मानता हूं कि लालफीताशाही बढ़ रही है, भ्रष्टाचार उन बिलों/अधिनियमों की वजह से बढ़ रहा है इसलिए प्रवर समिति के पास इसको भेजा जाये और अन्य जो निरसन के और अलग अधिनियम हैं जो बाकी रह गये, उनको भी जोड़कर इसमें लिया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, निरसन के लिए यह जो विधेयक आया है, राजस्थान में ऐसे अनेक विधेयक हैं जो काफी पुराने हैं और काफी अप्रचलित हैं और प्रभावहीन हो गये हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी यह विधेयक हैं उन विधेयकों के सम्बन्ध में कोई एक लीगल शेप से कमेटी बनाकर उस पर विचार करना चाहिए ताकि समग्र पूरे राजस्थान के हितों को देखते हुए जो अनुपयोगी हो गये हैं, उन विधेयकों पर एक साथ चर्चा हो।

इसको देखने से तो यह लगता है कि कुल 45 है पर 45 में से 5 तो है नगरपालिका और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सम्बन्धित और बाकी पूरे के पूरे पंचायती राज से सम्बन्धित है। जैसे एक ही विभाग के लिए आपने उस कमेटी को बनाया हो या आपने विचार किया हो तो मेहरबानी करके केवल पंचायती राज के बने हुए विधेयकों को और उनको संशोधन करने के लिए ही अगर आप यह लाये हो तो जो उद्देश्य हैं वह इससे पूरे नहीं होंगे। समग्र राजस्थान की स्थितियों को देखते हुए, सारे पुराने विधेयकों के लिए एक लॉ-कमीशन के रूप में या एक लॉ-अथोरिटी के रूप में जो कानून का ज्ञाता हो और जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हो, वह यह चर्चा करें, विवेक से सोचें कि कौन-कौन से विधेयक जो बने हुए हैं वे उपयोगी है या अनुपयोगी है या उनकी आवश्यकता ही नहीं है या उनके अलावा कोई संशोधन करके दूसरे बना दिये तो ज्यादा अच्छा काम होगा। आपने तो केवल पंचायती राज के यह जो हैं, 45 में से 6 विधेयकों को छोड़ दो, 5 विधेयकों को तो सारे के सारे पंचायती राज के हैं तो यह यूनिवर्सल तरीके से आपने नहीं सोचा। केवल पंचायती राज के विधेयकों को आपने अनुपयोगी माना, जो प्रयोग में नहीं है तो मेहरबानी करके राजस्थान सरकार इस प्रवृत्ति पर, इस सोच पर गम्भीरता से विचार करे और एक कमीशन बनाकर पूरे राजस्थान के विधेयकों पर जो कि पुराने हैं उन पर चर्चा करके यह लाते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन आप तो जो भी कानून ला रहे हो न वह ऐसे ही ला रहे हो कि इधर-उधर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। हो गया आपका ध्यान।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कभी सलेक्ट में भेजते हो। कभी दुबारा ले आते हो। कभी तिबारा ले आते हो। सोच-समझकर तो करो।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। हो गया, माननीय सदस्य, आपकी भावनाएं आ गयीं। आपकी भावनाएं आ गयीं। दो बार भी आ गयी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सोच-समझकर तो करो।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

कानून सरल, सहज बनायें,

जन-जन को समझ में आयें।

जटिल शब्दजाल हटाकर न्याय की राह सहज हो जाये,

संख्या कम हो नियमों की, जो पुराने व्यर्थ हुए, उन्हें हटाने की विधि बने।

नये मार्ग प्रशस्त हुए।

स्पष्ट हो हर प्रावधान, संक्षिप्त रहे हर एक विधान।

न्याय सुलभ हो सबके हित में, न फैले भ्रष्टाचार का जाल।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 को चर्चा पर भी लाये और इस विधेयक की जो इम्पोर्टेंस है, उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी हमारे माननीय विधायक महोदय हरिमोहनजी शर्मा साहब और उससे पहले रफीक भाई ने भी अपनी बात रखी लेकिन मैं यह कहूंगी कि यह जो 45 विधेयक, कानून हैं, जिनको निरस्त करने के लिए यह विधेयक लाये हैं, यह कानून अप्रभावी है, इनका अब कोई काम नहीं बचा और राज्य सरकार यह पहल इसलिए कर रही है ताकि जैसा कि आपने बताया कि अगर पंचायती राज है तो रोजमर्रा के काम पंचायती राज में पड़ते हैं और उन कानूनों को हटाने से कहीं न कहीं एक ईज ऑफ गवर्नेंस होगी, ईजी रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय तो मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: इसमें है ही नहीं। इस पर निरसन पर ही बोलना है कि निरसन क्यों किया जाये या नहीं किया जाये। वह हो गया।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल, उसी पर मैं बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष: बाकी क्या होना चाहिए, यह इसमें है ही नहीं। यह केवल निरसन की ही बात है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): निरसन पर ही बोल रही हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मैक्सिमम गवर्नेंस पर बिलिव रखती है और मिनिमम गवर्नमेंट में बिलिव रखती है तो उसके आधार को स्पष्ट करने के लिए यह एक अच्छी पहल है और मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगी कि यह विधेयक हम लोग लेकर आये हैं और यह जो 45 कानून हैं इनको हटाने से बहुत ईजीली हम लोग, काफी ईज होगी लोगों को कानून समझने के लिए।

दो छोटे से सुझाव मैं आपके माध्यम से जरूर सरकार को रखना चाहूंगी कि हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो शब्दावली है उसको और ईज करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: और कोई विधेयक हो तो बताओ जो जोड़े जाये बाकी अपन इसमें, बोलने के लिए बोलना है या पांच मिनट बोलना है, यह आवश्यक नहीं है। अच्छा विषय है तो दस मिनट भी बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ी होती हूं और आप मुझे बोलने का मौका नहीं देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बाद वाले भी सब पांच-पांच मिनट बोलेंगे और मैं बोलने के लिए खड़ी होती हूं और आप मुझे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, पांच मिनट का टाइम नहीं दिया। विषय वस्तु पर, विषय वस्तु पर कोई दस मिनट बोलेगा तो भी समय दूंगा। आप विराजिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं विषय वस्तु पर ही बोल रही हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विषय वस्तु है ही नहीं, निरसन है। निरसन क्यों किया जाये, नहीं किया जाये, सिर्फ निरसन पर ही तो बोलना है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर, मैं उसी विषय को तो रख रही हूं। मैं कहीं बाहर की चर्चा नहीं कर रही। न +++ की कर रही हूं, जैसे रफीक भाई +++ पर पहुंचे, मैं तो इसी बात पर चर्चा रख रही हूं।

+++ आपने मुझे बोलने का अवसर ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को इस बात पर रखूंगी कि जो शब्दावली है, उसको थोड़ी ईजी करें ताकि लोगों को जब हम कोई भी विधेयक प्रजेंट करते हैं, कोई भी लॉ होता है, उसके इस तरीके के ग्रे-एरियाज नहीं छोड़े जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। विषय वस्तु पर चलेंगे तो ...(व्यवधान)... कोचिंग वाला बिल बहुत बड़ा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद देती हूं कि सरकार राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 लेकर आयी है पर मैं दो-तीन सुझाव और देना चाहूंगी और एक जिज्ञासा है, उसके बारे में भी पूछना चाहूंगी। आपने यहां पर यह जो 45 विधेयक हैं, उनकी सूची का उल्लेख किया है लेकिन 37 नम्बर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी देखेंगे, आपके पास भी बिल पडा है, 2006 का जो 10वां विधेयक है- राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) अधिनियम, 2006 तो मैं यह कंफ्यूज हूं कि यह तो ऑलरेडी निरसन विधेयकहै तो फिर इसको निरसन के लिए दुबारा क्यों लाया जा रहा है? एक तो मेरा सुझाव यह है तो इसको आप जब बतायें तो इसको आप स्पष्ट कर दें।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्रीजी ने भारतीय दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता लाते हुए पूरा आमूल-चूल परिवर्तन किया है और वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार बनाया है तो ऐसे बहुत सारे विधेयक हैं जो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहिए। जैसा सुझाव सदन में आया है कि निश्चित रूप से हमें भी एक समिति बनाकर और चूंकि, सदन का महत्वपूर्ण काम ही कानून बनाना है तो उस काम से हम कहीं भटक गये हैं और दूसरे काम हमारी प्राथमिकता

पर आ गये हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आपने यह शुरूआत की है उसके लिए तो धन्यवाद लॉ-मिनिस्टर को और सरकार को पर अब यह शुरूआत रुकनी नहीं चाहिए और हमेशा ही ऐसे कोई, जो हमारे पूर्व के ऐसे विधेयक हैं जो वर्तमान में प्रचलित हैं लेकिन कोई काम के नहीं हैं तो उन विधेयकों को भी हमको निरसन के लिए करना चाहिए और यह जो मैंने बात उठायी है 2006 की, उसका आप समाधान करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसे नियम ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: परिवर्तन नहीं, निरसन कर रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां। निरसन करने का जो बिल आया है, उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कानून ऐसे हो गये हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है और दूसरे कानूनों में भी जुड़ गये हैं तो ऐसे कानूनों को निरसन करने की मैं मांग करता हूं और ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चलिये। हो गया?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां, तो वह ही तो कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसलिए इस कानून का निरसन किया जाये और मैंने जो संशोधन दिया है, उसको मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल शर्मा। इस निरसन पर ही बोलिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): धन्यवाद। मैंने धन्यवाद दे दिया। समय का अभाव है, नमस्कार। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चलिये। श्री फूल सिंह मीणा (अनुपस्थित)

श्री समरजीत सिंह (अनुपस्थित)

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), आप बोलिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

विधेयक निरसन का लाये हैं, यह ठीक है कि बहुत से कानून जो ईर्रेलेवेंट हो गये और आज प्रासंगिकता नहीं है, उनको हटाया जा रहा है पर जिस समय यह लाये हैं, उस पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है। 45 विधेयक वापस निरसन किये जा रहे हैं उनमें से 8 को छोड़कर 37 सिर्फ पंचायती राज के हैं और अपन सब जानते हैं कि पंचायती राज की चुनाव प्रक्रिया सरकार ने रोक रखी है। सरपंचों के चुनाव कराये नहीं जा रहे हैं। जिला प्रमुख के चुनाव हो नहीं रहे हैं।

Ssy/Rtm/24.03.25/15.00/2j

मुख्य मंत्री जी के भरतपुर में नहीं हो रहा, गंगा नगर में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हो

रहा है।

श्री अध्यक्ष: निरसन, चुनाव की बात नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): उस स्थिति में 37 वह विधेयक निरसन ले रहे हैं, जो सिर्फ पंचायत राज से जुड़े हुए हैं और उसमें भी आप 2021,19, 18, 16, 15 में जो किये हैं, 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें अधिकार दिए गए थे पंचायतों की मजबूती के, उस समय भी निरसन की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पंचायत राज के आए थे जिसमें चाहे दो बच्चों की बात हो, चाहे पंचायत राज में दसवीं पढ़ने की बात हो कभी उसको लागू किया, कभी उसको हटाया।

श्री अध्यक्ष: वह इस निरसन में ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): वैसे तो सरकार की मंशा सच है, इन सब पंचायतों का एक साथ लाने की, सबसे बढ़िया होता है ये जो 37 पंचायत राज के विधेयक हैं उनकी हेड्लाइन सब विधायको को देते, साथ में, ताकि वे देखते कि जो निरसन किए जा रहे हैं, उनमें कौन-कौन से वे कानून हैं जो हटने चाहिए, निरसन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कहीं इस आपाधापी में कुछ ऐसे अपन ने निरसन कर दिया जो आज जरूरत थी तो उनका आने वाले समय में क्या होगा, बहुत सोचने वाली बात है।

हालांकि मंत्री जी ने कहा कि अब नवम्बर में पंचायत राज वाले चुनाव करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: पंचायत राज पर बहस नहीं है, कानून के निरसन पर है, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): तब तक विधान सभा हो या नहीं हो, यह जो निरसन किये जा रहे हैं इनको प्रवर समिति को भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष: आप विषयांतर हो रहे हो। कुमारी रीटा चौधरी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, आप बोल ही नहीं रहे विषय पर। विषय पर नहीं बोल रहे हो, पंचायत चुनाव है ही नहीं इसका, बैठो ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर चर्चा हो रही है, बिल तो है एक ही, दो कांग्रेस के माननीय सदस्यों के अलग-अलग विचार इसी बिल पर हैं। बूंदी से आने वाले हरिमोहन शर्मा जी ने कहा कि 45 में से 40 बिल तो पंचायत राज के हैं।

श्री अध्यक्ष: कर सकते हैं, हो गया।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): और मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि इसमें से 37 ही हैं, तो बिल एक ही है, मेरा यह कहना है कि एक बार आप उसको पढ़ लो, एक बार आप उसको पढ़ लो तो पता लग जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय कुमारी रीटा चौधरी, बैठिये, यह भी किताब मेरे पास है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 लाने का कारण सरकार यह बता रही है कि विधियां अप्रचलित और अप्रासंगिक हो गई है।

सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तीन ही बातें रखूंगी, इसमें जो 45 विधियां समाप्त कर रहे हैं, सरकार यह कारण बता रही है कि वे अप्रचलित हैं और अनावश्यक हैं, मेरा यह मानना है कि इन्होंने उद्देश्य में एकमात्र जो कारण बताया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धीरे बोलें। मुझे सुनने भी दें।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कारण बताया है उसमें इन्होंने लिखा है कि इनका परीक्षण केवल अपने मूल विभाग स्तर से ही करवाया है तो विधि विभाग को एक बार भेज दें, रिव्यु के लिए, क्योंकि 45 अधिनियम जो निरस्त करने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में क्योंकि विभाग अपने स्तर पर अगर करता है तो वह बायस्ड रहता है, अगर विधि परीक्षण हो जाता है, इनकी एक रिव्यु कमेटी बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय इसमें 45 कानूनों की जो सारणी बनी हुई है और यह भी बताया गया है कि कानून, दूसरे कानून में समाहित कर लिए गए हैं, तो अच्छा होता जैसे माननीय हमारे सुजानगढ़ से आने वाले सदस्य ने बताया है कि जो 45 आपने लिस्ट दी है, इसके आगे लिखा होता कि यह कानून उन कानूनों में समाहित होते हैं, उनके एक्विलेन्ट है तो हम लोगों के लिए भी आसान होता और आमजन को भी विधि की ज्यादा जानकारी होती। यह एक इसमें हम लोगों को कमी नजर आई।

श्री अध्यक्ष: पास में बैठकर बात करें, कैलाश जी, पास ही चले जाओ। आराम से बैठो, उनको यहां बुला लो।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): तीसरी जो थी, हमारी माननीय विधायक अनिता जी उन्होंने बताया है, यह बात सही है कि निरस्त किए जाने वाले 45 विधियों की सूची में 37 नंबर पर 2006 में अधिनियमित किए गए 10 नवम्बर के अधिनियम का नाम जब आप लिख रहे हैं कि राजस्थान सूचना का अधिकार और ब्रैकिट में निरसन अधिनियम 2006 दिख रहा है, तो यदि यह पहले से निरसित है, तो इस सूची में क्यों आया और निरसन नहीं था तो इस पर निरसन क्यों लिखा गया, जब आप जवाब दे तो इसका भी आप दें इसके बारे में भी जानकारी।

श्री अध्यक्ष: ठीक।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी इसमें जल्दबाजी नहीं करें ये 45 विधेयक हैं, जिनको आप निरसन में लेकर आए हैं तो उस को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विधियां निरसन विधेयक पर

बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इन विधेयकों को लेकर आये हैं और राजस्थान की जनता आपसे बिजली और पानी की मांग कर रही है।

श्री अध्यक्षः बिजली पर नहीं है, नियमों से ही बोलें माननीय सदस्य, बिजली पर बहस नहीं है, नो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बिजली पर और पानी पर एक-एक दिन की चर्चा करायें।

श्री अध्यक्षः नो, बिजली की बहस नहीं है, आप इस पर बोलिये, निरसन किया जाये, नहीं किया जाये। वह केवल विषय है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बिजली पर, पानी पर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नो, प्रभारी मंत्री, बैठिये।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इशारे से अंकित नहीं होने के निर्देश प्रदान किये गये)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री अध्यक्षः कानून की बात ही नहीं है। माननीय प्रभारी मंत्री, उत्तर दें। आप विषय पर बोलना ही नहीं चाह रहे हो। जब बिजली का आये तब बिजली पर बोलना, मना नहीं है, बैठिये, माननीय मंत्री।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और उन माननीय सभी सदस्यों का जिन्होंने अभी दो-तीन सकारात्मक सुझाव दिए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक कि सीरियल नम्बर 37 पर जो निरसन विधेयक है, उसको वापस क्यों लाए और दूसरा कि और भी बहुत विधेयक हैं, उन सबको साथ क्यों नहीं लाए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करूँ, उससे पहले हमारी सरकार की मंशा है, हमारी सरकार यह चाहती है और हमारी सरकार का यह प्रयास है कि राज्य में लीगल सिस्टम से जनमानस को किस प्रकार का फायदा हो सकता है, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आम जन को न्याय किस तरीके से, सुगम तरीके से प्राप्त हो सकता है यह हमारी दूसरी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय-समय पर ऐसे कानूनों को रिव्यु किया जाता है। ये पहले भी हुए हैं। अप्रचलित कानून जो हो चुके हैं, अनावश्यक हो चुके हैं, उन कानूनों को, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं रही है, उनको हटाना ही न्यायसंगत माना गया है। रिपील कर दिया जाना कानून की अनिवार्यता है। समस्त प्रशासनिक राय ली जाती है, विधि विभाग और अन्य विभागों से राय ली जाती है, तदुपरान्त इसके सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा उद्देश्य में बताया गया है, कारणों में बताया गया है, जन सामान्य के प्रति विधिक प्रणाली को अधिक पहुँच योग्य बनाने, जिसका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया, दीप्ति जी ने शायद किया, सस्ती न्याय प्रणाली हो, जल्दी न्याय मिले, तुरंत न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, पारदर्शिता मिले, निष्पक्षता से मिले, आम आदमी हमारे प्रसिद्ध कानून से विदित रहे इसके

लिए कुछ कानूनों को जो समय की रफ्तार के कारण नेपथ्य में चले जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं, उन्हें हटाना निश्चित तौर पर आवश्यक हो जाता है और हटाया भी जाता है। अब कब-कब कितने हटाए, मैं आपसे अभी निवेदन करूँगा। आपकी सरकार के दौरान भी ऐसे ही 123 कानूनों को हटाया था। समय-समय पर कानूनों के अंदर संशोधन होता रहा है इसीलिए इन कानूनों के मकड़जाल से निकलकर ऐसा सरल कानून, ऐसे उपयोगी कानून जो रोज़ काम में आने वाले कानून हो जाते हैं, प्रचलित रहते हैं और बाकी कानून निरस्त करने योग्य हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि उन्होंने अपना यह कमिटमेंट दोहराया था, उन्होंने प्रिंसिपल मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का सिद्धांत दिया था और यह कहा था कि हमारी गवर्नमेंट की मिनिमम दखलंदाजी होनी चाहिए, इसमें मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के नाते वहाँ लॉ कमीशन बनाया है। केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन के माध्यम से अपने इसी कालखंड के अंदर करीब 1600 कानून को रिपील किया है।

राजस्थान विधानसभा में भी यह सदा प्रयास रहा है कि जो कानून अनुपयोगी हो गए हैं, आवश्यकता नहीं रही है, प्रचलन में नहीं हैं उन्हें हटाया जाए, इसी के तहत अनुपयोगी और अप्रचलित कानूनों को हटाने का ध्यान में रखते हुए मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले 1954 में 131 अधिनियमों को रिपील किया गया, सन 1962 में 221 अधिनियमों को रिपील किया गया।

spp/Rtm/24.03.25/15.10/2k

सन् 1997 में 303 अमेंडिंग एक्ट रिपील किये गए। 2015 में 248 कानून रिपील किए गए, जिनमें 187 अमेंडिंग एक्ट थे और अभी आपकी सरकार ने 123 कानून रिपील किए, जिनमें 100 अमेंडिंग एक्ट थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि 2015, 2023 और 2025 ये तीनों रिपीलिंग बिल की कार्रवाई विधिक अधिकारियों ने संपादित की है। यहाँ हमारे मुख्य मंत्री जी समय-समय पर इसके लिए मॉनिटरिंग करते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग SOM में दिनांक 06.08.2024 और 10.09.2024 में समस्त प्रशासनिक विभागों को उनके विभाग से सम्बन्धित अप्रचलित और अनुपयोगी निष्प्रभावी विधियों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई थी। समस्त प्रशासनिक विभागों द्वारा सूचना दिए जाने पर राजस्थान कार्यविधि नियमों के नियम 47 के अनुसरण में विधि विभाग द्वारा समस्त प्रशासनिक विभागों से समन्वय स्थापित कर उनके विभाग के अप्रचलित, अप्रासंगिक एवं अनुपयोगी हो चुके अधिनियमों की सूचना चाही गई थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा, इसमें से ज्यादातर

पंचायतराज से सम्बन्धित हैं। मैं आप सबकी जानकारी भी देना चाहता हूँ शायद हमने ध्यान नहीं दिया, ये सैंतीस ही पंचायत राज से सम्बन्धित जो कानून हैं, वह मूल कानून में समाहित हो गए हैं। जब कानून, ओर्डिनेंस रेवेन्यू एक्ट का 2 दिन पहले प्रोविजन आया था, वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अगर वह अलाउ हुआ था तो मूल रेवेन्यू एक्ट 1956 में समाहित होकर चला जाता और उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती। इसी तरह जो 37 पंचायत राज से सम्बन्धित या दूसरे जो 45 कानून हैं, वे मूल कानून में समाहित हो गए हैं, सिवाय 37 नंबर सीरियल के, उसका मैं आपको अलग नहीं दूंगा। इसीलिए इनकी आवश्यकता यूं नहीं रही कि जब ये मूल कानून में ही बन गए हैं तो ओर्डिनेंस की जरूरत नहीं रहती है।

पंचायत राज़ विभाग के 37 अधिनियमों को, स्वायत्त शासन विभाग के पांच अधिनियमों को, प्रशासनिक सुधार का एक अधिनियम, कृषि विभाग का एक अधिनियम तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक अधिनियम की सूचना सक्षम स्तर पर अनुमोदन करवाकर प्रदान की गई। जिस पर विधि विभाग द्वारा विभिन्न प्रशासनिक विभागों से प्राप्त सूचना को समेकित कर राजस्थान कार्यविधि के नियम 47 के अनुसरण में निरस्तीकरण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन 45 विधियों को निरस्त किए जाने सम्बन्धी राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 तैयार किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूँ कि ये जो 45 की लिस्ट हैं, इसमें जो 37 नंबर पर जो कानून है, जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा को समझने से पहले तीन कानूनों को समझना पड़ेगा। सेन्टर का एक्ट है। सेन्टर का एक्ट है सूचना का अधिकार। जब सेन्टर का एक्ट सूचना का अधिकार आया, तो वह ओवरलेपिंग करता हैं। ओवरलेपिंग का मतलब सेन्टर का कानून रहता है तो राज्य सरकार का जो कानून है, वह प्रभावी नहीं रहता है। इसीलिए इस राजस्थान के कानून को समाप्त करने के लिए यह एक्ट लाया गया था और जब राजस्थान का कानून समाप्त हो गया, सेन्टर का एक्ट प्रभावी हो गया और सूचना के अधिकार के तहत सेन्टर से कार्रवाई होती है तो ये 37वां लाया गया था, राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही थी। इसीलिए इसको रिपील किया गया है।

श्री अध्यक्षः मंत्री को अधिकार है, आप सब भी बोले थे, ये बोलेंगे। मंत्री का उत्तर तो आयेगा न।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सेन्टर का एक्ट प्रभावी है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है और इसको निरस्त करने का कारण यही है1 ये तो राजस्थान के एक्ट के लिये रिपील का एक्ट लाया था और वह रिपील हो गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल एक्ट प्रभावी है।

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लास्ट में मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह

निवेदन है, आपको ये जानकार आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि अभी माननीय शांति धारीवाल साहब पधार गए हैं, उनकी डिबेट की मैं पूरी कॉपी लेकर आया हूं।

श्री अध्यक्षः बैठे हैं। बैठे हैं और ये अभी दुबारा भी बोलेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनको बोलना ही चाहिए।

श्री अध्यक्षः अभी तो जवान हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये अभी उपाध्यक्ष की कुर्सी पर हैं। विचार ऊँचा है।

श्री अध्यक्षः नहीं, उस पर तो नहीं हैं। माननीय विपक्ष के नेता से राय-मशविरा कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, अनेक माननीय सदस्यों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों को अदृश्य करने की जो शक्तियां काम कर रही हैं, उसमें शांति धारीवाल भी एक सक्रिय शक्ति हैं।

मेरा निवेदन है, मैं यहाँ सदन को यह भी अवगत करा देना जरूरी समझता हूँ इस बिल के द्वारा रिपील होने जा रहे अमेंडिंग एक्ट के द्वारा मूल अधिनियम में जो संशोधन किया गया था, जिसका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, वह मूल अधिनियम में सम्मिलित हो गया है। ..(व्यवधान).. दो मिनट और ये सदैव रहेगा। और जब वह मूल अधिनियम सदैव रहेगा तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। इस कारण बिल की सूची में बताए गए 44 संशोधित अपना काम कर चुके हैं और इनको स्टेट्यूटरी बुक में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अतः उन्हें निरस्त किया जा रहा है। इस सूची में राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) अधिनियम 2000 है, जिसे स्टेट्यूटरी बुक से हटाने के उद्देश्य से रिपील किया जा रहा है। राजस्थान जनरल क्लॉजेज 1955 की धारा सात यह स्पष्ट कर देती है कि कोई अधिनियम, जिसके द्वारा किसी मूल अधिनियम में संशोधन किया जाता है, उसे यदि बाद में रिपील कर दिया जावे तो वह संशोधन निरंतर बना रहता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मैंने आपके सामने राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 का आया है, इसे स्वीकार फरमाया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक,2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खंड दो व तीन, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड दो व तीन स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खंड दो व तीन, स्वीकार किए गए।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है खंड एक-अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड एक-अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री जोगाराम पटेल, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय मंत्रीजी ने बोला वह बिलकुल ठीक है कि हमें रिपील कर देना चाहिये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि यह पंचायती राज के जितने बिल्स हैं, ये मूल रूप के अन्दर आ गये। लेकिन जब हमने 2021 में जो संशोधन पास किया, क्या वह भी आ गया? मेरा क्वेश्चन पूछने का कारण यही है कि यदि वह पहले ही एक्ट में आ गये थे तो फिर हमने संशोधन 2021 में क्यों किया? 2018 में क्यों किया? 2019 में क्यों किया? आप देखो कि यह जो तीन बिल्स हैं, यह रेगुलरली आये हैं तो इसका मतलब इसमें कोई मूल स्वरूप तो होगा न। सर एक चीज है आप रिपील करो, हम तो कहते हैं कि और भी डिपार्टमेंट्स से रिपील कराओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक चीज है, आप यह 45 लेकर आये, एक आप इसको सरकुलेट तो कर देते न जिससे हम लोग पढ़ लेते। उसमें क्या फर्क पड़ रहा था। आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन नैक्स्ट टाइम से आप जो भी रिपील कर रहे हो, लॉर्ज रिपील कर रहे हो, कम से कम हमें पढ़ने का मौका तो दो। यह तो आप मत करो। उसके अन्दर आप अब्स्ट्रेक्ट में आप यह लिख दो कि यह चीज ऑलरेडी आ गयी है। हम कोई उसकी बुराई के लिये नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को हम सुधार सकते हैं। वह सबके लिये अच्छा रहेगा। सब लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग लेकर आये 45 के 45 आपने भेज दिये, न हमें यह पता कि इनमें क्या हुआ?

राइट टू इंफोर्मेशन में आपको जवाब देना पडा, परंतु कम से कम आप बताओ तो सही। आप ऐसे बिल्स लेकर आओगे वाट इज द फन, आप चाहते हो कि जो आप बोलो, हम लोग उसके लिये सिर हिला दें, यह तो नहीं हो सकता है न लॉ मंत्रीजी, तो कम से कम आप यह तो करो कि जो पूरी डिटेल है, इनमें से कई विधायक हैं जो एक-एक लॉ को पढ़ते हैं, एक-एक बिल को पढ़ते हैं, उस पर मेहनत करके आते हैं तो वह एक फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिये। हो सकता है इनमें से कई ऐसे बिल हों, जो फूटफुल डिस्कस ही नहीं हो पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2021 में हम क्यों संशोधन लेकर आये, जब आप कह रहे हो कि मूल स्वरूप में ही वह इंक्लुडेड था।

jyg/Rtm/24.03.25/15.20/2l

तो 2021 में क्यों ये लॉ डिपार्टमेंट लेकर आया यह संशोधन, क्यों हमारा टाइम बर्बाद किया, असेम्बली का क्यों टाइम बर्बाद किया, वो भी तो आप देखो न कि कहां ये त्रुटि हुई? त्रुटि नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हमारा खराब किया समय 2021 में? समय तो खराब हुआ, और समय जितना खराब होता है, वो सब पैसा मांगता है, पैसा स्टेट गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, टाइम हमारा भले ही जाये पर पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है न मंत्री महोदय, तो मेरा आपसे सिर्फ इतना-सा कहना है कि अगली बार से आप जो भी चीजें लेकर आयें उनको बिलकुल, सब चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, जिससे हम पढ़ सकें और इसका फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं विद्वान साथी की विद्वता पर धन्यवाद देता हूं। न टाइम खराब हुआ, न पैसा खराब हुआ, न कोई अज्ञानता आयी। जो तीन बिल लास्ट के थे, 2019, 2020 और 2021 के बताये हैं, कृपया सुन लें हरिमोहन जी, फिर हंसें। ...(व्यवधान)... जो नहीं पढ़ेगा वो ऐसे ही हंसेगा। पहले मेरा जवाब सुन लें।

श्री अध्यक्ष: उनको सुनने दो। आप जागरुक हो, सुन रहे हो। इनके नाम की आवश्यकता नहीं है, सुन रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हां, ठीक है। ..(व्यवधान).. वो तीनों ही विधेयक मूल एक्ट का प्रस्ताव बन चुके हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप कह रहे हो कि हंस रहे थे, हरिमोहन जी तो किसी और बात पर हंस रहे थे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बढ़िया बात हैं न, हंसते रहें, यही काम है, दूसरा उनके पास कोई काम ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हंसते तो भले न, लेकिन मुस्कराते जरूर रहो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हां।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला निवेदन है कि ये तीन विधेयक, तीन संशोधन जो

हैं, विधेयक नहीं हैं, संशोधन हैं, ये तीनों ही मूल एक्ट का पार्ट हो चुके हैं। मूल एक्ट का पार्ट एक दिन में भी हो जाते हैं, मूल एक्ट का पार्ट एक महीने में भी हो जाते हैं, मूल एक्ट का पार्ट होने में साल भी लग जाता है। मूल एक्ट का पार्ट हो चुके हैं, अब इनकी उपयोगिता नहीं है। यह संशोधन लाये थे मूल एक्ट में, मूल एक्ट में वो इन्क्लूड हो गये, राज्यपाल की सहमति मिल गयी, मूल एक्ट का पार्ट बन गये, अब इसकी उपयोगिता नहीं है इसलिए श्रीमान्, प्रश्न उठाने से पहले थोड़ा-सा पढ़ लिया करें।

दूसरा, आपने कहा कि सर्कुलेट नहीं किया। ...(व्यवधान)... आप पूरा सुन लें। यह विधान सभा सचिवालय का काम है, विधान सभा सचिवालय ने पूर्ण रूप से, प्रभावी रूप से, समयानुसार कार्यवाही की है। यह निरसन विधेयक है, इसलिए इस पर कोई प्रश्न उठाने का सवाल ही नहीं था। मेरा सब्मिशन है, मुझे लगता है कि कोई न कोई बोलना है इसलिए जो बोले हैं उनको भी धन्यवाद। धन्यवाद। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 पारित किया गया।

श्री प्रेमचन्द बैरवा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्षः श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 लेकर आये इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से हमारे छात्र कोचिंग सेंटर के माध्यम से तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, आगे आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं, उनके अभिभावक चिंता करते हैं तो कहीं न कहीं वो पिछड़ जाते हैं और कहीं न कहीं परेशानी होती है। हम आज यह देखते हैं कि इस विधेयक को लाने का क्या उद्देश्य है, इस विधेयक को लाने के लिए कई बार भ्रामक हमारे विज्ञापन होते हैं उनके जाल में हमारे होनहार विद्यार्थी और मानसिक तौर पर परेशान होते हैं, कई बार अत्यधिक दबाव वाले वातावरण में जब उनको परिणाम नहीं मिल पाता है और अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं तो उनके तनाव का स्तर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में कई बार हमें देखने का मिला है और पिछले कई वर्षों में आत्महत्या के जो मामले बढ़े हैं ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसको हम कम से कम नियंत्रित करें और इन

कोचिंग सेंटर के माध्यम से इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अभिभावकों की जो चिंता होती है वो दूर नहीं हो पाती है और कई बार वे डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं। ऐसी चिंता करने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्टीकरण का आपने जो प्रावधान किया है वो हर तीन वर्ष में दुबारा रजिस्ट्रेशन का किया है। नवीनीकरण में भी जो सारी चीजें, शर्तें होती हैं वो सेम ही होती हैं, चाहे वो रजिस्ट्रीकरण हो चाहे नवीनीकरण, यदि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अपने आप स्वतः इसको मान लिया जाये और नवीनीकरण इनका किया जाये, इससे संचालकों को भी सुविधा होगी और जो संचालक जो कर रहे हैं उनको कई चीजों की चिंता हो रही है तो हमारी सरकार के माध्यम से संचालक भी परेशान नहीं हो, अभिभावक परेशान नहीं हो और जो हमारा उद्देश्य इस विधेयक को लाने का है, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो, विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर हो और उनका भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर मिले और राजस्थान में कोचिंग संचालकों की चिंता को भी हम दूर करें। कई संस्थान इस बारे में विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो बंद होने के कगार पर पहुंच जायेंगे तो यह भी नहीं हो और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था भी नहीं हो, इसको हम सोचकर लायें। विधेयक में अभिभावकों की काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट के मुद्दों पर थोड़ा विचार कम हुआ है तो इन पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 वर्ष से कम उम्र के जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइड लाइन आयी है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाये, 16 वर्ष से कम उम्र का ये जो प्रावधान है, यह भी लिया जाना चाहिए। जिला कमेटी में आपने जिला कलेक्टरों को जो अध्यक्ष बनाया है, ऑलरेडी ही वो 50 से अधिक कमेटियों में, रोज ही कोई कमेटी में वो चलते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं तो इसमें कोई प्रावधान किया जाये कि गैर सरकारी सदस्य हो या चाहे अन्य अधिकारी को इसमें परमानेंट नियुक्ति की जाये तो आने वाले समय में यह भी चिंता दूर होगी और संचालक जो अपने होते हैं इनमें और भी कई काम-धंधे वाले, उद्योग वाले, चाहे होस्टल संचालक हो, सब जुडे हुए हैं तो यह सब एकदम से बंद नहीं हों, इनका जो संशोधन अपन लेकर आये हैं, आपने जो मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः श्री डूंगरराम गेदर (अनुपस्थित)।

श्री मनोज कुमार सादुलपुर।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मेरी बात राजस्थान के गौरव से शुरू करता

हूं।

राजस्थान का गौरव है, है हमारा अभिमान,
सांगा के अपमान को नहीं सहेगा हिन्दुस्तान।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो इस कानून पर दो-चार बातें करूं, एक तो धारा 8 जो रजिस्ट्रेशन की बात है, इस रजिस्ट्रेशन में जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, मैं चाहता हूं कि आपके गठन होने के बाद जिला स्तरीय कमेटी और राज्य स्तरीय कमेटी गठित होने के बाद कोचिंग संस्थाएं अपना रजिस्ट्रेशन कराने जायें तो कहीं हमारे उस स्तर की बात नहीं हो जाये कि हमारे आवेदन करने के बाद वो कोचिंग संस्थाएं महीनों तक, वर्षों तक उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हर दिन बाधाएं नहीं पैदा करें, जितना जल्दी हो सके उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह धारा 11 में आपने क्लॉज 4 में हमारे कोचिंग संस्थाओं के जो ट्यूटर्स हैं, उनके लिए छुट्टी का प्रावधान 7 दिन में 1 दिन जरूर किया है लेकिन 1 ट्यूटर 1 दिन में कितनी क्लासेज लेता है, और उस पर कितना बड़ा बर्डन है उसके बारे में चिंता उसकी इस बारे में इसमें निर्धारित करें। 1 दिन में 1 ट्यूटर कितनी क्लासेज लेगा, इससे ज्यादा उसकी क्लासेज नहीं होगी। तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि क्लास रूम की बात जहां है आपने इसमें वर्गाकार, वर्ग मीटर तो दे दिया कि 1 छात्र के लिए 1 वर्ग मीटर जगह होगी, लेकिन क्या 1 व्यक्ति हजारों वर्ग मीटर में करके, 1 ही क्लास में हजारों स्टूडेंटों को बैठाये तो ऐसा करेगा, यह नहीं है, निश्चित करें कि 100 या 150 से ज्यादा स्टूडेंट उसके क्लास रूम में नहीं हों, वर्ग मीटर के बाद में। चौथा, मैं कहना चाहूंगा कि धारा 7 क्लॉज 2 में आपने लिखा है कि कोचिंग संस्थाओं को इस कानून के लागू होने के बाद मात्र 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। मैं कह रहा हूं कि कोचिंगें लम्बे अरसे से चल रही हैं, हमारी इसमें धारा 8 में शर्तें और निर्बंधन जो दिये गये हैं, उनकी संस्थाओं को पालना करने में समय लगेगा, इसलिए उन संस्थाओं को कम से कम 1 वर्ष का समय जरूर दिया जाये, उनको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने का समय बढ़ाकर 1 वर्ष किया जाये। मैं इस बिल राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर चर्चा करते हुए अपनी बात रखता हूं कि यह विधेयक तो महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार जो कानून लेकर आयी है वास्तव में धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि राजस्थान का आम अभिभावक, आम स्टूडेंट इन कोचिंग संस्थानों से बहुत बड़ी परेशानी झेल रहा है। सरकार यह विधेयक लेकर आयी है, मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

MLS/RTM/24.03.2025/15:30/2m

लेकिन इस बिल को धरातल पर प्रभावी ढंग से हम लोग कैसे लागू करा पाएंगे, कोचिंग संस्थाओं में जिस प्रकार से वार्षिक रूप से एक ही बार में फीस ले ली जाती है, आपने प्रावधान तो किया है कि उनकी सम्पूर्ण फीस लौटायी जायेगी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे लाम्बा जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि जिला स्तर पर आप कलक्टर

की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाना चाहते हैं...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): वहां एजुकेशन के हमारे कोई न कोई अधिकारी निश्चित रूप से एक रैगुलैरिटी उस बात को सुनें और जो समस्याएं आएं, उनका समाधान करने का प्रयास करें।

श्री सभापतिः श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): धन्यवाद।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आज एक ऐतिहासिक बिल राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 सदन में पेश हुआ है। यह जो विधेयक आया है, वास्तव में पिछले 10-15 वर्षों से जिस प्रकार से कोचिंग सैंटरों पर आपने कई तरह की घटनाएं होते देखा है, उनको नियमों में लाना बहुत आवश्यक था। सरकार अपने पेपर की चाबियां देती थीं ऐसे कोचिंग सैंटरों को और उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं हुआ करता था, लेकिन यह एक संवेदनशील सरकार है। हमारे मुख्य मंत्री संवेदनशील हैं। लाखों छात्रों की समस्या थी, समस्या भी बहुत गम्भीर हुआ करती थी कि जब ये कोचिंग सैंटर्स, जो बच्चों के मेंटल डवलपमेंट के लिए साइकोलॉजी कैसे मजबूत बने, मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे मजबूत हों, उसके लिए वे कोचिंग सैंटर्स में जाते थे। कालान्तर में अभी जो हम देखते हैं, कोचिंग सैंटर्स ने एक व्यावसायिक रूप ले लिया है। उसी को लेकर यह बिल आया है। मैं वास्तव में इस बिल का स्वागत, अभिनन्दन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल का जो उद्देश्य है, राजस्थान राज्य के कोचिंग सैंटरों को रजिस्टर, नियंत्रित, विनियमित करने और ऐसे सैंटरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं को अवधारित करने और विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए केरिअर मार्गदर्शन करने और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने, कोचिंग सैंटरों में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनमें तनाव कम करने के लिए समुचित अध्युपाय करने तथा विद्यार्थियों का समग्र विकास करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कैसे हो, इसको लेकर कोचिंग सैंटर बनते हैं, लेकिन इसमें जिस प्रकार से कमियां आईं, उसी को लेकर यह बिल आया।

इसमें धारा 8 में जो प्रावधान रखें हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो हमेशा बच्चों की समस्या होती थी, ट्यूटर जो पढ़ाते हैं, कहीं न कहीं उनकी क्वॉलिफिकेशन में कमी होती थी। धारा 8 में उसमें आपने जोर दिया कि ट्यूटर की क्वॉलिफिकेशन कम से कम स्नातक हो। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए, जो अच्छे अंक से एडमिशन लेते हैं, उनके लिए एडमिशन के समय कहते हैं कि 100 परसेंट इनका सलेक्शन होगा, ऐसे भ्रामक प्रचार नहीं करें, इसका भी प्रावधान रखा है। अभी जैसा कहा गया, छात्रों के बैठने की जो बहुत गम्भीर समस्या थी, धारा 8 के उप-खण्ड 3 में उप-धारा 3 में जोड़ा है कि 1 बाय 1 मीटर की जगह निश्चित हो। एक क्लासरूम का जो साइज है, उसके अनुसार 1 बाय

1 मीटर का रखा है, यह बहुत अच्छी धारा रखी है।

ट्यूटर, जिस पर अपराध सिद्ध हो गया है, उसको नहीं लगाएं, ऐसा जो प्रावधान करा है, वह वास्तव में स्वागत योग्य है। बड़ी बात जो धारा 3 में लिखी है, वह यह है कि कोचिंग सैंटर की वैबसाइट बनानी होगी, जिसमें ट्यूटर की क्वॉलिफिकेशन, कोर्सेज क्या-क्या हैं, करिकुलम क्या है और पूरा होने की अवधि जो बतायी है और छात्रावास अगर है तो वह किस प्रकार का है। साथ ही, फीस के बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है कि किस प्रकार की फीस है हॉस्टल की। उसमें प्रवेश लेने के बाद पुन: उस कोचिंग सैंटर को अगर छोड़ने की आवश्यकता पड़े ''कि नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा'' तो नियमानुसार उसको फीस वापस देने का जो प्रावधान रखा है, वह बहुत ही स्वागत योग्य है। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो छात्रों की संख्या का भी प्रावधान करा है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से प्रभारी मंत्री जी यह बिल लाये हैं, धारा 8 का मैं स्वागत करता हूं। धारा 10 में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, जो रचना होनी चाहिये, किस प्रकार का भवन होना चाहिये, लेकिन इसमें जिस प्रकार से...।

श्री सभापति: विराजें।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, अभी तो बिल शुरू करा है। यह तो बहुत उपयोगी बिल है। सबके लिए आवश्यक बिल है।

श्री सभापति: विराजें। बोलने वाले वक्ता बहुत हैं। अपनी बात कह दें।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, विधायक इसीलिए तो आया है, थोड़ी बहुत तो बात करने दें।

श्री सभापति: श्री पूसाराम गोदारा।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): प्रभारी मंत्री जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। पूसाराम जी, एक मिनट। इस बिल में सभी बातों का प्रावधान रखा है...।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर बोलने...।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): पूसाराम जी, एक मिनट। पार्किंग की व्यवस्था...।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सदस्य, आपका समय हो गया, बैठ जाओ आप। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजें।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): इनको बैठाओ तो सही। ऐसे थोड़ी होता है। पैरेलल थोड़ी बोला जाता है। अलग से थोड़ी बोला जाता है।

श्री सभापति: आप बोलिये। आप तो बोलिये साहब। आप बोलिये, उनका स्पीकर बन्द है।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान में कोचिंग सैंटर्स जो चल रहे हैं, हमारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके लिए भी एक समिति बनायी। हालांकि उस

टाइम में एक्ट नहीं बन पाया, आप यह एक्ट लेकर आये हैं, वास्तव में इसकी जरूरत है, इसमें कोई सन्देह नहीं। सबसे पहले आज कोचिंग सैंटरों का इतना दुरुपयोग हो रहा है, हालांकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसमें की गयी है, रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिये कि आवेदन करने के बाद 30 दिन या 60 दिन के अन्दर उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिये अगर उसने औपचारिकता पूरी कर ली है तो। यह नहीं कि उसे 1-1 साल, 6-6 महीने तक जिला समिति घुमाती रहे।

नम्बर दो, आवास और कोचिंग सैंटर्स जो एक साथ चल रहे हैं, उनकी निर्धारित समय-सीमा जो तय की गयी है, यह नहीं कि 100 आदमी बैठें, चाहे एक वर्गमीटर की व्यवस्था की है, लेकिन वहां यह नहीं होना चाहिये, उसमें 50 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिये। ट्यूटर की जो व्यवस्था की है कि वह प्रशिक्षित हो, यानी उसको ग्रैजुएट तक आपने माना है, जबकि वह प्रशिक्षित होना चाहिये। प्रशिक्षित नहीं होगा तो जो लोग कोचिंग सैंटरों में अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करके जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग गारंटियां देते हैं, लाखों रुपये उनके खर्च होते हैं, पढ़ाने वाला मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति होता है, उसको लाभ नहीं मिलता और बड़े-बड़े होर्डिंगों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करें, इस पर रोक लगाने की जो व्यवस्था की है, उसको और सख्त किया जाये।

इसके अलावा जो पी.जी. यानी प्राइवेट हॉस्टल बहुत चलते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाये कि वहां पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, महिलाएं जो रहती हैं, आपने 10 से ऊपर आवास को हॉस्टल के ऊपर माना है, तो चाहे प्राइवेट भी हो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है प्राइवेट हो, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड की वहां व्यवस्था होनी चाहिये। उनके आवास की और भोजन की उच्च क्वॉलिटी की व्यवस्था होनी चाहिये, नहीं तो तैयारी नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से नहीं कि हम उसको कलेक्टर बना देंगे, डीएसपी बना देंगे, आरएएस में उसका चयन करा देंगे, जेईई, आईआईटी और नीट में सलेक्शन करा देंगे, इस प्रकार की गारंटियों के बाद लड़के सकते में आते हैं, इसलिए महीने में एक बार उनका मेडिकल चैक-अप होना चाहिये और किसी भी प्रकार अगर सकते में आएं तो उससे पहले उनकी जांच होनी चाहिये।

आज जिस प्रकार से कई बार बच्चे सकते में आ जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं, इसकी भी रोक लगनी चाहिये, इसमें व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा फीस निश्चित होनी चाहिये। 4 बार में आपने फीस इसमें तय करने की बात कही है कि 4 बार में दे सकता है। पार्टली अगर वह बीच में चला जाता है तो उसको लौटा दिया जाता है, लेकिन यह तो नहीं किया कि किस प्रकार की कोचिंग में कितने रुपये तक उसकी सीमा होगी। ऐसे तो 5 लाख, 10 लाख रुपये तय कर देंगे और 4 बार में देने के लिए कह देंगे। ऐसी व्यवस्था होने से लोगों का शोषण होगा और इससे हमारे युवाओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा और वे फंसकर रह जाएंगे।

गरीब किसान ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि बेरोजगारी का समय है और सब

अपने लड़कों को कोचिंग कराकर राजकीय सेवाओं में भेजना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ ठगी नहीं होनी चाहिये। यदि 10 या 20 दिन में उसका मोह भंग हो गया और चला गया तो उसकी फीस वापस लौटाने की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिये। आपने यहां यह व्यवस्था की है, स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटी बनायी गयी है, प्राधिकरण, उसमें मैं समझता हूं कि हर सम्भाग का एक विधायक शामिल हो और जहां मुख्यालय है, वहां का एमपी उसमें शामिल हो और वहां का मेयर शामिल हो, ताकि जन प्रतिनिधियों की भावना आ सके।

mkd/rtm/24.03.2025/15:40/2n

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हर विधायक उसका सदस्य होना चाहिए। मुख्यालय का मेयर भी उसमें सदस्य होना चाहिए, ताकि उन कोचिंग वालों पर नजर रहे। हालांकि, कोचिंग सेन्टर के लोगों ने हमें ज्ञापन दिया है कि यह एक्ट डेथ वारंट के समान है। ऐसी बात नहीं है, उनका भी ख्याल रखा जाए। ऐसी कोई बात नहीं, उनका ख्याल रखना भी जरूरी है, ताकि वे सुविधा पूरी तरह से चलाए, लेकिन उनके आवास, उनके पढ़ने-पढ़ाने की व्यवस्था और बिल्डिंग, ऐसे आवासीय क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, जहां कंजस्टेड आवास हैं और उन्होंने वहां छोटे-छोटे कैम्पस बना दिये, यह नहीं होना चाहिए। उनकी डिजाइन तय होनी चाहिए और आवास की भी डिजाइन तय होनी चाहिए। उनको हॉस्टलों में जो भोजन दिया जाता है, उसकी क्वालिटी भी तय मापदंडों में होनी चाहिए, हालांकि यह नियमों में आ जाएगा। मूल विधेयक में इस प्रकार की कई चीजों को शामिल करना जरूरी है।

उनका साप्ताहिक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। हर सात दिन बाद कोचिंग सेंटरों में टेस्ट लेते हैं, उनकी क्वालीफिकेशन देखी जाती है, कितनी प्रगति की है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूं कि समय-समय पर छात्रों की काउंसलिंग की जानी चाहिए। सत्र के समय मेडिकल जांच की बात आ गई है। इसके अलावा पीजी वाली बात भी आ गई।

मैं यह कहना चाहूंगा कि कोचिंग में एक शिकायत पेटिका होनी चाहिए। उसको खोलने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए। उसके बाद उसका निस्तारण होना चाहिए। जिसके भी खिलाफ शिकायत जाती है तो जिला समिति उस पर गम्भीरता से विचार करके कमीशन जारी करने की जो व्यवस्था की गई है, उसमें टीम के रूप में उनके रिकॉर्ड का संधारण भी किया जाना चाहिए। ताकि, किसी प्रकार की गफलत या किसी लड़के के साथ या कोचिंग में जो पढ़ने वाले हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो, पूरी पारदर्शिता बरती जाए। लालच देने वाले, जो विज्ञापन हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि उनके लिए कोई डैथ वारंट तैयार हुआ है। उनकी सुविधा का भी ध्यान रखो। रजिस्ट्रेशन में उनका हरेसमेंट नहीं होना चाहिए। जो गाइडलाइन तय की है, उसके अनुसार हर चीज की समय-सीमा तय होनी चाहिए, तीन महीने का समय दिया गया है, कोई बात नहीं, तीन महीने में कराओ, लेकिन उसका

रजिस्ट्रेशन, यह नहीं कि वह लम्बे समय तक घूमता रहे, यह आज नहीं, 10 दिन बाद दूसरी क्वेरी होगी, तीसरी होगी, जब इसमें जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर जिला समिति में भी इस प्रकार के काम करने में समस्या नहीं आएगी। उनकी मॉनिटरिंग टीम रहनी चाहिए, जो हर छह महीने में या तीन महीने में एक बार हर कोचिंग सेंटर का इंस्पेक्शन करेगी। डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है, यह भी देखना चाहिए। ताकि, हमेशा जो स्थिति सामने आती है, आज आत्महत्या कर ली, उसका मोहभंग हो गया, उसके माता-पिता से बात नहीं करता है और वह पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि उसका मोह भंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि लालच में आकर उस संस्था में जाता है और उस प्रकार के कैडर के वहां ट्यूटर अपोइंट नहीं होते हैं।

इसलिए मेरा यह कहना है कि निश्चित तौर पर कोचिंग सेंटर के लिए आप जो एक्ट लाए हो, उसकी विस्तृत जानकारी के लिए, विस्तृत अध्ययन के लिए, संशोधन के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। दोनों प्राधिकरण सेंटर का और जिले की समितियों का उसमें विशेष तौर पर जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए इसे किया जाना चाहिए। मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं बोलना शुरू करूं, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस विधेयक में 29 धाराएं हैं और पहली बार कोचिंग संस्थाओं को लेकर यह विधेयक सदन में आया है तो यह कोई छोटा-मोटा विधेयक नहीं है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला विधेयक है। राजस्थान की प्रतिभाएं कुंठित ना हों इस विधेयक से, इसकी चिन्ता करते हुए हमें इस पर बोलने दिया जाए, मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: आप बोलो तो सही।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025। माननीय सभापति महोदय, जब मैंने इसको पढ़ा, जब परिभाषाएं पढ़ीं और परिभाषाओं का जो क्लोज़ है-घ, उसको आप देखिये, किसी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता के लिए 50 से अधिक विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए स्थापित संचालित और प्रशासित कोई सेंटर इसमें सम्मिलित है। अब आप इसका अर्थ सीधे-सीधे समझ लीजिए कि यदि कोई 50 विद्यार्थियों को लेकर के पढ़ा रहा है तो वह भी कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर है तो उस पर भी इस बिल के सारे प्रावधान लागू होंगे, तो इसका मतलब यह है कि जो बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान हैं, वे तो आराम से तरक्की कर लेंगे, लेकिन जो छोटे-मोटे कोचिंग संस्थान बनाकर के अपनी रोज़ी-रोटी कर रहे हैं और बच्चों को सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि जयपुर, कोटा और सीकर में बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन जो गांव में कोचिंग सेंटर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, 50 बच्चों के साथ में तो क्या आप उनको भी ऐसी बाध्यता से आबाद करेंगे

क्या?

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के प्रोविजन, जो एक्ट में बिना सोचे-समझे किए गए, उनको एक बार देखने की आवश्यकता है, उनको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है।

मानवीय सभापति महोदय, लगभग 10 लाख लोगों को कोचिंग सेंटर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इस प्रदेश के लगभग 50 लाख बच्चे कोचिंग सेंटरों के माध्यम से अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रतिवर्ष एक से दो लाख सरकारी नौकरियां निकलती हैं, चाहे राजस्थान में निकलें, चाहे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में निकलें, चाहे केंद्र सरकार में निकलें तो इन डेढ़ से दो लाख प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 लाख स्टूडेंट हर साल तैयारी करते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे 50 लाख स्टूडेंट्स, हर साल तैयारी करते हैं, डेढ़ से दो लाख परीक्षाओं के लिए।

मैं माननीय सभापति महोदय, आरपीएससी, नीट, जेईई, सीए, सीएस, क्लैट और नर्सिंग आदि की परीक्षा के लिए जब बच्चे जाते हैं तो मैं बहुत हर्ष के साथ बताती हूं कि ये कोचिंग सेंटर राजस्थान में हैं, इसलिए यूपीएससी में राजस्थान दूसरे नम्बर पर, राजस्थान के बच्चों ने परफॉर्म किया है, यूपीएससी में दूसरे नंबर पर। इसी तरह से नीट, जेईई में टॉप किया है। सीए और सीएस में भी टॉप रहे हैं। आरपीएससी में भी टॉप रहे हैं और एसएससी में भी दूसरे नम्बर पर राजस्थान के बच्चों ने परफॉर्म किया है।

इस बिल के प्रावधान को एक बार सावधानीपूर्वक देख लिया जाये कि कहीं कोचिंग सेंटर्स पर ये दुष्प्रभाव तो नही डाल रहे हैं। यदि दुष्प्रभाव डाल रहे होंगे तो, जो बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वे हमारे राजस्थान से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ये कोचिंग सेंटर्स लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहे है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और ये कोचिंग सेंटर्स जो जीएसटी भर रहे हैं, रेवेन्यू का भी घाटा राजस्थान के लोगों को होगा।

इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल जिन्होंने भी बनाया है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन अच्छे किये हैं, ऐसा नहीं है कि यह पूरा का पूरा बिल खराब है, लेकिन इस बिल को बनाते समय सिर्फ नौकरशाही को ही इसमें डाला गया है। चाहे वह स्टेट प्राधिकरण हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति हो। स्टेट प्राधिकरण में भी हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी को पदेन सदस्य बनाया गया है। जो कोचिंग सेंटर्स के नॉमिनी हैं या अभिभावक गण हैं, अध्यक्ष ही उनका नाम निर्देशित करेंगे तो अध्यक्ष तो किसी का भी नाम निर्देशित करता है, यही परंपरा चली आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि वह कोचिंग में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके अभिभावकों का ही नाम निर्देशित करें, उनको ही नॉमिनेट करें। किसी भी एक्स, वाई, इसको देखने वाला कौन बैठा है? इसको तय करने वाला कौन बैठा है?

इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी गैर सरकारी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाना चाहिए। आप या तो प्राधिकरण के लेवल पर अध्यक्ष बनाओ या डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति पर किसी जनप्रतिनिधि को भी इसमें डालो।

एक दूसरा मेरा कहना है, क्योंकि कलेक्टर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

कलेक्टर, जैसा हमारे नसीराबाद से आने वाले सदस्य ने कहा कि लगभग-लगभग 50 से अधिक कमेटियों का अध्यक्ष है, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वह किसी समिति में जाएं।

मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि सतर्कता समिति जैसी महत्वपूर्ण समिति में भी कभी एसपी आते ही नहीं हैं तो एसपी इन मीटिंग में कैसे आएगा, सिर्फ नाम लिख देने मात्र से यह नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपको इस प्रोविजन को देखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से यह बात मैं कहने के लिए एग्री करूंगी कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से लोगों को लगा है कि कोचिंग सेंटर्स में जाने के कारण से बच्चों में आईक्यू डवलप हो जाएगा या बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे या बच्चे उस परीक्षा को पास करने की महारथ हासिल कर लेंगे, इसी मानसिक दबाव के कारण से जो कोचिंग सेंटर्स का मानसिक दबाव होता है, इसके लिए कोचिंग सेंटर ही जिम्मेदार नहीं है। इसमें अभिभावकगण भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जितने की कोचिंग सेंटर जिम्मेदार हैं। हमने अभिभावकों के लिए इसमें क्या प्रोविजन किया? इस पूरे एक्ट में अभिभावकों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की है। उसका आई.क्यू. लेवल है नहीं और आप जीईई की तैयारी करा रहे हैं, नीट की तैयारी करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वह बच्चा कैसे कर पाएगा और इसलिए मानसिक दबाव में रह करके आत्महत्या करता है।

यह जरूर है कि आत्महत्याओं के कारण से भी सरकार ने सोचा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए और लगभग पिछले 10 सालों में 150 के करीब बच्चों की आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें कोटा का उदाहरण प्रमुख है। हर एक सप्ताह बाद हमें कोटा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रेस मीडिया से खबरें आती हैं कि फलां बच्चे ने आत्महत्या कर ली।

Bhs/Rtm/24.03.25/15.50/2o

इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो मेरा निवेदन है कि इसमें अभिभावकों के भी काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उस केंद्र सरकार की एडवाइजरी में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग के लिए अलाऊ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह जो बिल बनाया है, अब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो हम केंद्र सरकार की एडवाइजरी क्यों नहीं मान रहे हैं? मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। मंत्री महोदय, हायर एजुकेशन मंत्री महोदय, आप बातचीत में व्यस्त हैं।

श्री सभापति: सुन रहे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उस एडवाइजरी में 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में जाने की मनाही है,

लेकिन हमने उस बिल में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया, तो जो आत्महत्याओं को हम रोकना चाहते हैं यदि उस उम्र के बच्चे जाएंगे तो वे अधिक मैच्योर होंगे और आत्महत्या नहीं करेंगे।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही आपको बोला था कि यह बिल...।

श्री सभापतिः श्रीमती हरिमोहन, श्री हरिमोहन शर्मा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरे चार-पांच पॉइंट और हैं उनको बोल करके मैं बात को खत्म करूंगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन शर्मा। श्रीमती हटा दिया। विराजो आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, दो-तीन पॉइंट और हैं मेरे। दो-तीन पॉइंट ही हैं बस इसको, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह लाइसेंस राज़ आप लाना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से तो लाइसेंस राज़ नहीं आये ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः श्रीमान हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): श्रीमती?

श्री सभापतिः श्रीमान्।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जो आपने पेनल्टी लगाई है 2 लाख की और 5 लाख की वह पेनल्टी बहुत अधिक है, छोटे कोचिंग सेंटर्स उसको सहन नहीं कर पाएंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि उस पेनल्टी को आप कोचिंग सेंटर्स के अकॉर्डिंग रखें कि जितना बड़ा कोचिंग सेंटर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी पेनल्टी होगी। मेरा निवेदन है आपसे कि प्रदेश में जो कोचिंग संस्थान हैं उनके लिए...।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री हरिमोहन शर्मा। विराजिये प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, दो-तीन पॉइंट और हैं। यदि कोचिंग सेंटर्स को किसी तरह से हम पाबंदी करते हैं, हम कोचिंग सेंटर्स का, मैंने पहले ही कहा।

श्री सभापतिः पर्याप्त हो गया अब। विषय वास्तव में बहुत बड़ा है विस्तृत है लेकिन इसको थोड़ा सारगर्भित बोला जाये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, मैं सारगर्भित ही, मैं पॉइट टू पॉइंट ही बोल रही हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये। 12 मिनट दे दिये आपको। अब आप विराजें। यह तो दिन भर बोलने का विषय है, दिन भर थोड़े बोलेंगे। सारगर्भित बोलें और विराजें। श्री हरिमोहन शर्मा, बोलिये आपका समय प्रारम्भ हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): हो गया मैडम, अब तो? हो गया, बहुत हो गया।

श्री सभापतिः आप बोलिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, श्रीमती को डिलीट कराओ। श्रीमती जी को डिलीट किया जाये।

श्री सभापति: आपका समय प्रारम्भ हो चुका है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, समय तो सही कराओ इनका। 4 मिनट दिखा रहा है।

श्री सभापति: समय सही कराओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अभी-अभी माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाली विधायक ने गम्भीरता से अपनी बात रखी। यह विधेयक लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसके पीछे जो मूल बात है वह मूल बात यह है कि विद्यार्थियों की पूरे देश में ही कोटा सहित अन्य स्थानो पर भी लगातार जो आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं उन आत्महत्याओं के कारण ही सरकार और जनमत, और जनता और हम सब इस बात के लिए बाध्य हुए कि इस बात पर सोचें कि ये आत्महत्याएं कैसे रुकेंगी।

सभापति महोदय, अभी एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में अकादमिक तनाव की चपेट में देश के छात्र। हर दसवें छात्र के मन में आता है सुसाइड का ख्याल। भारतीय कॉलेजों के विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर हाल ही हुए एक राज्यस्तरीय सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि पिछले साल हर दस में से एक छात्र के मन में आत्महत्या के विचार आये। मेलबर्न विश्वविद्यालय, NIMHANS राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु और भारतीय मेडिकल कॉलेजों के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किये गये अध्ययन में नौ राज्यों में तीस विश्वविद्यालयों के 8,542 छात्रों का सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण में यह निकला कि इस अध्ययन से यह सामने आया कि प्रत्येक वर्ष 12 प्रतिशत से अधिक छात्रों के मन में आत्महत्या का विचार आया था, जबकि 5 प्रतिशत से अधिक आत्महत्या का प्रयास किया।

सभापति महोदय, इसका मतलब यह है कि चालीस छात्रों की कक्षा में कम से कम पांच ने अपनी जान देने के मामले में सोचा। दो ने तो इसके प्रयास किये यह सर्वेक्षण आया है और इसी प्रकार से, आप भी कोटा के हैं कोटा में जो कोचिंग इंस्टिट्यूट चल रहे हैं उससे पूरे देश में ही कोटा का नाम भी है और एम्प्लॉयमेंट के संसाधन भी वहां पर हुए हैं लेकिन लगातार यह सब हमारे सामने हैं कि लगातार कोटा में जो आत्महत्याएं बढ़ती गईं उन बढ़ती हुई आत्महत्याओं के कारण वहां एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर, कोटा स्तर पर, राजस्थान स्तर पर सरकार को और हमको बाध्य होना पड़ा कि इन आत्महत्याओं के कारण क्या हैं।

सभापति महोदय, यह पिछले दस साल के जो आंकड़े हैं कोटा के, कोटा में अब तक कुल 127 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। वर्ष 2015 में 18, 2016 में 17, 2018 में 20, 2019 में 18, 2023 में 26 और 2024 में जिस समय तक ये डेटा लिखा गया, वो 6 थे और वो बढ़ा करके 8 हो गये, यह आपके और हमारे सामने हैं तो आत्महत्या कैसे रुके, मुझे तो नहीं लगता है कि इस एक्ट के पास होने से आत्महत्या रुक जायेगी, मुझे नहीं लगता। नियंत्रण

जरूर हो सकता है लेकिन आत्महत्याओं का सम्बन्ध एक्ट के प्रोविजन से मुझे नहीं लग रहा है। आत्महत्या करने के कारण अलग हैं और प्रशासनिक नियंत्रण के कारण अलग हैं। अगर हम प्रशासनिक नियंत्रण करने के आधार पर आत्महत्या कम होने की परिकल्पना करें तो मुझे लगता है हम भी अन्धकार में हैं और आमजन को भी अन्धकार में हम रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय, आत्महत्या के कारण अलग हैं। आत्महत्या के कारण मेरे हिसाब से और मेरे से नहीं, एक आम हिसाब से जो हैं वो यह है कि कि माता-पिता भी जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों से अपेक्षाएं कर रहे हैं। हर माता-पिता चाहता है उनका बच्चा आई.ए.एस. बने, आई.पी.एस. बने, आई.आई.टी. में जाये और नाम करे और दुनिया में वह सबसे ऊंचा हो, जबकि उस बच्चे की जो कैपेसिटी है जो उसका मानसिक स्रोत है, मानसिक मापदंड है, जो मानसिक लेवल उसका है वह उस लेवल का है ही नहीं तो परिजनों के प्रेशर से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए जो बाध्यता आयी है और जब वह कोचिंग इंस्टिट्यूशन में बच्चे आ जाते हैं तो उन पर मानसिक प्रेशर इतना रहता है।

सभापति महोदय, एक ओर तो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग भी मकान, जायदाद बेच कर बच्चे को वहां उस अपेक्षा में रख रहे हैं और दूसरी ओर वह बच्चा वहां रह करके उस कॉम्पीटिशन में भाग लेने के कारण उसमें सफल नहीं होता तो उसके मानस में जो अन्तर्द्वन्द आता है कि मैं मेरे माता-पिता को क्या जवाब दूंगा और यह देख लेना कि जो बच्चे आते हैं न उन बच्चों को उनके परिजन महीने, दो महीने में भी कितने ही जगह तो सम्भालने भी नहीं आते हैं, देखने भी नहीं आते हैं तो सबसे बड़ा कारण यह है कि आवश्यकता से अधिक अपेक्षा, कैपेसिटी से अधिक अपेक्षा और इन अपेक्षाओं के साथ-साथ उन पर जो स्थितियां बनती हैं उन स्थितियों के कारण भी आत्म हत्या का कारण बनते हैं।

सभापति महोदय, दूसरा, आपने इसमें छोटे से छोटे पढ़ाने वाले को पचास बच्चों को पढाने वाले को भी ले लिया। पूरा अगर आपने यह नियंत्रण किया न तो लालफीताशाही बढ़ेगी, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा और छोटी-छोटी जगह पर जाकर जो गांवों में पचास बच्चों को पढ़ाते हैं, पच्चीस बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी परेशानी होगी तो अगर इनका रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिये कि कम से कम दो सौ, सौ कोई ऐसी जगह हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की पाबंदी अगर आप करें तो वह ज्यादा अच्छी बात होगी।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कोचिंग में क्या होता है कि जो बच्चे जाते हैं तो ये कोचिंग वाले एक बड़ी गड़बड़ी करते हैं। ये बैचेज बनाते हैं और अपना नाम कमाने के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग, फिर जो उससे कम लेवल के बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग और जो थर्ड लेवल के बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग तो जो थर्ड लेवल के बच्चे हैं वो मानसिक अवसाद में पहले ही आ जाते हैं कि अपने को उस बड़े ग्रुप में नहीं रखा, जिसमें इंटेलिजेंट आदमी हैं, अपन को तो नीचा समझा। सेकंड लेवल के बच्चे हैं वो भी यह समझते हैं तो मिक्स अप होना चाहिये। आप कोई ऐसा

प्रोविजन करें इसमें कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनका, जो सेकंड लेवल के हैं, जो थर्ड लेवल के हैं उन बच्चों को एक साथ ग्रुपिंग में अलग-अलग ढंग से करें, ताकि उनके वह मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा न हो।

Kas/rtm/24.03.2025/16.00/2p

बड़े कोचिंग सेंटर्स तो आपकी इस बात से सहमत हैं। बड़े कोचिंग सेंटर्स को तो सरकार से कोई डर नहीं है, अख़बार में मैंने पढ़ा था, उन्होंने तो कह दिया कि कानून ठीक है, लेकिन जो छोटे कोचिंग सेंटर्स को आप इसके दायरे में ले रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप उनकी संख्या बढ़ाएं और संख्या बढ़ाकर उन पर लालफ़ीताशाही न हो, इसके हिसाब से आपको इसको करना चाहिये।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था में इन कोचिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा प्रभाव है। माननीय सभापति महोदय बैठे हैं, जब से यह स्थितियां बनने लगी हैं, कोटा के हॉस्टल खाली होने लग गये हैं। एलेन ग्रुप के वहां से दूसरे कोचिंग सेंटर्स बनाकर वहां वो बच्चे जाने लग गये हैं और ऐसी स्थिति बनी है कि कोटा की अर्थव्यवस्था आगे आने वाले समय में डांवांडोल होगी। इस प्रकार की जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों पर भी आपको विचार करना चाहिये।

सबने बढ़िया-बढ़िया कीमती विचार दिये हैं। अलग-अलग विचार हैं, अलग-अलग दृष्टिकोण है, लेकिन सामूहिक रूप से एक ही विचार है कि यह आत्म हत्याएं कैसे रुकें और इन पर नियंत्रण कैसे हो। आपने 10 एडवाइजरी की थीं, भारत सरकार ने भी की, उस एडवाइजरी का क्या हुआ? पूरे राजस्थान में उस एडवाइजरी के हिसाब से सरकार ने कहीं एक भी जगह जाकर देखा क्या कि हमारी एडवाइजरी की आपने पालना की या नहीं की, किसी ने नहीं देखा। जब आपके साथ भारत सरकार की एडवाइजरी थी और आप पर उसको क्रियान्वयन कराने की नैतिक जिम्मेदारी थी, क़ानूनन भले ही आप न कर सकें, तो भी एडवाइजरी की अनुपालना कराने का काम राजस्थान सरकार का और आपका है। आप तो एक भी जगह इंस्पेक्शन नहीं कर सके, एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके, एक ही उदाहरण पेश नहीं कर सके, तो वह भारत सरकार की एडवाइजरी आज की तारीख तक बिलकुल बेकार साबित हुई, कानून बनाने तक भी।

अंत में मेरा तो आपसे यही विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि जिस प्रकार अन्य दो बिल सलेक्ट कमेटी में भेजे हैं, एक बिल तो वह था जो सलेक्ट कमेटी में जाकर वापस आ गया और एक वह रेवेन्यू वाला बिल जो आपने सलेक्ट में भेजा, सारे भाषण आपने सुन लिये, मेहरबानी करके आप तो इसे भी सलेक्ट कमेटी में भेज दो, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हम जिस गुरुकुल की प्रणाली से आते हैं, वहां पर कभी भी शिक्षा एक बिजनेस के रूप में नहीं थी, एजुकेशन बिजनेस के लिये नहीं थी, एजुकेशन राष्ट्र के निर्माण के लिये थी। यह बड़ा दुखद है कि आज के समय शिक्षा बेची जाती है, उसको एक बिजनेस बना दिया है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी हमारी सरकार को, जो कोचिंग सेंटर्स के लिये इतना अच्छा बिल लाई है। डेफिनेटली इसमें अलग-अलग सजेशसं हैं कि हम इसे कैसे और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इस बिल को लाना भी एक ऐतिहासिक कदम है, ताकि इन कोचिंग सेंटर्स पर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हो सकें, नियंत्रण में आ सकें और कहीं न कहीं बच्चों को, अभिभावकों को और शिक्षकों, तीनों को अच्छी तरीके से सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके और उसको प्राथमिकता देने के लिये जिस तरीके से शिक्षकों को, साइक्लोजिस्ट को, काउंसलर्स को, यह भी लिखा है कि शिक्षकों को किस तरीके से यह ट्रेनिंग होनी चाहिये, ताकि वो बच्चों की भी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रख सकें और उनके साथ-साथ काउंसलिंग करते हुए उनके मां-बाप, उनके परिवारजनों को भी समझा सकें कि किस तरीके के प्रेशर से डील करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में अनइक्वल फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी मेंशन किया गया है, जिसमें यह क्लीयरली लिखा हुआ है कि हमें फीस को इक्वल करनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इसमें दोनों चीजें हैं, फीस को इक्वल करना एक बहुत अच्छी पहल है और एक कैप जरूर लगनी चाहिये, ताकि हर बच्चा कोचिंग के लिये पात्र हो। लेकिन इसमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स पर ज्यादा ध्यान होना चाहिये रादर दैन फीस स्ट्रक्चर पर। अगर अच्छे टीचर्स होंगे, तो अच्छे टीचर्स लाना और अच्छे टीचर्स की सैलरी भी अच्छे कोचिंग सेंटर्स को देनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रावधान को कहीं न कहीं इस तरीके से लाना चाहिये कि टीचर्स की गुणवत्ता, टीचर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट पर ज्यादा फोकस करते हुए होना चाहिये रादर दैन फीस स्ट्रक्चर को लेकर। फीस पर एक कैप जरूर होना चाहिये, लेकिन यह बाध्य नहीं करें कि इतनी ही फीस कोचिंग सेंटर्स ले सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप खुद कोटा से आते हैं, बड़े शहर से हैं, मैं एक बहुत छोटी कांस्टीट्यूएंसी राजसमन्द से आती हूं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है। यह बिल बहुत अच्छा है और मैं बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन छोटे कोचिंग सेंटर्स के बारे में इसमें कहीं न कहीं नहीं सोचा गया है। मैं स्वागत करती हूं कि वेबसाइट बनाने की जो बात कही गई है कि कोचिंग सेंटर्स की वेबसाइट होनी चाहिये, जिस वेबसाइट से बहुत क्लीयरली यह पता चल सके कि फीस स्ट्रक्चर क्या है? क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कितने टीचर्स हैं, कितनी बच्चे हैं? लेकिन वेबसाइट बनाने के लिये जो छोटे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जैसा कि

अभी हमारी अजमेर से आने वाली विधायक भी बता रही थीं कि 50 बच्चों के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जो छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके लिये वेबसाइट बनाना एक एडिशनल कॉस्ट है, जिसके लिये शायद वो पात्र नहीं हो पायेंगे, तो उसके लिये भी सोचा जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं एक बात और रखना चाहूंगी, इस बिल में कोचिंग टाइमिंग को लेकर बात रखी गई है कि कोई भी कोचिंग एक बच्चे को 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकती। अभी आरएएस प्री का रिजल्ट आया है और आरएएस मेन तीन महीनों में है, अब तीन महीनों में आरएएस मेन की तैयारी करने के लिये एक बच्चे को शायद 8 घंटे भी कोचिंग में देने पड़े, ताकि वह अपना 100 परसेंट दे सके, तो इस टाइमिंग को लेकर जरूर सोचा जाना चाहिये कि हम किस तरीके से इस टाइमिंग को बेहतर कर सकें। इसके साथ-साथ स्कूल के टाइमिंग के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि कोचिंग सेंटर्स स्कूल के टाइमिंग के अकॉर्डिंग कोचिंग प्रोवाइड करें। माननीय सभापति महोदय, हर बच्चा अलग स्कूल से आयेगा तो उसको अकोमोडेट करके कोचिंग सेंटर्स किस तरीके से कोचिंग प्रोवाइड करे, यह सोचा जाना चाहिये कि किस तरीके से वो टाइमिंग मैनेज कर पायेंगे।

इसके साथ-साथ हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी का भी यह कहना था कि कोचिंग सेंटर्स को नियंत्रण करना जरूरी है, ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। कहीं न कही राज्य सरकार भी यह बिल इसीलिए लाई है कि केन्द्र सरकार से निवेदन हुआ था, लेकिन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में डालना, उनको 10 साल की उम्र से यह ट्रेंड करना कि नहीं तुमको आईआईटी करना है या तुम्हें आरएएस में ही जाना है या तुम्हें आईएएस ही बनना है, यह बहुत मासूम उम्र होती है, इसलिए जो 16 उम्र का प्रावधान है, कि 16 साल के बाद कोचिंग चालू होनी चाहिये, तब तक उस बच्चे को पता हो जाता है कि वो किसमें अच्छा है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर में अच्छा हो। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं पेरेंट्स की काउंसलिंग इसमें बहुत जरूरी है, जिसका प्रावधान कोचिंग सेंटर्स में नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगी कि कहीं न कहीं इन बातों पर सोचा जाना बहुत अनिवार्य है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज वे से एडमिस्ट्रेशन चलता है, उसको रेगुलर करने की बात कही गई है, उस बात का भी मैं स्वागत करूंगी। स्टूडेंट्स को किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट मिले और इन कोचिंग सेंटर्स को हम रेगुलेट करें, ताकि कहीं न कहीं बच्चों पर जो प्रेशर पड़ता है, उसको कम किया जाये। माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जब एक किसान अपने बच्चे को आईआईटी कराने के लिये या डॉक्टर बनाने के लिये बाहर पढ़ाने के लिये भेजता है तो कितने जने अपना खेत बेचते हैं, लेकिन जब बच्चा हताश होकर आता है, जब बच्चा वहां पर सुसाइड कमिट करता है, तो यह पेरेंट्स के लिये भी एक बहुत बड़ी क्षति होती है और हमें यह सोचना बहुत जरूरी है कि जब हम कोचिंग में बच्चों का एडमिशन कराएं तो भेड़ चाल में एडमिशन ना कराएं, हम सब जनों को अकोमोडेट ना करें, लेकिन पात्रता पर कड़क

नियम होने चाहिये, क्योंकि अगर 95 परसेंट का बच्चा ही लिया जायेगा, तो वो जानता है कि उसको क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, इस बात पर मैं यह भी कहूंगी कि 75 परसेंट का बच्चा भी अच्छा कर सकता है, लेकिन हमें कहीं न कहीं एक कैप इस पर भी लगानी चाहिये कि कोचिंग में ये ही बच्चे आ सकते हैं या इन्हीं बच्चों को यह पर्टीकूलर सब्जेक्ट की कोचिंग सूटेबल है, इस बारे में यहां कहीं नहीं लिखा गया है।

Msk/rtm/24.03.25/1610/2q

तो उसको भी हमें जरूर सोचना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो लक्ष्य है वह शिक्षा को व्यवस्थित और सुगम बनाना है, जिससे विद्यार्थी किसी भी अनावश्यक दबाव में न आये और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। सभी हितधारकों से आग्रह है कि इस सुधार प्रक्रिया में सहयोग करें, ताकि कोचिंग संस्थानों की जो कार्यप्रणाली है वह अधिक जिम्मेदार हो सके, ट्रांसपैरेंट हो सके और स्टूडेंट बेनिफिट में बनायी जा सके।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक न सिर्फ अभिभावक, स्टूडेंट के लिए, बल्कि युवाओं के हित में भी एक ठोस कदम है। मैं सदन से आग्रह करती हूं कि इसे पूर्ण समर्थन प्रदान किया जाये, ताकि शिक्षा का क्षेत्र अधिक ट्रांसपैरेंट हो सके, विश्वसनीय हो सके और छात्र केन्द्रित बन सके। मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री नरेन्द्र बुडानियां।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, धन्यवाद। देश में जिस प्रकार से हमारे छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहां पर सुसाइड करते हैं, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इस प्रकार के बिल आने चाहिए। आपको 2024 में निर्देश दिया। आप अब तक इन्तजार करते रहे, अब लेकर आये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह केन्द्र सरकार के दबाव में लेकर आये हैं। इस बिल को पढ़ने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह बिल ज्यादातर अधिकारियों के ऊपर निर्भर रहकर बनाया गया है, व्यावहारिक रूप से यह बिल जिस उद्देश्य के लिए लाया है, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता।

सभापति महोदय, इस बिल में कहा गया है कि यह बिल हम छात्र हित को ध्यान में रखकर ला रहे हैं। मैं इस बिल में देख रहा हूं कि एक भी बिन्दु ऐसा नहीं है, जिसमें छात्र हित नजर आ रहा हो। मैं कुछ अभिभावकों से मिला तो अभिभावकों ने बताया कि हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे बच्चों की परेशानियां हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही मजबूत बनाया गया। उन्होंने बहुत-सी बातें बतायीं।

सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि अभिभावकों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या फीस की है। आज जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर बच्चों से फीस ले रहे हैं, वे बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, क्योंकि कम्पीटिशन बढ़ रहा है। एक गांव में, एक मोहल्ले में, एक पड़ोसी का बच्चा यदि कोटा में एल.एन. में कोचिंग ले रहा है तो उसका पड़ोसी उसके परिवार को भी कहेगा

कि आपके बच्चे को भी भेजें। यदि हम बच्चों की फीस के बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपका यह बिल पास हो जायेगा, प्राधिकरण बन जायेगा, लेकिन क्या प्राधिकरण के पास फीस तय करने का अधिकार है? प्राधिकरण के पास कोई अधिकार नहीं है। इस बिल में यह कहा गया है कि युक्ति संगत फीस, अब युक्ति संगत फीस को कौन परिभाषित करेगा? क्या प्राधिकरण करेगा? इसमें युक्ति संगत फीस तय करने का अधिकार कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही दिया गया है और वे युक्ति संगत फीस तय करेंगे। युक्ति संगत तो वे आज भी ले रहे हैं। उनके हिसाब से तो युक्ति संगत आज ही ले रहे हैं। इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं तो इसमें आप फीस निर्धारित करने का भी डालिये, नहीं तो यह बिल उपयोगी नहीं रहेगा। आज सबको परेशानी ही यही आ रही है। दो ही तो चीजें हैं, एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट लूट रहे हैं और दूसरा सुसाइड कर रहे हैं। मानसिक दबाव हैं। आज ये दो ही तो चीजें हैं। इन दोनों चीजों के अन्दर इस प्राधिकरण को ताकत नहीं दी गयी। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको इस पर संशोधन लाना चाहिए। यह जनहित में है, आम जन के हित में है। आप फीस नियंत्रित करेंगे तो लोग ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। अब तो पैसे वाले लोग ही फायदा उठा रहे हैं। आम आदमी उठा रहा है तो कोई न कोई जमीन, मकान गिरवी करके वह अपने बच्चे को पढ़ा रहा है।

सभापति महोदय, इस बिल में या हम सब मानते हैं कि छात्रों की काउंसलिंग होनी चाहिए। कहां से होगी? इसकी शुरुआत हमको यह बिल नहीं दे सकता। इस बिल के माध्यम से हम आत्महत्याएं कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सबको ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि बच्चों की काउंसलिंग प्रारंभ से हो। अभिभावक, उसके मां-बाप, टीचर, ये सब मिलकर बच्चों की काउंसलिंग करें। सभापति महोदय, मैं आपको एक सच्चा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एक बच्चा, जो कि मेरे परिवार से दूर का सम्बन्ध रखता था, वह मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मेरे माता-पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मैं दो बार फेल हो चुका हूं। मेरे पर भारी दबाव है कि आप तीसरी बार बैठो। उसने कहा, अंकल जी, आप मेरे को दस बार भी एग्जाम दिलवा देंगे तो भी मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही दबाव रहा तो मैं सुसाइड करूंगा। मैंने कहा कि मैं आपके पिताजी को समझाऊंगा। आप क्या कर सकते हैं, यह बतायें। उसने कहा कि मैं मैथेमेटिक्स पढ़ना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। मैंने उसके पिताजी को समझाया कि बच्चे के खिलाफ यदि आप काम करेंगे तो बच्चा आपके पास नहीं रहेगा। उसकी इंजीनियरिंग की तैयारी करवायी और आईआईटी में सलेक्ट हुआ। आज हमको यह वातावरण बनाने की जरूरत है कि बच्चे की काउंसलिंग कैसे हो? बच्चा जब आपके कोचिंग सेंटर में चला गया, तो आपने बिल में कोचिंग सेंटर के अन्दर साइकोलॉजिस्ट के लिए कहीं क्लीयर नहीं किया है, उसके लिए आपने बहुत धीरे से कहा है। कोचिंग सेंटर क्या करेगा, आपने मनोवैज्ञानिक कह दिया। मनोवैज्ञानिक, बीए, बीएससी, एमए पढ़े हुए का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जब जानकारी के लिए जायेंगे तो कहेंगे

कि यह हमारा साइकोलॉजिस्ट है। मंत्री महोदय, मेरा सुझाव है कि साइकोलॉजिस्ट के स्थान पर आप क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट शब्द जोड़िये। आप क्लीनिकल नहीं जोड़ेंगे तो कोई काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग कर सकता है तो क्लीनिकल ही कर सकता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं इस बिल के अन्दर निवेदन करना चाहता हूं कि आठवीं पास बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं। वे दिमाग से परिपक्व नहीं होते हैं, फिर भी दबाव में जाते हैं। आपको केन्द्र सरकार ने निर्देश दिया कि उसकी उम्र निर्धारित होनी चाहिए और उन्होंने निर्देश दिया कि 16 से कम उम्र के बच्चे का उसमें एडमिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने तो उसमें जिक्र ही नहीं किया। आपने केन्द्र को भी नजरंदाज कर दिया। वाह, शाबाश, मंत्री महोदय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर छात्रों का अनुपात क्या होगा, यह कहीं जिक्र नहीं है।

mdp/rtm/24.03.25/16:20/3a

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर छात्रों का अनुपात क्या होगा, यह कही जिक्र नहीं है। आपके एक बैच में कितने छात्र होंगे, कितने छात्रों को एडमिशन दिया जायेगा? मैं समझता हूं कि सीबीएसई के अन्दर 40 बच्चे एक बैच या एक क्लास में होते हैं। यहां क्या हो रहा है? मैंने यही एक माननीय सदस्य से पूछा, इस वक्त हाउस में नहीं है वे, वह डाक्टर हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कोचिंग की तो बोले मैंने की।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): एक मिनट। मेरे कोचिंग में 150 थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप संख्या निर्धारित कीजिए। 150-200 बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी कैसे काउंसलिंग होगी? कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी? मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अंत में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये बिल अच्छा है, बिल बुरा नहीं है, इस प्रकार से बिल आना चाहिए, लेकिन बिल के जो प्रावधान है, ये जल्दी में लाया हुआ बिल है, ये ताबड़तोड़ में लाया हुआ बिल है, केन्द्र सरकार के दबाव में। इसलिए इसमें बहुत-से प्रावधान है।

श्री सभापतिः श्री रफीक खान।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): जो बड़े इन्स्टीट्यूट को फायदा देंगे, छोटे इन्स्टीट्यूट खतम हो जाएंगे। कई चीजें ऐसी हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसको 6 महीने के लिए परिचालित किया जाए या इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। यह जनहित में रहेगा और राजस्थान के हित में रहेगा। यदि यह बिल आपने पास कर दिया तो किसी सूरत के अन्दर इस बिल की उपयोगिता नहीं रहेगी। धन्यवाद।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025,...(व्यवधान)... ये जम्प कैसे मारता है, बोली से पहले जम्प कैसे मारता है?

श्री सभापतिः बार-बार बोलते हैं, समझ में आ जाता है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ये तो ईवीएम से भी फास्ट हो गया।

श्री सभापतिः आप जितने बार भी खड़े होते हैं सदन में, सब अंकित हो जाता है इसमें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, ये तो मैं खड़ा नहीं हुआ, उससे पहले ईवीएम से भी फास्ट हो गया।

श्री सभापतिः जितनी बार भी खड़े होते हैं, इसलिए सदन में बार-बार खड़े मत हुआ करो आप। अंकित हो जाता है इसमें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय,

जरूरी नहीं कि रोशनी चिरोगों से ही हो,

इल्म से भी दुनिया रोशन हुआ करती है।

ऐसा सब्जेक्ट आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन्स से रिलेटेड और बड़े अफसोस के साथ मैं शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि एक बच्चे ने कोटा में सुसाइड की और हमारे राजस्थान के मंत्री महोदय ने बहुत लाइटली कह दिया ये तो प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग में मर गया आदमी। इतना लाइटली लिया तो आपको कानून लाना पड़ा। मैं कानून का तो स्वागत करता हूं, लेकिन जिस तरीके से जितनी जल्दबाजी में आनन-फानन में आप इसको इम्प्लिमेंट करना चाह रहे हो, वह न इंस्टीट्यूशन्स के लिए भले में है, न स्टूडेंट्स के भले में है और न हम सबके लिए, जो अभिभावक हैं उनके भले में है।

फोर्चूनेटली तीन, मंत्री महोदय भी चले गए बताओ, तीन जगह कोटा, सीकर और जयपुर, ये हमारी कोई मेहरबानी नहीं है, सरकार की मेहरबानी नहीं है, ये भला हो उन इंस्टीट्यूशन्स के ओनर्स का कि उन्होंने अपनी मेहनत से यहां इंस्टीट्यूट डवलप किये जो आज हम पूरे न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपना स्थान बनाए हुए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन्स के नाम पर अगर आवाज आती है तो कोटा को भी जगह मिलती है, जयपुर को भी जगह मिलती है और सीकर को भी जगह मिलती है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें इनके ऊपर मॉलिटरिंग बॉडी भी बैठानी चाहिए। जिस तरह से आजकल स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर है और हर जगह स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, दिशाहीन हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है और जिस तरह से ये बिल लेकर आये हो, 29 बिंदु पर ये बिल केंद्रित है, लेकिन 29 बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें कोई तालमेल नहीं है। अभी 2024 में से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसकी पूरी एक गाइडलाइन जारी की। जब हम आपके बिल को देखते हैं और सेंटर के बिल को देखते हैं, तो दोनों गाइडलाइनों में जमीन-आसमान का फर्क है। ऐसा लगता है कि आप खुद ही प्रीपेयर नहीं हो। डबल इंजन, डबल

इंजन की बात कर रहे हैं और डबल इंजन की बात नहीं मानते हैं। वहां 16 साल तक की पाबंदी लगाई हुई है, आपने कोई पाबंदी नहीं छोड़ी और जिस तरह से इसको इम्प्लिमेंट करने जा रहे हो, उस इम्प्लिमेंटेशन के अंदर जिस तरह से भागीदारी आपने नियुक्त की है, वह इसके साथ मैच नहीं करती है। 16 साल का जो एरिया छोड़ा हुआ था, आप चले गये थे तो मैं ढूंढ रहा था कि भाई मंत्री महोदय कहां गए, वह गाइडलाइन्स आपने इसमें हटा दी। ऐसे मत करो। दोनों की चीजों को चेक करो। जो दोनों में अच्छी चीजें हैं, उनको शामिल करो और इतनी जल्दबाजी में निर्णय करने का नहीं है।

आपने इसको प्राधिकरण बनाने की घोषणा कर दी और प्राधिकरण बना रहे हो। प्राधिकरण बना रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप खुद जनप्रतिनिधि हो। जनप्रतिनिधि को इन्वॉल्व करो भाई, जनप्रतिनिधि के बगैर तो फिर ये मनमानी करेंगे, फिर क्या मॉनिटरिंग होगी और क्या आपकी और हमारी शह होगी इसके ऊपर। इसकी बॉडी में, मैं तो ये कह रहा हूं की चेयरमैन भी आप इसमें पॉलिटिकल आदमी को लेकर आओ। बहुत सारी समस्याएं हैं। अलग-अलग जगह, आपने अभी बजट दिया, पिछला बजट दिया, अब बिल लेकर आ रहे हो, आपने ये सोचा की इंस्टीट्यूशन वालों को कोई जगह दे हम। कोटा में डेवलप हो गए, सीकर में डवलप हो गए, जयपुर में डवलप हो गए, एक तरीके की इंडस्ट्री बन गयी। आपको ये चाहिए था कि इस बजट के अंदर आप प्रपोजल लेकर आते और ये कहते हैं कि हम इन इंस्टीट्यूशन्स वालों के लिए अलग एरिया बनाएंगे, रीको की तरह जमीन एक्वायर करके देंगे, ताकि वह फेसिलिटी दे सकें।

300-300 बच्चे एक-एक हॉल में पढ़ते है, मंत्री महोदय, 300-300 बच्चे एक हॉल के अन्दर। कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है, कोई उनके पास लाइसेंस नहीं है, कोई फायर एनओसी नहीं है। फिर कोई घटनाएं होंगी और फिर आपके और हमारे को इन बातों को बीयर करना पड़ेगा। 5 घंटे की बाउंडेशन कर दी कि 5 घंटे पढ़ा सकेगा। 6 घंटे कॉलेज में पढ़ेगा, 5 घंटे वहां पढ़ेगा, तो ये इंतज़ाम हम खुद तय कर रहे हैं उनको, खुद प्रोवोक कर रहे हैं कि ये बच्चे सुसाइड करे आकर। इतना मेंटल प्रेशर बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस की भी सोचो, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स की सोचो। स्टूडेंट की नहीं सोचोगे तो हम जो दिशा देना चाह रहे हैं, वह दिशा नहीं दे पाएंगे और इन तीनों जिलों पर फोकस करो। इनको फैसिलिटीज भी दो, जमीन भी दो और फिर गाइडलाइन भी जारी करो। और एक चीज़ और है, देखो जोधपुर की आवाज उठ रही है परंतु जोधपुर हाला को कोई कंट्रीब्यूशन ही कोनी, कोटा, सीकर और जयपुर को डवलप करो। जोधपुर डेवलप हो जाए बाद में तो फिर जोधपुर की भी बात करना।

बच्चों पर तनाव, डिप्रेशन का शिकार, इन सबसे निपटने के लिए क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं? कैसे हम गाइडलाइन जारी करें? किस तरह के इंस्टीट्यूशन हों? क्या उसमें बच्चे को फेसिलिटी मिले और इन सबके अलावा एक फेसिलिटी और है, जिससे बच्चा सब तनाव भूल जाता है। वह क्या है? वह है खेल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। उसके बारे में कोई बात नहीं कर

रहे हो आप। पूरा ले आये, तामझाम पूरा बना दिया और खेल को छोड़ दिया। ऐसे मत करो, खेल को भी ध्यान में लाओ। आदमी जब पूरे दिन के तनाव में जाकर और दो घंटे या आधा घंटा खेल में बिताता है तो सब बातें भूल जाता है। उसको भी शामिल करो इसके अन्दर। जो जनवरी 2024 में आपके सेंटर की गाइड लाइन जारी हुई और उस गाइडलाइन में तीन-चार बिंदु ऐसे हैं, जिनको इसमें इन्कारपोरेट किया जाना बहुत जरूरी है। आपने उनको इन्कॉरपोरेट नहीं किया और एक नई पॉलिसी बना करके वह डाल दी, तो इतना जल्दबाजी में निर्णय भी मत करो। ऐसा निर्णय करो जिससे हम कोचिंग सेंटर्स को, इंस्टीट्यूशंस को एक मॉडल के रूप में विकसित कर पाए।

अब जैसे-जैसे ये परेशानियां बढ़ रही हैं, तो लोग डाइवर्ट भी हो रहे हैं। इसका प्रमोशन भी हो और लोगों का फेथ भी जगे कि कैसे कोटा के इंस्टीट्यूशंस में उनका भरोसा जमे? कैसे जयपुर में जमे? कैसे सीकर में जमे? इसके अलावा एक बात और है कि आपमें से बहुत सारे लोगों के बच्चे, बीजेपी वाले तो सारे नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। कोई अमेरिका पढ़ रहा है, कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है और जो बाहर पढ़ते हैं, आप वहां देखो किस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर है। इंस्टीट्यूशंस के अलावा उनके रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं और पूरी गाइडलाइन से बने हुए हैं। यहां बच्चे आ जाते हैं, कोटा में बच्चे हैं, जयपुर में हैं, पेइंग गेस्ट ढूंढ़ते हैं, किराये का मकान ढूंढ़ते हैं, अकोमोडेशन नहीं मिलती है। इस ओर भी ध्यान दो।

ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको पूरे को कम्पाइल करके फिर एक साथ करके पॉलिसी बनाओ ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस डवलप हों।

Ans/Rtm 16.30 3b 24.03.2025

हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वह भी कम्पीट में आएं। उनमें आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ डवलप करो, ताकि हम गवर्नमेंट लेवल पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी गरीब बच्चों को कोचिंग उपलब्ध करा सके। जो सर्विस क्लास हैं या बिज़निस क्लास हैं, उनके बच्चे तो इनमें पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहां जाएगा? हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे साथी बोल चुके हैं फीस कम कराओ, यह रेगुलाइज कराओ, वह रेगुलाइज कराओ, गरीब का बच्चा कहा है इसमें, मजदूर कहां है? वह तो प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकता, उनके बारे में भी सोचो कि उनको कोचिंग कैसे मिले, कैसे वह शीर्ष स्थान पर लेकर आए। एक योजना थी उसको भी आपने आधी कर दी, 500 बच्चे जा रहे थे ग़रीबों के, आपने उसको 300 कर दिया और 300 भी पूरे नहीं जा पा रहे हैं।

अनुकृति योजना हमने लागू की। अनुकृति योजना बहुत अच्छी योजना थी। आपके मंत्री महोदय ने जवाब में माना भी कि बहुत अच्छी योजना थी। अनुकृति योजना को आप ढंग से, प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाए। इन्हीं इंस्टीटयूशंस में गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सकता है, अच्छे इंस्टिट्यूशन में भी पढ़ सकता है, अगर सरकार सपोर्ट करती है तो। आपने

ना तो उनके रजिस्ट्रेशन किये, ना उनको पैसे दिए, ना फंड जारी किया और जब जवाब करने लग गए तो आप इधर-उधर घूमाने लग गए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप में भी घूमा दिया और अनुकृति में भी घूमा दिया, तो इस तरह का काम मत करो। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो एडवाइजरी सेंटर ने जारी की..

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरे चार मिनट तो पहले ही हो चुके थे।

श्री सभापतिः आपको चार मिनट ज्यादा दे दिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इंस्टीटयूशंस के आस-पास नशे का कारोबार बढ़ गया है । नशे का कारोबार बढ़ गया है, तो इस पर भी पाबंदी लगाओ, इस पर भी ध्यान दो कि बच्चे उसका शिकार नहीं हो। समय और सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए। कोटा के अंदर एक बच्चे को किसी बदमाश ने उठा लिया पांच हजार रूपये महीना फिक्स कर लिया, अब वह पॉकेट मनी खर्च करें या बदमाश को दे। इस तरह की वारदात हो रही है, इसमें आप एक पूरी प्रॉपर गाइड लाइन जारी करो। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।

तेरी दौलत रह जाएगी, घर चौबारे तक

तेरी दौलत रह जाएगी, घर चौबारे तक

इल्म की सैर करेगा, चांद सितारों तक

बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि हमें आज यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको ध्यान होगा, अभी नवंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय ने एक डिसिजन दिया। हम बहुत बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर जिम्मेदार हैं। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिसिजन दिया कि इन आत्महत्याओं के लिए केवल कोचिंग संस्थान ही जिम्मेदार नहीं है, नंबर वन।

नंबर टू, इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि माता पिता की जो उम्मीदें हैं और कौन से वर्ग की, इसको रेखांकित कर रहा हूं। वह वर्ग जो गरीब और मिडिल क्लास का है, उसकी उम्मीदें हैं, वह उम्मीदें इन आत्महत्याओं के लिये जिम्मेदार है, कि बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते है।

तीसरी बात, आप एक सर्वे कराते। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हम यह विधेयक लाये, इससे पहले थोड़ा-सा, बहुत जल्दी नहीं थी यह दो महीने बाद भी आ सकता था, एक एक्सरसाइज कराते। जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अपन बात करते हैं, वेरीयस स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया गया, डिस्कशन किए गए, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता।

हम कोई भी पब्लिक का विधेयक लाते हैं, जिसमे की माता पिता प्रभावित हो रहे हैं, इंस्टिटयूशंस प्रभावित हो रहे हैं, इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, इन सबको हम ला रहे हैं, तो उससे पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी। क्यों नहीं इसको अपलोड कर दिया गया, कि क्या हम यह विधेयक लेकर आ रहे हैं, हम इसको अपलोड कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, अपने सुझाव दीजिए। टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंस्टीटयूशंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन है, रिटायर्ड हैं, सोशल रिफॉर्मर्स, एनजीओ हैं, वह अपना सुझाव देते, पर नहीं किया गया। मैं उदाहरण देता हूं हर कंट्री में, चाहे आप चाइना देख लीजिये, जापान देख लीजिये, यूएस देख लीजिये, यूके देख लीजिये, वहां भी रेगूलेटरी बॉडीज है जो कोचिंग सेंटर्स को कंट्रोल करती है, रेगूलेट करती है, लेकिन उनको बनाने से पहले उनको डिस्कशन किया गया। मैं आपसे एक तो पहले से ही कह रहा हूं, इस पर आप सोचिये। इसको आप प्रवर समिति को या आप जो भी चाहे, इसको स्थगित करिये। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चुनौती दे रहा हूं, इस पूरे विधेयक में जो कारण उच्चतम न्यायालय ने दिया, उसका एक भी जगह रिड्रेसल नहीं दिया गया, हम केवल ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल स्थापित कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की दूसरी दुकान खोलने जा रहे हो, ये मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। जिस तरह से आपने 12-12 लोग, सेक्रेटरीज को स्टेट लेवल की अथॉरिटी में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने रेरा बनाया, एनर्जी डिपार्टमेंट का विनियामक आयोग हैं, उसमें जब आप एक्सटर्नल लोगों को या दूसरे लोगों को रखते हो या दूसरे लोगों को लेते हो, तो इसमें भी आप कर सकते थे। हम अपनी शक्तियां उनको हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं, तो मेरी यह भी गुजारिश है कि इसको देखिये। आपकी यह कमेटी साल -साल भर नहीं हो पाएगी। आपने कहा अपील तीन महीने में, आप देख लेना, हमने देखा है अरेंज सिस्टम को, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को, यह बड़ा इम्पोर्टेंट है।

एक बात और कहना चाहूंगा। आपने बिल में इसका कॉज दिया है। मैं तो सैक्शन पर तो जा रही नहीं रहा। अधिकारियों को मालूम ही नहीं कि कोचिंग में क्या- क्या होता है। इन्होंने केवल लिख दिया - "luring lakhs of students every year with promises of guaranteed success in competitive examinations such as NEET, IIT-JEE entrance test and CLAT.", ऐसे बहुत सारे एग्जाम है। इसमें आपने कम्पीटेटिव एग्जाम का तो कर दिया, जो फर्दर एक प्रोफेशनल वे की तरह हम जाते हैं। आप देखिये, कैट भी होता है, आपने आईआईएम लिख दिया। अधिकारियों को इतना मालूम नहीं कि आईआईएम एंट्रेस कुछ नहीं होता है, कैट होता है उस एग्जाम का नाम। आपने आईआईएम लिख दिया। इसमें रिक्रूटमेंट होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार की भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट होता है, उसका कहीं उल्लेख ही नहीं है, वह भी तो कोचिंग चलाते हैं। इसमें सीए की कोचिंग होती है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। सीएस की कोचिंग होती है, कहीं उल्लेख नहीं है। आइसीडब्लू की कोचिंग होती है। केवल सीकर या झुन्झुनूं या कोटा नहीं है, जोधपुर सीए के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत सारे सिटी हब बन गए हैं, जो किसी ना किसी क्षेत्र में कोचिंग दे रहे हैं और उसमें

कहीं भी इन चीजों का जिक्र ही नहीं है।

एक बात और कहना चाहूंगा। आपने कहा- "This Bill is a decisive step to curb the commercialization of coaching institutes.", माननीय मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी, आपके पास ऑलरेडी दो एक्ट है, नॉन एजुकेशनल प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन एक्ट, 1993 उसको आप देखिये, एक फीस एक्ट है, क्या हम उसको फॉलो कर पाए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स जो प्राइवेट है, उस पर रेगूलेट कर पाये? 1993 में आया है और तत्कालीन ललित किशोर चतुर्वेदी जी लेकर आये थे, आज मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूं। वह सरकार लेकर आई थी उसको। उसके 1996 में नियम बने थे। हम उन्हीं को पालन नहीं करा पा रहे, आप कैसे इन कोचिंग इंस्टिट्यूशन को पालन करा पाएंगे?

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एसओपी दी वह जनवरी 2024 में दी। कोरोना पीरियड आया था आपने देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसओपी जारी की थी, तुरंत ऐक्शन हुआ था। एनजीओ वगैरह को बुलाकर डिस्कशन किया गया था। मैं कहना चाहूंगा जैसे ही एसओपी जारी हुई थी, उसी वक्त ऐक्शन लेना चाहिए था और वेरियस स्टेक होल्डर है, चाहे वह विद्यार्थी है, छात्र है, टीचर्स हैं, उनको बुलाना चाहिए था, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए थी कि इन चीजों को कैसे रोका जाए।

मैं आज फिर कह रहा हूं कि सुसाइड पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब तक मां-बाप, परिवार को आप जागरूक नहीं करेंगे, उसकी काउंसलिंग नहीं करोगे। मां-बाप के द्वारा उसको ऐसे सपने दिखा दिये जाते हैं और वह बच्चा अंडर प्रेशर। माननीय मंत्री जी, कल ही एक यूथ मेरे पास आया, बूडापेस्ट में डेढ़ करोड़ की नौकरी छोड़ कर आया है। उसने कहा कि वहां मेरा मन नहीं लगता, बीटेक होल्डर था। वह कह रहा है कि मुझे तो फोटोग्राफी में शौक है, मैं अपना खुद का पीआर सिस्टम डवलप करना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पूर्व के साथियों ने दिए हैं। इस चीज़ को देखिये कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। इस समय मैं दावा कर रहा हूं, पता नहीं दोबारा सदन में क्या होगा, क्या नहीं होगा यह मैं नहीं कहता, हम उस एज के दौर में चल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, इससे कभी भी आप आत्महत्या खत्म नहीं कर सकते। मैं बताना चाहता हूँ 2019 और 2021 के बीच, तीन सालों में ही, कितनी आत्महत्या हुई थी, मैं पूछना चाहूंगा, आपके अधिकारियों ने बताया होगा, कोई सर्वे किया होगा, जो रिपोर्ट है 35 हजार 95050

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अभी तो तीन मिनट ही हुई है। ...(व्यवधान)... सॉरी सॉरी। 35 हजार 950 छात्रों ने आत्महत्या की। मैंने अभी फिटजी का एक स्लोगन पढ़ा, "Start Early to Succeed Surely"

जल्दी से कोचिंग में आओ, मतलब छठी में आ जाओ, सातवीं, नौवीं में आ जाओ, जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी ही सक्सेस मिलेगी।

एक बात और कहना चाहूंगा। इसमें एजबार नहीं है जो बहुत इम्पोर्टेंट एसओपी थी,

जिसकी वजह से सुसाइड होते हैं। 16 साल के बच्चे का आप एज बार लेकर आइये। फी कंट्रोल का इसमें कुछ नहीं किया है।

VPS-RTM-24.03.2025-16.40-3c

इसके अलावा फैकल्टी के बारे में, आप सर्वे करवा लीजिए, एक कोचिंग सेंटर एक ही दो-चार नाम फैकल्टी के यूज करता है पूरी कंट्री में कि वह ही पढ़ायेगा और वह लोगबाग बहुत अच्छे फैकल्टी वाले होते हैं, उन्हीं को प्रचारित करता है। ऑनलाइन शुरू कर दी गयी है, इस पर ऑनलाइन सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेंगे, बताइये आप कि आपका क्या सिस्टम है? ऑनलाइन एजुकेशन का कहीं जिक्र है इसमें? केवल इंस्टीट्यूशन आपने, आपने ऑफ कैम्पस की ही बात की है, ऑनलाइन कैम्पसेज जो हैं उसकी कोई चर्चा नहीं की है इसमें और आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग हो रही है सब जगह, तो इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है ऑनलाइन कोचिंग का।

श्री सभापतिः विराजिये। समाप्त करें।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, एक और बात कहना चाहूंगा इसमें कि ट्यूटर्स के लिए, जो ट्यूटर्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की गयी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री गोपाल शर्मा।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): इसके अलावा जो करियर काउंसलिंग गाइडेंस, उसके लिए कहीं भी ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, आज यह जो बिल आ रहा है, उसका समर्थन करते हुए कुछ सवाल करना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, बड़ा अफसोस है, एक मिनट में मैं कहना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये, प्लीज।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): इस पर चर्चा अगर बारह-एक बजे तक भी चले तो ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): कुछ बात कहना चाहता हूं, कुछ निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): हां, यह जरूर है कि सरकार बचाव करके इसको प्रवर समिति को सौंप दे तो मैं इसका स्वागत करूंगा लेकिन इसको जल्दीबाजी में पास नहीं किया जाये। धन्यवाद, सभापति महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): यह बिल आज से 20 साल पहले आया होता तो हमको यह लगता कि हम समय के साथ चल रहे हैं। आज जब यह बिल लाया गया है तो हम देर से चल रहे हैं या रास्ता भूल चुके हैं या 20 साल बाद जो स्थिति होने वाली है वह हमारे ध्यान में है या नहीं, यह एक सवाल मंडरा रहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, एक तरफ स्कूल/कॉलेजों का पाठ्यक्रम, दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस और इन दोनों के बीच में बनी हुई खाई को दूर करने के लिए एक पुल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम के ऊपर जाने जाते हैं।

महोदय, यह सारा जो मायाजाल है कोचिंग इंस्टीट्यूट का यह हमारे ईस्टर्न एशिया के अन्दर शुरू होता है। साउथ कोरिया, चीन, जापान, भारत, एक शब्द है जापान में 'जुकेन जिगोकू' यानी, एंट्रेंस परीक्षाओं का नरक, इसका अर्थ है जापान में यानी, कोचिंग इंस्टीट्यूट। यानी, ऐसा नरक जो कर दे बेड़ा गर्क।

महोदय, विषय यह है कि कोचिंग की जरूरत कहां है? पढ़ाई के लिए, एंट्रेंस के लिए, नौकरी के लिए एक ऐसा मायाजाल, हमारा एजुकेशन सिस्टम लगभग कोलेप्स होता जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं, चले चलिये राजस्थान विश्वविद्यालय में, किसी और विश्वविद्यालय में, किसी सरकारी कॉलेज में, अगर एक भी कमरे में पढ़ाई होती मिले लेकिन चले जाइये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वह जरा-सा भी खाली मिले। इसका कारण है कि हम शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और शॉर्टकट अपनाते जा रहे हैं। यह शॉर्टकट है कोचिंग इंस्टीट्यूट। जिस तरह से हमारे देश के महानगर कॉम्पिटिशन कैपिटल के अन्दर बदलते जा रहे हैं, हमारा राजस्थान कोचिंग कैपिटल के रूप में बदलता जा रहा है। हमको केवल यह नजर आता है कि 60 हजार करोड़ का यह कोचिंग का व्यवसाय, 2028 के अन्दर 1.33 लाख करोड़ का हो जायेगा। क्या यह केवल पैसे से जुड़े विषय हैं? आज तक कोई भी आत्महत्या हुई हो, उसमें किसी को सजा मिली हो तो मेरे से ज्यादा आदरणीय, माननीय कोटा से आने वाले वरिष्ठ विद्वान सदस्य ज्यादा जानते होंगे। क्यों आवाजें आती हैं कि यह कोचिंग इंस्टीट्यूट भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं? हम इनको और जोड़ना चाहते हैं। जो प्राधिकरण खड़ा करना चाहते हैं, वह क्या करेंगे सिवाय भ्रष्टाचार के? जे.डी.ए. की स्थिति देख लीजिए। एक नया प्राधिकरण खड़ा कर दीजिए। अफसरों का जाल खड़ा कर दीजिए। यह जो भारत सरकार की गाइडलाइन्स हैं जनवरी, 2024 की, यह क्या कहती है? राजस्थान के लिए यह कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, साथ-साथ चलो। डबल इंजन की सरकार है साथ-साथ चलो। फिर यह कहां से सवाल आता है कि वह मानते हैं कि सैकण्डरी एजुकेशन के बाद या 16 वर्ष की उम्र होने के बाद कोचिंग में दाखिला ले सकेंगे, उसके बाद ही ले सकेंगे, फिर हमारे इस बिल के अन्दर यह धारा क्यों गायब है? क्यों गायब है?

आदरणीय सभापति महोदय, हमारा यह बिल कहीं मत्स्य न्याय का प्रतीक तो नहीं है कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है? महोदय, हमारी यह जो भारत सरकार की गाइडलाइन्स हैं यह कहती हैं कि 25 हजार या एक लाख, पहली गलती पर 25 हजार, दूसरी गलती पर एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा, इसके बाद उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो जायेगी। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल के अन्दर ऐसा कौनसा सिस्टम है जो राजस्थान को इतना सस्ता बना दिया कि यहां पहली गलती पर दो लाख और दूसरी गलती पर पांच लाख यानी, जो

पांच लाख दे सके वह कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाये, जो नहीं दे सके वह घर में जाये। क्या हमने यह छोटी मछलियों को खाने के लिए बनाया है यह बिल? लेकिन देर आये दुरुस्त आये हम। बिल के अन्दर अच्छी शुरुआत हुई है।

आदरणीय सभापति महोदय, इस बिल के लिए सुप्रीम कोर्ट उस समय भी यह कह चुका है जब राजस्थान के अन्दर आदरणीय भजन लालजी की सरकार नहीं होती थी। उसके पहले भी यह विषय आ चुके हैं लेकिन यह इतना बड़ा मायाजाल है, कहीं पर ॐ की आवाज आती है, कहीं पर ॐ शांति की आवाज आती है, कहीं प्रभु की आवाज आती है लेकिन यह लोग इतने ज्यादा ताकत में आ चुके हैं, महोदय, कि कहीं राजस्थान के शैक्षणिक सिस्टम को कोलेप्स नहीं कर दे?

मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात को खतम करना चाहता हूं कि पिछले साल हमारे शहीद कैप्टन अमित भारद्वाजजी के जन्मोत्सव पर जयपुर की दस प्रमुख स्कूलों के छात्र बैठे हुए थे। उनसे एक बड़े पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का नाम पूछा गया, उससे छोटे पद पर हैं वे, लेकिन लोगों ने कहा कि वह नाम है श्रीमान मदन दिलावर। क्या स्थिति है? क्या शिक्षा देने जा रहे हैं?

जब हमारे देश के अन्दर महाराणा सांगा की आलोचना पर तकलीफ नहीं हो तो हसन खान मेवाती को कौन याद करेगा? कौन याद करेगा अब्दुल हमीद को? कौन याद करेगा अशफाक उल्ला खान को? कौन याद करेगा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को? तो जो महाराणा सांगा के ऊपर आज राजस्थान शांत बैठा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विषय पर आएं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): अगर कोचिंग संस्थाओं की बात करेंगे तो वह कभी महाराणा सांगा पढ़ाने वाले नहीं हैं इसलिए आदरणीय सभापति महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि अफसरशाही से ऊपर उठकर, प्रेम चन्दजी बैरवा साहब, दिखा दीजिए। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कि इन अफसरों का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। दिखा दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): दिखा दीजिए कि हम कांग्रेस से अलग हैं। दिखा दीजिए। नमस्कार। जय श्रीराम। जय महाराणा सांगा।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर बहस हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए तो कि राज्य सरकार ने यह विधेयक लाने का मानस बनाया क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रदेश में छात्र लोग जो कोचिंग में पढ़ते हैं उनमें निरंतर आत्महत्याओं में वृद्धि हो रही है, उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

Ssy/Rtm/24.03.25/16.50/3d

यानी पिछले 10 साल में 127 छात्रों ने आत्महत्या की और हर साल बच्चों की आत्महत्याओं के मामले में वृद्धि हो रही है। आप विधेयक तो ले आए पर इस विधेयक में अभिभावकों की काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे मुद्दे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने के पीछे उद्देश्य यह होना चाहिए कि किस प्रकार से अपने अभिभावकों के दबाव में बच्चे बिना इच्छा होते हुए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, अभिभावक अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टिट्यूशन में भेज देते हैं पर बच्चा डॉक्टर की जगह, जैसा बुडानिया जी बता रहे थे कि वह इंजीनियर बनना चाहता है, पर पिताजी कहते है कि नहीं बेटे, तू तो डॉक्टर ही बन, वह कहता है कि वह डॉक्टर नहीं बन सकता, तो इसके बारे में इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है।

केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2024 में जो गाइड लाइन जारी की, उसको भी आपने दरकिनार कर दिया, होना यह चाहिए कि आत्महत्याएं कैसे रुकें, इसके बारे में इस विधेयक में प्रावधान होता और जो राजस्थान ने एक अपनी पहचान बनाई है कोचिंग इंस्टिट्यूशन्स के बारे में, आज पूरे देश के बच्चे हमारे कोटा में, सीकर में, जयपुर में कोचिंग लेने के लिए आते हैं, परन्तु उसके बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं है, आपने जिस प्रकार के प्रावधान इसमें रखे हैं, उससे तो ऐसे ही लगता है कि यह ब्यूरोक्रेसी के जंजाल में हम लोग कोचिंग इंस्टिट्यूशन्स को दे रहे हैं।

यदि यह विधेयक इसी रूप में आपने पारित कर दिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि राजस्थान की जो अपनी एक पहचान है कोचिंग इंस्टिट्यूशन्स की, लाखों की संख्या में बच्चे बाहर से आकर के यहाँ पर पढ़ते हैं, यह सारे कोचिंग इंस्टिट्यूशन्स यहां से वापस शिफ्ट हो जाएंगे अन्य राज्यों में और जो लाखों लोग हमारे इन कोचिंग इंस्टिट्यूशन्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह पीजी हॉस्टल के माध्यम से हो, चाहे टिफिन सेंटर चलाये जाने के माध्यम से हो, चाहे छोटे-छोटे शिक्षक हों, कर्मचारी हों, यह सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी मंशा तो ठीक है कि आप इस प्रकार का बिल लेकर के आए हैं, पर इस बिल की उपयोगिता तभी है जब ही इसकी सार्थकता है कि हम, जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि इस पर गहन विचार विमर्श करें, शिक्षकों से बात करें, अभिभावकों से बात करें, कोचिंग इन्स्टिट्यूशन्स के जो संचालक हैं उनसे बात करें, जनता से बात करें और उसके बाद यह विधेयक यदि लायेंगे तो निश्चित रूप से वह फुल प्रूफ होगा।

आज जिस प्रकार आपने यह विधेयक लिया है, अब इसमें आपने स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बना दी, यह बात सही है कि आज कलेक्टर 50-50 कमेटियों का अध्यक्ष होता है, वह जा नहीं सकता, इसमें जन प्रतिनिधि नहीं, इसमें कोई ज्यूडिशियल का आदमी नहीं, कोई एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग नहीं, तो मैं यह चाहूंगा कि आप इस

प्रकार का बिल बनाएं जिसमें यह सरकारी अधिकारी तो हों पर उसके साथ-साथ जन प्रतिनिधि भी हो, उसमें एनजीओ का प्रतिनिधि भी हो और सबसे बड़ी बात है कि उसमें ज्यूडिशियरी का भी कोई न कोई प्रतिनिधि हो।

अब जो केंद्र ने गाइड लाइन दी थी, उसमें यह कहा था कि आप इस प्रकार का सिस्टम डवलप करेंगे कि यदि कोई बच्चा 2 दिन एब्सेंट रहता है बिना कारण बताए तो उसकी सूचना उसके परिजन को दी जाएगी, वह गायब है, इसमें वह इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। सेंटर ने आपको गाइड लाइन दी थी कि जो महिला विद्यार्थी हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको हम प्राथमिकता देंगे, आपके इस बिल में उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो मैं यह चाहूंगा कि आपने पहल की, यह बिल लाए, यह तो अच्छी बात है, पर जल्दबाजी में इस विधेयक को पास मत करिए क्योंकि इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे।

मैं आपको कह रहा हूं कि यदि इस बिल को पारित कर दिया तो सारे इंस्टिट्यूशन्स, जो 60 हजार करोड़ का व्यापार हमारे राजस्थान में कोचिंग इंस्टिट्यूशन्स के कारण है वह सारे बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे यहां हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप या तो प्रवर समिति में भेजें, जो भी करना चाहे सबसे राय ले करके और एक फुल प्रूफ हम यदि कोचिंग विनिमयन के लिए बिल लाएंगे तो वह ज्यादा उचित होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री थावर चन्द।

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद, सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, राजस्थान के अंदर उन नौजवानों की बात को रखने का अवसर दिया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि आज कोचिंग सेंटर, पहली बात तो जरूरी ही क्यों हैं? जब हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसके अंदर यदि हम लोग कहें कि पहली क्लास से बारहवीं तक पढ़ाई कराते-कराते बच्चे के मन में यह भावना आती है कि हम बारहवीं में अच्छे अंक लाएंगे और अच्छे अंक लाने के बाद में हमारे को यह जो कोर्स है, इसी से तैयारी करेंगे तो हम अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद में कई हालात ऐसे पनपते हैं कि कॉलेज की एजुकेशन अलग और सीनियर एजुकेशन अलग, उसके बाद में मैं एक और बात करना चाहूंगा कि जब बारहवीं क्लास के बाद में निकलते हैं तो लक्ष्य बदल जाते हैं।

सरकार जब भर्तियां करती है, सरकार जब भर्तियां निकालती है, एक आंकड़ा है उसके मुताबिक दसवीं और बारहवीं में 90 प्रतिशत अंक लाने वाले स्टूडेंट हर साल 7 लाख होते हैं और इन स्टूडेंट के लिए यदि आईआईटी में कोई भर्ती हो तो उसके लिए 17 हजार सीटें होंगी लगभग। अगर 7 लाख लोगों के लिए सीटें होनी चाहिए तो किस आधार पर होनी चाहिए? हर साल भर्तियां निकलती हैं, रीट की भी निकलती है तो एक तरफ 16 हजार भर्तियां निकलेंगी और दूसरी तरफ फॉर्म भरे जाएंगे 20 लाख, 30 लाख, तो ऐसी स्थिति में बेरोज़गारों के

अंदर इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है।

दूसरी ओर यह कानून कह रहा है कि हर स्तर पर 50 स्टूडेंट का कोचिंग खोलने पर उनको इस नियम के अंदर लाना पड़ेगा, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बड़े स्तर के कोचिंग जोधपुर में हैं, सीकर में हैं, जयपुर में हैं, कोटा में हैं लेकिन गांव के अंदर कोई छोटे स्तर के कोचिंग हैं, ब्लॉक स्तर के कोचिंग हैं, तो इनको अलग-अलग लेयर में बांटकर इन कानूनों के दायरे में लाना पड़ेगा।

मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो एक कोचिग सेंटर अलग-अलग अखबारों में विज्ञापन इस तरह से प्रकाशित करते हैं की जैसे इस कोचिंग में यह पढ़ाई होती है, इस तरह की इतनी-इतनी भर्तियां निकली तो लड़कों के मन में कॉम्पिटिशन पैदा होता है कि मैं कौन सी कोचिंग पर जाऊं और उनके मां-बाप भी फोर्स करते है कि बेटा, उस कोचिंग पर जाना पड़ेगा तेरे को, जिसके माध्यम से तू आगे बढ़ेगा और बड़ा अधिकारी बनेगा, चाहे उस बेटे का इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है, लेकिन इस तरीके से कोचिंग में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये ऐसा हालात बन जाते हैं कि आपस में 20-20 लाख स्टूडेंट एक साथ कोचिंग कर रहे हैं और 4-4, 5-5 हजार की भर्तियां होती हैं तो कहां से कौन उस भर्ती में आएगा?

मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि आज कोटा के अंदर हर साल कोई न कोई स्टूडेंट आत्महत्या करता है और एक आंकड़े के अनुसार हर साल 10 हजार स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं। एक नौजवान, जब उसके माता-पिता उसको पढ़ाते-लिखाते बड़ा करते हैं और उसके बाद में उम्मीद होती है कि यह बड़ा होकर नौकरी लगेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद में कभी पंखे के ऊपर उसकी लाश लटकती मिलती है, तो किस तरह की निराशा उसके सामने होती है, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा और आज यह चर्चा कराई है, उसके लिए भी धन्यवाद कहूंगा की आपने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई है।

सभापति महोदय, हम लोग दक्षिणी राजस्थान से आते हैं, हमारा इलाका ऐसा है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। वहां पर ऐसे हालात हैं जहां कोई मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाता है तो कोई खेती-बाड़ी बेच कर, कोई गहने गिरवी रखकर पढ़ाता है। ऐसे में जब डिग्री पूरी होती है तब उम्मीद रहती है कि कोई नौकरी मिलेगी। हर बार भर्ती की आस में जब लगता है कि बड़े-बड़े शहरों में महंगी-महंगी कोचिंग होती है, उसके अंदर जाएंगे तो नौकरी लग जाएगी।

spp/Rtm/24.03.25/17.00/3e

ऐसी इन उम्मीदों के साथ में अपने पिता के खेत और सारी चीजें, गहने गिरवी रखकर इन कोचिंगों में आते हैं। जब कोचिंग में आते हैं, तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद में अचानक से यह खबर आती है कि इस बार का जो पेपर था, लीक हो गया। जब पेपर लीक होने की बात आ जाती है तब हमें ऐसा लगता है कि उनके सपने टूट जाते हैं जब उसको

पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ..(व्यवधान)..

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

श्री थावर चन्द (धरियावद): जब पेपर लीक होने की बात आ जाती है तो हमारे इलाके के जो स्टूडेंट हैं उनके सपने चूर इसलिए हो जाते हैं कि एक बार मेहनत करके, वह एक बार पैसा इकट्ठा करके कोचिंग तक आ आता है, उसके बाद आ नहीं पाता है। ऐसे में पेपर नहीं बिकते, बिकते हैं उन किसानों के सपने, बिकते हैं उन किसानों के घर, बिकते हैं उन किसानों के खेत, बिकते हैं उन लोगों के और उनकी माताओं के गहने, तो ऐसे में पिछली बार जो सरकार आयी थी, उस सरकार ने कहा था कि आर पी एस सी को भंग कर देंगे हमारे सरकार में आने के बाद। जब सरकार आने के बाद में आर पी एस सी भंग करने के साथ-साथ में यह भी कहा था कि हम लोग आर पी एस सी भंग करने के साथ में मगरमच्छों को पकड़ेंगे। लेकिन कागज के टुकड़े भी सरकार पकड़ नहीं पाई, मगरमच्छ तो कहां पकड़ेगी। आर पी एस सी की बात करते हैं तो जो आर पी एस सी भंग करने की बात थी, उसी आर पी एस सी के अंदर वही के वही लोग, जो पहले भी चोर बनकर बैठे थे, आज फिर से उस आर पी एस सी के अंदर हैं। आज जरूरत है उसे वापस से भंग कर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं। इनके कॉम्पीटिशन का जो समय है, इसके अंदर कॉम्पीटिशन में लागू कर दिया गया न्यूनतम अंक का, बीपीएड हो या अन्य भर्तियों के अन्दर, तो अन्य भर्तियों के अंदर हो या बीपीएड हो, इन भर्ती के अंदर जो न्यूनतम अंक प्रणाली है, उसे कम से कम टी एस पी इलाके के लोगों के स्टूडेंट के लिए तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पहले से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं और इस कॉम्पीटिशन की दौड़ में शहरों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं तो वो उससे संभल नहीं पाते हैं तो उनके लिए ये खत्म होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि हर बार जयपुर जैसे, सीकर जैसे, कोटा जैसे, महंगे शहरों में कोचिंग करना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। ऐसे में कई बार भर्तियां होती हैं और भर्तियों के अंदर कई कई तरह के घोटाले होते हैं। तो हम लोग ये कहते है कि टी एस पी इलाके के अंदर एक अलग से भर्ती का बोर्ड होना चाहिए, जिसके माध्यम से उस इलाके की भर्तियां अलग से हो सके।

इसके साथ में एक बात और कहूंगा कि आज संवेदनशील मुद्दा है । राजस्थान में सैकड़ों युवाओं ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के दबाव और बेरोजगारी में कई जानें गंवाई हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो बेरोजगार हैं वो कई स्थितियों से जूझ रहे हैं। हर साल राजस्थान

का एक आंकड़ा है। हर साल 10 लाख नए बेरोजगार पैदा हो रहे हैं तो सरकार के पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से इनको रोजगार दिया जा सके और पेपर के अंदर जटिलता लानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी का पेपर है तो उस पेपर को भी इतना हार्ड दिया जाता है जैसे आर ए एस का कोई पेपर हो। इस कारण से वह कोचिंग को मजबूर हो जाएगा। दूसरी बात कोई कोचिंग करने के लिए बच्चा जाता है तो पहले एक करियर गाइडेंस होना चाहिए। जब कॉलेज से निकलता हो या बारहवीं क्लास से निकलता हो, करियर गाइडेंस के माध्यम से उसे दिशा मिलनी चाहिए कि वो किस तरीके से किस तरफ जा सके, ताकि उसको उस दिशा के माध्यम से अपने करियर को बना पाए। इसके साथ में हर बार विद्यालय के अंदर पैरेंट्स और शिक्षकों के बीच में एक सांमजस्य बिठाना चाहिए, जिसके अंदर पैरेंटस को ये भी बताना ज़रूरी है कि आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, इसको किस तरीके की दिशा देकर आप आगे ले जा सकते हो। क्योंकि कई बार आस पड़ोस के बच्चों को देखकर एक माता-पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। मेरा बेटा ऐसा बन जाए, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है? उस तरीके से कोई नहीं देखता है तो इनके लिये करियर गाइडेंस भी होना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो कानून ला रहे हैं। ये 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोचिंग में नहीं जाने का, तो अभी जो हर एक भर्तियां होती है उसमें कोचिंग पर निर्भर हो गया बच्चा। हमे ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इनको कंट्रोल कैसे किया जाए और ये शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सके। दूसरी बात, हम लोग जो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी है, विधायक हैं, हम लोग कभी भी सरकारी विद्यालय के अंदर हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग तो प्राइवेट स्कूल और अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट देखते हैं तो आम गरीब और आम नागरिक के लिए सरकारी व्यवस्था है तो कैसे वो कॉम्पीटिशन में आगे आ पायेगा? हमें शिक्षा व्यवस्था में सरकारी संस्थानों को भी मजबूत करने की जरूरत है। उसके माध्यम से हम आगे ला पाएंगे।

इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जैसे ही बारहवीं पास होती है, 12वीं पास है, कॉलेज पास हो जाता है बच्चा, तो प्राइवेट कोचिंग संस्थान अक्सर उनके डेटा निकालती है कि जो बच्चा होशियार है, जो बच्चा 90% से ज्यादा अंक आता है, उसको पहले ही कवर में ले लेते हैं और उसको पहले ही कोचिंग में बुला लेंगे और जो बच्चा कमजोर है, उसको आप नहीं बुलाएंगे तो कई बार कोचिंग में भी मेलजोल होता है तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इन कोचिंग व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा इस कानून को प्रवर समिति में भेजा जाए जिस पर विचार किया जा सके। मैं पुनः, सभापति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापतिः श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद, सभापति महोदय, आज आपने राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मेरी बात उन लाइनों से शुरू करूँगा। सैकड़ों युद्ध लड़े थे उन्होंने, 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। साहब, राजस्थान का इतिहास बहुत गौरवशाली है। और बड़ा दु:ख होता है। जब राजस्थान के इतिहास को, उस गौरवशाली इतिहास को देश की सबसे बड़ी पंचायत में चैलेंज किया जाता है। उसको लेकर हम सब चुपचाप बैठे सुनते हैं। मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, आज का जो बिल है वो बहुत जरुरी बिल है। कोचिंग का बिल है। कई सारे तमाम जो हमारे सदस्य हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। कई सारे सुझाव दिए। चर्चा शुरू हुई आत्महत्याओं को लेकर कि हमारे जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बिल कुछ और कह रहा है सिचुएशन कुछ और है। आत्महत्या इसलिए हो रही है क्योंकि आज के समय में उन विद्यार्थियों पर, उन युवाओं पर, उन बच्चों पर जबरदस्ती वो तमाम चीजें थोप दी जा रही हैं। इसमें गलती किसकी, गलती है अभिभावकों की। सब माईं की तरह है, वही टाबरां न संभाल सकी। आज के समय में जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो आई आई टी, जे ई ई की तैयारी कर रहे हैं, उनको इरोडो, क्रोटोज जैसी थ्योरीज पढ़ाई जाती है। आई आई टी अगर क्रेक करनी है, जी अगर क्रेक करना है तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, पता है साहब? ये नासा के वो टैक्निकल पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है ये भारत के अलावा कहीं के भी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता। बारहवीं का जो बच्चा है, उसको आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो कि ये पढ़। 99.9% परसेंटाइल नहीं हुई तो भैया सलेक्शन नहीं होगा। अगर सलेक्शन नहीं हुआ तो अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे? वो रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में अपने बच्चों की बलि चढ़वा देते हैं। हम आरोप लगा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, निश्चित रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट में तमाम व्यवस्थाएँ सही होनी चाहिए, पूरी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। पर इसके साथ ही साथ मेंटल हेल्थ की बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में जो बारहवीं के बच्चे हैं, वो हंसना भूल चुके हैं। हमारे सबके घर में बच्चे हैं, हम सब जाते हैं, देखते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो तैयारी कर रहे हैं, उन पर इस लेवल का भार रहता है कि वह बच्चे परिवार के साथ में बैठ ही नहीं पाते। आज कॉम्पीटिशन का युग है। आज के समय में लगभग 10 हजार में से 100 जनों का सलेक्शन होता है और उन पर इस तरीके का प्रेशर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे कदम उठा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें नींव को मजबूत करने की ज्यादा जरूरत है। नींव कैसे मजबूत होगी? आज के समय में हमारे जो स्कूल्स हैं। उसके अंदर क्या हम सही तरीके से वो व्यवस्थाएँ दे पा रहे हैं? हमारे जितने भी ग्रामीण परिवेश की स्कूलें हैं, क्या उनमें जो शिक्षा की गुणवत्ता है, क्या वो सही है? मैं अगर मेरे शिव

विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूँ तो 11 विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ पर अध्यापक ही नहीं हैं। पंचायत सहायकों के भरोसे चल रहे हैं। 42 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर एक एक अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। 200 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें सिर्फ दो ही अध्यापक हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं साहब, कि बेहतर शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को मिले। अगर मैं ग्रामीण परिवेश की बात करूँ, मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की बात करूँ तो आजादी के बाद जाकर अब वहाँ पर जाकर कॉलेजेज खुली हैं और उन सब कॉलेजेज में एक एक स्टाफ है। फिर हम सब उम्मीद करते हैं कि साहब हमारे बच्चे वो आई आई टी में जाएं, यू पी एस सी में जाएं, बड़े पद पर जाएं, फिर उनको कहते हैं कि साहब हम कैसे भी करके आप सलेक्ट हो। उन बच्चों की नींवों को ही हमने कमजोर कर दिया है। अगर वाकई चाहते हैं कि बेहतर हमें परिणाम मिलें तो उनकी नींवों को मजबूत करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात चल रही है।

jyg/Rtm/24.03.25/17.10/3f

कई सारे हमारे जो माननीय सदस्य थे उन्होंने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उन पर यह कर दो, वो कर दो, आप करें, आप नियंत्रण रखें, नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो आम विद्यार्थी है उसकी फीस को लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है और एक लिमिट बहुत ज्यादा जरूरी है पर आपने राजस्थान की कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया तो ये सारे बच्चे राजेन्द्र नगर, मुखर्जी नगर जाकर धक्के खायेंगे। वहां के हालात जाकर देखो आप। चार बाई चार की जगह में ढंग से पग ही लाम्बा कोनी होवे, इती जगां रही है। वहां पर हमारे जाकर बच्चे परेशान होंगे। आप अधिनियम लायें, विधेयक लायें, सब चीजें लायें, पर मेंटल हेल्थ को लेकर कोई न कोई विशेष कदम हमको उठाना होगा। बच्चों को इस तरीके से प्रेशर कर रहे हैं, यह प्रेशर कहीं न कहीं कम होने की ज्यादा जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी चीज मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा सारे रिश्तेदारों से, जो कहीं न कहीं बच्चे पर एक तरीके से होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो निश्चित रूप से काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ हमारे यहां के कम्पीटिशन की बात करें। लगभग पचास लाख बच्चे हर साल तैयारी करते हैं, एक लाख से डेढ़ लाख के आसपास की नौकरियां आती हैं, बाकी सारे विद्यार्थी वो कहीं न कहीं डिप्रेस्ड होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं मेरी ही बात करूं, मैं साइंस में ट्वेल्थ करके आया, बायो में, 78 परसेंटेज थे, डॉक्टर साहब वगैरह, सब विराजे हैं, मुझे भी किसी ने सलाह दी, परिवार को भी कहा, डॉक्टरी करवा दो, उस समय प्री-मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, एंट्रेंस नहीं था, किसी और क्षेत्र में चले गये, वकालत कर ली।

माननीय सभापति महोदय, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं, आसपास की एक लॉबी है

वो उस विद्यार्थी को यह भी नहीं पूछते कि आपको जाना किस ओर है तो निश्चित रूप से इसके लिए भी अपने को विचार करना पड़ेगा और साथ ही साथ अभिभावकों से भी विशेष रूप से निवेदन करना पड़ेगा कि बच्चों को आप वो जिस ओर जाना चाह रहे हैं, उस ओर भेजो, उस पर दबाव ना डालो। इसके बारे में हमें चर्चा भी करनी पड़ेगी। हम सब लगभग 200 जो यहां पर चुनकर आये हैं, अपने-अपने क्षेत्र में सब अपना प्रभाव रखते हैं, निश्चित रूप से वो क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्र में कहेंगे तो उसका एक अलग ही इफैक्ट भी आयेगा और उसका परिणाम भी मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज के समय में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कम्पीटिशन एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं उनमें हर दसवां बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। उस डिप्रेशन को कम करने के लिए हमें कई सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ यह जो विधेयक लाया गया है, निश्चित रूप से हम अधिकारियों को बहुत ज्यादा ताकतें दे रहे हैं। अगर इस तरीके से लालफीताशाही हावी हो गयी, आप कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्वे भी ये करेंगे, निरीक्षण भी ये ही करेंगे, उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो भी कलेक्टर होंगे। मेरे से पहले नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कलेक्टर लगभग 30 से 40 कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पचास।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): वो किस-किस चीज का ध्यान रखेंगे? तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी चीज है। इन तमाम चीजों के बारे में हमें सोचना होगा। आज के समय में ये जो स्थितियां, परिस्थितियां बन रही हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है, इस तरह से हम युवाओं पर दबाव बनाते गये तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम हमारी क्वालिटी को पूरी तरह से खतम कर देंगे। हमारे यहां पर आई आई टी और इस तरह के तमाम कम्पीटिशन एग्जाम्स में सिलेबस है, मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली कहीं ऐसे सिलेबस होंगे, कहीं ऐसे सिलेबस नहीं हैं। आप बड़ी से बड़ी, यू के देख लें, यू एस देख लें, आप जर्मनी देख लें, आप न्यूजीलैंड देख लें, कहीं पर भी जायें, इस तरीके का जो मानसिक तनाव और इस तरीके के जो कोर्सेज हैं वो कहीं नहीं है। आज के समय में अगर हम बात करें कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो अभी चर्चा चल ही रही है, उसी का विधेयक है, मैं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वो एक विकल्प है, जब उसकी नींव मजबूत नहीं होती तो उसको जबरदस्ती उस विद्यार्थी को आगे आने वाले भविष्य के लिए कम्पीटिशन एग्जाम के लिए जाना पड़ता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): आज के समय में आप इलेक्टोरल सिस्टम को खतम कर दें, आप यह कह दें कि एक्जाम के थ्रू आप एम.एल.ए. बनकर आयेंगे तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कोचिंगें खुल जायेंगी एम.एल.ए. बनाने के लिए। निश्चित रूप से हमें इन सब

चीजों पर चर्चा करने की जरूरत है कि मानसिक तनाव कैसे कम हो, हमारे विद्यार्थी कैसे ब़ढिया तरीके से तैयारी कर पायें। यह जो विधेयक लाया गया है, मुझे लगता है कि इसको प्रवर समिति में भेज देना चाहिए और इस पर विस्तार में चर्चा जरूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। अगर मैं सरल शब्दों में अपनी जिम्मेदारी यहां बैठे हुए 200 विधायकों को बताना चाहता हूं। वृद्धाश्रम किसकी विफलता का प्रतीक है? बहुत अच्छा वृद्धाश्रम हो जाये, वहां बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाये, नियम-कानून बन जाये पर वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, सवाल तो यह है। यह हम लोगों के समाज की, पारिवारिक स्थितियों की विफलता वृद्धाश्रम तक लेकर जाती है।

ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, बहुत आसान है अंगुली किसी ओर की तरफ करने की, सबसे आसान है कि हम ब्यूरोक्रेसी की तरफ कर लें, इससे आसान कुछ भी नहीं है, आसान है कि हम और किसी की तरफ कर लें पर ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, विशेषकर 200 विधायकों की, हम लोगों की प्राथमिकता की विफलता के कारण ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था इस राजस्थान में हुई है। माननीय सभापति महोदय, कोई दोषी नहीं है। हम लोग हैं, विधायक लोग दोषी हैं। जो परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने नौकरी प्राप्त करने के लिए तय की है राजस्थान में, उसके लिए हम किसको दोष दें? क्या वो परीक्षा प्रणाली के लिए किसी और को तय करें, क्या इस तरह की परीक्षा प्रणाली हम लोग तय नहीं कर सकते हैं? ...(व्यवधान)... यह हमारे बहुत ज्ञानी मंत्री महोदय जी को तो इसमें रुचि नहीं है। पर मेरा निवेदन है कि वो परीक्षा प्रणाली के कारण ही यह सब समस्या है। क्यों हम बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ धकेल रहे हैं, ये क्राइम हम लोग क्यों कर रहे हैं, इस परीक्षा प्रणाली में ही बदलाव की आवश्यकता है।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, जो स्कूल का कोर्स है 12वीं तक का और जो कॉलेज का कोर्स है, क्या उसी कोर्स के माध्यम से उसी तरह के सिलेबस के माध्यम से ये एंट्रेंस और नौकरी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं हम? सबसे बड़ा सवाल यह है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे? माननीय सभापति महोदय, 100 करोड़ रुपया हम लोगों के लिए एक निजी आयोजन करने के लिए है, हां, जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, फिल्म इंडस्ट्री भी जरूरी है, राजस्थान दिवस के लिए हम लोगों के लिए एक सप्ताह है, सदन आगे नहीं चलेगा क्योंकि राजस्थान दिवस के लिए एक सप्ताह हम लोगों को चाहिए, हां, राजस्थान दिवस भी जरूरी है। इंवेस्टमेंट केलिए हमने हजारों करोड़, हमारी पूरी की पूरी प्राथमिकता हमने इंवेस्टमेंट कर ली, लेकिन राजस्थान के जो नौजवान हैं, राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनकी प्राथमिकता हम लोग कब तय करेंगे? मुझे तो बहुत अफसोस हुआ माननीय सभापति महोदय, जब हमने इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारे परिवार के बच्चों को एक इंडस्ट्री के रूप में हमने

देखा। यहां बहुत ज्ञानी एम.एल.ए. कहते हैं कि सात हजार करोड़ रुपये की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री नहीं है, मैं किसी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, जहां हम लोग धकेल रहे हैं, पचास लाख विद्यार्थी हम लोगों ने राजस्थान के कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ धकेल दिये। नौकरी राजस्थान में हमने कितनों को दी, आठ लाख सरकारी नौकरी है, राजस्थान में हम लोगों के नागरिक कितने हैं लगभग आठ करोड़ से ज्यादा, एक प्रतिशत नौकरी है, ईमानदारी हम खुद नहीं रख रहे हैं, हम लोग 200 विधायक हैं, हमारे द्वारा सरकार बनायी गयी है, हम लोग नहीं रख रहे हें। कई परीक्षाओं के अन्दर एक-एक सीट है माननीय सभापति महोदय, एक सीट, और वो विद्यार्थियों को बताते नहीं हैं कि उस कैटेगिरी की एक ही सीट है, जिस पर वो एलिजिबल है पर वो विज्ञापन और टोटल संख्या है उसके आधार पर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहा है। सात हजार करोड़ रुपये की ये इंडस्ट्री नहीं है, कालीचरण जी, कम से कम एक विद्यार्थी को ढाई लाख रुपये लगते हैं, नहीं तो कम से कम पांच लाख रुपये लग रहे हैं साल के अन्दर, पांच लाख के अन्दर पच्चीस हजार करोड़ रुपये और ढाई लाख ही मान लें तो साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये किसके हैं? ये बड़े-बड़े विज्ञापन आते हैं आज, हम लोगों के यहां प्रतिष्ठित अखबारों में, वो किसके हैं? वो आम राजस्थान के सामान्य मध्यम वर्ग के और गरीब परिवार के पैसों के हैं।

MLS/RTM/24.03.2025/17:20/3g

माध्यम जरूर हम लोग हैं। कोई और दोषी नहीं है, हम लोग दोषी हैं। कोचिंग संस्थाओं को हम दोष दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह व्यवस्था हम लोगों को बदलनी पड़ेगी और कोचिंग संस्थाओं को रैगुलेट करके यह व्यवस्था नहीं बदल सकते हम लोग। हम लोग इस परीक्षा प्रणाली में कैसे सुधार कर सकते हैं, उप मुख्य मंत्री महोदय जी, 100 करोड़ तो आपकी पड़ोस में बैठी हुई उप मुख्य मंत्री जी को आईफा के लिए दिये गये हैं। मेरा निवेदन है, सरकार 100 करोड़ रुपये राजस्थान के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए लगाकर अध्ययन कराएं कि हम लोग इस परीक्षा प्रणाली में किस तरह से परिवर्तन लेकर आएं। अगर परीक्षाए प्रणाली में परिवर्तन लेकर आएंगे तो विद्यार्थियों को हम लोग कोचिंग संस्थाओं की तरफ धकेल रहे हैं, वह हम लोग बन्द कर सकते हैं।

बहुत अलग बातें हैं। सभापति महोदय, इस सैक्शन के सन्दर्भ में, डैथ वॉरंट जो कह रहे हैं, डैथ वॉरंट की भी यहीं बात हुई। डैथ वॉरंट तो और किसी ने नहीं लिखा, हम लोग एमएलएज ने ही लिखा है। राजस्थान के युवा विद्यार्थियों के भविष्य के डैथ वॉरंट के जिम्मेवार हम लोग हैं। सैक्शन की बात करें तो सैक्शन 2 में कोचिंग सैंटर के अन्दर क्या व्यवस्था होनी चाहिये, उसके सन्दर्भ में बात की गयी है कि 50 विद्यार्थी होने चाहिये, नहीं होने चाहिये, कितना उसमें स्पेस होना चाहिये? पूरी दुनिया के अन्दर इस पर बहुत अध्ययन हो चुका है कि एक अध्यापक कितने विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट कर सकता है।

सैक्शन 3(3) के अन्दर राजस्थान कोचिंग सैंटर अथॉरिटी बनी हुई है। अथॉरिटीज पहले

बहुत बनी हुई हैं। निजी स्कूल के लिए मेरे से पहले वाले वक्ता ने बोला, निजी स्कूल के लिए क्या वह हो रहा है, नहीं हो रहा है। निजी कॉलेजों के अन्दर क्या खेल हो रहा है, आदू राम जी, अपने को पता है। विद्यार्थी कॉलेज में नहीं जा रहा, इसके लिए पैसे लिये जा रहे हैं और अपन 200 में किसी से भी यह छिपा हुआ नहीं है कि कॉलेज की अटैंडेंस कम हो रही है, इसलिए निजी कॉलेज वालों को विद्यार्थी 25 हजार रुपये, 50 हजार रुपये अपनी अटैंडेंस पूरी करने के लिए...। कानून बना हुआ है, अथॉरिटी बनी हुई है, उसके बावजूद भी यह स्थिति है। सिर्फ अथॉरिटी बनाकर ही हम लोगों की जिम्मेवारी पूरी नहीं होगी। मूल जड़ जो है, समस्या को समझकर कैसे कर सकते हैं?

सैक्शन 3 है, उसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात की है, 14 सदस्य और अध्यक्ष। सभापति महोदय, ईमानदारी से आप बोलो, क्या आज से पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलक्टर थे, वे आज हैं? मैं बाड़मेर के लिए तो बड़ी जिम्मेवारी से बोल सकता हूं। आज से ठीक 10 साल पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट कलक्टर थे, वैसे निष्पक्ष और मजबूत कलक्टर आज के समय में नहीं हैं। हम सब लोगों को पता है। यह आपकी भी शिकायत रहती है कि सरकार बदलती है, जब सरकार में आप विपक्ष में रहते हो और जब नियम के अनुरूप फैसले नहीं होते, वह दर्द-तकलीफ जो लोगों की है, वह आप भी महसूस करते हो। हम सब लोग जानते हैं, आज ब्यूरोक्रेसी के अन्दर जिस तरह से गिरावट आ रही है। हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कलक्टर पोस्ट की गरिमा क्या रही है। आपको पता नहीं आदू राम जी, पंचायत पूर्ण गठन के अन्दर क्या हो रहा है? हम सबको पता है।

जब हम सब लोग यह जान रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पूरे के पूरे हमारे विद्यार्थी और युवाओं को उन्हीं के हाथों में दे रहे हैं। जो हश्र वहां हुआ है, वही का वही हश्र, सब-कुछ जानते हुए हम लोग उन लोगों की तरफ जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी के सन्दर्भ में हम लोगों को वापस सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम सब लोगों को अनुभव है। बोलता कोई नहीं, स्वीकार कोई नहीं करता। मैं स्वीकार कर रहा हूं। सभापति महोदय, सैक्शन 6(2) के अन्दर सुओ मोटो निरीक्षण की बात की गयी है। जो सुओ-मोटो निरीक्षण के अधिकार दिये गये हैं, इसकी मंशा क्या है?

सभापति महोदय, यह पूरा का पूरा जो बिल बना हुआ है, जो मुझे समझ में आ रहा है, यह बिल बड़े कोचिंग सैंटर्स के संरक्षण के लिए है। जितनी मेरी समझ है। छोटे जो कोचिंग सैंटर्स हैं, वो का वो मॉडल जो क्रोनी कैपिटलिज्म के अन्दर बड़े उद्योगपतियों के लिए है, कहां जाने-अनजाने के अन्दर, मैं दोनों, उप मुख्य मंत्री जी, आपके इंटेंशन के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी ब्यूरोक्रेसी पर भी नहीं कह रहा, पर इसका नतीजा क्या होगा? बड़े कोचिंग सैंटर्स को संरक्षण मिलेगा और छोटे कोचिंग सैंटर्स, और हम दोष दे रहे हैं पैरेंट्स को, परिवार का कोई दोष नहीं है। हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा हुआ है, नौकरी के लिए लक्ष्य रखा है, उन संस्थाओं के एडमिशन के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हर कोई दौड़ रहा है।

जो लक्ष्य हम लोगों ने विधायक के तौर पर रखा हुआ है और जो व्यवस्था कर रखी है,

उसके लिए हम लोग नहीं दौड़ते हैं? उसके लिए किसको दोष दे रहे हैं? हम लोग भी उसी पैमाने पर दौड़ते, दौड़ते, दौड़ते यहां आ गये। सही है या गलत, उसका दोषी कौन? दोषी है व्यवस्था। तो यह जो सुओ मोटो निरीक्षण है, इसके सन्दर्भ में मेरा निवेदन है, कई और सैक्शंस हैं, सैक्शन 11 के अन्दर स्कूल-कॉलेज की उपस्थिति, सभापति महोदय, ईमानदारी से कह दो कि कितने कॉलेजों के अन्दर, उप मुख्य मंत्री जी, आप बताएं कि 75 प्रतिशत होती है? नहीं। क्लासेज ही नहीं लगती हैं। विश्वविद्यालय खाली, कॉलेज खाली।

हम लोग किसको, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आपको बेवकूफ बना रहे हैं जब यह कह रहे हैं। किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, जब यह 75 प्रतिशत की अनिवार्यता, कोचिंग कक्षा क्यों? हम लोग व्यवस्था ही नहीं दे रहे हैं उन बच्चों को कक्षाओं में जाने की। हम बेवकूफ अपने आपको नहीं बनाएं। दुनिया को बनाने के लिए हम प्रयास जरूर कर लेते हैं, पर अपने आपको, इस सदन को तो कम से कम हम लोग बेवकूफ नहीं बनाएं।

सैक्शन 11(2) के अन्दर कोचिंग कक्षा में छात्रों की संख्या के सन्दर्भ में भी बताया गया। उसके बारे में भी हम लोगों को वापस से करना चाहिये। सैक्शन 11 के अन्दर 10 से ऊपर की कक्षाओं के बच्चों को लेना चाहिये, पर सभापति महोदय, आप ईमानदारी से कहो, जो बच्चे अपनी मांओं और परिवार के साथ जिस समय पलने चाहिये, हम लोग उनको किन स्कूलों में भेज रहे हैं? कहां भेज रहे हैं हम? किड्स स्कूल के नाम पर हम लोग क्या-क्या नहीं कर रहे हैं? उन बच्चों का बचपन खत्म कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों और नौजवानों की योग्यता खत्म कर रहे हैं। इन कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से जो नौजवान निकलता है, उसके बाद में वह किसी और लायक नहीं रहता। हम लोग उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेल रहे हैं।

जो कुछ भी स्किल उनमें होनी चाहिये, वह स्किल उन कोचिंग कक्षाओं में भी नहीं मिलेगी। वह स्किल हम कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अन्दर भी नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थी जाएं कहां? सभापति महोदय, इसकी जिम्मेवारी है किसकी? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) समय कम है। इस काम के लिए समय कम है। राजस्थान दिवस के लिए 7-7 दिन हो जाएंगे, बाकी आईफा के लिए 2-2 दिन हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, पर राजस्थान के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। चर्चा के लिए भी हम लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं है। धकेल रहे हैं। राजस्थान के युवाओं और विद्यार्थियों को और कहां धकेलेंगे? हम लोग खुद इस सदन के विधायक उनके लिए डैथ वॉरंट लिख चुके हैं। अब उसके बाद में उनको फांसी चढ़ाने के अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं?

श्री सभापतिः विराजें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू):मेरा निवेदन है बड़ी गम्भीरता से कि इससे महत्वपूर्ण कार्य विधान सभा के अन्दर, इस पूरे सत्र के अन्दर भी छोड़ो, मेरे विधायक रहते हुए और कोई भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। बिना पानी हम लोग जिन्दा रह गये, बिना अनाज हम लोग जिन्दा रह गये। बिना पानी, अनाज मालवा में जाकर हम लोग जिन्दा रह गये, पर जो यह

विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, इनके लिए हम लोग क्या कर रहे है? क्या जिम्मेवारी हम लोगों की नहीं है? मैं आपको दोषी नहीं कह रहा हूं। मैं खुद भी दोषी हूं उसके अन्दर।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये। माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अपन सब लोगों को गम्भीरता से इसके बारे में अध्ययन करना चाहिये। सलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजें।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता जाटव।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, इसको प्राथमिकता मिले। जिस प्राथमिकता से हम एमएलए बनने की प्राथमिकता रखते हैं, जिस प्राथमिकता से आप पूरी की पूरी संविधान की भावनाओं को खत्म करके अपने आप जो कैबिनेट के सदस्य के रूप में समाप्त करके और जिस प्राथमिकता से मुख्य मंत्री जी का जयकारा अपने राजनीतिक संरक्षण के लिए करते हो...।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता जाटव।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): वैसा का वैसा संरक्षण इन विद्यार्थियों के लिए, इन युवाओं के लिए यह सदन करे।

श्री सभापति: ऐसा नहीं होता है। समय सबके लिए है।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, एक घण्टा नहीं, पूरा एक सत्र राजस्थान के, जोगाराम जी, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने।

श्री सभापति: श्री मनीष यादव।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): पूरा एक सत्र राजस्थान के युवा और विद्यार्थियों के लिए हो।

श्री सभापति: जो बोल रहा है, अंकित करो।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): और तेरी और मेरी के लिए नहीं, कैसे हम सब लोग मिलकर...।

श्री सभापति: मनीष जी। श्री मनीष यादव।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): राजस्थान के विद्यार्थियों को हम लोग सफल कर सकें, उसके लिए एक सत्र दो। मेरा तो यही निवेदन है। अभी सलेक्ट कमेटी में इसको भेजो। सलेक्ट कमेटी से भी कुछ नहीं होने वाला है। सभापति महोदय, जब मैं यहां आ रहा था, मेरे को मेरे खुद के परिवार के सदस्यों ने बोला कि आप जाकर वहां क्या कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है।

श्री सभापति: हो गयी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री सभापति: आपका है?

श्री हरीश चौधरी (बायतू): आज मेरा पारिवारिक आयोजन है, उसमें आप रहोगे तो मैं खुश रहूंगा तो मेरी मदद करूंगा। यह विश्वास का स्तर हो गया है। इसकी गम्भीरता को आप समझो। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः मनीष जी, पहले...। वो आसन पर थे न। वो आसन पर थे।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): मैं धन्यवाद देता हूं, जैसे अनिता जी पर स्पीकर महोदय की नजरें थीं, वैसे ही आप पर मेरी नजरें रही हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आपका सबका सहयोग कर रहा था मैं बैठकर। ऐसे नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापतिः श्री संदीप शर्मा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां परसों जब...। एक मिनट।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्त्वपूर्ण बिल है। मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता से भी यह निवेदन करूंगा कि इतना महत्त्वपूर्ण विधेयक है और इसमें...

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षपीठ की व्यवस्था की दृष्टि में, माननीय सदस्यगण को बोलने हेतु क्रमवार बुलाना अपेक्षित

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप बात सुनिये। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। परसों जब कोई नम्बर तोड़कर नहीं आ सकता था तो आज कैसे आ रहे हैं? यह परम्परा मत डालो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): देखिये, माननीय प्रतिपक्ष के नेता...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): खुद के लिए नियम अलग मत बनाओ। ...(व्यवधान)... आप बना रहे हो, आप बना रहे हो।

mkd/rtm/24.03.2025/17:30/3h

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): नहीं-नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज ये नम्बर कैसे तोड़ रहे हो? आज नम्बर कैसे तोड़ रहे हो?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): नहीं, नहीं। ये तो बिलकुल आपका (..व्यवधान..)।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): (..व्यवधान..) नम्बर आज कैसे तोड़ा जा रहा है? सीरियल कैसे तोड़ी जा रही है?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): ये कोई सकारात्मक रवैया नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता। आपको सोचना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बिल है। मेरे कोटा शहर में जहां ढाई लाख बच्चे अध्ययन करते हैं। मुझे बोलने का अधिकार नहीं है क्या (..व्यवधान..)। थोड़ा सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए।

श्री सभापतिः छोटी बात नहीं करते (..व्यवधान..)।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात सुनो, हमारा कोई एतराज नहीं है। संसदीय

मंत्री, मेरी बात सुनिये, आप जो मर्जी वो कर रहे हो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): ऐसे नहीं (..व्यवधान..)।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नियमो से चलो, नियमों से।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता जूली साहब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नियमों से चलो। नियमों से तो चलवाओ।

श्री सभापति: मेरी बात सुनो एक बार।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप बताओ।

श्री सभापति: एक सैकंड, आसन से जब व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य आसन पर थे, इस कारण से उनको समय मिला है। ऐसे छोटे मन की बात थोड़े ही करते हैं, इस तरह से।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तीसरे पर बोल लेंगे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यदि मैं अनुपस्थित हो (..व्यवधान..)।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आसन से व्यवस्था है बीच में नहीं बोल सकते।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यह तो बिलकुल ही संकीर्ण विचारधारा हो गई, माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सकीर्ण नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा ही, इस आसन पर विराज रहे थे तो आपके द्वारा ही परसों जो आदेश दिये थे, आज ही चैंज कर दिये आपने तो। परसों आपने ही दिये थे निर्देश।

श्री सभापति: कोई बात नहीं विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने ही दिये थे निर्देश। हद हो गई। यह क्या बात हो गई।

श्री सभापति: आप इतने (..व्यवधान..)।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): वे माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके द्वारा दिये गये निर्देश आप खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: जूली साहब। जूली साहब।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आप उस समय उपस्थित नहीं थे, माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हद हो गई।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मैं सदन में बैठा हुआ था।

श्री सभापति: आप बड़े मन के आदमी हो, छोटी बातें करते हों।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): छोटी बात नहीं, परसों स्वयं आसन ने यह व्यवस्था दी है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अब यूं सदन का समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है।

श्री सभापतिः हां, मैं था। मैं था उस समय।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इसका कोई उपयोग है क्या, आप सदन का समय खराब कर रहे हो।

श्री सभापतिः संदीप जी, कंटीन्यू।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अभी हरीश के लिए कितने गम्भीर थे, क्यों मजाक कर रहे हो। बोल दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): गम्भीर ही हैं, मजाक नहीं कर रहे। नियमों से चलाओ, नियमों से चलाओ, नियमों से।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अच्छे काम के लिए थोड़ा त्याग करो।

श्री सभापतिः अच्छे विचार आ रहे हैं। विराजिये। कंटीन्यू।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सर्वप्रथम केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इस विषय में यह एक्ट लेकर आई और सभी प्रदेशों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में, अपनी-अपनी विधान सभाओं में इस एक्ट को लागू किया जाए।

आज की जरूरत के हिसाब से हम सब समझ सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्र-छात्राएं कोचिंग सेंटर्स में अधिकांश समय देकर अपनी शिक्षा का अध्ययन करते हैं। जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का विस्तार हो रहा है और छात्र भारी प्रतिस्पर्धा के साथ, भारी संख्या में परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं।

उसमें अलग-अलग विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा इन कोचिंग सेंटर्स में शिक्षा दी जाती है और न केवल बच्चों की क्षमता को परखा जाता है, बल्कि उसकी कमियों को दूर कराकर पढ़ाने के नए तरीकों को ईजाद करना और एक उत्कृष्ट परिणाम देने का प्रयास कोचिंग इंस्टीट्यूट का रहता है।

जैसा मेरे सभी साथी बता रहे थे कि कोटा, जयपुर, सीकर जैसे कई शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से छात्र-छात्राओं को शिक्षित किया जाता है। विभिन्न-विभिन्न प्रकार के कहीं आइआइटी, कहीं मेडिकल की, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की। अब एक व्यावसायिकता भी कोचिंग इंस्टिट्यूट्स में आ गई।

हमारा पुरातनकालीन इतिहास रहा है कि हमने बहुत उच्चतर आयाम शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किए। परंतु, आज वर्तमान में जिस प्रकार की आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं को देखकर, मूल उद्देश्य जो इस बिल का मुझे लगा और आप सभी लोगों को लगा होगा। इसके पीछे सरकारी सिर्फ यह चाहती है कि बिना दवाब के बच्चे को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके, मूल उद्देश्य बिल का यही है। उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल जाए। साथ ही साथ, जो विद्यार्थियों और उनके परिजनों का शोषण होता है, इसमें पारदर्शिता

कायम हो जाए। उसमें यह बिल पूरी तरीके से सक्षम है, इस बिल 29 धाराएं में हैं। उनमें से कई बड़ी उपयोगी धाराएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं वहां बैठकर सबको सुन भी रहा था तो निश्चित रूप से जो बच्चा है, वह हमारे देश का कर्णधार हैं। आने वाले समय में इस देश की बागडोर को संभालने वाला वह बच्चा, वह छात्र। मैंने कहीं पढ़ा है, ध्यान भी है, सब लोग जानते हैं कि पहले प्रारंभ के अंदर पुराने समय में जब छोटे बच्चे होते थे तो जब वे घुटने के बल चलना चालू करते थे तो उनके सामने चार पांच चीजें रख दी जातीं थीं बच्चे के घुटने जिस और चले जाते थे तो यह माना जाता था, यह बच्चा इस क्षेत्र में बहुत उन्नति करेगा।

हम आज उन परंपराओं को भूल गए है कि हमारा बच्चा जिसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। वह बहुत कुछ कर सकता है। हम उसकी प्रतिभा को पहचाने बिना अपनी मर्जी बच्चे के ऊपर थोप देते हैं और सबका यही मानना है कि जिस तरीके से बच्चे के ऊपर अपनी मर्जी को थोप दिया जाता है तो बच्चा मानसिक रूप से दबाव में आता।

आवश्यकता थी कि उसकी उस प्रतिभा को पहचानकर उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता। मुझसे पूर्व भी कई लोगों ने इस विषय को रखा है। निश्चित रूप से यदि हम यह जानकर कि वह करना क्या चाहता है और उसके बाद जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको भेजते हैं या विद्यालय में उसको भेजते हैं, तो हमारा दायित्व भी हो जाता है कि वहां जाकर बच्चे के साथ हम निरंतर संवाद रखें। वह संवाद भी नहीं हो पाता और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट की आवश्यकता होती है, मैं समझता हूं कि इस बिल में भी लेने की आवश्यकता है। इंस्टीट्यूट के अन्दर वे सुविधाएं उसको दी जाएं, जहां स्वस्थ मनोरंजन के साथ-साथ, उसे खेलकूद और योग, प्राणायाम, 1 घंटे का कालांश ऐसा भी होना चाहिए कि दिन भर की पढ़ाई के बाद बच्चा अपने आप मानसिक रूप से स्वस्थता को महसूस कर सकें।

ऐसी कुछ चीजें यदि इस बिल में लागू हो जाए, यह बिल बहुत आवश्यक भी है, बहुत अच्छा भी है। 1 साल के अंदर 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरी, 1 लाख 50 हजार निजी नौकरियां दी जाएंगी तो युवाओं को सरकार भी अवसर दे रही है। माननीय सभापति महोदय, जहां वह पढ़ रहा है, चाहे वह स्कूल, इस बिल में कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो 50 की संख्या के अंदर आ रहे हैं। जो 50 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो कोचिंग सेंटर माना जाएगा और कोचिंग सेंटर मानने के बाद उस पर भी वही पाबंदियां लागू होंगी, जो 1 लाख, 50 हजार, 10 हजार वाले इंस्टीट्यूट्स पर होंगी तो इसमें वर्गीकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी उसी वर्गीकरण में ले लिया तो निश्चित रूप से ऐसे जो बहुत से प्रतिभाशाली कोई अलग से अपना बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 50 बच्चों को 100 बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसका इंस्टीट्यूट या तो बंद हो जाएगा, उसके ऊपर इतनी पाबंदी आ जाएंगी तो ऐसी कई चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है।

मैं कोटा शहर की बात करूं तो हमारे कोटा शहर के अंदर लगभग ढ़ाई-ढाई लाख बच्चे एक साथ कोटा शहर में शिक्षा प्राप्त करते हैं और सिर्फ शिक्षा ही प्राप्त नहीं करते, बड़ी

सफलतापूर्वक 50 हजार से अधिक आईआईटीयन कोटा शहर ने दिए है, 50 हजार से अधिक आईआईटीयन।

आज वर्तमान में जो बार-बार बात आ रही थी। कई लोग कह रहे थे कोटा शहर में छात्रों ने आत्महत्या कर ली। साहब, 127 माननीय हरिमोहन साहब भी कह रहे थे। 127 आत्महत्या कर ली।

Bhs/Rtm/24.03.25/17.40/3j

लेकिन यह सिर्फ उन लोगों की प्रतिस्पर्धा के पीछे कोटा शहर को बदनाम किया गया था। जो अन्य कोचिंग स्थान थे या कोचिंग संस्थान थे, जो कोटा में स्थापित नहीं थे, उन लोगों के द्वारा एक कोटा शहर की मात्र बदनामी थी। ढाई लाख बच्चों में अगर अभी तक 127 बच्चों ने आत्महत्या की है, उस आंकड़े के हिसाब से हम देखें तो जनरली जो बच्चा है, एक भी बच्चा हालांकि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको इतना चुनौतियों से लड़ने के लिए अभिभावक भी और हम सभी लोगों का दायित्व है कि वह बच्चा किस प्रकार से सारी चुनौतियों को सह सके और कोई भी उसके ऊपर अनावश्यक दवाब आये तो उस दबाव को, उस तनाव को वह सहन कर सके।

सभापति महोदय, यह भाव हमारे देश के बच्चों का हो तो निश्चित रूप से यह आत्म हत्याएं रुक सकती हैं और इसमें जहां तक बिल का विषय है तो मेरा मानना है कि कुछ संशोधनों के साथ बाकी कई सारी चीजें अच्छी हैं, परंतु आज हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं साहब, कि एक जो है आप देखो, दुनिया भर में लगभग कोचिंग इंडस्ट्री 54,000 करोड़ की है, दुनिया भर के अंदर जो आगामी वर्ष में 63,000 करोड़ की हो जाएगी और 2019 से अब तक यह इंडस्ट्री दुगनी हो कर प्रतिवर्ष 17 फीसदी की दर से आगे बढ़ रही है। हमारे देश में 2015 में कोचिंग संस्थानों का वार्षिक राजस्व 24,000 करोड़ था, 2025 में 58,088 करोड़ रुपये तक पहुंचा। इसके 2028 तक 1,33,955 करोड़ होने की संभावना है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक तरीके से मेरा मानना है कि उन पर मॉनिटरिग भी हो, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर वो पाबंदियां लगें जिससे कि बच्चे का विकास हो सके।

सभापति महोदय, हम सब लोगों का विषय यही है। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे देश का छात्र बिना दवाब के, बिना तनाव के अच्छी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा ले सके तो मेरा माननीय मंत्री जी, निवेदन है कि आप बहुत अच्छा यह बिल लेकर आये हैं, इसमें बहुत सारी आपने चीजों को भी रखा है लेकिन इन सारे विषयों को हमें देखने की आवश्यकता भी है कि इसमें हम कुछ चीजों को जोड़कर इस बिल को ऐसा बनाएं कि जहां स्कूलों का और इंस्टीट्यूट्स का भी तालमेल होना चाहिए। आपने इसमें, स्कूली टाइम में बच्चे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ेंगे, जो स्कूली टाइम होगा, अगर ऐसा होगा तो उनका जो महत्वपूर्ण समय है वो भी निकल जाएगा तो निश्चित रूप से यदि हम बच्चे को स्कूली शिक्षा नहीं दे पाए तो उससे वह वंचित रह जायेगा।

सभापति महोदय, स्कूली शिक्षा की भी आवश्यकता है क्योंकि स्कूल में उसको अच्छा स्वस्थ वातावरण मिलता है तो स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उसका तालमेल इस प्रकार का करने की आवश्यकता है कि वो कोचिंग का इंस्टीट्यूट और उन दोनों का समय ऐसा हो कि जहां बच्चा स्कूल में भी जा सके, इंस्टीट्यूट की भी जो उसको विषयवस्तु की जानकारी लेनी है क्योंकि वहां पर बहुत अनुभवी और बहुत ऐसे शिक्षार्थी भी होते हैं जिन्होंने काफी प्रयासों के बाद जो आई.आई.टी. में सलेक्ट नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने अनुभव इतना प्राप्त कर लिया कि वो जो पढ़ा दें तो निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ मिलता है तो मैं इतना ही कह कर माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को लेकर अवश्य आयें लेकिन इसमें कुछ संशोधन के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनीष यादव।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज जिस तरीके से कोचिंग सेंटर हैं वो एक कॉलेज और स्कूल की तरह समानांतर शिक्षा का दर्जा उनको मिल चुका है क्योंकि आज बच्चा जब सबसे पहले स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, लेकिन साथ में कोचिंग का एक नया स्वरूप देखने को कुछ वर्षों में मिला है और यह कोचिंग का जो स्वरूप है...।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को मुझे सूचना देना है, आप लोगों के भाषण यदि छोटे-छोटे होंगे तो हमारे मंत्री जी का भाषण भी छोटा ही होगा, वरना लंबा होगा। फिर देख लेना आप।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): धन्यवाद, सचेतक महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कल बुला लो 11.00 बजे वापस। ...(व्यवधान)...

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मैं शुरू करूं, सभापति महोदय?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ...(व्यवधान)... कल 11 से 6 बजे तक मंत्री महोदय को बुलवाओ ...(व्यवधान)...

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं अभी संदीप शर्मा जी को सुन रहा था, हरीश चौधरी जी को सुन रहा था। संदीप शर्मा जी कह रहे थे कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कोचिंग के आधार पर पूरे देश में, विश्व में है। हरीश चौधरी जी कह रहे थे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और मैं मेरी बात भी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से हम स्कूल को देखते हैं, स्कूल के साथ में जो दो तरीके के कोचिंग सेंटर हैं, एक कोचिंग सेन्टर वह है जो प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करवाता है जिसमें नीट हो गया, जे.ई.ई. हो गया, क्लेट हो गया। दूसरे कोचिंग सेंटर वैसे हैं जो हमें सरकारी सेवाओं के लिए तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर बने हुए हैं। आज अगर हम देखेंगे, ग्रामीण परिवेश का अगर कोई विद्यार्थी होगा और उसके परिजन भले ही वह शहर में रहे या ग्रामीण परिवेश का हो,

हर परिजन को यह चिंता रहती है कि आज के इस युग में जो प्रतिस्पर्धा सब में है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा इस फील्ड में जाएं और वह पूरी मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई को उस बच्चे के विद्यालय की शिक्षा में लगाते हैं और जब उसको लगता है कि विद्यालय में इसको सफलता नहीं मिल पा रही है तो मैं इसको फाउंडेशन का कोर्स कराता हूं तो किसी अच्छी प्रवेश परीक्षा के लिए किसी अच्छे जिस इंस्टीट्यूट्स का कोई प्रचार-प्रसार होता है या जो जिसके रिज़ल्ट पिछले बार के देखे जाते हैं उसके आधार पर उसको प्रवेश दिलाया जाता है और उसके साथ में उसके परिजन भी जिस तरीके से उसके साथ रहने का काम करते हैं, राजस्थान का जो कोटा शहर अगर हम देखें, सीकर देखें, जयपुर देखें और आज के समय में पिछले पांच वर्षों में राजस्थान के हर शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, जिसे तरीके से कोचिंग सेंटर आए दिन खुलते जा रहे हैं और फाउंडेशन कोर्सेज की एक लंबी श्रृंखला चलती आ रही है, दूसरी तरफ हम देखेंगे सरकारी जो सेवाएं है वो सीमित हैं और उस सीमित सरकारी सेवाओं में जिस तरीके का पैटर्न है, उस पैटर्न में मुकाबला करने के लिए जब छात्र यह देखता है कि मुझे कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए तो वो कोचिंग सेंटर में सरकारी सेवा के लिए जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से हमारे हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहां पर अगर हम राजस्थान में जा करके देखेंगे तो किसी भी अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो वहां पर कक्षाएं नहीं लगती, वहां या तो फैकल्टी नहीं है या फिर तमाम अच्छे प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो बच्चा जब उसको लगता है कि मुझे सही मायने में नौकरी लेनी है, मुझे मेहनत करनी है, वह कोचिंग का रास्ता तलाशता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जिस प्रकार की स्थिति हम राजस्थान में देखते हैं, देश में देखते हैं, यह बात सही है कि देश में आनंद कुमार जैसे लोग भी हुए हैं जिसने सुपर 30 जैसा बैच चला करके इस देश में अच्छे आईआईटीयन्स देने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा को सेवा का स्वरूप बना करके इस देश में सेवा को कैसे शिक्षा के साथ बढ़ावा मिल सके और शिक्षा को सेवा के साथ जोड़ करके उसके व्यवसायीकरण की तरफ ध्यान नहीं दे करके, उसके सेवा के माध्यम के साथ कैसे बढ़ा जाए, ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हमको देखने को मिलें, लेकिन आज के समय में मैं कोचिंग की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं कर रहा है लेकिन इस बात पर सवाल जरूर करना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा, एक अंधानुकरण आज राजस्थान में पूरे देश में कोचिंग के नाम पर बढ़ रहा है और किसी प्रकार के जो सही तरीके के कानून अगर कोचिंग के संबंध में बनेंगे तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो विधेयक हम लेकर के आये हैं, राजस्थान की आम जनता भले ही वो हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे शिक्षाविद् हो सकते हैं, परिजन हो सकते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, जिन्होंने अनुभव के साथ इसमें काम किया है क्या हमने ऐसी कमेटी बना करके उनकी राय ली है?

Kas/rtm/24.03.2025/17.50/3k

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या राजस्थान में हमने उन लोगों से चर्चा की है, जो लोग सेवा भाव रखते हैं, जो प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद् हैं, जो लोग अच्छे तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट को समझते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस विधेयक को मैंने पढ़ा है, इसमें बहुत सारी बातें जो 16 जनवरी, 2024 को केन्द्र सरकार द्वारा जो दिशा-निर्देश दिये गये हैं, उसकी पुनरावृत्ति है। साथ में जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाव दिये गये, उनको कई जगह पर हटा भी दिया गया है, भले ही वह उम्र का प्रावधान हो। आज जिस तरीके से हम कोचिंग सेंटर्स में देखते हैं, सभापति महोदय, कोचिंग सेंटर्स में क्लास रूम कैसा रहेगा, अधिकतम छात्र संख्या कैसी रहेगी, कितने छात्र एक साथ पढ़ सकते हैं, इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश यहां पर इस विधेयक में नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह भी कहना चाहता हूं जो संस्थान प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं, वो अलग संस्थान हैं और दूसरे संस्थान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, इनका वर्गीकरण भी हमको करना चाहिये। साथ में जो हमारे स्पोर्ट्स के 8 कोचिंग संस्थान हैं, उनको भी इस विधेयक में हम शामिल करें। उनके लिये भी हम नियम-कानून बनाये। विद्यार्थी संख्या की जो बात मैंने की, कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और कोई भी छात्र का परिजन यह देखता है कि अच्छी फैकल्टी है, मेरे बच्चे का एडमिशन मैं इस इंस्टीट्यूट में करा दूंगा, क्या उस फैकल्टी की गारंटी रहेगी कि वो उसी इंस्टीट्यूट में रहेगा? अगर वह फैकल्टी उस इंस्टीट्यूट में नहीं रहेगी, तो क्या उस बच्चे को रिफंड मिलेगा, यह प्रावधान भी इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। कई बार बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, उनको वो संस्थान ठीक नहीं लगता, तो उसमें प्रतिबंधित किया गया है कि वह दूसरे संस्थान में प्रवेश नहीं ले सकता, इस पर भी हमको विचार करना चाहिये।

आज जो हम यह कोचिंग सेंटर्स का बिल लेकर आये हैं, बच्चों की आत्म हत्याओं में तनाव सबसे बड़ा कारण है। हम कोटा का उदाहरण देखते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 3-4 महीनों में 17 से अधिक छात्रों ने वहां पर जान दी है। राजस्थान में या देश में अलग-अलग हिस्सों में देखेंगे तो कई जगह कोचिंग सेंटर्स में दुर्घटनाएं भी हुई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी छात्र संख्या होने के कारण वहां पर इस प्रकार के... (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा विषय ठीक नहीं है तो आप मुझे भले ही...

श्री सभापतिः नहीं, विषय अच्छा है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): सचेतक महोदय कह रहे थे कि कुछ सदस्य छोटा बोलेंगे, तो मंत्री महोदय थोड़ा कम बोलेंगे।

श्री सभापतिः ऐसा कुछ नहीं है, आप टू द पाइंट आ जाओ, आप अच्छा बोल रहे हो।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि

उन बच्चों पर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा रहता है। कई बार आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ जाता है। इन सारी समस्याओं की वजह से वह मानसिक तनाव में आ जाता है। मेरा यह भी निवेदन है कि बच्चों के साथ परिजनों की भी बार-बार काउंसलिंग की जाये, ताकि बच्चों से उनका व्यवहार उस कोचिंग सेंटर में पढ़ने के दौरान उनका कैसा व्यवहार रहे, इस प्रकार की काउंसलिंग का भी कोई सिस्टम कोचिंग सेंटर्स में रहे, जिससे उन बच्चों को एक स्वतंत्र वातावरण मिल सके। बच्चों पर बहुत बड़ा दबाव रहता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ वहां एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होनी चाहिये, वहां पर कोई प्लेइंग जोन हो, जिससे बच्चे तनाव मुक्त हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था उस कोचिंग सेंटर में रहनी चाहिये।

आज के समय ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो बिल हम लेकर आये हैं, क्या ऑनलाइन कोचिंग संस्थान भी इसके अंतर्गत रहेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के इस प्रकार के हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कोचिंग सेंटर्स रहें, लेकिन जिस शिक्षा को हम सेवा के साथ जोड़ते हैं, आपके समय में पूरे भारतवर्ष में देखें तो शिक्षा का स्वरूप व्यवसायीकरण के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसका बड़ा कारण कोई रहा है तो वह है कि हमने हमारे इंस्टीट्यूट्स को, हमारे सरकारी विद्यालयों को, हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे कॉलेजेज का स्तर हमने कहीं न कहीं कम कर दिया है, जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर्स पर अत्यधिक दबाव है और बच्चों पर इस प्रकार का मानसिक दबाव बढ़ने के कारण आत्महत्या जैसे प्रकरण भी बढ़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां पर सरकारी विद्यालय है, वहां अगर रिक्तियां हैं, वहां पर शिक्षक नहीं हैं, तो उनको भरा जाये। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज में फैकल्टी नहीं, वहां पर कक्षाएं लगें, वह कक्षाएं तब लगेंगी, जब वहां पर फैकल्टी आयेगी। इस बिल को हम निश्चित रूप से जनमत के लिये लेकर जाएं और हर प्रकार के लोगों से चर्चा करें। यहां के शिक्षाविदों से, नागरिकों से और कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को इसमें राय के लिये आमंत्रित करेंगे, तो एक अच्छे प्रकार का कानून हम यहां ला सकते हैं। जिस तरीके से जिला स्तर पर कमेटी बनेगी, मैं यह मानता हूं कि बहुत ज्यादा तैयारी के साथ यह बिल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें जन-प्रतिनिधि, समाजसेवी, एनजीओ और इस प्रकार के संस्था के लोगों को भी जोड़ा जाये, ताकि एक अच्छा वातावरण हो सके। यह बात सही है कि कोचिंग सेंटर्स से बच्चों को अतिरिक्त मदद मिलती है, लेकिन उसके साथ दबाव के कारण कई प्रतिभाएं हमारे बीच से चली जाती हैं, कई परिवार अनाथ हो जाते हैं, उस बात की चिंता भी आवश्यक है। कोचिंग सेंटर को किस प्रकार के वातावरण में रखा जाये, मैंने पिछले दिनों एक लेख पढ़ा, उसमें कोचिंग सेंटर्स के बारे में बहुत बड़ी चर्चा थी कि जो वातावरण है, वह प्रदूषित है। कोचिंग सेंटर्स के लिये निश्चित रूप से एक जोन तय किया जाये कि यहीं पर कोचिंग सेंटर्स बनेंगे और पर्यावरण के साथ उनको जोड़ा जाये। अगर

बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में तनाव रहता है, वो बाहर शहर में निकलेंगे,तो वहां उनको तनाव मिलेगा, प्रदूषित वातावरण मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए आवश्यक है कि हम चर्चा कराएं और कोचिंग सेंटर्स के लिये हम एक ऐसा वातावरण तय करें जिससे प्रदेश के छात्र के साथ न्याय हो सके, अभिभावक के साथ न्याय हो सके और सही मायने में जो शिक्षा को सेवा का मार्ग लेकर चल रहे हैं, उन लोगों को लाभ मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक, 2025 पर मुझे अपने विचार रखने का आपने मौका दिया। सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने की जरूरत तब महसूस हुई कि जब लगातार आ रहा है कि कोटा में सुसाइड के बहुत केस आये। सीकर में भी आने शुरू हुए, तो शायद सरकार का ध्यान गया। इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोचिंग वाले छात्रों में सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसके रोकथाम के सरकार क्या प्रावधान कर रही है। ज्यादा ध्यान कोचिंग सेंटरों को कंट्रोल करने पर दिया गया है और अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहूं, तो एक तरह से इसमें कहीं एक इंस्पेक्टर राज शुरू ना हो जाये। कहीं एक मासिक बंधी का एक और क्षेत्र नहीं शुरू हो जाये। अपन जानते हैं कि कोचिंग सेंटरों की आय किस तरह से हो रही है। आपने सबने अभी अपने विचार रखें और इसको एक तरह से इंडस्ट्री बोल दिया कि कोचिंग इंडस्ट्री इतने करोड़ की हो रही है। इतने करोड़ की हो भी रही है, अगर 5 लाख मिनिमम स्टूडेंट मानें और 2 लाख एवरेज एक की फीस मानें, तो भी 10 हजार करोड़ रुपये सालाना होता है और यह एक बड़ी इंडस्ट्री से बहुत बड़ा है। कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है, क्या शिक्षा इंडस्ट्री है? यह शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों हो गया, यह भी अपन को सोचना पड़ेगा। आज के समय में शिक्षा मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन बिल सरकार लाई है, तो क्या मंत्री जी, अपन इसमें आर टी ई का प्रावधान करने का सोच सकते हैं?

Msk/rtm/24.03.25/1800/3I

क्या जरूरी है कि एक अमीर का बच्चा ही कोचिंग ले। वही दो लाख फीस दे और दो लाख रुपये हॉस्टल का खर्चा करे। क्या एसटी, एससी के गरीब परिवार, जिनके बच्चे होनहार हैं, क्या उनकी भी कोई व्यवस्था करने का हम प्रबन्ध कर सकते हैं। क्या उनका हक नहीं है कि वे भी कोचिंग लें। इस ओर भी आपको सोचना चाहिए कि उनके लिए हम इसमें क्या प्रावधान कर सकते हैं। दूसरा, क्या कोचिंग चलाना निजी हाथों में ही जरूरी है? एक बात अधिनियम में लिखी हुई है कि जो सरकारी टीचर हैं, लैक्चरर है, वह कोचिंग में नहीं पढ़ायेगा। इसमें आपने लिखा है कि इसमें प्रतिबंध होगा। अपने पास बहुत अनुभवी टीचर हैं,

तो उनका उपयोग क्यों नहीं करें? क्या सरकार कोचिंग नहीं चला सकती? स्कूलें चला सकती है, कॉलेज चला सकती है, वह कुछ कोचिंग चलाये और वहां उन विद्यार्थियों का एडमिशन कराये, जो होनहार हों, गरीब हों, उनकी व्यवस्था करे। वे बच्चे भी कम्पीटिशन करें और उनको नौकरी मिले। अगर हम यह व्यवस्था भी कर सकें तो इसको आपको देखना चाहिए।

तीसरी चीज। संयोग से, कल मैं मेरे क्षेत्र से छुट्टी से आ रहा था। मेरे क्षेत्र का एक व्यक्ति मेरे साथ आया कि मैं चलता हूं, मुझे सीकर ड्रोप कर देना। वह संयोग से कोचिंग में ट्यूटर है। चर्चा में बहुत-सी बातें निकलीं। उसने जानकारी में बताया कि मैं क्लास लेता हूं, मेरी क्लास में मिनिमम 600 बच्चे हैं। मैंने कहा कि 600 बच्चे क्लास में बैठते कैसे होंगे, क्लासरूम तो इतना बड़ा होता नहीं है। उन्होंने कहा कि टीनशैड का छप्पर टाइप क्लासरूम बनाते हैं और उसको अन्दर से फॉल्स सिलिंग करके ऐसे बनाते हैं किपता नहीं चलता। उसमें 600 बच्चे बैठ जाते हैं। फिर मैंने कहा कि आप पढ़ाते हैं तो बच्चे कैसे सुनते हैं? कि उसके लिए स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर से आवाज आती है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा कि बोर्ड पर जो लिखते हैं, वह उसे दिखता कैसे है? कहा कि बोर्ड क्या दिखेगा, हम ही पढ़ाते हुए नहीं दिखते। फिर वह कैसे पढ़ता है? कि कुछ स्क्रीन लगा रखी हैं, स्क्रीन से देख लेता है और पढ़ लेता है। मैंने कहा, वाह, व्यवस्था तो पूरी सोचकर की है। फिर वह आपसे पूछता कैसे है तो कहा कि इतना मौका ही नहीं देते किवह हमसे कुछ सवाल कर सके। तो इस तरह से अगर 600-600 के बैच पढ़ा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, इसका अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनकम टैक्स का डाटा आया था, उसमें जो सबसे ज्यादा व्यक्तिगत इनकम टैक्स देने वाले हैं, उनमें आपके कोटा कोचिंग सेंटर वाले हैं, वे टॉप-10 में हैं। वे इतना पैसा कमा रहे हैं तो उन कोचिंगों में व्यवस्था क्यों नहीं करते? वे खेल मैदान की व्यवस्था क्यों नहीं करते? हॉस्टल में कितनी जगह है? सभापति जी, आप कोटा से हैं, आपको ज्यादा पता है।

सभापति महोदय, कॉलेज खोलते हैं तो कहते हैं कि उसके लिए 8 बीघा, 20 हजार मीटर जमीन जरूरी है। कोचिंग वालों के लिए जगह का प्रावधान क्यों नहीं हो कि उसमें आप खेल मैदान अनिवार्य कर दो। अनिवार्य क्यों नहीं हो? कॉलेज की आठ बीघा जमीन में बिल्डिंग तो नहीं बनती। किसके लिए रखते हैं कि वहां बच्चे खेलें, थोड़ा करें। कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं, वे लगभग सारे बच्चे बाहर से आते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में आते हैं। हॉस्टल में उनके खेलने के लिए जगह नहीं है, कोचिंग में उनको जगह नहीं है। वह जब तक घंटा-दो घंटा नहीं खेलेगा, रिफ्रेश नहीं होगा, तनाव दूर नहीं होगा तो वह मानसिक तनाव में रहेगा। इस तरह के चाहे सुसाइड के प्रकरण हों, सुसाइड तो कम हुए होंगे पर कितने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, वह देखना पड़ेगा।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)ः हमने बात की साइकोलॉजिस्ट की, मनोरोग चिकित्सक की, यह हम कोचिंग पर डाल रहे हैं। कोचिंग ही नहीं सरकार को भी देखेना पड़ेगा। सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? हमें मेडिकल साइकोलॉजिस्ट रखने पड़ेंगे तब बात बैठेगी।

श्री सभापतिः श्री ललित यादव।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): समय हो गया। चलो। धन्यवाद।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैंने बहुत सारे साथियों को सुना। कोचिंग संस्था और कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लेकर सबने अपने-अपने अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। मुझे लगता है कि यह विधेयक इसलिए लाना पड़ा कि पूरे प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिनमें हमारे नौजवान, देश का आने वाला भविष्य आत्महत्याएं कर रहा है। इसको लेकर यह विधेयक लाना पड़ा। चूंकि आज शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है। इसमें लोग सेवा को हटाकर व्यापार करने लगे हैं। मुझे लगता है कि सरकार उनकी तरफ ही देखकर यह विधेयक लायी है। माननीय सभापति महोदय, कोचिंग सेंटर बच्चों की जिन्दगी से खेल रहे हैं। कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गये हैं, यह मैं नहीं कर रहा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब दिल्ली में बरसात के समय बेसमेंट में चल रही कोचिंग में हमारा नौजवान पढ़ने के लिए आया, आईएएस बनने के लिए आया, लेकिन उस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से उसकी जान चली गयी। यहां भी मुझे मोटा-मोटी लग रहा है कि आप ऐसा ही कुछ बनाकर लाये हैं। केन्द्र सरकार, आपकी ही सरकार का एक इंजन, जो कहता है कि 16 साल से पहले बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाये, आप कहते हैं कि 16 साल के बच्चे को प्रवेश दिया जाये। स्कूल में तो आप कहते हैं कि छह साल का बच्चा पहली क्लास में जायेगा। लेकिन कोचिंग में जाने के लिए आप कहते हैं कि 16 साल का चला जायेगा। फिर आप कौनसी आत्महत्या रोकने की बात कर रहे हैं। कौनसे बच्चे को पढ़ाने की बात कर हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हम सब लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश के भविष्य नौजवान साथी आगे बढ़ें, आत्महत्या न करें तो हमें 16 साल की बाउंडेशन को बढ़ाना चाहिए और कम से कम 18-20 साल का बच्चा कोचिंग में जाये। आप देखिये, छह साल का बच्चा पहली क्लास में जायेगा और फिर दस साल बाद उसको आप कोचिंग भेज देंगे। वह आठ घंटे स्कूल में पढ़ेगा और उसके बाद पांच घंटे कोचिंग में पढ़ेगा। किसान के बेटे और बेटियां पढ़ने के लिए जाते हैं, कोटा एवं जयपुर में पढ़ने के लिए आते हैं। जब वह नौजवान पढ़ने जाता है, उस पर दबाव बनता है। जब वह रात को सोता है तो सोचता है कि मेरे किसान माता-पिता, जो कि अपनी गाढ़ी कमाई को मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं परिणाम नहीं दे पा रहा हूं। जैसा वे सोचते हैं, वैसा मैं नहीं कर रहा हूं। वह उस दबाव को नहीं झेल पाता है। एकांत का मौका मिलने पर वह बच्चा आत्महत्या कर लेता है। इसलिए मंत्री महोदय, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज से केवल किसी को फायदा होगा तो कोचिंग संस्थाओं को होगा। आप संस्थाओं को फायदा क्यों देना चाहते हैं। ये संस्थाएं किन लोगों की हैं? कौन लोग इन संस्थाओं के पीछे हैं? कितने बड़े लोग हैं? क्या इस सदन में बैठे हैं या दिल्ली की सदन में बैठे हैं? उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, इस प्रदेश के नौजवान को फायदा पहुंचाइये। इन नेताओं को फायदा मत पहुंचाइये। प्रदेश के नौजवान को फायदा मिलेगा तो प्रदेश के आगे बढ़ने का काम जरूर होगा। माननीय मंत्री जी, आपने इसमें एक क्लॉज डाला है कि जो 50 बच्चों का ट्यूशन करवाता है, वह भी रजिस्ट्रेशन में शामिल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह अपनी दुकान बन्द करके अपने घर चला जाये। जो बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जो हब बने हुए हैं, इस राजस्थान के किसान का खून चूसने का काम कर रहे हैं, उनको आप लोग फायदा देना चाहते हैं। इसलिए इस बाउंडेशन को हटाया जाये। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं। मैंने भी गांव में ट्यूशन लिया है। गांव के अन्दर 50 बच्चों को गांव का टीचर पढ़ाता है। आप उनको बन्द करवाकर उन सबको जयपुर-कोटा की बड़ी कोचिंग में भेजना चाहते हैं। इसलिए आपको इस बाउंडेशन को हटाना पड़ेगा।

mdp/rtm/24.03.25/18:10/3m

अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश का नौजवान पढ़-लिख कर आगे बढ़े, आप नहीं चाहते तो अलग बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से क्लॉज 13 के 4 नंबर की बात कर रहा हूं। फीस की इसमें चर्चा की। सबसे मोटा कारण है फीस। जो किसान खेत में सुबह शाम हल चलाता है और अपनी गाढ़ी कमाई को, यह सोचता है कि मैं तो संसाधानों के अभाव में वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरा बेटा या बेटी पढ़ लिखकर देश की तमाम उन कुर्सियों पर बैठे, जहां से कानून बनता है और लागू होता है। यह कल्पना हर मां-बाप करता है, लेकिन हमने फीस के लिए कहा है कि कोई बच्चा बीच में छोड़कर चला जायेगा तो उस संस्था को उसकी बची हुई फीस वापस देनी पड़ेगी। आपने इसमें फीस के ऊपर कोई नीति क्यों नहीं बनायी? फीस को लेकर कोई कठोर काम क्यों नहीं बनाया इसके अन्दर कि फीस का निर्धारण होगा। एक कोचिंग संस्था है, जिसमें फीस ली जाती है 25000, दूसरी कोचिंग है, उसी विषय की तैयारी के लिए लेती है 50000, तीसरी कोचिंग उसी विषय की फीस लेती है 2 लाख रुपये और चौथी कोचिंग लेती है 4 लाख। यह जो बड़े-बड़े विज्ञापन की आपने बात की है, इससे कुछ नहीं होगा, मंत्री महोदय, आप इस फीस को लेकर कमेटी बनाइए कि फीस का निर्धारण कमेटी से हो, ताकि सब संस्थाओं के अन्दर, कोचिंग के अन्दर यह निर्धारण हो सके कि इस सब्जेक्ट की कोचिंग करने का फीस का यह मापदंड निर्धारित किया गया है। आप तय नहीं करेंगे तो जिस भावना के साथ आप लोग यह विधेयक लाए हैं, वह भावना पूरी नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि जिस भावना के साथ आप लोग लाएं हैं, उसका उलटा परिणाम भी हो। मेरा निवेदन है कि इसके अन्दर भी आपको काम करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, 14 नम्बर में कहा गया है, परामर्श मनोवैज्ञानिक के बारे में बात की है। सिस्टम विद्यार्थी को लेकर गंभीर नहीं है। केवल आपस में क्लॉज डाल लिया आपने। सिस्टम गंभीर नहीं है। माता-पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस, आईपीएस बने

और सरकार भी उस पर कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो हमने ये कानून बनाया है, जो हम ये विधेयक लेकर आये हैं, इस विधेयक के अन्दर जो हमने पाइंट्स लिखे हैं, लगभग उन पाइंट्स को हमने पूरा कर दिया तो मुझे लगता है कि हमें कुछ फायदा मिल सकता है, अदरवाइज जो आपने बनाया है, उससे कोई नौजवान साथियों को फायदा नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक मूवी आयी थी थ्री इडियट, उसकी चर्चा मैं सदन में करना चाहूंगा। उस मूवी में केवल एक बात बतायी गयी है कि आप बच्चे को देखिए, उस को समझिए की वह बच्चा कहां जाना चाहता है। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, लेकिन आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। आप उसको देखकर बनाएंगे, मैं समझता हूं कि इसमें हमने माता-पिता को लेकर कोई क्लॉज नहीं डाला। उस पर भी हमें डालने की आवश्यकता थी। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं और ठीक ही बोल रहा हूं। आप घंटी बहुत जल्दी बजा देते हैं। मैं यह चाहता हूं कि माता-पिता को लेकर भी इसमें कोई क्लॉज डाला जाए कि बच्चे की पूरी मॉनिटरिंग हो, काउंसलिंग हो और काउंसलिंग होने के बाद में उसको सही जगह भेजने का काम किया जाए। कोचिंग संस्थान का स्थान भी तय हो। हम शहरों में कोचिंग करवा रहे हैं, जहां पर पूरा ट्रैफिक चल रहा है। कोई मापदंड फॉलो नहीं कर रहा है और वहां उन बच्चों को हम लोग यह करवाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जयपुर के अंदर एक कोचिंग संस्था के अंदर जहरीली गैस के कारण हमारे कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे, लेकिन जाने क्या किया, कहां से लेन देन हुआ, उस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज तक कोई चर्चा नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि इस विधेयक को लाने के बाद में भी अगर ऐसा ही काम करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता थी।

आप सही मंशा से विधेयक लाने का काम करेंगे तो जरूर यहां पर फायदा होगा और दोनों ही कमेटियों में प्रदेश में और जिला कमेटी में आपने केवल नौकरशाही को चाबी देने का काम किया है। वह जनता की गाढ़ी कमाई को चूसने काम कर रहे हैं। जनता का खून चूस रहे हैं। इससे हम लोग जो चाहते हैं, वह काम नहीं होगा। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसमें जनप्रतिनिधि को, नेताओं को, विधायक को, सांसद को शामिल किया जाए ताकि हम लोग जिस मंशा के साथ विधेयक को लेकर के आये हैं, हमारी वह मंशा पूरी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि भ्रामक विज्ञापन को लेकर भी हमने चर्चा की है। अगर मजबूती के साथ उसकी पालना करवाने का हम लोग काम करेंगे तो जरूर ये जो भ्रामक प्रचार करते हैं कि आपके बेटे को हम आईएएस बना ही देंगे, अगर आप इस कोचिंग में भेज देंगे। ऐसे प्रचार जो कर रहे हैं, विज्ञापन लेकर आ रहे हैं, उनको भी जरूर आप लोग रोकने का काम करेंगे। इसमें आपने दिया तो है लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे।

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से मेरी बात खत्म करूं, उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोचिंग संस्थानों को दिन-प्रतिदिन बढ़ावा मिलता जा रहा है, अभी माननीय सुजानगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा कि सरकार कोचिंग क्यों नहीं चला सकती? सरकार भी पेरेलल कोचिंग चलाने का काम करें। शुरुआत तो करे, शुरुआत करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ परिणाम सही आएगा। हमारा सरकारी टीचर है, जिसको आप लोग पूरे मापदंड तय करने के बाद में भर्ती करने का काम करते हो।

श्री सभापति: विराजिए। श्री केसाराम चौधरी।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): उसी टीचर से हम लोग अगर कोचिंग में पढ़ाई करवाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि गरीब हमारे जो भाई बहन हैं, छोटे भाई-बहन, एससी/एसटी के गरीब जो लोग हैं, उनको फायदा मिल पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025, आज सदन में सरकार ने पेश किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इस कोचिंग सेंटर से, राजस्थान ने जिस तरह से कोचिंग के मामले में ख्याति प्राप्त की है, जैसे कोटा, सीकर, जयपुर, जयपुर में इतने कोचिंग सेंटर हैं जिनकी हमको कोई कल्पना भी नहीं है और इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोचिंग के कारण से राजस्थान की राजस्व भी बढ़ेगी और इसके कारण से, कोचिंग से हमारे बच्चे भी कॉम्पिटिशन में बराबरी कर पाएंगे। ऐसा बिल लेकर सरकार आई है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दो दशकों में राजस्थान राज्य में कोचिंग सेंटरों का अनियमित प्रचार देखा गया। ऐसा भ्रामक प्रचार करते हैं कि हमारी कोचिंग में ही सबसे बड़ा कलक्टर ही यहां से बन सकता है, आईटी में जा सकता है, नीट में फर्स्ट आ सकता है और ऐसे-ऐसे भ्रामक प्रचार के कारण से अभिभावक अपने बच्चे को अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए कोशिश करता है और उनकी फीस का जो मामला है, वह दुख-सुख पाकर गरीब गांव का किसान पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोशिश करता है। उसके दिल में रहती है, गांव के किसान के, अभिभावक के दिल में रहती है कि मेरा बेटा भी क्यों नहीं कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाये, कोई बड़ा अधिकारी बनकर रहे। इसके लिए वह पेट काट कर भी अपने पैसे लगाकर उस बच्चे को पढ़ाता है। मगर उस अभिभावक को अपेक्षा इतनी होती है कि मेरा बच्चा किस विषय में, कैसे आगे बढ़ सकता है, वह नहीं समझता। मगर वह तो ये देखता है की मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल में डालूंगा तो पढ़ेगा और अच्छा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से मेरा और मेरे परिवार का लालन-पालन अच्छा कर सकेगा। उसी अपेक्षा से वह बच्चे को अच्छे कोचिंग में भेजता है। मगर उस बच्चे का भी लेवल कि वह उस कोचिंग में, पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, वह मैथेमेटिक्स में इंटेलिजेंट है और उसको बायोलोजी में डाल दिया, वह डॉक्टर बनने की बजाय इंजीनियर बनना चाहता था और वह डॉक्टर के कारण से उसके मस्तिष्क में भार पड़ता है। उस मस्तिष्क के भार के कारण से सुसाइड बच्चे

करते हैं।

निश्चित रूप से वह कॉलेज में जाता है तो वह पढ़ाई में कमजोर लगता है, दूसरों के कॉम्पिटिशन में रहता है और उस कॉम्पिटिशन के कारण से अपने आप को कमजोर समझकर उसमें हीनता आ जाती है, उसके कारण से वह सुसाइड करता है। मगर सुसाइड के कारण से ही ऐसी बात नहीं है कि ये कोचिंग क्लासेज बंद कर दी जाए। कोचिंग क्लासेज चले, मगर क्या हमारा इतना बड़ा शिक्षा का लवाजमा है, उच्च शिक्षा मंत्री जी आपके पास इतनी बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, मगर हम अपने कॉलेजों में कोचिंग क्लास क्यों नहीं चला सकते?

अब आप ने इस बिल के क्लॉज 3 में दिया है, प्राधिकरण के जो सदस्य बनाए हैं, अध्यक्ष बनेगा, प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग। वह अभी भी उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी तो है ही। अपनी उच्च शिक्षा को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं और वह वहां जाकर कोचिंग्स को ठीक कर देगा। इसके ऊपर अपना राजनीतिक दबाव भी होना चाहिए ताकि वह इस चीज़ को करे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उच्च शिक्षा मंत्री जी कि ये जो हमारी कॉलेज की शिक्षा जिस तरह से गड़बड़ हो रही है, उसको ठीक करने के लिए आपके पास क्या इलाज है?

Ans/rtm 18.20 3n 24.03.2025

उप मुख्य मंत्री जी, आप इस कॉलेज शिक्षा को भी अच्छा करें, ताकि कॉलेज में बराबर क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाये। अगर वह सचिव वहां जाकर कोचिंग क्लासेज को ठीक करने की अपेक्षा करता है तो अपनी यूनिवर्सिटी व कॉलेज को ठीक क्यों नहीं कर पाता है।

आपने 12 आदमियों को बनाया है। ये सारे सरकारी अधिकारी लोग हैं। इनके पास कुछ काम नहीं है, इसलिए आप इनको काम दे रहे हो, प्राधिकरण को सम्भाल पाएंगे? इसमें कोई ना कोई चेक होना चाहिये। आप इसमें अच्छी मॉनिटरिंग करें, ताकि जो संस्था बन रही है वह अच्छी तरह से चले। आपने जिला लेवल पर समिति बनाई है, उसमें 11 आदमियों को बनाया। जिला कलेक्टर, एसपी, इनके पास बहुत काम है। ज़िले में कानून-व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसको भी सम्भालना पडता है। कोचिंग क्लासेज को सम्भलाने के लिए उनके पास टाइम मिलेगा? राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों को या सामाजिक क्षेत्र के व्यक्तियों को भी इसमें डाला जाए, ताकि गरीब जनता की भावना को समझते हुये, कोचिंग सेंटर्स में जिस प्रकार की गड़बड़ियां होती है, उन पर भी देखरेख कर सके।

आपने इसमें शास्ति लगानी की बात कही है। पहली बार सामान्य शर्तों का अतिक्रमण करेगा तो दो लाख रूपये लगाएंगे, यह कम है। आप दस लाख, पन्द्रह लाख, बीस लाख लगाइये, ताकि वह ठीक हो जाए। ...(व्यवधान)... दो लाख व पांच लाख से क्या होगा। ...(व्यवधान)... दो लाख व पचास हजार। यह शास्ति बहुत कम है। इसके लिये शास्ति दस हजार व बीस हजार रुपये लगानी चाहिए। दूसरी बार गलती करने पर बीस हजार और तीसरी

बार गलती करने पर लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इसलिये मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि बहुत जरूरी है कि हमारा राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। प्राइवेट में कोचिंग सेंटर के मालिक कितने होंगे, चार-पांच आदमी मिलकर करते हैं। अपने पास इतना बड़ा शिक्षा का लवाजमा है फिर भी हम कमजोर है, इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। हम कॉलेज जाते थे और पीरियड लगते थे। लेक्चरर आकर एबसेंट मार्क करते थे। अब तो कोई हाजिरी का ही पता नहीं हैं। प्राइवेट कॉलेज का क्या हाल है, बीएड कॉलेज का क्या हाल है? डबल फीस जमा कराओ, घर बैठे-बैठे बीएड कर लो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसको कौन ठीक करेगा? ...(व्यवधान)... पैसे दे दो और अटेंडेंस भरा दो। दोनों तरफ चिंता का विषय है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसी बनाना चाह रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को मजबूत व सशक्त करने के लिये यह बिल लाये हैं, ताकि कोचिंग क्लासेजों में विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं, उनको कैसे रोका जाए। उसका ब्रेन जितना ग्रिप कर सकता है उससे ज्यादा देंगे तो निश्चित रूप से वह अपने आपको डिप्रेशन में लाएगा और आत्महत्या हो जाएगी। मां-बाप भी अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा कलक्टर बन जाए। भई, कलेक्टर नहीं, वह तो हैडमास्टर के लायक भी नहीं बन रहा, इसलिये ऐसा बोझ नहीं लादना चाहिए।

यह बिल लाए हैं उसकी तो मैं सराहना करता हूं। कोचिंग सेंटर्स में जिस प्रकार की अनियमितता हो रही है उस पर भी कंट्रोल हो। हम उसकी मॉनिटरिंग कर सके, मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आएगा। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये, सभापति जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री फूलसिंह मीणा। (अनुपस्थित)

श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद।

वक्त ऐसे भी ना दीजिये कि भीख लगे,
बाकी जैसा आपको ठीक लगे।

सभापति जी, आज का बिल बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष कितना गंभीर है वह आपको नजर आ रहा होगा। दो या तीन मंत्री हैं। ...(व्यवधान)... मंत्रियों की हमसे तुलना करते हो यह बड़ी विचित्र सी बात लगती है।

श्री सभापतिः इसमें क्या है अपना बोलकर अधिकांश लोग निकल जाते हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज तो विपक्ष ही ज्यादा बोला है। सत्ता पक्ष के जो बोले हैं वे तो बैठे हैं, गोपाल जी बैठे हैं। आईसी थ्री एक स्वयं सेवी संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। देश के अन्दर युवाओं की आबादी है वह पिछले एक दशक के अन्दर दस लाख घटी है। लेकिन छात्र आत्महत्याओं की संख्या है वह 6 हजार 654 से

बढ़कर 13 हजार 44 हुई है। लिंग आधारित अपन देखे तो दस सालों में पुरुष छात्रों की आत्महत्या में 50 परसेंट वृद्धि हुई और महिला छात्राओं की आत्महत्या में 61 परसेंट की वृद्धि हुई है। पिछले पांच सालों में पुरुष व महिला छात्रों की आत्महत्या में औसतन पांच परसेंट की वृद्धि हुई है। 21 व 22 के बीच पुरुष छात्र आत्महत्याओं में 6 प्रतिशत की कमी आई, जबकि महिला छात्रा आत्महत्या में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जनवरी-जनवरी में छह बच्चों ने सुसाइड किया। पिछले एक वर्ष में 17 बच्चों ने सुसाइड किया। पिछले पांच वर्षों में 87 बच्चों ने सुसाइड किया, जिसमें से 60-62 सिर्फ कोटा में सुसाइड हुए। कोचिंग व स्कूल के बच्चों पर एक रिचर्स भी हुई है। 200 बच्चों पर रिसर्च हुई, उसमें स्कूल के बच्चों में डिप्रेशन 12 परसेंट था, कोचिंग के बच्चों पर डिप्रेशन 24 परसेंट था।

हमारी सरकार ने बच्चों को मदद करने के लिए अनुप्रति कोचिंग चलाई। आज जिस प्रकार से कोचिंग का माहौल देश में चल रहा है, इसमें आप बता दीजिये कि जो गरीब तबक़ा है, चाहे वह किसी भी कॉस्ट का हो, उसके लिए कोई व्यवस्था इस सरकार ने की है? नहीं की है।

सरकार यह बिल लेकर आई है, डबल इंजन की आपकी सरकार है, तो भारत सरकार की भी गाइड लाइन है। हाईकोर्ट के कुछ डायरेक्शन भी आप लोगों के लिए हैं। विधि मंत्रालय ने क्या तैयारी की है यह तो मेरी समझ से बाहर है। जिस प्रकार से बिल आ रहा है तो दिमाग के अन्दर एक ही बात थी कि कोई बहुत अच्छा बिल आयेगा जो कोचिंग पर, अभिभावकों पर, बच्चों पर भी असर डालेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पाँचवी कक्षा के बच्चे ने कोई निबंध लिख दिया हो। ना तो फीस की कोई बात है, आपने फीस स्लेब बनाई बिल के अन्दर? कोचिंग वाइज कमेटी बनाई है? स्टूडेंट सिस्टम कुछ बनाया है या सिर्फ जिला व प्रदेश स्तरीय कमेटी बना दी, उनके हवाले छोड़ दिया? उसमें भी क्या आप कोई जनप्रतिनिधि नहीं ले सकते? सारे अधिकारी-अधिकारी, वे तो चल ही रहे हैं।

सभापति महोदय, मुझे तो इस पूरे बिल के अन्दर एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। कोचिंग के बड़े-बड़े सरगना हैं, उन लोगों ने अपने हिसाब से इस बिल को ड्राफ्ट करवाया है। यही नहीं, वह यह भी चाहते हैं कि सरकार वाहवाही तो लूट ले कि हम बिल लेकर आये हैं, लेकिन बिल पास भी नहीं हो और वही काम यहां नजर आ रहा है, वही होगा। यह विधि मंत्रालय क्या करता है जब बिल बनते हैं तो? या नेता प्रतिपक्ष खड़ा होकर बोलने लगे तो पीछे इशारा करते रहो कि आप बोलो। संसदीय मंत्री से तो यह उम्मीद नहीं है। राजस्थान की महान परम्परा है, यह सदन है। अब टीकाराम जूली को तो रोक लो, भई मैं तो आता ही इस परिप्रेक्ष्य से हूं कि पता नहीं, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, हमारे तो पूर्वजों ने भुगती हैं।

VPS-RTM-24.03.2025-18.30-3o

लेकिन आप टीकाराम जूली को कमजोर नहीं कर रहे हो, आप संस्था को कमजोर कर रहे हो। संस्था, पद यह कमजोर नहीं होने चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हाईकोर्ट के कुछ डाइरेक्शंस थीं, हाईकोर्ट ने यह कहा कि ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपको इतना मजबूत कर दिया। डोटासराजी को अदृश्य कर दिया।...(व्यवधान)...

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): बैठिये, बीच में नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हाईकोर्ट ने यह कहा कि एक क्लास रूम में कितने बच्चे होंगे? आपने तो यह बताया नहीं कि इसका क्लास रूम भी बनेगा और उसमें कितने बच्चे आएंगे, आपने यह नहीं बताया। उन्होंने बच्चों की जो तनावपूर्ण स्थिति रहती है, उसके लिए उन्होंने यह उल्लेख किया है कि एक क्लास के अन्दर चालीस से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ें, लेकिन आपने बिल के अन्दर कोई प्रावधान नहीं किया, माननीय मंत्री महोदय।

हाईकोर्ट ने यह कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक का जो अनुपात है वह भी एक और पच्चीस का रखा जाये। आपने हाईकोर्ट के आदेश भी नहीं माने। हाईकोर्ट ने समग्र मॉनिटरिंग के लिए सुझाव दिये, वे सुझाव भी आपने नहीं माने। ...(व्यवधान)... नहीं, यहां के भी हैं। हाईकोर्ट ने दिये है 06.12.2018 को। उन्होंने यह कहा कि शहर में एक कॉमन फैसिलिटीज बच्चों को मिले, इसका भी आपको ध्यान रखना है, वह आप बिल में नहीं लेकर आये। कोचिंग के आस-पास जो बच्चे रह रहे हैं, वहां औचक निरीक्षण हो, उसका आपने कोई प्रावधान नहीं किया। ट्रैफिक व्यवस्था वहां की किस प्रकार से रहनी चाहिए, जिस प्रकार की आबादी वहां पर है, ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह नियमों में आयेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आएंगे न नियम तो, यह बिल में दिख रहे हैं कि नियम क्या आएंगे? यह बिल आएगा जब ही तो यह नियम आएंगे?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बिल तो आ गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसी प्रकार से आपने ट्रैफिक का नहीं देखा। विज्ञापनों की जरूर, कितना उन्होंने यह कहा कि कोचिंग वाले यह लिखें कि कोई नौकरी या कोई गारंटी नहीं है। हकीकत यह है कि कोई बच्चा पास हो जाये, किसी भी कोचिंग का हो। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

घंटी मत बजाओ, सभापतिजी, अभी तो। ...(व्यवधान)... यह कोटा का मामला नहीं है, यह मोटा मामला है। यह मोटा मामला है, हमको बोलने दीजिए कि आपने जो विज्ञापन जिस प्रकार से लगाते हैं, विज्ञापन इस प्रकार के लगाये जाते हैं कि वह बच्चा एडमिशन ले ले तो उसके सलेक्शन की गारंटी है। उस पर रोक क्या लगाओगे? आपने कोई प्रावधान नहीं किया।

सी.बी.एस.ई. और बाकी के जो बोर्ड हैं, इनके प्रतिनिधि भी वहां पर निरीक्षण कर सकते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए भी मोटिवेट किया जाये, कोई प्रावधान नहीं है और आपने जो यह सारा बनाया यानी, कि सबको एक ही लाठी से आप हांक

रहे हैं। कोई कोचिंग सेंटर तो ऐसे हैं जिनमें पचास बच्चे भी नहीं हैं और कोई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनमें हजारों हैं तो आपने सबको एक ही रजिस्ट्रेशन फीस और सब चीजें एक ही कर दीं। एक ही शास्ति सब यानी, बड़े-बड़े लोगों को फायदा देने का काम हो रहा है, छोटे वाले तो वैसे ही मारे जाएंगे।

इसी प्रकार से अब जो डबल इंजन की सरकार है उसका सुन लो। भारत सरकार ने जो निर्देश दिये कि 16 साल से कम के बच्चे नहीं होंगे, तो आपने कोई निर्देश नहीं दिये। उन्होंने यह कहा कि कौनसी क्लास के बाद में बच्चे आप लोगे, कोई निर्देश नहीं। इसी प्रकार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आपने कोई प्रावधान नहीं किया, लूट मचती रहे। बच्चा दो दिन भी अगर कोचिंग से एब्सेंट रहता है तो कहां सूचना देंगे? कोई प्रावधान नहीं। आपने तो छुट्टियों का भी झमेला बना दिया कि छुट्टी अपने स्तर पर करके कोचिंग सेंटर एडजस्ट कर लेंगे, क्यों? जो नेशनल हॉलिडे हैं या प्रदेश के हॉलिडे हैं तो उनको तो उस हिसाब से होना चाहिए।

इसी प्रकार से आपने इसके उद्देश्य और कारणों में सिर्फ नीट का और आई.आई.टी का ही जिक्र किया, बाकी कोचिंग सेंटर का तो जिक्र ही नहीं है तो उनके लिए क्या प्रावधान किये हैं? यह भी जरा बता दो और इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, यानी, कोचिंग सेंटर, देश के संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 जो कहता है कि कोचिंग सेंटर में जो प्रवेश होगा या शिक्षण प्रक्रिया होगी, उसमें धर्म, जाति, नस्ल, लिंग ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई उसके अन्दर भेदभाव नहीं होना चाहिए पर आपने कोई प्रावधान नहीं किया। इसी प्रकार से जो कमजोर समुदाय के बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से आप उनकी मदद करेंगे, आपने कोई प्रावधान नहीं किया। एस.सी. का है, एस.टी. का है, ओ.बी.सी. का है, एम.बी.सी. का है, ई.डब्ल्यू.एस. का है, आपने कोई प्रावधान नहीं किया। इसी प्रकार से जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, उसकी पालना आपने नहीं की। इसी प्रकार से जो ट्यूटर्स आएंगे, वे किस बच्चे की क्या केटेगरी है, कई बच्चे स्लो सीखने वाले भी होते हैं, उसका कहीं आपने कोई प्रावधान नहीं किया यानी, कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये, साहब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो पेनल्टी लगायी है, भारत सरकार यह कह रही है कि पहला अपराध करने पर 25 हजार रुपये की पेनल्टी लगेगी और आप कह रहे हो कि दो लाख की लगेगी। वे कह रहे हैं कि दूसरा अपराध करने पर एक लाख की पेनल्टी लगेगी और आप कह रहे हो कि पांच लाख की पेनल्टी लगेगी। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सभापतिजी, ऐसी जल्दी क्या है? मैं तो सब्जेक्ट से बाहर ही नहीं जा रहा।

श्री सभापतिः और भी लोग हैं। बोलने वाले बहुत लोग हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत गम्भीर विषय है। आप कोटा से आते हैं। आप कोटा की स्थिति समझते होंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय जूली साहब, मैं समझता हूं कि यहां पर बहुत प्रखर वक्ता हैं, वे सब बोलने लग गये तो पूरी रात, दिन-चार दिन तक इस विषय पर बहस हो सकती है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, बोलने दें न सबको। सुबह ही यह तय हो गया था क्योंकि मैंने यह पहले ही कह दिया था कि जब मैं बोलता हूं तो संसदीय कार्य मंत्रीजी इशारा करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः नहीं-नहीं, कोई इशारा नहीं है पर समय सीमा है। उसी समय सीमा में अपनी बात कह दें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तो ये इशारे नहीं होने चाहिए।

श्री सभापतिः बिल पर ही बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापतिजी, मुझे कोट करके कहा है। जिनकी पुरानी आदतें होती हैं न, वह धीरे-धीरे बाहर आ जाती हैं। इशारा न तो हम करते हैं, न करने की आदत है, पर मेरा निवेदन नम्रता से आपसे यह है कि अब वह पुराने इशारे की बातें भूल जाओ, अब इशारा नहीं होता, अब तो अदृश्य ही होते हैं, अदृश्य से आप खुश हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः कोई नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अंधेरे की साजिशें रोज-रोज होती हैं, अंधेरे की साजिशें रोज-रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर रोज होती है इसलिए ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अंधेरे की, अंधेरे की साजिशें रोज-रोज होती हैं, उजाले की हर रोज जीत होती है, मेरे मित्र, इधर उजाला है, उधर अंधेरा होने की सम्भावना है। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): तू इधर-उधर की बात न कर, यह बता काफिला लुटा क्यों?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां। तू इधर-उधर की बात न कर, यह बता काफिला लुटा क्यों? यह जो बिल बारबार वापस आ रहे हैं, इसकी बताओ आप तो। यह जितने बिल, इतिहास बना दिये आपने। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सुनो-सुनो। उसका जवाब सुनो। अब तो जवाब सुनना ही पड़ेगा। अंधेरा उजाला से निकलकर मेरे मित्र, अब कोचिंग बिल पर आ गये हैं। अंधेरा से उजाला से निकल मेरा मित्र कोचिंग बिल पर आ गया है। कोचिंग राजस्थान की आन है, पहचान है, हमारा वैभव है। बच्चों की आन-बान-शान, यह हमारी जिम्मेदारी है, हम दोनों के बीच में यह बैलेंस रखें, मित्र, इसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): देखो, सभापतिजी, हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें फौज तो तेरी सारी है, ...(व्यवधान)...

श्री हरीश चौधरी (बायतू): यह कलंक है राजस्थान के लिए। आन-बान-शान नहीं है, कलंक है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें, प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है पर ज़ंजीरों में यह जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हाथी, घोड़े, पालकी, जय कन्हैया लाल की।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): सभापति महोदय, यह कोई वाद-विवाद थोड़े ही है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हाथी, घोड़े, पालकी, जय कन्हैया लाल की। मित्र, कोचिंग सेंटर पर कलंक बताने के लिए एक शब्द बोलकर बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): चिंता मत करो, समझने वाले समझ गये, जो ना समझे वह अनाड़ी है। माननीय सभापतिजी, मैं फिर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विषय हमारा कोचिंग है। कोचिंग पर आ जाएं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि मेरे विषय को, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष इतने सीरियस विषय को मजाक की ओर ले जाना चाह रहा है, यह बहुत गम्भीर विषय है।

Ssy/Rtm/24.03.25/18.40/3p

यह बहुत गंभीर विषय है। यह कोचिंग का बिल इस प्रकार से आना चाहिए कि हमारे बच्चे सुसाइड नहीं करें। यह कोचिंग बिल इस चीज का होना चाहिए कि अभिभावक लुटें नहीं। अभी मेरे को बताया गया कि पता नहीं कितने हजार करोड़ की व्यवस्था है, साहब, यह कितने हजार करोड़ इन गरीबों की जेब से निकाले जा रहे हैं। सभापति जी, इनको लुटने से बचाइये। किसान, मजदूर, गरीब अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन की पूरी कमाई उनके लिए लगाता है और जब उसको पता चलता है कि उस कोचिंग सेंटर ने उसको ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है तो या तो वह बच्चा टूट जाता है, या फिर उनके अभिभावक टूट जाते हैं, वह परिवार टूट जाता है।

इसलिए आज जब हम यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं, हमें सिर्फ कोचिंग सेंटर्स का ही ध्यान नहीं रखने की जरूरत है, हमें ध्यान रखना है उन बच्चों का, हमें ध्यान रखना है उन अभिभावकों का, हमें ध्यान रखना है उस कॉलोनी जिसके अन्दर सब रहें उसका। हमें समग्र रूप से चर्चा करके इस बिल को पास करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल जो मिलीभगत करके लाया गया है, इस बिल को वापस प्रवर समिति को भेजा जाये। यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी। (अनुपस्थित)

श्री समरजीत सिंह। (अनुपस्थित)

श्री कैलाश चन्द वर्मा।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

बिल पर चर्चाएं आज सदन में सुबह से हो रही हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने हर बात पर, क्योंकि अच्छाई तो आपको इस बिल में दिखी नहीं और जितने पाइंटों के ऊपर कमी थी, उसको यहां पर लाकर रख दिया। जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण का यह बिल, जवाबदेही तय करने के लिए बनाया गया और मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं इस सदन के अन्दर कि आजादी के बाद में पहली ऐसी सरकार जिन्होंने केवल राजस्थान के अन्दर मुझे खुशी इसीलिए है कि राजस्थान पहला प्रदेश है जहां कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए बिल लाया गया है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को, जिन्होने पीड़ा को समझा और पीड़ा को समझते हुए उन लाखों, करोड़ों जो युवा साथी हैं, जो गांव से निकलते हैं, राजधानी की सड़कों के ऊपर आते हैं, उनके मन के अन्दर कल्पना रहती है, उनकी तमन्ना रहती है, उनके घर वाले भी यह सोचते हैं कि मेरा बच्चा यहां से निकलेगा और राजस्थान की राजधानी के अन्दर जायेगा, वहां पर एक कमरा लेगा, कोचिंग करेगा और कोचिंग के बाद में वह कलेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा।

मगर दुर्भाग्य था हमारे प्रदेश का कि आज दिन तक किसी भी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, कि यह वही सदन है, जहां पर हमारे नेता, प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी कटारिया की आंखों के अन्दर आंसू आये थे। नेता, प्रतिपक्ष आप मेरी बात को सुन रहे हो? जब आप समाज कल्याण मंत्री थे और मैं आपसे पूछूं अभी बड़े-बड़े भाषण दे रहे थे, लंबी-लंबी बात कर रहे थे कि इस बिल के अन्दर दिव्यांग के लिए क्या हुआ, एससी के लिए क्या हुआ, एसटी के लिए क्या हुआ? मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ यह बात बोल रहा हूं कि आप जब समाज कल्याण मंत्री थे, जब आपने इस कौम के लिए क्या किया था? आप बताइये, जवाब दीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति जी, अगर आप यह जानना चाहें तो, आप कहो तो पूरे दिन की एक डिबेट करा लो, तो आपको पता चला जायेगा। मैंने इस वर्ग के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए क्या किया? यहां यह चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि मैंने जो किया है, वह रिकार्ड बतायेगा। आप समाज कल्याण के मंत्री हैं, आप क्वेश्चन लगा दो अगले सत्र के अन्दर, अब तो यह आज खत्म हो जायेगा। क्वेश्चन लगा देना, मेरे समय का पूछ लेना और इनके समय का पूछ लेना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मेरी चर्चा के अन्दर माननीय नेता, प्रतिपक्ष केवल इस बिल के अन्दर, इस 6 पेज के अन्दर पाइंट थे, मैंने चर्चा इस मामले के अन्दर स्टार्ट नहीं

की। इस मामले के अन्दर केवल अभी आपने चर्चा की उसी पाइंट को मैंने इसमें लिखा और उसी को मैंने काउंटर किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सदन है और इस सदन के अन्दर जब राजस्थान की सरकार के अन्दर यह कोचिंग सेंटर्स की मिलीभगत से, इनके पीछे के दरवाजों के ऊपर कालाबाजारी चल रही थी और राजस्थान सरकार हंस रही थी, बड़े-बड़े होर्डिंग लगे थे कि हम आईएएस बनायेंगे, हम आरएएस बनायेंगे, हम इंजीनियर बनायेंगे, हम डॉक्टर बनायेंगे और गांव से निकला हुआ भोला-भाला बच्चा उनके झांसे के अन्दर आ जाता था।

कितनी बार पेपर लीक हुए थे? क्या कार्यवाही हुई थी उस समय? कितने लोग थे कोचिंग सेंटर्स के इस पेपर लीक के मामले के अन्दर? मैं इस बात के ऊपर इसीलिए आया कि हमारी पीड़ा जिस तरीके से हमारे उस समय के नेता, प्रतिपक्ष आदरणीय वरिष्ठ नेता गुलाब जी कटारिया की आंखों के अन्दर आंसू आये थे कि क्या गलती थी उस गांव के बच्चे की, वह यहां पर पढ़ने आता था और उसके बाद में वह पूरी तैयारी के बाद में पेपर लीक होता था। वह बच्चा जब आता था तो वह कोई न कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही पढ़कर वहां पर एग्जाम सेंटर के अन्दर जाता था।

आज अपने को बुरा तो लगता है इस बात का, आपको भी लग रहा होगा, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि पहला प्रदेश माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व के अन्दर जिन्होंने कोचिंग सेंटर्स के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से आप लोगों ने बात कही कि राजस्थान के अन्दर प्रतियोगी परीक्षाओं को निखारने के लिए पहली बार ऐसा बिल लेकर आए। अब आप कहते हो कि बिल के अन्दर नियम क्या थे? बिल के अन्दर बिंदु क्या थे? बिल के अन्दर तो ऐसा हो गया? आप इतने करोड़ इसमें दे देते, आपने तो इतने करोड़ आईफा के अन्दर दे दिये।

मैं उन तमाम बातों के अन्दर नहीं जा रहा, मगर मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि किसी भी नियम के लिए, कोई भी बिल यहां पर आता है, वह केवल उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए आता है। आप कहते हो, मैं कहता हूं कि प्रताप नगर के अन्दर कोचिंग हब सेंटर बना, आपने कौनसी वहां पर सुगम यातायात की व्यवस्थाएं की, मेरे को बताइये, क्योंकि वह विधान सभा क्षेत्र बगरू के अन्दर आता है। उसके अन्दर कौनसी ऐसी, जो आपने कहा, उसी बात को मैं वापस आप लोगों के बीच में दोहराना चाह रहा हूं।

आपने कहा अभी कि हत्यारों के ऊपर प्रेम प्रसंग की बात आई, आदर्श नगर से आने वाले माननीय विधायक ने यह बात कही, उस समय जिस तरीके से 5 साल के अन्दर, जिन बातों के ऊपर शिक्षा के साथ में, कोचिंग सेंटरों के साथ में जिस तरीके से जो मनमानी की, मगर राजस्थान की सरकार 5 साल तक केवल मौन रही। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई शिकंजा आज दिन तक नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, यह बिल प्रदेश में छात्र, छात्राओं के लिए, सुसाइड के केस बढ़ना, कोचिंग सेंटर्स की मनमानी, भारी फीस एवं अनावश्यक दबाव पर रोकथाम करना,

भजन लाल सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसकी वजह से यह बिल यहां पर सदन में लेकर आये।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण जरूरी हो, विगत 5 वर्षों में इन सेंटरों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण कोचिंग माफिया पनप गये, जिसकी मैं पहले आप लोगों के बीच में बात कर रहा था। मैंने स्पष्ट कहा, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, इस बात को क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारी मेरी बातें अदरवाइज लगीं, मगर यह बात बिलकुल फैक्ट है कि किसी भी काम के लिए हम कोई न कोई पहल जरूर करते हैं। पहल के बाद में बहुत सारे हमारे पास में सुझाव भी आते हैं, सुझाव के अन्दर जैसे अभी आपने कहा कि यह तो कलेक्टर्स की कमेटी बन गई, कलेक्टर 50 समितियों का अध्यक्ष रहता है। हो सकता है इसके अन्दर बहुत सारे सुझाव माननीय मंत्री जी, हम सब लोगों की बात को सुन रहे हैं, उसके बाद में सुझाव देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की भजन लाल सरकार प्रत्येक युवा के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। यह बिल प्रदेश के लिए जरूरी इसीलिए है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए इन कोचिंग सेंटर्स पर लगाम बहुत जरूरी है। अब आप कहते हैं कि कोई कोचिंग सेंटर तो 50 स्टूडेंट्स का है और कोई 1 हजार का है, तो यह पढ़ने वाला बच्चा तय करे कि मेरे को 50 वाले में जाना है कि 1 हजार वाले में जाना है।

spp/Rtm/24.03.25/1850/3q

बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने के बाद में, लोगों को बहकावे के बाद में, जो बात निकलकर आती है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि गांव का भोला-भाला बच्चा इस बात का शिकार हो जाता है और वो शिकार होने के बाद में इनमें एडमिशन लेता है। बहुत सारी बातें निकलकर आती हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से अत्यधिक फीस वसूली के ऊपर रोक लगेगी। विद्यार्थियों का मानसिक दबाव कम होगा। इस बात का जिक्र हम सभी माननीय सदस्यों ने यहाँ पर किया। यह बात बिलकुल सही है। बच्चा जो पढ़ने जाता है कोचिंग सेंटर्स के अन्दर, वो कोई पक्ष-विपक्ष का नहीं होता, मगर जिम्मेवारी हमारी बनती है, जिम्मेवारी परिवार की भी बनती हैं। हम गांव, ढाणी, गरीब, किसान के साथ में ये बोलते रहते हैं। हर बार भाषण के अंदर बोलते हैं, मगर ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, माननीय सभापति महोदय, कि असली पूंजी गांव की आज भी हमारे परिवार के वो बच्चे हैं। अगर हम सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट उन बच्चों के साथ में बैठ कर ये तय कर लें कि आज मेरा बच्चा स्कूल गया था तो स्कूल में क्या पढ़कर आया? कोचिंग सेंटर के अंदर गया था तो वहाँ क्या पढ़कर आया, असली ब्याज की पूंजी ये हैं। मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि उसका मानसिक विकास भी हो जाएगा और जिन बातों के लिए हम जिक्र कर रहे हैं, हत्याएं

बढ़ रही हैं, अपराध हो गए, इन अपराधों के ऊपर भी लगाम लग जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से प्रदेश में संचालित फर्जी और अनाधिकृत कोचिंग संस्थाओं के ऊपर रोक लगेगी। सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की भी गारंटी इस बिल के माध्यम से हमारी राजस्थान की प्रदेश की सरकार देने जा रही है। इनके द्वारा पास होने के ऊपर 100% गांरटी वाले विज्ञापनों से विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। इन तमाम बातों के ऊपर लगाम लगेगी। वह समय था। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बिल के अंदर ये सब बातें आई क्यों? कोचिंग सेंटर की आज आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ज़माना था जब अच्छे कोचिंग सेंटर उस समय भी चलते थे। चाहे हो सकता है घर के अंदर चलते हों।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): बड़े सेंटर्स के रूप में चल रहे हों और आज भी चल रहे हैं। मगर एक ज़माना ऐसा भी था कि उस समय कुछ नहीं था। वाल्मीकि जी ने रामायण भी लिखी थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रताड़ित होते हुए भी बाहर बैठ कर अपनी पढ़ाई करके, उस समय कौनसा कोचिंग सेंटर था? अपनी पढ़ाई करके, सबसे बड़ा संविधान लिखा। बड़े से बड़े रूप के अंदर उपाधियां लीं। मैं कोचिंग बंद कराने के लिए नहीं बोल रहा है माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैंने एक समय की बात बताई, उस समय नहीं चलता था। कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेंगी। हम सब लोगों को तय करना है कि इन तमाम बातों के ऊपर हमारे को नकेल कसते हुए जवाबदेही हमारी कैसे बन सकती है? जो जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था, माननीय सभापति महोदय, उसको मैं वापस लेता हूँ। आपने मेरे को अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-रामसा।

श्री सभापति: डॉ. शिखा मील बराला।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक, 2025 पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। यह बिल लाना आज के समय की मांग थी। और मुझे खुशी है कि यह बिल इस सदन में आया। पर एक चीज़ जरूर हमें परेशान करती है। खासकर जिन भी सदस्यों का हमारा पहला कार्यकाल यहां पर है। हमें कहा जाता था, यह बताया जाता था कि पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती थी वो रात को 12:00 बजे तक भी चलती थी, 2:00 बजे तक भी चलती थी। अभी कुछ देर पहले हमारे मुख्य सचेतक महोदय द्वारा व्यंग्यात्मक तौर पर कहा गया कि आप लोग कम बोलेंगे तो मंत्री जी भी कम बोलेंगे। तो या तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है या कहीं ना कहीं हम लोगों में इच्छाशक्ति की कमी है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम एक-दूसरे की यहाँ पर खड़े होकर लेग पुलिंग करें। ये हैं, हमारी इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर। अगर हम देखें तो एजुकेशन का अभी सिनारियो क्या है? तो वो पूरी तरह से बदल गया है। हम लोगो में ही बहुत सारे लोगों ने

कोचिंग की हैं। हम लोग स्कूल से निकले हैं। ये चर्चा यहाँ पर शुरू हुई, पर बहुत सारी चर्चाएं हम तब शुरू करते हैं जब पानी हमारे सिर के ऊपर से निकल चुका होता है। क्या आज पूरे एक साल में किसी भी सदस्य ने यह चर्चा की है कि स्कूल्स में जो मोबाइल का यूज़ हो रहा है, बच्चों को मोबाइल की तरफ धकेला जा रहा है, उसको नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाए? हो सकता है वो बिल भी आये, पर तब आए, जब हमारे और बहुत सारे बच्चे मोबाइल एडिक्शन में चले जायें। पहले हम लोग आठवीं कक्षा, दसवीं कक्षा में होते थे, उससे पहले हमारी डायरीज़ में हमें होमवर्क दिया जाता था, टाइम टेबल दिया जाता था। आजकल पैरेन्ट्स के मोबाइल पर सब कुछ आता है, बच्चों को ना उनके कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है और बच्चे बार बार पूछते हैं मोबाइल पर स्कूल से क्या इन्फॉर्मेशन आयी? हमें इस जड़ में जाना होगा। जो मूल कारण है, उसमें जाना होगा और वही हालत कोचिंग संस्थान हैं, उन्होंने साल दर साल कर दिया। सामाजिक स्तर, पारिवारिक स्तर, हर स्तर पर हमें सोचने की जरूरत है और वो संदेश 8 करोड़ लोगों में इसी सदन से जायेगा।

शिक्षा प्रणाली की अगर बात करें तो कोचिंग में जैसे पूर्व भी कुछ सदस्यों ने कहा मैथ्स में और सांइस में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उसका स्तर कहाँ है? उसका स्तर अगर बच्चे को ग्यारहवीं, बारहवीं में पढ़ाया जा रहा है, वो है पोस्ट ग्रैजुएशन लेवल का और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसे पढ़ाई जा रही हैं, जो उसकी पूरी जिंदगी में प्रैक्टिकली उसे कभी काम नहीं आनी। आज स्थिति यह है कि 3-4 साल के बच्चे को भी एक बेहतर, अच्छी प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसे भी कुछ प्री-स्कूल्स में भेजा जा रहा है, तो हमें बिलकुल इसके मूल कारण में जाना होगा। ज़िंदगी एक बहुत लंबी रेस है और उस लंबी रेस में अगर हम उस बच्चे को 3 साल, 5 साल, 10 साल पर ही तेजी से दौड़ाना शुरू कर देंगे तो जब उसका वक्त आएगा, जब उसका यूथ आएगा, जब वो अपने जीवन की शक्ति में चरम पर होगा, तब तक वो हार चुका होगा, थक चुका होगा।

मैं बिंदुवार चर्चा पर आऊं। ऑनलाइन कोचिंग सेंटरों पर कोई भी इस बिल में प्रावधान नहीं दिखता, जबकि पूरे 49 पन्ने पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग है, वो बदलते समय की गति को भांप नहीं पा रहा। जब ऑनलाइन कोचिंग हो रही है तो उन्हें हमने इस बिल में क्यों इन्क्लूड नहीं किया? मेरा सुझाव है कि इन्हें नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जाएं ताकि उनकी गुणवत्ता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सके। बिल में धारा 2 (क) में विज्ञापन की परिभाषा दी जाती है और उसमें इन्टरनेट और वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन, प्रसारण या प्रकाशन को उल्लेखित नहीं किया गया। जबकि आज के दौर में यही माध्यम सबसे अधिक तरह से अपनाया जाता है। मेरा सुझाव है कि बिल में भ्रामक और छोटे विज्ञापनों के खिलाफ़ सख्त प्रावधान जोड़े जाएं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की परिभाषा को संदर्भित किया जाए। उक्त बिल में प्राधिकरण एवं जिला समिति का उल्लेख किया गया है। पर यह स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से कितने दिनों की अवधि के भीतर यह समिति और

प्राधिकरण गठित किया जाएगा? इसकी एक तय समय सीमा हो और संबंधित प्रावधान जोड़ा जाए। साथ ही स्थानीय, जन प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, राज्य विधिक सेवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, स्वास्थ्य अथवा मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ से भी कुछ प्रतिनिधियों को इसमें सदस्य बनाया जाए। और सदन में इस सत्र में ही तीसरी बार मुझे ये बात दोहरानी पड़ रही है कि कहीं ना कहीं हम विधायिका और कार्यपालिका का संतुलन बिगाड़ रहे हैं और इसका फायदा तो किसे होगा, ये नहीं पता, पर नुकसान किसे होगा? खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा वो जनता भुगतेगी, जिन्होंने वोट देकर हमें यहाँ पर MLA, मैम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाकर भेजा है।

शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी इसमें प्रश्न उठता है। बिल की धारा चार की उपधारा 7 एवं धारा 6 की उपधारा 2(ड) हेतु मेरा सुझाव है कि बिल में शिकायत निवारण प्रणाली को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों की शिकायतें दर्ज की जाएं और प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष समाधान 7 दिन के भीतर अवश्य हो। बिल की धारा 6 की उपधारा 2(घ) में कोचिंग सेंटर द्वारा अभिभावकों को पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर न्यूनतम चार किश्तों में फीस भुगतान करने का विकल्प दिया गया है, लेकिन फीस के लिये बहुत सारे सदस्यों ने कहा, फीस की अधिकतम सीमा और प्रति वर्ष फीस बढ़ोतरी प्रतिशत की सीमा निर्धारित नहीं की गई।

मेरे से पूर्व हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि क्यों न आरटीई के अंतर्गत भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लाया जाए, ताकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उन्हें इनका लाभ मिल सके।

हम बात पेनल्टीज़ की करते हैं। यहाँ पर तो हमने 2 लाख 5 लाख की पेनल्टीज की बात कर के फोर्मेलिटीज पूरी कर लीं, पर जल के बिल में कोई आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए अगर ट्यूबवैल खोद लेगा तो उसके लिए हम कारावास तक का प्रावधान करते हैं। यह बहुत ही एक सोचनीय बात है।

jyg/Rtm/24.03.25/19.00/4a

सरकार के राजस्व में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से पहले भी बात हुई। कोचिंग इंडस्ट्री दस हजार करोड़ रुपये तक का योगदान रखती है। जयपुर के प्रतापनगर में कोचिंग हब बना, वहां पर अभी बजट घोषणा में कहा गया कि प्रयास किया जायेगा कि आईआईटी जोधपुर को वहां पर संचालित किया जाये। पर जो लोग वहां से कोचिंग चलाना चाह रहे हैं उन लोगों को हम डिमोटिवेट कर रहे हैं, होना यह चाहिए कि बजट की इस घोषणा को रद्द कर उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके मोटिवेशन के लिए उन्हे रियायती दर पर वहां पर स्थान अवेलेबल कराना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल से यह परसेप्शन बनाया गया कि ये बिल सिर्फ नीट और जे.ई.ई. की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए है पर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लोग

भी आते हैं, ग्रेजुएट लोग भी आते हैं, जो लोग कैट के लिए, आर.ए.एस., आई.ए.एस., पटवारी, सैनिक भर्ती, बहुत सारी भर्तियों के लिए कोचिंग कर रहे होते हैं। यहां पर पांच घण्टे की अवधि को निर्धारित किया गया है, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाये ताकि सभी लोग बच्चों पर भी उसका विपरीत प्रभाव न पड़े।

माननीय सभापति महोदय, बिल में कोचिंग सेंटरों के लिए टैक्स की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार कोचिंग सेंटरों पर अधिक टैक्स लागू करती है तो उसके लिए खामियाजा भुगतना पडेगा अभिभावकों को जिन्हें ज्यादा पैसा वहां देना पड़ेगा। छोटे सेंटर्स जो अफोर्डेबल फीस पर लोगों को, बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें इनकम टैक्स में अतिरक्त छूट भी देनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं भी कोचिंग सेंटर से पढ़ी हूं, आज से 25 साल पहले, शुक्र है वहां पर कोचिंग सेंटर में पढ़ाया नहीं वरना कुछ सदस्य कहते कि, मैडम, यह छूट तो आप अपने लिए मांग रहे हो, जैसा कि मुझे मेडिकल के विषय पर चर्चा पर कहा गया। बिल के अनुसार हर कोचिंग सेंटर को जिला समिति से अनिवार्य रूप से मान्यता लेनी है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के कोचिंग सेंटरों के सरकारी दफ्तरों के चक्कर बढ़ जाते हैं। मेरा सुझाव है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की जाये जिससे कोचिंग संस्थान इंस्पेक्टर राज के शिकार न हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मान्यता प्रक्रिया को अधिकतम 30 दिन में पूरा करने का प्रावधान हो, बाध्यता हो ताकि जो रेडटैपिज्म है जो बहुत ही फैंसी वर्ड हमें पहले स्कूल के दौरान लगता था, वो हमारे सिस्टम पर हावी न हो। बिल की धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए निबंधन और शर्तें, उसमें तो डबल इंजन सरकार की पूरी तरह से खिल्ली उड़ा दी गयी। अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांत को ही आपने ठेंगा दिखा दिखा, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिन्दु में कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का नामांकन नहीं करेगा या छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। विराजें।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि इस पोइंट को इसमें इंक्लूड किया जाये। दसवीं पास बच्चे को बाद में ही एडमिशन मिले क्योंकि फाउण्डेशन कोर्सेज के नाम पर बच्चों की नींव उसे कमजोर किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स के पास में तम्बाकू और बहुत सारे अन्य मादक पदार्थों की खुले आम सेल हो रही है। उसकेलिए भी इस बिल में प्रावधान होना चाहिए।

श्री सभापतिः विराजिये, प्लीज। कंक्लूड कर दें।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट।

माननीय सभापति महोदय, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की अस्पष्टता इसमें स्पष्ट तौर पर दिख रही है। चूंकि 25 साल पहले मैंने भी माननीय सभापति महोदय, आपके ही

कोटा से मैंने कोचिंग की थी। मुझे पता है बहुत सारे सदस्यों को पता है, घर से अचानक बाहर निकल कर जाना, अकेले वहां रहना, जहां पर काउंसलिंग करने के लिए आपके लिए कोई नहीं है, उस वक्त हमें काउंसलिंग का वर्ड भी पता नहीं होता था पर कितना मुश्किल है बच्चों के लिए कोचिंग के इस स्ट्रेस को झेलना, तो उसके प्रबंधन के लिए इन सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पेशेवर काउंसलर नियुक्त किये जाने चाहिए। कितने पेशेवर काउंसलर्स कोचिंग सेंटर्स में नियुक्त होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, यह तय किया जाये।

श्री सभापतिः विराजें।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): यह विधेयक कोचिंग छात्रों को मानसिक सम्बल और सुरक्षा प्रदान करता है पर उस हद तक नहीं जो हम चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री जयकृष्ण पटेल।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी बात शुरू करने से पहले मैं दो लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा,

कोचिंग का कारोबार हर कोने में छा-सा गया है,
विद्या का मूल उद्देश्य कहीं खो-सा गया है।

माननीय सभापति महोदय, हम आज के इस वक्त के अन्दर राजस्थान के कोचिंग सेंटरों को लेकर और हमारी आने वाली पीढ़ी और जनरेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान राज्य के अन्दर या देश के अन्दर जितने भी कम्पीटिशन के एक्जाम होते हैं उन एक्जाम को 90 परसेंट कोचिंग सेंटर चलाते हैं। आज अगर वर्तमान के अन्दर हम बच्चों के भविष्य को लेकर और शिक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं सदन के हां पक्ष और ना पक्ष, दोनों की बातों को सुन रहा हूं, जहां तक मैंने पाया, हमको लगता है कि यह पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है, आज हमारे छात्र हित और युवा के मान-सम्मान की बात है और उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमको इस बिल पर सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज हम जिस कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, राजस्थान स्तर पर देखें तो जयपुर और हम जैसे सीकर, कोटा को बड़ा हब मानकर राजस्थान के कई क्षेत्रों से लोग यहां पर कोचिंग सेंटरों के अन्दर आकर अपना अध्ययन-अध्यापन करते हैं और संस्थानों के अन्दर एडमिशन लेते हैं लेकिन इस बिल के अन्दर मैं उप मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि यहां पर कोचिंग सेंटर होते हैं वो बड़ी-बड़ी फीस तो लेते है लेकिन वे बच्चों को सही अध्ययन-अध्यापन नहीं करवाते हैं। आज कोचिंग सेंटर की बात

करें तो वहां पर कोई भी छात्र यदि एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेने के बाद में वहां पर साप्ताहिक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के माध्यम से उस बच्चे को कैटेगिरीवाइज बांट दिया जाता है, वन-टू-थ्री, और वो कैटेगिरीवाइज जैसा ही बांटा जाता है तो उसका कालांश भी अलग लगाया जाता है कि यहां पर टोप क्वालिटी का बच्चा कौनसा है, सैकण्ड टोप कौनसा है और थर्ड क्वालिटी का बच्चा कौनसा है। मैं ऐसे में कहना चाहूंगा कि हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं तो ऐसे में जो बच्चा अगर सीबीएसई और आरबीएसई का कोर्स होता है उसके अन्दर जो बच्चा प्राइवेट स्कूल के अन्दर पढ़ता है और एक गवर्नमेंट स्कूल के अन्दर पढ़ता है, उन दोनों बच्चों की शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन के अन्दर जमीन और आसमान का फर्क होगा। भौतिक सुख-सुविधाओं का फर्क होगा तो निश्चित तौर पर जो कैटेगिरी के अन्दर बांटकर जो संस्थान कोचिंग देते हैं तो वह बच्चा पहले से ही अपने आप के अन्दर यह महसूस करेगा कि मैं तो थर्ड क्वालिटी का बच्चा हूं और मैं यह एक्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, वो अलग विषय है लेकिन कोचिंग सेंटरों का अगर ऐसा रवैया रहेगा तो निश्चित तौर पर वो बच्चा एक्जाम देने से पहले ही अपना आत्मविश्वास खो बैठेगा और कम्पीटिशन एक्जाम फाइट नहीं कर पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है तो हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़ा होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, आज हम निजी संस्थानों की बात कर रहे हैं, निजी कोचिंग सेंटर्स खोल सकते हैं तो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय खोल रहे हैं, तो क्या हम कोचिंग सेंटर्स गवर्नमेंट के क्यों नहीं खोल सकते? हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो डिफरेंसेज निजी संस्थान कर रहे हैं, तो वो भिन्नताएं, असमानताएं न हो और उनको समान शिक्षा मिले, समान एजुकेशन मिले तो निश्चित तौर पर हमको इसका समाधान करना चाहिए कि हम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कोचिंग संस्थान होने चाहिए और सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए और कोचिंग सेंटर मिलना चाहिए। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरा समय और है। माननीय सभापति महोदय, आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि हम जिस तरह से बात करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका जो सब क्लॉज 16 है उसमें फीस को लेकर बात कही गयी है। फीस को लेकर कोचिंग संस्थान होते हैं वो पहले से डिसाइड यह करते हैं कि अगर उस कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने के बाद में बच्चा महीने-दो महीने रहता है, उसके बाद चला जाता है तो उससे जो दूसरा बच्चा आता है तो उसको पहले से प्रलोभन किया जाता है कि हमारी सीट खाली है, आपको आधी फीस में ले लेंगे। इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वो संस्थान किसी बच्चे को अगर एडमिशन देता है तो उसको पूरी फीस लौटानी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि इस बिल के अन्दर पूरी

सख्ती होनी चाहिए। यहां पर जिस तरीके से निजी शिक्षण संस्थानों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है तो मैं अवसर पर चाहूंगा उप मुख्य मंत्रीजी से कि इस बिल को वापस प्रवर समिति में भेजना चाहिए और पुनर्विचार के लिए एक बार फिर से आपको सोचना चाहिए।

MLS/RTM/24.03.2025/19:10/4b

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज कोचिंग संस्थानों के अन्दर कोचिंग तो हो रही है, लेकिन कोचिंग सैंटर की जो फैकल्टीज होती हैं, वे भी तय होनी चाहिये। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सैंटर हैं, जो नामी लोग होते हैं, उनके नाम से चलाये जा रहे हैं। उस एक आदमी के नाम से 5-5, 10-10 कोचिंग सैंटर हर स्टेट के अन्दर, हर जिले के अन्दर खोल रखे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, वह नामी व्यक्ति पढ़ाने के लिए 10 कोचिंग सैंटरों के अन्दर कैसे पहुंचता होगा? यह बात भी सोचने की जरूरत है। वहां पर हम यह कहना चाहेंगे कि कोचिंग सैंटर के अन्दर एक करिअर गाइड काउंसलर भी होना चाहिये ताकि बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जा सके और वह उनको गाइड कर सके।

निजी संस्थान के अन्दर सारे कर्मचारी हम देखते हैं, आज-कल तो गवर्नमेंट कर्मचारी भी पढ़ाने के लिए जाते हैं और मोटे तौर पर फीस लेते हैं। क्या सरकार अपने तरीके से कोचिंग सैंटर्स को नहीं चला सकती? क्या सरकार जिला और ब्लॉक स्तर पर कोचिंग सैंटर्स नहीं खोल सकती? यह मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा। इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे वहां पर हम देखते हैं कि दसवीं और बारहवीं के अन्दर जो बच्चे पढ़ते हैं तो साइंस की जो फैकल्टीज होती हैं, उनके अन्दर क्रैश कोर्स कराया जाता है। दसवीं और बारहवीं के जो बच्चे होते हैं, जब तक दसवीं पास नहीं करता है और ग्यारहवीं और बारहवीं के अन्दर साइंस के अन्दर अगर बच्चा पास नहीं कर पाता है, तब तक उसको क्रैश कोर्स के लिए परमिशन नहीं होनी चाहिये ताकि वह आगे जाकर परिवार के दबाव में नहीं आ सके।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

कोचिंग सैंटर का जो वज़न है, वह उसे भी नहीं ले सकता है और अगर वह क्रैश कोर्स करेगा तो निश्चित तौर पर वह डिप्रेशन और तनाव महसूस करके आत्महत्या करने जैसा प्रयास करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर मेरी दो लाइनें कहना चाहूंगा,

मेरी जमीन बिक चुकी है,
मां के जेवर गिरवी हैं,
भाई का मकान और छोटी का ब्याह बाकी है,
पास अब खुला आसमान है,
पिता का ईमान बाकी है,
अब मेरा आखिरी इम्तिहान बाकी है।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत

धन्यवाद। जोहार।

श्री अध्यक्षः कुमारी रीटा चौधरी।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वारा जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वे समाचार जब हम पढ़ते हैं तो वे बहुत ही विचलित करने वाले समाचार होते हैं। इस पवित्र सदन में बैठे हम 200 विधायकों का दायित्व बनता है कि ऐसे गम्भीर विषयों पर हम गम्भीरता से विचार करें, क्योंकि ये जो विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, ये हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के भविष्य हैं।

मैं इस मौके पर, जब यह बिल यहां पर आया है और इसके अन्दर जो कारण दिये हैं, धन्यवाद देना चाहूंगी केन्द्र की सरकार को भी कि देर से आये, दुरुस्त आये, पर उन्होंने 16 जनवरी, 2024 को कोचिंग सैंटरों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए राज्य सरकारों को एक मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किया, उस मार्गदर्शक सिद्धान्त के हिसाब से ही आज राजस्थान की इस विधान सभा के अन्दर यह बिल लेकर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल आ रहा था तो हम लोग भी बड़े खुश थे कि एक बहुत बड़ी समस्या जो राजस्थान के अन्दर हमारे बच्चों में व्याप्त हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक दबाव बढ़ रहा है, कोचिंग सैंटर्स में लूटपाट उन्होंने राजस्थान के अन्दर मचा रखी है तो कहीं न कहीं उन पर नियंत्रण होगा, लेकिन जब इस बिल को पढ़ा और उसके उद्देश्य और कारणों को जब देखा तो उसमें देखने को मिला कि इस विधेयक में केवल नीट, जेईई, आईआईएम और क्लैट जैसी प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं की कोचिंग के लिए बात कही गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि हर तरीके की कोचिंग आज राजस्थान में चालू है। मैं जहां से आती हूं, शेखावाटी सैनिकों का जिला है, वहां पर सेना के अन्दर लोग जाना पसन्द करते हैं। वहां पर बहुत सारे शहीद भी हुए हैं और बहुत सारे अनेकानेक सेना के अन्दर लोग हैं।

सेना में भर्ती के नाम पर भी कोचिंग चलती है। आईएएस, आरएएस की कोचिंग भी चलती है, सीईटी की भी कोचिंग चलती है, तो आप एक सीमित दायरे के अन्दर कोचिंग सैंटर के अन्दर यह नहीं कह सकते कि सिर्फ नीट और जेईई के कोचिंग सैंटर्स हैं, उनके लिए बिल लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब यह प्राधिकरण आप बना रहे हैं तो इसके गठन की बात करें। मंत्री महोदय, हर बार यह हो रहा है कि आप जो भी प्राधिकरण ला रहे हैं, चाहे वह आपका भू-जल का प्राधिकरण हो या अन्य प्राधिकरण हो, आप जब उसकी समिति बनाते हैं तो आप अधिकारियों पर इतने ज्यादा निर्भर क्यों हो जाते हैं? आपने अनाप-शनाप ब्यूरोक्रैट्स इसमें भर दिये हैं।

अब आप देखें कि इसके अन्दर आपने दो अभिभावक छोड़े हैं कि दो अभिभावक इसमें रहेंगे। दो कोचिंग सैंटर के सदस्य इसमें रहेंगे और एक मनोचिकित्सक इसमें रहेगा। मतलब 14 सदस्यों की समिति के अन्दर 9 तो आपके प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे। आईएएस स्तर के आपने अधिकारी बैठा दिये। अब आप सोचें, आईएएस अधिकारी उस कमेटी में बैठेगा तो

किसकी हिम्मत होगी कोचिंग सैंटर, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक या अभिभावक की कि वो उनकी बात को नकार दे और अपनी बात उनके सामने रख दे या अपने सुझाव उनके सामने रख दे? यह एक सोचने का विषय है।

होना तो यह चाहिये था कि इसमें शिक्षाविद् अपन लेते, अपने जो समाज शास्त्री हैं उनको आप लेते, मनोवैज्ञानिक को इसके अन्दर आप लेते, हमारे जो कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनको आप इसके अन्दर लेते तो इसके अन्दर कुछ आउटपुट निकलता और हम लोग कुछ अच्छा इसके अन्दर ला सकते। ऐसे ही आपने जिले के अन्दर कमेटी गठित की, उसमें कलक्टर और एसपी को आपने बैठा दिया। कलक्टर का तो राजस्व का काम ही नहीं सलटने में आता, वह कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं निकलता है, वह अपनी मीटिंगों से बाहर नहीं निकलता है तो इन समस्याओं पर वह कब ध्यान देगा और कब आप लोगों की बात या शिकायत उस तक पहुंचेगी और वह उसका निस्तारण करेगा?

आप कृपा करके इन अधिकारियों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहें। इसके अन्दर जन प्रतिनिधि का होना बहुत जरूरी है। इसके अन्दर जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, जिन्होंने साइको के अन्दर अपनी डिग्री ले रखी है, कोई समाज शास्त्री को आप इसके अन्दर शामिल करें ताकि आपका यह जो प्राधिकरण आप बनाएंगे, वह फ्रूटफुल हो सके। अब प्राधिकरण की शक्तियों के बारे में आपने यहां पर करा, लेकिन उसके अन्दर फी स्ट्रक्चर आपने नहीं दिया। एक गांव के गरीब बच्चे का भी सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं सेना के अन्दर जाऊं, मैं प्रोफेसर बनूं, मैं बैंक की नौकरी करूं, लेकिन वह कोचिंग के लिए आता है तो उसको अपनी जमीन, जैसे हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने बताया, अपनी जमीन, अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, तब जाकर वह कहीं कोचिंग सैंटर के अन्दर एडमिशन ले पाता है और पढ़ पाता है। इसके ऊपर भी कहीं न कहीं हमें सोचने की जरूरत है कि जो फीस निर्धारण है, उसमें भी हमारी भूमिका होनी चाहिये, इस प्राधिकरण की भूमिका होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी। वैसे तो बहुत से लोग यहां पर हैं। शिक्षाविद् हैं, ज्ञानी भी हैं, सबने अपने-अपने सुझाव दिये हैं, लेकिन मेरा यह मानना है, हमारे यहां पर झुंझुनूं के अन्दर एक कलक्टर लगे थे प्रदीप बोरड़, बहुत अच्छे कलक्टर थे, क्योंकि वे स्वयं समझते थे गरीब की पीड़ा को तो उन्होंने अपने स्तर पर...। उच्च शिक्षा मंत्री जी, मैं आप ही को, वरना तो आप पास कर लो, बहुमत है, वही बात है। और क्या होता है, जब ये अपना रिप्लाई देते हैं न तो ये मेरा नाम भूल जाते हैं कि मैंने भी कुछ बोला है, कुछ सुझाव दिये हैं। आज आप भूलना नहीं, आज आप भूलना नहीं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): राज्य सरकार को भी धन्यवाद दिया है आपने।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): दिया है, साहब, बहुत गम्भीर विषय है, इसलिए दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब लाखों बच्चे दसवीं और बारहवीं के स्कूल के अन्दर एजुकेशन लेते हैं तो वहीं पर उनका भविष्य डिसाइड होता है, वहीं पर वे बच्चे सोचते हैं कि उनको भविष्य में क्या करना है। मेरा एक सबमिशन है कि से कोचिंग सैंटर्स अच्छे हैं, वे जो बनना चाह रहे

हैं, कौनसे कोचिंग सैंटर्स में उनको अच्छे लैक्चरार्स मिलेंगे, अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, इस बात की गाइडलाइन वहां पर जारी हो जाये।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने विधेयक के खण्ड 12 में कोचिंग सैंटर के लिए 9 बिन्दुओं की आचार संहिता बनायी है। आचार संहिता आपने बनायी है, लेकिन यह नहीं बताया, क्योंकि आचार संहिता कोई कानून नहीं होता, उसका पालन कौन करवायेगा, इस बात का कोई जिक्र नहीं है।

mkd/rtm/24.03.2025/19:20/4c

आपने आचार संहिता दे दी, लेकिन उसकी पालना कौन करवाएगा? इसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं कराया, तो इसके बारे में भी सुनिश्चित होना चाहिए कि इन आचार संहिताओं का पालना कौन करवाएगा?

मंत्री महोदय, हमारे यहां कलेक्टर प्रदीप बोरड़ थे। उन्होंने गरीब बच्चों की पीड़ा को समझते हुए फ्री में अपने स्तर पर झुंझुनूं के अंदर कोचिंग सेंटर्स चालू करे, जो आईएएस और आरएएस के लिए बच्चों को वहां पर कोचिंग देते थे। कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर से, जो प्रोफेसर्स हैं, उनसे बात की और उसको आगे बढ़ाया।

मैंने बहुत नजदीक से देखा। हमारे यहां पर अच्छे प्रोफेसर्स लर्नेड प्रोफेसेर्स, जिनको हम अच्छी सैलरी देते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन तो आप उनको काम में लें। कोचिग सेंटर के लिए प्राधिकरण ले आए, लेकिन वहां पर न तो वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होते हैं, जो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और वहां पर बहुत सारा पैसा गरीब जनता का लगता है तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे थे। वे आन, बान और शान बता रहे थे, कोचिंग सेंटर को। मैं समझती हूं कि जब वे स्वामी विवेकानन्द की बात करते हैं और भारत माता का जयघोष करते हैं, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वह हमारे लिए आन, बान और शान की बात है ना की कोचिंग सेंटर।

हम जब अधिकारियों के ऊपर कुछ बोलते हैं कि इन अधिकारियों पर शिकंजा कसो तो सबसे पहले वे ही खड़े होते हैं। अधिकारियों का पक्ष लेते हैं। हम यहां पर जो कानून लेकर आते हैं, जो बिल यहां पर पास करते हैं, उसको कार्य व्यवस्था करने का दायित्व ब्यूरोक्रेट्स पर है। अगर उसके अंदर कोई कमी रहती है तो सीधा-सीधा ब्यूरोक्रेट्स की तरफ ही इंगित किया जाएगा, अधिकारियों को ही कठधरे में खड़ा किया जाएगा। इसलिए उनका पक्ष ना लेकर जिस जनता ने जिताकर आपको यहां पर भेजा है, उसकी बात यहां पर रखनी चाहिए और आपको उसकी बात सुननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर बहुत गुंजाइश है। मेरा निवेदन है कि इस बिल पर दोबारा से विचार किया जाए या इसको जनमत के लिए भेजा जाए या प्रवर समिति में भेजा जाए। इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी इस सदन में कोई बिल पेश करते हैं तो उस बिल का कोई कारण या उद्देश्य होता है। वैसे ही इस बिल का भी कोई फोकस है, कारण है और उद्देश्य है। वह है, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य।

इस बिल में यहां लिखा है कि – "this is a Bill to make provisions of coaching centres of the State to register, control, regulate and determine minimum standards and requirements for registration of such centres, to take care of interests of students and provide them career guidance and psychological counselling for mental well-being, to take appropriate measures to provide security and reduce stress among students enrolled in the coaching centres, and to provide better academic support and holistic development of students in preparation of different competitive examinations and admission into specialized institutions etc. and for matters connected therewith or incidental thereto.", और इस बिल में हमें यह देखना है कि क्या इन्हीं कारण और उद्देश्य को, सभी पाइंट्स को हम इस बिल में शामिल कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे बिल पर आप आती हूं। आपने पेज नंबर 4 में राज्य स्तर की कमेटी का ज़िक्र किया है और पेज नंबर 8 में जिला स्तर की कमेटी के बारे में लिखा है। इसमें आपने सिर्फ अधिकारी लिए हैं या अधिकारी द्वारा आप किसी को नोमिनेट करेंगे, चाहे वह पैरेन्ट्स लॉबी हो या कोई भी हो। परंतु, एक भी जनप्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल नहीं होगा। मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि इस कमेटी में स्थानीय विधायक को शामिल करना बहुत ज़रूरी होगा।

मेरा एक और सुझाव है, पेज नम्बर 15 पॉइंट नम्बर 10 में, आपने विद्यार्थी के बैठने के स्थान के बारे में, एक मीटर की परिधि के बारे में लिखा है, पर आपने यह नहीं बताया है कि आप इसको कैसे निर्धारित करेंगे। इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे बेटर होगा, अगर आप यह तय करें कि एक टीचर कितने मैक्सिमम नम्बर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। साथ ही, आपने ब्लैंकेट रूल्स बनाये हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स पर, तो जैसे हमारी इनकम टैक्स की स्लैब होती हैं एज पर इनकम, वैसे ही जो बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं और छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं, उस पर एक ही ब्लैंकेट रूल मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, अलग-अलग स्लैब के तहत उनके लिए अगर हम नियम बनाएंगे तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा और जो छोटे कोचिंग सेंटर्स है, उनकी भी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी।

माननीय सदस्य मनीष यादव जी, जो शाहपुरा से आते हैं, उन्होंने भी ज़िक्र किया था सुपर-30 का, जो आनंद कुमार जी चला रहे थे, तो वे 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और जहां 3000 बच्चे हैं। एक रूल उन दोनों पर लागू करना मेरे हिसाब से यह सुझाव आप इसमें देख

लें।

साथ ही, केंद्र सरकार की गाइडलाइन द्वारा अशोक कुमार की कमेटी में कोचिंग सेंटर्स के लिए बोला गया था कि – "in 2024 the Ministry of Education issued guidelines for coaching centres emphasizing fair practices, banning misleading claims and prohibiting intake of students below 16 years of age." मेरे ख्याल से यह और साथ ही उन्होंने महिला विद्यार्थी और दिव्यांग छात्राओं को प्राथमिकता देने की बात रखी है, शायद गलती से ये सुझाव रह गए होंगे, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यह बिल और बेहतर बन जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, हमें ध्यान देना है, हम चाहते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर्स को भी हम आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, कोचिंग सेंटर्स भी हमारे हैं और वे हमारे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, not just in direct way but in indirect way भी उनकी सब्सिडियरीज होती हैं, वह भी एक आर्थिक स्थिति का अवसर प्रदान करती है, बहुत सारे छोटे-छोटे सब्सिडियरीज को। हमें उनका भी ध्यान रखना है, परंतु बच्चों का भी ध्यान रखना है और अभिभावकों का भी ध्यान रखना है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बात के बारे में बोला है कि कई अभिभावक अपनी सब जमीन, घर, जायदाद, जेवर बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं, तो वह प्रेशर बच्चों पर पड़ता है। हमने आपके लिए सब कुछ बेच दिया है। हमने यह देखा है कि उस बच्चे में एप्टिट्यूड क्या है, क्या वह वाकई डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं, तो बच्चों की काउंसलिंग की साथ-साथ, जो पैरेंटस अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पर थोपते हैं, उनको भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो बच्चों के साथ पैरेन्ट्स की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही जो कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, उनके साथ एक और चलता है, हॉस्टल्स। हमें हॉस्टल्स के नियम और प्रावधान को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां बच्चों को बेसिक एमेनिटिज नहीं दी जा रही हैं। ऐसे सेंटर्स हैं, एक हॉस्टल्स हैं, जहां कमरे में रोशनदान तक नहीं है और शुद्ध पेयजल बच्चों को पीने के लिए नहीं मिलता है। हमारे यहां ऐसे हैं, जहां बोरिंग का पानी पीते हैं। अगर हम बच्चों के लिए इन एमेनिटीज पर भी ध्यान देंगे तो शायद बच्चों के लिए बेहतर रहेगा। ऑनलाइन कोचिंग की बात यहां कहीं नहीं की गई है, तो इसको भी अगर जोड़कर हम इसमें कार्य करेंगे और इस बिल को लाएंगे तो वह भी रहेगा।

अन्त में, मैं कहना चाहती हूं कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं, अगर हम उनको अच्छा वातावरण बच्चों के लिए दें और अच्छी सुविधाएं दें तो मुझे लगता है, अभिभावक अपने आप हमारे प्रदेश राजस्थान को प्रीफर करेंगे। अगर इतनी अच्छी सुविधाएं हम इस प्रदेश में दे रहे हैं तो वे क्यों अपने बच्चों को दूसरे प्रदेश में भेजेंगे। इस लक्ष्य के साथ अगर हम काम करेंगे तो

यह बिल और बेहतर बनेगा। ये मेरे सुझाव हैं।

इसी के साथ मैं कहना चाहती हूं कि मैंने जो जनमत जानने के लिए यह बिल रखा है, उसको मैं वापस लेती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम। अन्तिम हैं।

Bhs/Rtm/24.03.25/19.30/4d

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार यह विधेयक लाई है तो मेरा मानना तो यह है कि इस विधेयक में इस लूट के धंधे में सरकारी कवच पहनाया जा रहा है। जिस तरह की स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग सेंटरों का संचालन क्यों किया गया? हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं उनमें सब में अध्यापक, व्याख्याताओं के जो रिक्त पद पड़े हैं उनको हम को भरने की जरूरत है। अगर हम उन पदों को भरेंगे, जितने भी रिक्त हैं तो हमारा शिक्षा का तंत्र मजबूत होगा। जब उन पदों को ही हम नहीं भरेंगे तो बच्चों को कोचिंग जाना ही पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका जन्मदिन है इसलिए आप बधाई ले सकते हो। आज इनका जन्मदिन है इसलिये हाउस की ओर से बधाई देता हूं। यह फूल केवल आपको दिया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बहुत-बहुत बधाई हो। पब्बाराम जी विश्नोई को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई और सबको लड्डू खिलाएं आप जन्मदिन के अवसर पर।

श्री अध्यक्षः अब आप कंटिन्यू करो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि आप शिक्षा के तंत्र को मजबूत करें। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता भी पधार चुके हैं और मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बोलने दें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हमको इन कोचिंगों की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों में जो रिक्त पद पड़े हैं इनको भरने की जरूरत है। इनको अगर हम भरेंगे तो बच्चों को कोचिंग की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। एक मजबूरी हो जाती है बच्चों की, जब कोचिंग में उनको जाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आई है उसका मुख्य कारण यही है कि हम बच्चों को सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उसका मुख्य कारण है रिक्त पद, तो सरकार को इस बात पर, मुख्यमंत्री जी विराज रहे हैं तो इस बात पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम को जल्दी से जल्दी उन रिक्त पदों को भरना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल-कॉलेजों में जो रिक्त पद हैं, उनसे कोचिंग सेंटरों में बच्चों की मजबूरी है कि उनको वहां जाना ही पड़ेगा अगर अध्यापक नहीं होंगे तो। कोचिंग सेन्टरों में डमी संचालन जो स्कूल डमी चलाए जा रहे हैं गांवों में, तहसीलों में, जिला हेडक्वार्टर पर, तो इनको हम को रोकने की जरूरत है। डमी जो स्कूल चलाए जाते हैं उनका कहीं रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं और वो बच्चो को प्रलोभन दे देकर वो नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तक की क्लासें जो चलाते हैं और वो फाउंडेशन कोर्स का एक प्रलोभन देते हैं कि आपको फाउंडेशन कोर्स कराएंगे और इस फाउंडेशन के कोर्स के वो लोभ में आ जाते हैं और वो डमी स्कूलों में भर्ती हो जाते हैं। तो इस तरह का एक संचालन पूरे प्रदेश में है इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जो डमी स्कूल चलाते हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन होता नहीं तो उन पर कार्यवाही नहीं होती है तो वो बच्चो को लूटते रहते हैं, तो इस तरह से गरीब परिवारों के जो बच्चे है उनके खिलाफ़ जो इस तरह की लूट हो रही है, उसको रोका जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग सेंटरों में फाउंडेशन कोर्स के नाम से जो लूट हो रही है उसमें स्कूल में अध्ययन के बिना ही आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, उसको हम को क्लियर करना चाहिए। इसके साथ-साथ, ऊपर से मां-बाप का दबाव रहता है कि भाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में लाख-लाख, दो-दो लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उस दबाव के कारण बच्चे अवसाद में आ जाते है और अवसाद में आने के कारण वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या से एक बच्चा, दूसरा बच्चा, उससे तीसरे बच्चे में भी इस तरह की भ्रामक स्थितियां पैदा होती हैं तो इस बात का हमको पहले एक इस तरह का क्लियर करना चाहिए कि भाई यह बच्चा सही इस रूप में डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता, ऐसे बच्चों को हमको पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि डमी स्कूलों को बंद करने की सरकार की क्या रणनीति है? इसमें यह भी हमको क्लियर करना चाहिए कि इन स्कूलों के खिलाफ़ क्या-क्या कार्यवाही सरकार कर सकती है? सरकार क्या विधेयक बना सकती है? शिक्षा विभाग की वार्षिक परीक्षा में बार-बार टाइम टेबल चेंज हो जाता है। अभी इस बार ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कई बार टाइम टेबल बदल दिए गए। माध्यमिक बोर्ड का दो बार टाइम टेबल बदला, पांचवीं बोर्ड का 2 घंटे में ही टाइम टेबल बदल गया तो इससे बच्चों में एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। आठवीं बोर्ड का अपने टाइम टेबल 2 दिन के अंदर चार बार बदला, तो इस स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सरकार परीक्षा नहीं करा सक रही, पांचवीं के, आठवीं के बोर्डों के हम बार-बार टाइम टेबल चेंज कर देते हैं, तो उससे बच्चों में बहुत भारी डिप्रेशन आता है, तो हम कोचिंग सेंटरों में तो क्या करेंगे, हमारे सरकारी तंत्र को हम सही चला नहीं पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि कोचिंग सेंटर लूट के अड्डे बन गए हैं और ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कौनसी कोचिंग की? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कौन सी कोचिंग की?

आदमी को बड़ा बनने के लिए कोचिंग में जाना कोई जरूरी नहीं और हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी कोई कोचिंग नहीं की, तो कोचिंग करना ही कोई जरूरी नहीं है। आप मुख्य मंत्री बन सकते हैं प्रधान मंत्री बन सकते हैं, तो इतनी बड़ी छलांग लगाने में कौनसी कोचिंग की है? तो एक भाव होना चाहिए, सरकारी तंत्र अच्छा होना चाहिए, मन के ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बोलो। बीच में डिस्टर्ब मत करो। क्या जवाब चल रहा है? बोलो आप। कोई भी न करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह कोचिंग सेंटर के जो लूट के अड्डे बन गए हैं, इसमें बड़े-बड़े लोगों का गोरखधंधा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये बड़े-बड़े लोगों ने जो बड़ा धंधा खोल रखा है इन पर हमको शिकंजा कसने की जरूरत है और आज जो हम विधेयक ला रहे हैं इस विधेयक में जनप्रतिनिधियों को आपने कहीं भी शामिल नहीं किया। जितने भी, अधिकारी वर्ग को ही शामिल किया है, जनप्रतिनिधि एम.एल.ए. है, एम.पी. है, इन लोगों का भी इसमें होना बहुत जरूरी है क्योंकि कलेक्टर उसको आपने जिले में कलेक्टर को बनाया है। यहां आई.ए.एस. को लिया है, डॉक्टरों को लिया है, जिन लोगों को लिया है पर अब सार्वजनिक रूप से एम.एल.एज,एम.पीज. का अगर इसमें हम संरक्षण रखेंगे तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई, क्या हो रहा है इसमें, तो जनप्रतिनिधियों का नहीं होना भी एक बहुत बड़ी कमी है।

श्री अध्यक्षः समाप्त करिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि आज कोचिंग सेंटरों के जो हालात हैं उनमें एक-एक क्लास में पांच-पांच सौ, आठ-आठ सौ बच्चे बैठाते हैं तो यह भी एक मापदंड तय होना चाहिए कि एक क्लास में 200, 150, 100 बच्चे, जब 500 और 800 बच्चे बैठेंगे तो वो क्या पढ़ पाएंगे? पीछे बैठने वालों को यही पता नहीं है क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया वो आता है ब्लैक बोर्ड पर उनको ट्यूशन दे कर चला जाता है, उनको यही पता नहीं हैं कि कौन बच्चा इसमें कॉम्पिटिशन में आगे आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इस धंधे में सब लोग आ रहे हैं, चल रहे हैं और जिस तरह की भावनाएं पैदा हो रही हैं, इससे प्रदेश में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बड़ी निराशा लगती है वो आत्महत्या कर लेते हैं तो यह बहुत दुखद विषय है।

श्री अध्यक्षः हो गया। दस मिनट हो गये आपको।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ सदस्य कह रहे थे हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए, तो नेता प्रतिपक्ष की तो क्या होड़ करेंगे, ऐसे छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री रहते हुए ऐसे काम किए हैं जो एक प्रदेश में बहुत सराहनीय है। मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री शान्ती धारीवाल। आखिरी हैं आज। 10 मिनट में समाप्त करिये। सबके लिए दस मिनट है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए जो इजाज़त दी, उसके लिए आपका आभार। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल है आपने अपने ऑब्जेक्ट्स में बताया है कि यह बिल किसलिए ला रहे हैं आप। उसमें लिखा हुआ है कि सफलता की गारंटी का वादा करते हैं और लुभाते हैं और लुभा करके मिथ्या दावे करते हैं और मिथ्या दावे करके उसको यह बताते हैं कि तू बिल्कुल पास होकर जाएगा, चिंता मत कर, लेकिन नतीजा जब उसके विपरीत आता है, अनुरूप नहीं आता है तो व्यापक निराशा होती है, हताशा उत्पन्न होती है और तनाव का स्तर इस स्तर पर बढ़ जाता है कि वो आत्महत्या कर बैठता है। यह आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट जो है वह है कि, साहब, व्यवसायीकरण पर रोक होनी चाहिए। दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं आपके और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर मोटे तौर पर पिछली सरकार ने...

Kas/rtm/24.03.2025/19.40/4e

27.9.2023 को एक एडवाइजरी जारी की गई और उस एडवाइजरी की 90 परसेंट बातें आपने इस बिल में शामिल की हैं। उसके बाद केन्द्र सरकार ने जनवरी में एक एडवाइजरी जारी की, उसकी कई बातें आपने गोल कर दीं, मैं बता दूंगा कि आपने कौन-कौनसी गोल कर दीं। मुख्य बात यह है कि आखिर यह कोचिंग का हल्ला हुआ क्यों? मुख्य मंत्री जी आपको भी शायद इस बात की जानकारी होगी कि 1996 में कोटा में जे.के.सिंथेटिक कंपनी बंद हो गई थी और जे.के.सिंथेटिक के एक इंजीनियर थे बंसल साहब। उन बंसल साहब ने 30-35 लड़कों को लेकर एक कोचिंग स्टार्ट की और वो कोचिंग इस तरह स्टार्ट हुई कि हजारों लड़के उनके पास पढ़ने आते थे और वहां जो वो सिखाते थे, उन्हीं लड़कों में से किसी ने तो एलेन चला दिया, किसी ने मोशन चला दिया, किसी ने क्या चला दिया, किसी ने क्या चला दिया, इस तरह कोचिंग चलीं। लेकिन जब तक बंसल साहब रहे, 1997 में उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की और 2016 तक वो रहे, 2016 तक कोटा में कोई आत्म हत्या नहीं हुई, क्या कारण थे, और 2016 के बाद धड़ाधड आत्म हत्याएं होती गईं। किसी साल 20 हो गईं, किसी साल 18 हो गईं, किसी साल 23 हो गईं, किसी साल 27 हो गईं, क्या कारण थे? इन कारणों को जाने बिना आप कोई भी बिल लाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली अशोक गहलोत साहब की गवर्नमेंट ने यह तलाश करवाया था कि आखिर यह सुसाइड क्यों होते हैं? लेकिन वो बात छुपी कि छुपी रह गई। मैं आज वो कागज निकाल कर लाया हूं और मैं बताना चाहता हूं कि उसमें क्या कारण बताये थे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप ने बड़ी स्टडी करके यह कारण बताये। पहला तो यह है कि एजुकेशन प्रेशर रहता है, फिर उस पर फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन गेंबलिंग, बच्चे गेंबलिंग भी करते हैं, उससे उधारी का प्रेशर रहता है, कई तरह के बच्चे हैं। नशे व ड्रग्स की लत की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती और

इस वजह से उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। बैक टू बैक एग्जाम में फैल होते हैं। प्लेसमेंट नहीं होना भी एक वजह है और रिजेक्ट हो जाना भी एक वजह है। सीनियर द्वारा रैगिंग करके किसी जूनियर का मनोबल तोड़ना भी एक प्रमुख कारण है। फैमेली प्रेशर और एक रिलेशनशिप का प्रेशर, कुल मिलाकर यह चीजें सामने आई थीं, कोई न कोई ऐसा कारण बनता था कि वो लड़का आत्म हत्या करता था। उसकी रोकथाम के लिये भी कुछ बातें आईं कि कोचिंग संस्थानों में नियमित काउंसलिंग सत्र और प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति अनिवार्य की जानी चाहिये। 24X7 हैल्प लाइन उपलब्ध हो। गेट कीपर प्रशिक्षित हो, डब्ल्यूएचओ की गाइड लाइन के अनुसार गेट कीपर की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। रूटीन टैस्ट की संख्या को भी कम किया जाये। बताया जाये कि कैरियर में और भी अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। बच्चे को समझाया जाये कि सिर्फ यही नहीं कि तुझे आईआईटी में ही जाना है या डाक्टर ही बनना है, और भी कई विकल्प हैं, यह कौन समझायेगा, काउंसलर ही समझायेगा। पुलिस की स्टूडेंट सैल, छात्राओं की सुरक्षा के लिये कालिका दस्ते, हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस और माता-पिता को अपने बच्चे से संपर्क करना, इस तरीके की एक स्टडी सामने आई थी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके 5 साल में कितनी आत्म हत्याएं हुईं और आपके उपायों की क्या पालना हुई?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप ठीक कह रहे हो कि आत्म हत्याएं लगातार हुईं, मैं उस बात को मना नहीं करता, लेकिन 2023 के नवम्बर में जाकर यह स्टडी हुई है और उस पर जो राजस्थान सरकार ने 27.9.2023 को जो गाइड लाइन बनाई, वो इसी गाइड लाइन पर बनाई गई। चाहे सरकार हमारी रही हो या आपकी रही हो, आत्म हत्याएं बराबर रही हैं। मैं 2016 की बात कर रहा हूं कि 2016 से आत्म हत्याएं चालू हुई हैं और 2016 से 2018 तक तो आपकी सरकार थी। मेहरबानी करके यह छोड़िए कि किसकी सरकार थी, किसकी नहीं, यह मामला ऐसा है कि इसमें वो चीजें मत लाओ आप।

आपने इस एक्ट में लिखा है कि 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाये। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें प्रेक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है और बच्चों को यह नॉलेज ग्रहण करने में समय लगता है। अगर बच्चे को 5 घंटे ही पढ़ायेंगे तो 4 साल छोड़ 10 साल में भी वो इंजीनियरिंग नहीं कर पायेगा। यह किस ब्यूरोक्रेट ने आपको सलाह दे दी कि 5 घंटे पढ़ाया जाये। सवाल घंटे का नहीं है कि आप 5 घंटे पढ़ाओगे या 6 घंटे पढ़ाओगे, सवाल इस बात का है कि तनाव मुक्त होकर वह पढ़े, चाहे वह 15 घंटे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तनाव मुक्त होकर पढे। उसके पास काफी सारे तो सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट को डीसेंट अमाउंट का समय देना उसके लिये जरूरी होता है। मैंने बताया ना आपको कि मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा है कि दिमाग फ्रेश रहे और लंबे समय तक फ्रेश माइंड और तनाव मुक्त मन के साथ अगर वह पढ़ाई करता है, तो ही वह निश्चित तौर पर सफल हो सकेगा। बच्चा तनाव के साथ आधा घंटा भी नहीं पढ़ पायेगा। सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों के प्रोफेसर्स और

काउंसलर्स, जो बच्चों को मोटीवेट रखते हैं और पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा पढ़ाई से न डरे और ना परीक्षा देने से डरे, ताकि बच्चा स्वस्थ मन से पढ़ाई करता रहे, मुख्य बात यह है।

आपका दूसरा बिन्दु है व्यवसायीकरण, व्यवसायीकरण तो आपने काफी पाबंदी लगा दी इस एक्ट में। छोटी-मोटी कमी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा एक्ट है, पाबंदी अच्छी लगाई है। यह जरूर है कि लोगों को शिकायत इस बात की है कि टोटल ब्यूरोक्रेसी हावी हो जायेगी और ब्यूरोक्रेसी हावी ही नहीं होगी, बल्कि यह कोचिंग सेंटर वाले कलेक्टर को जेब में रखेंगे। यह कोचिंग वाले कहते भी हैं कि कलेक्टर क्या है, यह जेब में रखे हैं, यह भी होता है। सारा ब्यूरोक्रेट पर मत छोड़िए, यह न तेरे हैं ना मेरे हैं, यह अहले सियासत हैं।

सवाल यह आता है कि आत्म हत्या रोकेगा कौन? आत्म हत्या कौन टाल सकता है? अभी हरिमोहन जी ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सर्वे हुआ, जिसमें 10 में से 1 लड़का आत्म हत्या करने की मंशा रखता है। बात सही है, बच्चों में होता है। 17 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चों में कभी न कभी इस प्रकार की भावना आती है कि खतम हो जाओ, क्या रखा है, मैं पास नहीं होऊंगा, कुछ नहीं होगा, यह नहीं होगा, वो नहीं होगा। काउंसलर और साइकोलोजिस्ट का यह रोल होता है कि बच्चे का मनोबल सशक्त रखें और बच्चा लंबे समय तक पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सके और स्वस्थ रहे। मोटी बात यही है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की 27.9.2023 की जो गाइड लाइन थी, उसमें साफ लिखा हुआ था, जिसको आपने गोल कर दिया। उसमें साफ लिखा हुआ था कि कोचिंग संस्थान पर्याप्त संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित मनोसलाहकारों एवं काउंसलर्स की नियुक्ति करेंगे।

Msk/rtm/24.03.25/1950/4f

यह मेंडेंट है, करना पड़ेगा। आपने लिखा है कि कर सकते हैं। वहां भी आता हूं, मैं आपको बताता हूं। जो प्रतिष्ठित संस्था से प्रशिक्षित हो और किशोर अवस्था की मानसिक स्थिति एवं व्यवहारगत परिवर्तनों के विषय में पर्याप्त जानकारी और अनुभव रखते हों, यह गाइडलाइन थी, राजस्थान सरकार की, लेकिन केन्द्र सरकार ने उसको भी उड़ा दिया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 10-12 मिनट हो गये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): केन्द्र सरकार ने जो एडवाजरी भेजी, वह मैं आपको बता देता हूं, उसमें क्या है, मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं का नाम और उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के समय की जानकारी सभी छात्रों और अभिभावकों को दी जा सकती है। छात्रों एवं अभिभावकों के प्रभावी मार्गदर्शन एवं परामर्श की सुविधा हेतु कोचिंग संस्थान में भी प्रशिक्षित परामर्शदाता की नियुक्ति की जा सकती है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): धारीवाल जी, पिछले साल के अन्दर कोटा मेडिकल कॉलेज में साइक्रेटिक का हमने टोल-फ्री नंबर डाला है, कितने बच्चे उससे काउंसलिंग कर रहे हैं। हमने डॉक्टर भी बढ़ाये हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हमारी गवर्नमेंट को तो आप छोड़ें, यह देश का ईश्यू है। यह वह कोचिंग संस्थान हैं जहां से निकलकर आईआईटी और बड़े-बड़ों संस्थानों में जाते हैं, उनके भविष्य का सवाल है। आप इसमें मेहरबानी करें कि आपके टाइम पर क्या हुआ था और हमारे टाइम पर क्या हुआ है, यह +++ से कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपको और बता देता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 12-13 मिनट हो गये, वाइंडअप करिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): साहब, सब्जेक्ट पर बोल रहा हूं। आखिरी स्पीकर हूं।

श्री अध्यक्ष: एकाध मिनट में वाइंडअप करिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हां साहब, बोल रहा हूं। दूसरा और है। कोचिंग संस्थान द्वारा मानसिक तनाव, अवसाद के समाधान हेतु छात्रों को परामर्श देने के लिए मनोचिकित्सक सेवा प्रदान करने के लिए अनुभवी मनोवैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह केन्द्र सरकार की गाइडलाइन है। मैंने आपको राज्य सरकार की बता ही दी कि मैंडेंटरी है। सवाल यह आता है कि बच्चे को रेगुलर काउंसलिंग सेशंस लगे, गलत आदतों से दूर रहें और बच्चों को गलत आदतों के दुष्परिणाम भी बतायें। बच्चों को उन गलत आदतों से डरायें और दूर रखें। यह कौन रखेगा? यह साइकोलॉजिस्ट ही रखेगा या काउंसलर ही रखेगा। मुख्य मंत्री जी, इसमें मेरा निवेदन यह है कि आत्महत्याओं को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जोर अगर दिया जाना चाहिए तो यह दिया जाना चाहिए कि छात्रों की संख्या के अनुपात में वहां पर साइकोलॉजिस्ट अपोइंट करने का इस बिल में प्रोविजन होना चाहिए। यह मेंडेटरी होना चाहिए कि करना पड़ेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 17 मिनट होने जा रहे हैं, विराजें। आपके सुझाव अमूल्य हैं। आप टेबल कर दें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): साहब आप गजब कर रहे हैं। क्या बात हुई? मैं आखिरी स्पीकर हूं। मुझे बोलने तो दें।

श्री अध्यक्ष: आखिरी नहीं है, आपका सबके बराबर है। एक मिनट में अपना वाइंडअप कर दें। पूरी रात भर सुनते रहो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): दो-तीन मिनट। आपके टेलिमानस, पहले से ही मनोचिकित्सा केन्द्र में संचालित हैं तो फिर क्या उसके बाद सुसाइड रेट कम हो गयी? आप इसमें लिखते हैं कि हैल्पलाइन की मदद ले लो। जो मरने वाला, सुसाइड करने वाला आदमी है वह पहले हैल्पलाइन को टेलीफोन करके कहेगा क्या कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं? क्या तरीका है? जिसको गंभीर मानसिक तनाव है, वह आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाता है तो क्या आपको लगता है कि वह पहले हैल्पलाइन को फोन करेगा कि मैं

आत्महत्या करने जा रहा हूं? कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो, मनोचिकित्सक के पास तभी जाता है, जब वह मानसिक स्थिति से हार चुका होता है और जिन्दगी का अन्त चाहता है। जब उसको ऐसी स्थिति आती है तो उसको किसी मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की उपस्थिति की आवश्यकता होती है और इसी स्थिति को किसी भी काल की स्थिति में रखा जा सकता। ज्यादातर कोचिंग में जो लड़के जो जूझ रहे हैं, वह यही मनोचिकित्सक की बात है। मैं अब आपको आखिरी में निवेदन कर रहा हूं। मैं खुद ही कह रहा हूं कि आखिरी।

श्री अध्यक्षः आखिरी बात कह दो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं खुद ही कह रहा हूं कि आखिरी है।

श्री अध्यक्षः आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, बोलें, एक मिनट में।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): साहब, ऐसा क्या हो गया? मैं आखिरी स्पीकर हूं। आपको ऐसा क्या हो गया? अगर मैं आखिरी स्पीकर हूं।

श्री अध्यक्षः सारे स्पीकर के अच्छे सुझाव हैं, आप उनके बराबर ही हो, स्पेशल नहीं हो। अभी मंत्री जी का भी वक्तव्य है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अब सवाल यह आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे को मानसिक रोग है या मानसिक तनाव है, कैसे पता लगेगा? इसके लिए सबसे पहले हर कॉलेज में, कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक हॉयर करने जरूरी हैं। यह मेरा सुझाव है, जिससे बच्चों को यह महसूस हो जाये कि हमारे तनाव के वक्त में हमारी मदद करने वाला कोई मौजूद है। जब भी किसी बच्चे की परसंटेज कम आती है और वह लगतातार फेल हो रहा तो उस कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसके माता-पिता को इत्तला करे, इत्तला करके सारी बात बताये। माता-पिता भी वहां आकर मनोचिकित्सक से बात करे और उसे इस बात के लिए तैयार करे। बच्चे के लिए हर हफ्ते मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कोचिंग संस्थान में कैम्प लगाये जाने चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक ही बच्चे की मानसिक स्थिति की जांच और काउंसलिंग का पता लगा सकता है और कोई पता नहीं लगा सकता। वह बच्चा उस पढ़ाई के प्रेशर को बर्दाश्त करने की स्थिति में है या नहीं, एनजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, आईक्यू की जांच भी वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है।

मेरा यह निवेदन है कि इस बिल में आपने बहुत अच्छी-अच्छी चीजें लिखी हैं, मैं इस बात के लिए मना नहीं करता। लेकिन जिस मूल उद्देश्य को लेकर इस बिल को लाये हैं, उसमें आप फेल हुए हैं। या तो आपने जानबूझकर गड़बड़ की है कि बिल पास नहीं करना। जाने दो, जैसे दो-तीन बिल गंगा-जमुना में चले गये, सलेक्ट कमेटी में। वैसे ही यह भी जाने दो, पास मत करो। या तो आपने जान-बूझकर किया है। मेरा आरोप है या यह बात आपकी जानकारी में थी तो फिर आपको यह बात इसमें रखनी चाहिए थी। मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेहरबानी करके इसको दोबारा से दिखवाइये। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। उत्तर।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक 'राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पर चर्चा हो रही है। मैं विधेयक को मात्र एक विधायी प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संकल्प के रूप में देखता हूं, जो हमारे प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने और उनके मानसिक एवं शैक्षिक स्वास्थ्य को संबल देने के उद्देश्य से लाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में तकरीबन 29 ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं। विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद से आने वाले सदस्य, सादुलपुर, आहोर, रतनगढ़, अजमेर (दक्षिण), बून्दी, राजसमंद, तारानगर, आदर्श नगर, भरतपुर, सिविल लाईन्स, मालवीय नगर, धरियावाद, शिव, बायतू, शाहपुरा, कोटा (दक्षिण), सुजानगढ़, मुण्डावर, मारवाड़ जंक्शन, अलवर(ग्रामीण), बगरू, चौमूं, बागीदोरा और मंडावा से बहन रीटा, लाडपुरा, टोडाभीम, कोटा (उत्तर) ने बहुत अच्छे सुझाव दिये। ...(व्यवधान)... कोटा उत्तर बोला हूं। सभी माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि पिछले कई वर्षों से हमारा प्रदेश विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। देशभर से विधार्थी यहां आकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके अपने सपने साकार कर रहें हैं। प्रदेश में संचालित इन कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करके विधार्थी आईआईटी प्रवेश परीक्षा, नीट प्रवेश परीक्षा, ओलम्पियाड एव अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर अपना एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे रहे हैं। .

mdp/rtm/24.03.25/2000/4g

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में चल रहे इन कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हो रही है, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, जिनमें प्रदेश की जी डी पी के साथ देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान बढ़ रहा है, परंतु इसके साथ परन्तु इसके साथ जुड़ा एक कटु सत्य भी है कि जहाँ इन कोचिंग संस्थानों में पढ़कर छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। वहीं इन परीक्षाओं में असफल होने के कारण घोर निराशा, तनाव एवं अवसाद के कारण विद्यार्थी अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। इस कारण हम सभी को न केवल हमें सोचनें पर मजबूर करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए भी प्रेरित करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब हम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस महान उद्देश्य के अनुरूप हो,

क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। एक शिक्षित समाज ही जागरूक समाज बन सकता है और एक जागरूक समाज ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रह सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एव महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्तियां करने, आधारभूत सुविधाओं का निर्माण एवं अन्य आवश्यक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

निजी विश्वविद्यालयों में भी गुणवत्तापूर्ण एव पारदर्शी शिक्षा विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। इसके लिए समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और शिकायत मिलने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सदियों से शिक्षा और ज्ञान की भूमि रही है। यह वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि ''शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाओं का संकलन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता को जाग्रत करने का माध्यम होना चाहिए।'' माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वही भूमि है जहां महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर शिक्षा को समाज सुधार का माध्यम बनाया। यह वही भूमि है जहां वीर दुर्गादास राठौड़, संत मीराबाई और अनेक महान विभूतियों ने ज्ञान और संस्कृति के प्रकाश को आगे बढ़ाया। कोटा, जिसे कभी शिक्षा के केंद्र के रूप में देखा जाता था, आज केवल एक कोचिंग उद्योग बनकर रह गया है। जहां बच्चों पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है। उनकी मानसिक शांति को भंग किया जाता है और उन्हें केवल प्रतिस्पर्धा में धकेल दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लाखों माता-पिता अपने खून-पसीने की कमाई से अपने बच्चों को इन कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं, ताकि वे डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य प्रतिष्ठित पदों पर पहुंच सकें। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि इनमें से अनेक छात्र इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और मानसिक तनाव, अवसाद और निराशा के शिकार हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, वह किसी भी समाज के लिए एक चेतावनी है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों की बर्बादी की कहानी है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को यहां भेजते हैं और अंत में उन्हें खो देते हैं। जब हम शिक्षा को व्यवसाय बना देते हैं और उसे मूल्यों से विहीन कर देते हैं, तब हम केवल छात्रों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जॉन एफ. केनेडी ने कहा था, ''Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country'', अर्थात, "यह

मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोचिंग संस्थान केवल व्यावसायिक लाभ के लिए न चलें, बल्कि वे छात्रों को अपने संस्थानो में एक पारदर्शी एव आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। पिछले कुछ वर्षों में कोटा और अन्य कोचिंग हबों में विधार्थियों द्वारा आत्महत्या के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 99/2016 द्वारा मई 2016 में इस मामले में सुनवाई की और कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक नियम बनाने के निर्देश प्रदान किए।

वर्ष 2017 में हमारी विगत भाजपा सरकार द्वारा कोटा में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से कोटा मे कोचिंग विद्यार्थियों के आत्महत्या सम्बन्धी दुखद पहलू का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करवाया गया। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर एमिकस क्यूरी ने राज्य सरकार को कानून बनाने के कहा। जून, 2018 में कोटा की कोचिंग संस्थानों और अक्टूबर, 2018 में शेष संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बल एव सुरक्षा प्रदान करने हेतु गाइडलाइन लागू की गई।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश की पालना में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए एवं केंद्र सरकार द्वारा जनवरी, 2024 में कोचिंग संस्थानों के विनियमन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर राज्यों से इसको लीगल फ्रेमवर्क में करने के निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों कि पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने फरवरी, 2024 में गाइडलाइन्स जारी करके जिला कलेक्टर्स को इनकी पालना करवाने के लिए अधिकृत किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत दुखद है कि हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने का सपना देखने वाले कई विधार्थी इस प्रतियोगिता के दवाब में टूट जाते है। पढ़ाई का अत्यधिक भार, असफलता का भय, टॉपर्स की अत्यधिक चर्चा, अभिभावकों की अपेक्षाएँ और परिणामों का सार्वजनिक प्रदर्शन जैसे कारण विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। आत्मविश्वास में कमी, कभी-कभी इतनी घातक हो जाती है कि विधार्थी मानसिक अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या तक मजबूर हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक के माध्यम से हम राजस्थान में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के मानसिक अवसाद में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने के कारण बिगड़ते हुए स्वरूप को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक ऐसा वातावरण प्रदान कर सकें जो न केवल ज्ञान से समृद्ध हो, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सशक्त बना सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा उदेश्य कोचिंग संस्थानो को परेशान करने का नहीं है, बल्कि इन संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का बेसिक सुविधाए, प्रशिक्षित शिक्षक एव अध्ययन

के लिए इकोफ्रेंडली वातावरण मिलें, यह सुनिश्चित करना है। साथ ही, कोचिंग संस्थानों के हितों को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। इस विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा किः-

राजस्थान में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा। अब कोई भी कोचिंग संस्थान बिना सरकार की अनुमति के संचालित नहीं हो सकेगा।

पंजीकरण के लिए प्रत्येक कोचिंग सेंटर को एक वेबसाइट बनानी होगी जिसमे पाठ्यक्रमों, फीस, शिक्षकों सहित सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी।

पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी को आवश्यक मानकों को पूरा करना होगा।

एक राज्य स्तरीय "राजस्थान कोचिंग नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण" की स्थापना की जाएगी, जो पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखेगा।

प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जो स्थानीय कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग सेंटर्स को योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा की शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला नहीं हो। इसके अलावा, छात्रों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता दी जाएगी। हर कोचिंग संस्थान में एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी, जो छात्रों को मानसिक तनाव से निपटने में सहायता करेगा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपने जो प्राधिकरण बनाया है, उसमें आपने एक मनोवैज्ञानिक रखा है, तो क्या वह प्राधिकरण के सदस्यों की साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा क्या?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): सभी में करेंगे।

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप यह बताइए कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लीजिए हजार लड़के हैं, तो उनके लिए कितने मनोवैज्ञानिक रखने पड़ेंगे आपको?

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, विराजिए। यह प्रश्न काल नहीं है।

Ans/rtm 20.10 4h 24.03.2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक 247 हेल्पलाइन नम्बर शुरू किया जाएगा, जहां छात्र किसी भी समय सहायता प्राप्त कर सकेगा। अत्यधिक मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रत्येक सप्ताह छात्रों को एक अनिवार्य अवकाश दिया जाएगा, जिससे वे आराम कर सकें और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना सकें। इसके साथ ही, अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई का बोझ इतना अधिक न हो कि छात्र तनावग्रस्त हो जायें। प्रत्येक छात्र को उचित मार्गदर्शन देने के लिए

करियर काउंसलिंग अनिवार्य होगी, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि वे अपनी प्रतिभा के अनुरूप कौन-सा करियर चुन सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फीस की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कोचिंग संस्थानों को अपना शुल्क ढाँचा औचित्यपूर्ण बनाना होगा और विद्यार्थी के प्रवेश के बाद कोचिंग संस्थान या हॉस्टल छोड़ने पर आनुपातिक रूप से फीस को एक निश्चित समय में लौटानी होगी, ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई कोचिंग संस्थान छात्रों के हितों के विरुद्ध कार्य करता पाया जाता है तो उस पर कठोर दंड लगाया जाएगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोचिंग संस्थान बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

आज यह विधेयक एक क्रांति की शुरुआत है। यह केवल राजस्थान के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक आदर्श उदाहरण है। जब हमारा शिक्षा तंत्र समृद्ध होगा, जब हमारे छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और जब शिक्षा सेवा बनेगी, यह व्यापार नहीं, हमारा भारत 2047 तक एक विकसित भारत बनेगा, विश्वगुरु बनेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' के मूल सिद्धांत पर कार्य कर रही हैं। हम चाहते है कि विद्यार्थियों, कोचिंग संस्थानों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभीं कोचिंग संस्थानों को भी विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उनके हितों का ध्यान रखेगी और उनकी आने वाली हर समस्याओं का समाधान करेगी। इस बिल को विभागीय वेबसाइट पर 22.07.2024 को जन साधारण के लिये अपलोड किया गया था तथा समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस जारी कर 06.08.2024 तक सुझाव आमंत्रित किये गये थे। दिनांक 19.02.2024 को शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्टेकहोल्डर्स, अभिभावक और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई एवं सुझाव प्राप्त किये गये थे। इन प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुये सरकार की गाइड लाइन के प्रावधानों को गुणावगुण के आधार पर शामिल करते हुये इस बिल का प्रारूप तैयार किया गया था।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

आज सभी इतने विद्वान सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये, वह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे। आपने यह कहा कि इसको और अधिक प्रभावी बनाया जाये। निश्चित रूप से आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सुझावों का सम्मान करते हुये, इस संकल्प को पूर्ण करने और इस विधेयक को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे स्टेकहोल्डर्स और आप सभी के सुझावों को शामिल किया जायेगा।

माननीय विपक्ष के सभी सदस्यों का सम्मान करते हुये, यह भजनलाल जी की ऐसी सरकार है कि आपके सारे सुझावों को कितना महत्व दिया गया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विराजिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करें, जहां हर विद्यार्थी बिना डर, बिना तनाव और बिना दबाव के अपने सपनों को पूरा कर सके। जय हिंद। जय भारत। जय राजस्थान।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जायें?

(स्वीकृत)

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सत्र-समीक्षा

माननीय सदस्यों, आज यह सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित होने जा रहा है। उस समय सत्र-समीक्षा हमेशा प्रस्तुत होती है। इसके तहत यह सत्र दिनांक 31 जनवरी, 2025 से प्रारम्भ हुआ और आज दिनांक 24 मार्च, 2025 को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित होने जा रहा है। इस सत्र में कुल 24 बैठकें हुई। दिनांक 24 मार्च, 2025 तक की कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 181 घण्टे 50 मिनट विधान सभा की कार्यवाही चली।

प्रश्न

इस सत्र में माननीय सदस्यों से कुल 9,800 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 4,480 और अतारांकित प्रश्न 5,302 एवं अल्प सूचना प्रश्न 18 हैं। कुल 516 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 288 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये। इसी तरह 576 अतारांकित प्रश्न भी सूचीबद्ध हुए।

विगत सत्र में माननीय सदस्यों से कुल 8,088 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 3,810 एवं अतारांकित प्रश्न 4,278 हैं। कुल 420 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 268 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

मुझे यह सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष है कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में प्राप्त कुल 10,049 प्रश्नों में से अब तक 9,453 के उत्तर प्राप्त हो चुके है

और 596 शेष केवल लगभग 500 प्रश्न बचे हैं, उम्मीद है कि उनके भी उत्तर बहुत जल्दी आ जाएंगे। शायद यह पहली बार है कि 95 परसेंट प्रश्नों से अधिक के उत्तर आ चुके हैं।

प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत कुल 231 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 71 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया तथा 63 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे।

विगत सत्र में कुल 194 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 54 प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया। गत वर्ष से इस बार अपन उसमें आगे बढ़े हैं।

प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत 337 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 293 विशेष उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी गईं या पढ़ी हुई मानी गईं। आज हमारे पास एक भी 295 का प्रस्ताव पेंडिग नहीं है, सबको आज अनुमति दे दी। यह जो 40 सूचनाएं नहीं पढ़ी गईं, वह केवल सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण ही सदन में नहीं आ पाईं।

विगत सत्र में 280 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उनमें से 255 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया या पढ़ा हुआ माना गया तथा 245 सूचनाओं के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। विशेष उल्लेख की 25 सूचनाएं विधायकों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण नहीं पढ़ी गईं।

पर्ची

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 767 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा कुल 84 पर्चियां चयनित हुईं व संबंधित माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखें।

विगत सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा कुल 808 पर्चियां प्राप्त हुईं। जिनमें से शलाका द्वारा कुल 72 पर्चियां चयनित हुईं व संबंधित माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन के समक्ष रखें।

प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत 811 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 07 प्रस्ताव अग्राह्य किये गए। राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिये 804 प्रस्ताव प्रेषित किये गये, जिनमें से 400 प्रस्तावों के उत्तर प्राप्त हो चुके है।

विगत सत्र में प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत 748 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 14 प्रस्ताव अग्राह्य किये गए। राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिये 734 प्रस्ताव प्रेषित किये गये, जिनमें से 690 प्रस्तावों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। इस बार सबके सहयोग से अपन ने यह सारा काम सम्पन्न किया है।

VPS-RTM-24.03.2025-20.20-4j

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद एवं अनुदानों की मांगों

पर विचार

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 दिनांक 19 फरवरी, 2025 को सदन में उपस्थापित किया गया, जिस पर गत सत्रों से एक दिवस अधिक अर्थात 5 दिन सामान्य वाद-विवाद के लिए नियत किये गये, जिसमें 96 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 27 फरवरी, 2025 को माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने परिवर्तित आय-व्ययक पर हुए वाद-विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया।

विभागों से संबंधित 64 अनुदानों की मांगों में से अब तक सर्वाधिक 17 अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा हुई। इस हेतु 8 दिवस नियत किये गये। अनुदान की मांगों पर 4,319 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 3,789 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये एवं 530 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य हुए। अनुदानों की मांगों पर चर्चा में 162 कांग्रेस के और 161 सत्ता पक्ष के लोगों ने भाग लिया, सदस्यों ने। फिर भी ये कई बार कहते हैं कि विपक्ष को अवसर नहीं मिलता तो इसलिए मैंने यह सदस्य संख्या भी बताई है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कोई बात नहीं।

वर्तमान सत्र में कुल 12 विधेयक पुरःस्थापित किये जाकर 10 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये तथा 3 विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किये गए। विधेयकों पर माननीय सदस्यों से कुल 210 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 39 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य एवं 171 संशोधन स्वीकार किये गये।

विगत सत्र में कुल 05 विधेयक पुरःस्थापित किये जाकर 03 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये तथा 01 विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया। विधेयकों पर माननीय सदस्यों से कुल 37 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 05 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य एवं 32 संशोधन स्वीकार किये गये।

याचिकाएं- विगत सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा केवल 19 याचिकाएं उपस्थापित हुईं। इस बार सदन में 55 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गईं।

विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन- इस बार 17 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

सत्र के दौरान कांस्टीट्यूशन क्लब का भी श्रीगणेश हुआ और यहां जो म्यूजियम है नीचे उसको 14 हजार लोग अब तक देख चुके हैं और सदन में इस बार दर्शक दीर्घा में 2841 लोगों ने सदन की कार्यवाही यहां पर देखी है।

मेरे दो आग्रह और हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, अपेक्षा यह है कि जिस प्रकार लोक सभा के अन्दर तीन सत्र होते हैं, विभिन्न विधान सभाओं में भी होने लग गये, अपने यहां भी वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र को यदि हम शुरू करेंगे तो सदन के अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। प्रयास करें, एक बार जितना सम्भव है।

साथ में हर सीट पर आईपैड लगे हैं, मैंने कई बार सदस्यों से यह आग्रह किया है, अब चूंकि, बीच में छुट्टियां मिलेंगी कुछ महीने, हम इस आईपैड के उपयोग का अभ्यास अपने घर पर भी करें, ताकि इस आईपैड पर हम सारी चीज, कार्यवाही कर सके, उसका लाभ ले सकें। इसमें कई सदस्यों को मैं टोका भी हूं कि इसको केवल स्टैंड के रूप में काम न लें और इसको सीखें। जिनको ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे यहां जो सेंटर है, आराम से छुट्टियों में भी आकर अपने आईपैड की ट्रेनिंग या टैबलेट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, ताकि हम सब लोग, जो एक कल्पना है कि हम इस सदन को पेपरलेस बनाएंगे, धीरे-धीरे हम सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, ताकि यह सदन आगे देशभर की विधान सभाओं के अन्दर एक आदर्श विधान सभा के रूप में आगे बढ़ सके, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है।

अन्त में, मैं समस्त माननीय सदस्यों को उनके द्वारा सदन के कार्य-संचालन में दिये गये सहयोग के लिये उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं सभापति तालिका के सदस्यों को भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही, मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष एवं सरकारी मुख्य सचेतक का उनके द्वारा सदन के कार्य संचालन में दिये गये सहयोग के लिये अत्यन्त आभारी हूं।

इस अवसर पर मैं विधान सभा के अधिकारियों, कर्मचारियों को भी उनके द्वारा सत्र कार्य में दिये गये सहयोग एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सत्र के दौरान उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही, सभा की कार्यवाही के संचालन में राज्य सरकार के समस्त विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिये भी उनको धन्यवाद देता हूं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से मीडियाकर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार सदन में 200 माननीय सदस्य रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब जन गन मन के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे

भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.26 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

......